राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] दसवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का इकतालीसवां दिवस [संख्या : 25

सोमवार,

4 अप्रेल, 1994

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

प्रश्नकाल का स्थगन

श्री लक्ष्मण सिंह (मीम) : अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 31 तारीख को जो ब्यावर में घटना घटी थी उसको लेकर सिर्फ ब्यावर ही नहीं वरन् अजमेर जिले में भी स्थिति बहुत विस्फोटक बनती जा रही है और यह स्थिति कहीं राजस्थान के अन्य शहरों में भी नहीं फैले इसको रोकने के लिए हमने और हमारे साथियों ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मेरा नम्र निवेदन है कि आज प्रश्नकाल को स्थगित किया जाए और इस अतिगम्भीर बिन्दु के ऊपर सदन में चर्चा करके सरकार की ओर से उसके ऊपर कुछ निर्णय यहां लिये जाएं। मैं आशा करता हूं कि आपके द्वारा जो आदेश 31 तारीख को सरकार को दिये गये थे उनकी अनुपालना में सरकार ने क्या किया है उसके ऊपर भी यहां चर्चा की जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि प्रश्न इतना गम्भीर है और पशु और इन्सान सबकी जिन्दगी का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में पानी का कोई प्रबन्ध न करने के फलस्वरूप यह स्थिति पैदा हुई और आज कितने ही लोगों के चोटें आयी हैं। कई अस्पताल में भर्ती हैं और चार दिन से लगातार ब्यावर शहर बन्द पड़ा है। अजमेर का भी वही हाल है और कुछ ही दिनों में जोधपुर का भी वही का वही हाल होने वाला है। श्री शेखावत साहब को ना तो समय मिलता है और न ही यह कभी उनकी तरफ ध्यान देते हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि क्वेश्चन आवर सस्पेण्ड करके आज इसके ऊपर आप बहस करवायें। हमारा यह आपसे खुला निवेदन है।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : सवाई माधोपुर का भी वही होगा।

श्री अरुण सिंह (डीग) : भरतपुर का भी वही होगा।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्षजी, जोधपुर लिफ्ट कैनाल का पानी मिलना शुरू हो गया है, जो 10 साल से लटका रखा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्षजी, गम्भीर समस्या पर ध्यान दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : जिला सवाई माधोपुर में भी इस गम्भीर समस्या की ओर ध्यान दिया जाए।

Page No. 2

(2)

श्री शान्तिलाल खोईवाल (राजसमंद) : इसका समाधान चाहेंगे तो जरूर निकलेगा। इसके ऊपर कोई न कोई गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।....(व्यवधान) सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : आप बैठ जाइये।

श्री शान्तिलाल खोईवाल : मैं आपके कहने से नहीं बैठूंगा।.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें। यह पूर्व सरकार ने ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र गहलोत : यह अच्छी बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्षजी, पेयजल की समस्या की गम्भीरता के बारे में सदन में गत दिवस चर्चा हुई। इसके पश्चात् प्रतिपक्ष के नेता ने कांग्रेस के चार विधायकों को वहां भेजा। माधवसिंह दीवानजी, लक्ष्मणसिंहजी, शंकर लालजी और मैं ब्यावर गये। अध्यक्षजी, हमने बार एसोसिएशन में वकील समुदाय से बात की, अजमेर डिवीजन के पत्रकारों से बात की, अस्पताल में जिनके चोट लगी उनसे बातचीत की, जेल में जिनको बन्द कर रखा था उनसे बातचीत की और जनता के लोगों से बातचीत की। अध्यक्षजी, जो स्थिति हमें वहां देखने को मिली वह अत्यन्त भयानक है। पहली बात, कागजों में जितना पानी दिखाया जा रहा उतना पानी भ्रष्टाचार की वजह से न तो आ रहा है, न ही जनता को मिल रहा है। अध्यक्षजी, प्रशासन ने इस मामले में यहां से आई. जी. साहब को हेलीकाप्टर से भेजा। कोई गलत बात नहीं है। जहां भी ला-एण्ड आर्डर की सिचुएशन है सरकार को तत्परता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने जाकर काफी अच्छा काम किया, सरकार ने रेपिड एक्शन फोर्स भी मंगवायी। कोई विरोध नहीं करता। माननीय अध्यक्षजी, ऐसा काम सरकार को करना चाहिए। परन्तु जो सरकार ला एण्ड आर्डर के लिए इस प्रकार की चुस्ती दिखाती है उस सरकार ने पेयजल की गम्भीर समस्या के बारे में इस प्रकार का ना सोच दिखाया। माननीय अध्यक्षजी, स्थिति की गम्भीरता का आप इस बात से आंकलन कीजिये कि जब पेयजल की मांग पर विचार-विमर्श हो रहा था, सब सदस्यों ने अपनी बात रखी, माननीय मंत्रीजी ने गम्भीरता से कहा कि हम इस बारे में आंकलन कर रहे हैं और ऐसी समस्या, ऐसा संकट नहीं आने देंगे। जब हमने वहां पर संकट देखा कि धारा 144 का अर्थ यह लगाया जा रहा है कि 144 घंटे में 14 मिनट पानी। यह स्थिति वह बता रहे हैं। अध्यक्षजी, अस्पताल में जब हम गये तो एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी ने कहा कि यहां पर आदमी जिन्दा है कि नहीं, इसके लिए डाक्टर को नाड़ी देखने की दरकार नहीं है। जो भी आदमी अस्पताल में आता है उसके कान में कहते हैं कि पानी आ गया यदि वह हिल जाता है तो हम समझते हैं कि वह जिन्दा है। यह मैं गम्भीरता से कह रहा हूं।

श्री शान्तिलाल खोईवाल : आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मेहरबानी करके

(श्री शान्तिलाल खोईवाल)

समस्या के समाधान के लिए संयमित भाषा का प्रयोग करें ताकि जनता को सही मैसेज मिले। आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शान्तिलाल खोईवाल : क्योंकि गम्भीर समस्या है और संयमित भाषा से यदि इसके समाधान के बारे में इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो इसका निराकरण निकलेगा। अनर्गल बातें करने से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सुनें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, जन प्रतिनिधियों को जन आक्रोश का सामना करना पड़ता है जब इस प्रकार की गम्भीर समस्या आती है। यह कोई नयी बात नहीं है। मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ऐसा सामना करना पड़ा या एडजोनिंग कांस्टीट्यूएन्सी के विधायक को सामना करना पड़ा। यह बात ब्यावर से आगे बढ़ रही है। हमारी कमेटी के सदस्य किशनगढ़ रुके, किशनगढ़ की स्थिति भी भयंकर होती जा रही है। यही स्थिति पूरे अजमेर जिले की है। अध्यक्षजी, अजमेर आज बन्द हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो प्रस्ताव हमने रखा है, जो स्थगन प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, यह एक ऐसी गम्भीर समस्या है जिस पर मानवीय दृष्टिकोण से इस सदन में आज क्वेश्चन आवर सस्पेण्ड करके इस पर चर्चा करानी चाहिए। यही जनहित की मांग है, यही जन प्रतिनिधियों के आब्लिगेशन का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी, ब्यावर के मामले में पिछले चार-पांच दिन से अखबारों में आ रहा है। सदन में चर्चा हुई और वह समस्या बिगड़ती जा रही है। इस वक्त सदन के सामने प्रश्न यह है कि हम उस पर चर्चा करें। अध्यक्षजी, सामान्य दिनों में प्रश्नकाल भी आवश्यक है, सदन के अन्य कार्य भी आवश्यक हैं। लेकिन जहां परिस्थिति इस प्रकार की भयंकर हो जाए, यहां पानी की समस्या के साथ-साथ ला एण्ड आर्डर की समस्या भी जुड़ गयी है। यह समस्या, इतना एजीटेशन वहां हो रहा है, बाजार बन्द है, चार रोज से भरसक प्रयत्न किये गये बाजार खुलवाने के लिए वह भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वहां लोगों में, पब्लिक में इस प्रकार का आक्रोश है। इन सब बातों का तुरन्त निराकरण हो, नहीं तो यह समस्या अजमेर से, ब्यावर से निकलकर आगे चली जाएगी। मैं उचित समझता हूं कि सदन अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को छोड़ कर इस समस्या पर विचार करे और इसका कोई न कोई समाधान निकाला जाए। जो मांग ला एण्ड आर्डर की है, लोगों पर लाठी चार्ज हुआ उसकी भी जांच हो जाए और पानी की समस्या का निराकरण हो जाए तो सदन को इस पर विचार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्यामजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : माननीय सदस्यों ने नियमों में छूट देकर आपसे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग की है। अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में जो पेयजल की समस्या है, अजमेर में पेयजल की समस्या है, जोधपुर में पेयजल की समस्या है उस समस्या की गम्भीरता को कम करने का किसी का मानस नहीं है। प्राकृतिक रूप से बरसात न होने और अन्य कई कारणों से पेयजल की समस्या राजस्थान में कई जगह है। पेयजल के संकट पर बातचीत हो रही है। हमने भी इस बात को कहा था कि पेयजल की समस्या है। आकाश से न तो पानी लिया जा सकता है और न ही पाताल से। बनास से जब पानी आयेगा तो ब्यावर की पूरी समस्या का समाधान होगा लेकिन इस पर चर्चा करना मैं समझता हूं आवश्यक है, इसको मैं किसी प्रकार अनावश्यक नहीं मानता। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, चर्चा के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप है कि प्रश्नकाल को स्थगित करके हम चर्चा करें। मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आपका निर्णय है। लेकिन प्रश्नकाल के एक घंटे बाद अपन चर्चा करते हैं और आप पर्याप्त समय 3–4 घंटे का चर्चा के लिए देते हैं। तो कांग्रेस के माननीय सदस्य भी जाकर आये हैं, हमारे माननीय सदस्य भी जाकर आये हैं और ब्यावर से मेरा भी पुराना सम्बन्ध है, मुझे इस समस्या का पूरा ज्ञान है, तो इस सदन में ब्यावर पर एक चर्चा हो जाए इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बीस-बीस, तीस-तीस और चालीस-चालीस हजार रुपये एक-एक प्रश्न पर लगते हैं। सदन के माननीय सदस्यों के प्रश्न भी हैं और तीन दिन की छुट्टी भी थी। यदि सब माननीय सदस्य सदन में आ जाते हैं, प्रश्नकाल के बाद उपस्थिति भी हो जाती। इस समय अपन देख रहे हैं कि साठ, सत्तर, सौ के आस-पास हैं, तीन दिन की छुट्टी के कारण से बहुत-से माननीय सदस्य नहीं आ सके हैं। यदि प्रश्नकाल के बाद में आप व्यवस्था करें और दोनों तरफ के लोगों को बुलाकर इस पर पूरी चर्चा कर ली जाए तो इस समस्या के समाधान में मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने एक बार व्यवस्था की थी, आज यह जो मामला उठा है उसकी आपने सारे सदन में जिस प्रकार चर्चा करायी और उसका सौहार्दपूर्ण हल निकला, सरकार को भी मदद मिली, किसानों को भी राहत मिली और बिजली की व्यवस्था होने से फसल भी पक गयी। इसी प्रकार से इस पानी की समस्या पर भी अगर उस प्रकार से अपन चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से उसका समाधान निकलेगा। अतः अध्यक्ष महोदय, यह तो आपके विवेक पर है कि आप प्रश्नकाल समाप्त करते हैं कि नहीं करते लेकिन मैं निवेदन यह करूंगा कि प्रश्नकाल के बाद में इसको 119 या किसी दूसरे अन्य माध्यम से लेकर इस पर मंत्रीजी का वक्तव्य भी आ जाए, सरकार भी जवाब दे दे, सदन में सारी चर्चा हो जाए और इसके लिए कोई रास्ता भी निकल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था कराने की आप कोशिश करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की वकालत तो की लेकिन बीस हजार रुपये प्रश्न पर भले ही खर्च हो

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

जाते हो, कुछ सदस्य आये भी नहीं होंगे लेकिन ब्यावर में तो पानी की भीख मांगने वाले लोगों पर नहीं बल्कि मानवता पर प्रहार किया गया है। ऐसे हालात में यदि सदन इसको टाले और प्रश्नों को महत्वपूर्ण समझे तो मैं समझता हूं कि प्रश्न ही नहीं, कितना भी महत्वपूर्ण काम सरकार के पास भले ही हो आज इससे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न न सदन में होना चाहिए, न सरकार के पास होना चाहिए। अजमेर की जनता का प्रश्न नहीं है, सरकार का ध्यान राजस्थान की प्यासी जनता की ओर आकर्षित करने के लिए यदि सदन के सदस्य चुप रहे या इसको टाला गया, अध्यक्ष के विवेक की बात आपने कही, निश्चित रूप से अध्यक्षजी विवेकवान हैं तभी तो चर्चा करा रहे हैं वरना इस चर्चा को उसी वक्त रोक देते। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि सारे काम को रोक कर के ऐसे गम्भीर प्रश्न पर, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे दूसरा कोई समय हो, चाहे कानून और नियम कुछ भी कहते हों, सब को अलग रख कर के मानवता को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्नकाल को समाप्त करना चाहिए और सबसे पहले इस पर चर्चा करानी चाहिए। सदन की भावना यही है, माननीय सदस्यों के मन में जो तड़फ और दर्द है उसका इजहार यदि नहीं किया गया तो हम जहां से आ रहे हैं वहां की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ब्यावर में जो कुछ हो रहा है वास्तव में बहुत ही चिंतनीय मामला है। प्रश्नकाल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि यह खाली ब्यावर का ही मामला नहीं रह गया है अब इसका असर लगातार दूसरी जगह भी पड़ता चला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती चली जा रही है। मैं अभी मेरे क्षेत्र में गया था तो वहां सब लोगों ने मेरे सामने यही मांग रखी थी कि ब्यावर में इतना सब कुछ हो रहा है, लोग आन्दोलन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है आप हमारे लिए क्यों नहीं करते? इस प्रकार का विधान सभा में रोजाना ब्यावर ही ब्यावर आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसको रोकिये, ब्यावर की व्यवस्था को सुधारिये और इस पर चर्चा करायी जाए आज ही, नहीं तो अन्य क्षेत्रों में इसका असर पड़ेगा और कानून की व्यवस्था खराब होगी क्योंकि पानी की समस्या सभी जगह है इसलिए यह मुद्दा प्रश्नकाल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर की यहां 31 तारीख को चर्चा चल रही थी, कल मैं ब्यावर में चार घंटे रह कर आया हूं और प्रशासनिक अधिकारियों ने और पुलिस अधिकारियों ने प्यासे लोग वहां आये थे उनके साथ जो सलूक किया है और आज भी कर रहे हैं। रिकार्ड में चाहे इन्होंने कितने ही दिन पानी दिया हो, चाहे तीन दिन दिया हो, चाहे चार दिन, लेकिन लोगों ने यह कहा है कि छह-सात दिन से पहले कभी पानी नहीं मिलता और मैंने

(श्री अमराराम)

मेरी आंखों से देखा है कि साढ़े तीन बजे जहां एक मौहल्ले में पानी आया और औरतें इस तरह से झगड़ रही थीं जैसे जिंदगी और मौत के लिए झगड़ रही हों। तो, मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल ब्यावर, अजमेर और पूरे राजस्थान की इस प्यासी जनता के लिए है और इससे बढ़ कर कोई विषय हो ही नहीं सकता। पानी पहली आवश्यकता है, हवा के बाद पानी की आवश्यकता है। इसलिए चाहे प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है, इससे कोई इन्कार नहीं करता लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। जहां जिंदगी और मौत का सवाल है, यह सवाल सबसे ऊपर है। इसलिए प्रश्नकाल स्थगित कर के आप इस पर चर्चा करायें। यह मेरा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह महुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न रखे जाते हैं वह समस्याओं के निराकरण का एक माध्यम है और कई बार जब सरकार की तरफ से संतोषप्रद उत्तर नहीं मिलता तो आसन की तरफ से उन समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार को निर्देश भी दिये जाते हैं। यह पानी का प्रश्न ब्यावर का ही नहीं पूरे राजस्थान का है, इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि दूसरे प्रश्नों को स्थगित करके इस पर विचार किया जाए, अध्यक्षजी, यह आप स्वयं भी महसूस कर रहे हैं। पानी के लिए, जहां नोसेर खां पठान ने एक घूंट पानी के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया उसका अहसान चुकाने के लिए, अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों पर सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अगर ब्यावर की जनता के लिए पानी सुलभ कराने के लिए आप सदन में चर्चा के लिए इस प्रश्न को रखते हैं तो मेरी समझ में यह सब से ज्यादा हितकर होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता कुछ कहेंगे इस बारे में।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में 31 तारीख को जो पानी की विषमतम स्थिति खड़ी हुई है उस सम्बन्ध में सदन में कुछ चर्चा हुई थी और आपने भी आसन से राज्य सरकार को निर्देश दिये थे। मैं समझता हूं आपने यह निर्देश दिया, "यह आपकी मांग मैं स्वीकार करता हूं और राज्य सरकार को इसके लिए निर्देश देता हूं।" अध्यक्ष महोदय, यह पानी की समस्या ब्यावर की और अजमेर की नहीं है, अजमेर जो पांच लाख की आबादी का शहर है वहां भी आज कम्पलीट हड़ताल है और शायद नसीराबाद में भी हड़ताल है। जैसा कि माननीय पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने जो स्कीम अजमेर के सात सौ और कुछ गांवों की बनायी है, तो वहां पानी की स्थिति बहुत खराब है। जिन गांवों में आप समझते हैं कि हमने लाभान्वित कर दिया है, बेनीफिट कर दिया है उनको और कवरअप कर दिया है, इस सम्बन्ध में भी आपने कहा है कि उनको पूरा पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए सात सौ गांवों की एक योजना बना कर के भारत सरकार के पास भेजी है, ऐसा प्रगति रिपोर्ट में आपने हम को सूचना भी दी थी। गांवों की समस्या,

(श्री परसराम मदेरणा)

नगरों की और शहरों की समस्या, अध्यक्ष महोदय, यह केवल अजमेर जिले की ही समस्या नहीं है। गर्मी का मौसम आ गया है और जब से सदन प्रारम्भ हुआ है बार-बार किसी न किसी अवसर पर यह चर्चा का विषय बना है कि ग्रीष्मकालीन राहत कार्य और कंटिजेंसी प्लान अभी नहीं बना कर के प्रभावी और सार्थक कदम नहीं उठाये तो पीने के पानी की गम्भीर समस्या राजस्थान के शहरों और गांवों में उत्पन्न हो जाएगी जिसका समाधान किसी भी तरह से सरकार नहीं कर सकेगी। क्योंकि पानी की ऐसी समस्या है कि इसके लिए सोर्स ढूंढना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, सोर्स के बाद में उस पर कन्स्ट्रक्शन करना पड़ता है फिर इंस्टाल करके पम्प वगैरह और उसको मैन पाइप लाइन से कनेक्ट करना पड़ता है या उस पानी को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो उसमें एक ट्यूब वैल का निर्माण कर लेना ही काफी नहीं है, उसके लिए पानी पहुंचाना और आपूर्ति करना, उसमें भी कई दिन का गैप लग जाएगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन भी निवेदन कर रहा था, राज्य सरकार से बहुत विनम्रता पूर्वक मैंने निवेदन किया कि वार फूटिंग में अगर आपने यह मामला नहीं लिया तो पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। यह जो बात मैं कह रहा था वह अनुभव के आधार पर ही कह रहा था और मुख्य मंत्री जी को इस बात का अनुभव है। पानी कई जगह ड्राई हो गया है, कई जगह पानी का क्वाण्टम, पर्टिकूलर सोर्सेज था वह आवक कम हो गयी है और उसके साथ ही ग्रीष्मकाल के अन्दर पानी की मांग बढ़ गयी है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं उस वक्त बोलने वाला भी नहीं था, पी.एच.ई.डी. की डिमाण्ड पर 27 नम्बर पर, लेकिन चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जब मुझे यह कहा कि आप अपने कुछ विचार रखें तो उचित रहेगा, तो मैंने एक बात कही थी, मैं स्टेट इलैक्ट्रिसिटी आथोरिटी के सर्वे रिपोर्ट नम्बर 12, 13 और 14 को उल्लेख नहीं कर रहा हूं जिसकी प्रतिलिपियां मेरे पास में हैं, मैं देखता रहता हूं कि सप्लाई और डिमाण्ड में कितना गैप रहेगा लेकिन मैंने उस वक्त एक वार्निंग दी थी और दिख यह रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था....

एक माननीय सदस्य : +++ कब से हो गये, आप।

श्री परसराम मदेरणा : +++ उस दिन से हो गये जिस दिन से आपने फ्लोर क्रास कर लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैंने जब यह कहा तो मैंने उस वक्त एक गलत बात कह दी थी, 1984 में मैंने कोई कांफ्रेंस में अपना भाषण दिया था, और मैं सचिव महोदय को सूचित भी कर चुका था कि इसका कनेक्शन कराना है, मैं इसका कनेक्शन कराना चाहता हूं। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था, मैंने यह बात कही थी कि समस्या दिन प्रतिदिन इतनी गम्भीर बनती जा रही है कि आपके डिमाण्ड और सप्लाई के बीच 500 पर्सेंट गैप रहेगा। मैं 500 पर्सेंट की बात कह रहा था, मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि मैं किसी गवर्नमेंट को डार्क में रखना चाहता था। मैं इसलिए कह रहा

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

था कि समस्या खड़ी हो रही है, बहुत जबरदस्त समस्या खड़ी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, ब्यावर और अजमेर में पानी की आपूर्ति करने का यह प्रश्न नहीं है, पूरे राजस्थान के अन्दर यह समस्या आने वाले ग्रीष्मकाल में प्रारम्भ होने वाली है और इसी कारण से जगह-जगह ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम खड़ी हो जाएगी। यह इतना गम्भीर मसला है तो मैं समझता हूं प्रश्नकाल अपनी जगह अहमियत रखता है, उसका अपना महत्व है लेकिन पीने के पानी के मामले में जहां ब्यावर में आज चार दिनों से कम्पलीट हड़ताल चल रही है।

अजमेर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है और 1956 में हमारे साथ में विलिन हुआ था, जैसा कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे वहां पर 106 घंटों के बाद पानी मिलता है, ब्यावर में भी 72 घंटे के लिए वे कह रहे थे कि हम एक उपभोक्ता को 72 घंटे बाद पानी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी स्टेप गवर्नमेंट ने लिये हैं, अभी तक वह स्टेप प्रभावी नहीं बन सके हैं और पानी की अभी भी किल्लत यों की यों है।

धोद से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं वहां जाकर आये हैं और वहां की स्थिति को देखा है। अगर सरकार प्रभावी और सार्थक कदम पानी की समस्या के समाधान के लिए नहीं उठा सकी तो यह बहुत ही टॉप पब्लिक इन्ट्रेस्ट का मसला है, लोक महत्व का मसला है, पीने के पानी का है। आज बिना भोजन के आदमी कई दिन तक जिन्दा रह सकता है, हवा के बिना एक मिनट जिन्दा नहीं रह सकता और पानी के बिना 24 घंटों के बाद जिन्दा नहीं रह सकता। इसलिए पानी की समस्या राजस्थान में बद से बदतर होती जा रही है। तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रही है ? हमेशा गर्मियों की ऋतु में आप जिस तरह का प्रबन्ध पहले करते आये हैं वह प्रबन्ध इस वक्त जो पानी की समस्या खड़ी हो रही है उस समस्या के अनुपात में आपके द्वारा दी जाने वाली राहत, मैं समझता हूं, बहुत कम है। इसलिए राज्य सरकार को इसको स्पेशल केलेमिटी मानते हुए, नेचुरल केलेमिटी मानते हुए पानी जो नीचे चला गया है और उसके लिए व्यापक पैमाने पर बहुत ही एलोबे्ट अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, इफेक्टिव अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, टास्क बहुत स्टूपेन्डियस है, लोग पानी के लिए त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहे हैं ऐसी सूरत में मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रश्नकाल को स्थगित करके इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा कराना उपयुक्त रहेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यदि विपक्ष के नेता और विपक्ष चाहता है कि प्रश्नकाल स्थगित कर पानी के विषय में चर्चा की जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। चर्चा आरम्भ करें, उससे हमको भी लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : जहां तक इस समस्या का प्रश्न है इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पानी की समस्या राजस्थान में काफी गम्भीर है और जिस तरह से आपने बिजली पर गम्भीरता से विचार करके और बहुत ही रचनात्मक

(श्री अध्यक्ष)

सुझाव दिये उसी प्रकार से यदि सीनियर मैम्बर्स इस सम्बन्ध में चर्चा करें तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्नकाल स्थगित किया जाता है।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना) : साहब, हमें भी बोलना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे ही बोलेंगे लेकिन अच्छा है कि....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : मुझे कुछ कहना है। सीनियर मैम्बर और जूनियर मैम्बर सबकी समस्या एक सी है इसलिए अध्यक्ष महोदय को तो सब के साथ एक सा बर्ताव करना चाहिए कि समस्या एक सी है और बोलने का अधिकार हर एक का है, समस्या एक सी है।

श्री अध्यक्ष : आप मेरी बात को समझिये, मैंने कहा है कन्स्ट्रक्टिव सुझाव, आप सुन लीजिए पहले। जो लोग इस मामले में अनुभवी हैं, जिन्होंने प्रशासन चलाया है, जिनको पूरा ज्ञान है मैं उनके लिए कह रहा हूं। मैं यह पहले भी कह चुका हूं सीनियर-जूनियर मैम्बर की योग्यता में कोई अन्तर नहीं है लेकिन कुछ लोगों को विशेष ज्ञान होता है। इस बात को छिपाकर हिप्पोक्रेसी करने से क्या फायदा है? हम जानते हैं कि सब आदमी बराबर हैं उसके बावजूद भी कुछ लोगों में विशेष क्वालिटी होती है, कुछ लोगों को विशेष ज्ञान होता है उसका लाभ मिले तो उसमें आपत्ति क्या होती है? इसलिए इस छोटी सी बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है। तो प्रश्नकाल स्थगित किया जाता है और इस सम्बन्ध में आप शुरू करें।

ब्यावर में पेयजल संकट एवं लाठी चार्ज की घटना

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव मैंने ही मूव किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो राजस्थान में पेयजल की समस्या काफी गांवों और काफी शहरों में चल रही है लेकिन अजमेर जिले में मुख्यतः यह समस्या पिछले काफी समय से गम्भीर बनी हुई है। इस समस्या की तरफ समय-समय पर जनप्रतिनिधियों ने कई माध्यमों से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 दिनों से मैंने स्वयं ने पहले तो ..

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन हमने मूव किया है इसलिए हमारे ही मैम्बर बोलेंगे और सरकार की तो रिप्लाई होगी सिर्फ, इसमें चर्चा कैसी?

श्री अध्यक्ष : देखिये, यह ऐसा है, मैं समझता हूं कि जो अपनी परम्पराएं हैं उनको सब जानते हैं कि एडजोर्नमेंट मोशन कभी स्वीकार नहीं होता है, एडजोर्नमेंट मोशन पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा होती है। यह पार्लियामेंट में भी परम्परा रही है और यहां भी रही है। जब आप चर्चा कर रहे हैं और पानी की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं तो उसमें किसी की तरफ से यदि अच्छे सुझाव आते हैं तो मैं समझता हूं वह तो सदन के लिए उपयुक्त है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह हमको नाराजगी नहीं है। अच्छे सुझाव आयेंगे ही नहीं। यह तो डिफेण्ड करेंगे हर बात में।

श्री अध्यक्ष : उन्हीं से मतलब है इसलिए मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस चर्चा को, पीने के पानी की दृष्टि से ही करें और उसमें सुझाव दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : आज सचेतक बहुत-बहुत मूड में हैं, कारण क्या है, मुझे पता नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : कारण यह है, अध्यक्ष महोदय, कि इनके निर्वाचन क्षेत्र शेरगढ़ में पानी की समस्या बहुत ही बदतर होती चली जा रही है बेड-टू-वर्स है। यह बात इस सदन में प्रश्न के मार्फत, दूसरे भिन्न-भिन्न समय में और अन्य अवसरों पर कि पानी की गम्भीर समस्या शेरगढ़ में उत्पन्न हो गयी है, टैंकर्स पहुंचे नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, वह सदन में कहते रहे हैं। इसलिए वहां के लोगों ने जिन्होंने इनके फेवर में मेंडेट दिया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उन मतदाताओं की भावनाओं को यहां व्यक्त नहीं करें? उसे व्यक्त करते वक्त इनको पीड़ा हुई है, इनको बड़ी वेदना हुई है और उस वेदना की मानसिक स्थिति में अगर इनका आज दूसरी तरह का स्वरूप है तो मैं तो समझता हूं उससे इनको विकराल स्वरूप धारण करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को पीड़ा हो रही है, मुझे इनके प्रति बहुत सहानुभूति है।

श्री परसराम मदेरणा : आप इनका चेहरा भी देख लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चेहरा तो, अध्यक्ष महोदय, बाल जैसे मेक ब्लैक कराके आये हैं। चेहरा तो क्या बताऊं लेकिन मेरा निवेदन करना है कि सदन में चर्चा होगी। यह सही है कि समस्या बहुत बड़ी है, इसमें कोई सन्देह नहीं है और यह समस्या भी कोई मानव की बनायी हुई नहीं है जैसा विपक्ष के नेता ने कहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मानव की ही बनायी हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो ठीक है, वह तो सब हैं उसमें। उस बनाने वाले में मैं ही नहीं हूं, उधर भी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, सब शामिल हैं। इसको तो कम से कम आप स्वीकार करिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : सिवाय मेरे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ?

श्री पूनम चन्द विश्नोई : 25 साल में जो आपको आज परिस्थिति आयी है वह आप जानते हैं। वह आप जानते हैं 25 साल से मैं इस दिन की कल्पना करता आया हूं और बराबर कहता आया हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात सही है, 25 साल से आपने लगातार सब को सावधान किया था कि इस प्रकार का संकट राजस्थान में आ सकता है इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा निवेदन करना इतना ही है कि पानी की समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए इस पर अगर माननीय सदस्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कन्संट्रेट करेंगे तो हम कुछ समाधान कर पायेंगे इसलिए चर्चा करवा दें, अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष : हां, लक्ष्मण सिंह जी।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि वैसे तो पानी की समस्या करीब-करीब पूरे प्रदेश में है लेकिन मुख्यतः अजमेर जिले में यह समस्या पिछले काफी समय से बड़ी गम्भीर बनी हुई है। अजमेर जिले का ब्यावर शहर एक महत्वपूर्ण शहर है। प्रदेश का यह तेरहवां शहर है जिसकी आबादी एक लाख चार हजार से ज्यादा है। बारह शहर तो जिला मुख्यालय होने के कारण से महत्व पा लेते हैं, जिसमें पाली ग्यारहवें नम्बर पर है, आबादी एक लाख ग्यारह हजार है, सीकर का बारहवां नम्बर है जिसकी आबादी एक लाख साठ हजार और एक लाख चार हजार की पापूलेशन का ब्यावर शहर है।

ब्यावर शहर की यह समस्या पिछले समय से गम्भीर बनी हुई है। मैंने भी अपने प्रयास किये। विधान सभा के अन्दर मैंने नियम 295 के अन्तर्गत ब्यावर की समस्या को करीबन दस दिन पहले उठाया था, तत्पश्चात् ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियम 131 के अन्तगर्त भी इस समस्या को यहां पर उठाया और अनौपचारिक रूप से मैं माननीय मंत्री महोदय से ब्यावर की पेयजल समस्या के बारे में गम्भीरता से बातचीत करता था। मैंने आपसे भी एक-दो बार निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय, कि अगर इस समस्या का समय रहते समुचित समाधान नहीं किया गया तो यह समस्या ला एण्ड आर्डर का शेप ले लेगी, और उस बात को मैंने बड़ी गम्भीरता से कहा था। अध्यक्ष महोदय, दुःख की बात है कि बार-बार चेतावनी के पश्चात् भी सरकार ने और मंत्री महोदय ने इस बात को गम्भीरता से नहीं लिया। उन्होंने समझा कि यह हाउस तो एक + + + है और यहां पर सदस्यगण अपनी बात कह देते हैं और फिर यहां से चले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर मेरी बात को गम्भीरता से लिया जाता तो ब्यावर में जो हादसा हुआ है, यह सम्भवतः टल सकता था।

अध्यक्ष महोदय, 19 तारीख को ब्यावर शहर में कुछ महिलाओं ने इस पेयजल की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाएं अधिकारियों के पास गयीं। वहां पर उन्होंने पेयजल की मांग के लिए मटके फोड़े और प्रदर्शन किया। अध्यक्ष महोदय, 30 मार्च को एक शिष्टमण्डल वहां पर अधिकारियों से मिलने के लिए गया और इस बात की गम्भीरता की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करवाया। दुर्भाग्य से वहां पर जो ए. ईएन., पी.एच.ई.डी. उपस्थित थे, उन्होंने इसको महत्व नहीं दिया और वहां पर उपस्थित लोगों के साथ में भद्दे शब्दों के अन्दर बात-चीत की, दुर्व्यवहार किया। उससे वहां पर जनता उनसे नाराज हुई और उनके साथ में धक्का-मुक्की हुई। उसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ लोग थे, जब उन्होंने देखा जिन लोगों पर पानी देने का भार है, वही हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो क्रुद्ध

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री लक्ष्मण सिंह)

भीड़ ने जिसमें पत्रकार और वकील भी शामिल थे, उन्होंने वहां पर रास्ता जाम किया। उसके अगले दिन 31 तारीख, जो कि राजस्थान के इतिहास में एक काला दिन माना जाएगा, 31 तारीख को वहां पर पुलिस और प्रशासन का जो अत्याचार हुआ, ब्यावर की निरीह जनता के ऊपर, वह अवर्णनीय है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 31 तारीख को ब्यावर की जनता ने अपनी पेयजल की मांग के लिए जुलूस निकाला और उस जुलूस में किसी भी राजनैतिक दल के नेता कहीं पर भी नहीं थे। वह स्वतः पनपा हुआ एक जन आन्दोलन था। लोग गलियों से, सड़कों से निकल-निकलकर आ रहे थे और अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए एक जुलूस की शेप में उप-जिलाधीश कार्यालय की तरफ जा रहे थे। अध्यक्ष महोदय, जब वह जुलूस उप जिलाधीश कार्यालय से कुछ दूरी पर था, तो वहां पर पुलिस वालों ने उनको रोका और उनको खदेड़ने का प्रयास किया। उसके पश्चात् वहां पर एक तरफ से पुलिस का ... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों की दीर्घा खाली हो गयी और वह इसलिए खाली हो गयी कि उनके पास अभी यह खबर आयी है कि....

श्री अध्यक्ष : वह बोल रहे हैं ना ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट, उनके पास यह खबर आयी है कि अजमेर बंद के दौरान....

श्री अध्यक्ष : अब उनको मैं जबरदस्ती तो बुला नहीं सकता यहां, जबरदस्ती तो बुला नहीं सकता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अजमेर बंद के दौरान पुलिस दुकानें खुलवा रही है और खुली दुकानों की वीडियो रील बनवा रही है, पूरा शहर बंद है।

श्री अध्यक्ष : अब आप लक्ष्मण सिंहजी को बोलने देंगे ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पत्रकारों के साथ अजमेर में भी दुर्व्यवहार हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर धारीवाल, अभी जो तय हुआ है, आप लक्ष्मण सिंहजी को बोलने दीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पत्रकार सारे चले गये।

श्री अध्यक्ष : आप बोल लेना। आपका भी नम्बर है। इसमें आपका नाम है। आप भी बोल लेना। आप भी बोल लीजिए। श्री लक्ष्मण सिंहजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब से सत्र की शुरूआत हुई है, आज पहली बार पत्रकार यहां से उठकर गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। श्री लक्ष्मण सिंहजी बोल रहे हैं। तो आप भी बोल लेना, जब आपका नम्बर आये। श्री लक्ष्मण सिंहजी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अन्दर प्रेस हमारा चौथा महत्वपूर्ण स्तम्भ है और आज राजस्थान विधान सभा में प्रेस गैलेरी से प्रेस का उठकर चले जाना अपने आप में एक ऐसी घटना है, आप अपने पद का प्रयोग करते हुए प्रेस को जो भी आक्रोश है, उसके सम्बन्ध में बातचीत करनी चाहिए आसन की तरफ से, ताकि प्रेस, प्रेस गैलरी में आ सके। प्रेस ही, आज जो समस्या है राजस्थान की, उसको जनता तक पहुंचाता है और जनता की समस्या को राजस्थान सरकार तक पहुंचाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंहजी।

श्री खेतसिंह राठोड़ : यह +++ सरकार है।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था 31 तारीख को जब पेयजल की मांग करने के लिए ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब ये बोल लें, फिर बोल लेना आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्रेस के बारे में जो नेता महोदय ने कहा है ..

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय ने कहा मैंने सुन लिया, वह अब हठादि कम होते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कुछ एक्शन तो करवाएं, साहब।

श्री रामस्वरूप : प्रेस से बातचीत करके बुलाया जाए।

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय ने जो सुझाव दिया है, अब उस पर तुरन्त ही मैं आसन छोड़कर चला जाऊं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कम से कम आप यह तो फरमा दें कि पत्रकारों से बातचीत करूंगा, उनको सन्तुष्ट करने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे भी कुछ समय देंगे। तत्काल यह कोई व्यवस्था का प्रश्न तो है नहीं कि जिसका मैं आपको निर्णय दे दूं। अब आप, नेता महोदय ने सुझाव दिया है। अब मैं भी अपने हिसाब से सोच कर करूंगा, मुझे अपनी प्रक्रिया तो खुद ही तय करनी पड़ेगी। हां, श्री लक्ष्मण सिंहजी।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, 31 तारीख को निर्दोष और निरीह ब्यावर के नागरिक जब अपनी पानी जैसी बेसिक नीड की आवश्यकता को लेकर उप जिलाधीश कार्यालय की तरफ जा रहे थे तो एक इस प्रकार का भय और आतंक का वातावरण बनाया गया, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, उप जिलाधीश कार्यालय की जो स्थिति है, वह एक टिपिकल स्थिति है। उप जिलाधीश कार्यालय तीन तरफ दीवारों से घिरा हुआ है और उसके अन्दर दो रास्ते हैं। एक रास्ता टेम्प्रेरी उसका बंद किया हुआ है और एक ही रास्ता उसका खुला हुआ है।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री लक्ष्मण सिंह)

जब जुलूस उप जिलाधीश से मिलने के लिए अन्दर गया तो वहां पर पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्वक बिना किसी प्रवोकेशन के निरीह ब्यावर के नागरिकों की पिटाई शुरू कर दी और उसके पश्चात् उनकी पुलिस की एक-दो टुकड़ी जो आसपास छिपी हुई थी, उन्होंने, अध्यक्ष महोदय, जो एक ही रास्ता उस परिसर के अन्दर जाने का था, उस रास्ते को बंद कर लिया जिससे कि जो अन्दर चले गये थे, वह बाहर नहीं आ सकें। और फिर उसके अन्दर जो क्रूरता का नंगा नाच वहां पर हुआ, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो उपस्थित थे, परिसर के अन्दर निरीह लोग, निर्दोष लोग, जो कि वहां पर कोर्ट के अन्दर अपने केसेज के बारे में आये हुए थे, उनको पकड़-पकड़ कर पीटा गया।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर जब हम बार-एसोसिएशन में गये तो वहां के वकीलों ने बताया कि जिस प्रकार से इस परिसर के एकमात्र रास्ते को बंद करके निरपराध और सीधे-साधे लोगों की पिटाई की गयी, उनके हाथ-पैर तोड़े गये, उनके सिर पर चोटें मारी गयी, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसकी तुलना वहां के वकीलों ने भी करी और मैं भी उसकी तुलना, अध्यक्ष महोदय, जो जलियांवाला बाग में काण्ड हुआ था, जहां पर जनरल डायर ने एक तरफ बंद करके हमारे स्वामिभक्त देशवासियों पर गोली चलायी थी, उसी प्रकार से ब्यावर शहर के अन्दर भी एस. डी. ओ. परिसर के एकमात्र एन्टेन्स को बंद करने के पश्चात् वहां पर पुलिसकर्मियों ने लोगों की पिटाई करी। मैं इस शासन की तुलना अगर जनरल डायर के उस काण्ड से करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, इस घटना से सम्बन्धित कुछ प्रश्न जुड़े हुए हैं। हम वहां पर जब हास्पिटल में घायल लोगों से मिलने के लिए गये तो हमको एक चीज देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वहां पर जितने भी घायल थे, उनमें से अधिकतर के सिर पर चोट लगी हुई थी और सिर पर टांके आये हुए थे। यानि कि पुलिस ने वहां के निरीह और निर्दोष लोगों के सिर के ऊपर चोट की। अगर उनको वहां से खदेड़ना था तो पहले उस लकड़ी को जमीन पर मारा जाता है उसके बाद उसके पैरों पर मारा जाता है। लेकिन पैरों पर कहीं कोई चोट के निशान नहीं थे। और वहां पर हास्पिटल में भर्ती लोगों के सिर के ऊपर इस प्रकार के निशान थे, उनके सिर पर टांके लगे हुए थे। तो यह एक पूछने की बात है कि पुलिस अगर खदेड़ना ही चाहती थी तो पुलिस ने नागरिकों के सिर के ऊपर ही सीधी, डायरेक्ट चोट क्यों मारीं ? अध्यक्ष महोदय, जो लोग जेल में बन्द थे हम वहां उनसे मिलने के लिए गये। 19 लोग वहां पर बन्द थे। उनमें 14, 15, 16 साल के बच्चे भी बन्द थे जिनको वहां पर बिना किसी कारण के अपराधी बना कर दण्डित करने का प्रयास किया जा रहा था। जेल के अन्दर उनकी बिल्कुल नरक जैसी स्थिति थी और वहां उनको पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। साथ ही साथ उसी कमरे के अन्दर उनका जो शौचालय था वह बुरी तरह से बदबू दे रहा था। अध्यक्ष महोदय, उस नारकीय स्थिति का मैं यहां पर वर्णन नहीं कर सकता।

(श्री लक्ष्मण सिंह)

अध्यक्ष महोदय, हास्पिटल में जो भरती थे उनमें एक लड़का रुपानाथ नाम का जो 12 साल का लड़का था। हमने उससे पूछा कि वह किस प्रकार से यहां पर आ गया। उसने रोते हुए बताया कि वह अपनी मां के लिए दवाई लेने के लिए आया था। वह दूर के एक गांव का रहने वाला था। उसको भी पुलिस वालों ने हास्पिटल के पास में पकड़ कर पीटा जिससे उसके सिर में चोट आयी।

इसी प्रकार से कोर्ट के परिसर में एस. डी. ओ. कोर्ट के पास में एक 62 साल का रामलाल नाम का व्यक्ति अपने मुकदमे के सम्बन्ध में आया था तथा वहां पर एक कोने में बैठा हुआ था। उस 62 साल के व्यक्ति के सिर के ऊपर इतने डंडे मारे गये कि उसका वहां पर करीबन एक-डेढ़ किलो खून गिरा। उसको वहां पर बचाया किसने? उस व्यक्ति को वहां पर वहां के ए. डी. जे. महोदय ने बचाया वरना सम्भवतः उस व्यक्ति की वहां पर मृत्यु हो गयी होती। तो अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 31 तारीख को क्रूरता का ताण्डव नृत्य वहां पर खेला गया उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं तो यहां पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को आगाह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस शासन के अन्दर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं यह याद दिलाती है, इतिहास के अन्दर लुई-16 जो महान सम्राट था, वह भी एक प्रतिनिधि सम्राट था लेकिन जनता जब उनसे रुष्ट हो गयी। इसी प्रकार से कि जब क्रूरता का ताण्डव जनता के विरुद्ध उन्होंने किया तो उसी लुई-16 को जनता ने सूली पर चढ़ा दिया था। कहीं ऐसा न हो जाए, हमारे मुख्य मंत्रीजी का वही हाल न हो जाए जो लुई-16 का हुआ था। अध्यक्ष महोदय, एक बात, पुलिस के प्रशासन के लोगों से जब हम मिले तो उन्होंने बताया कि जुलूस की तरफ से पत्थरबाजी हुई थी। हमने उनसे पूछा कि अगर जुलूस की तरफ से पत्थरबाजी हुई थी तो पहले तो यह बतायें कि क्या जुलूस वाले पत्थर अपने साथ लेकर आये थे? वह इसका कुछ जवाब नहीं दे पाये। पूरे रास्ते में जहां पर चांगगेट से शुरू होते हैं ब्यावर में वहां पर पाली बाजार और अजमेरी गेट से होते हुए आये थे, कहीं पर भी पत्थरों का ढेर नजर नहीं आया और अगर उन्होंने पत्थर फैंके थे तो क्या वह पत्थर इतने निशाने से लगने वाले थे कि सिर्फ पुलिस वालों के लगे कहीं पर कोई कांच नहीं टूटा, कहीं पर कोई दूसरी सम्पत्ति की क्षति नहीं हुई, कहीं पर कोई दरवाजा नहीं टूटा, कहीं पर अन्य प्रकार के सरकारी वाहनों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो पत्थर मारने की बात हमारा प्रशासन कहता है कि जनता ने प्रवोकेशन में पत्थर मारे जब लाठीचार्ज किया। यह सरासर असत्य और निराधार बात है।

अध्यक्ष महोदय, जब हम हास्पिटल में गये, हमने हास्पिटल के अन्दर कुछ डाकुमेंट्स का अवलोकन किया। वहां पर दो प्रकार के एन्ट्री रजिस्टर होते हैं। हास्पिटल में जब कोई मरीज आता है तो उसकी एक रजिस्टर के अन्दर एन्ट्री की जाती है। तीन बजे तक तो एक प्रकार का रजिस्टर चलता है और तीन बजे के बाद दूसरे प्रकार के रजिस्टर के अन्दर हास्पिटल में जो मरीज आते हैं

(श्री लक्ष्मण सिंह)

उनकी एन्ट्री की जाती है। उन दोनों रजिस्टरों की, अध्यक्ष महोदय, मैं फोटो कापी लेकर आया हूं। जो तीन बजे से पहले का रजिस्टर है उसके अन्दर ब्यावर के नागरिकों के केसेज दर्ज किये गये हैं। इसके अन्दर प्रशासन बताता है कि कांस्टेबल के चोट आयी है। इसमें किसी भी कांस्टेबल के मरीज बन कर आने का कोई रिकार्ड नहीं मिला। तीन बजे के बाद में जो दूसरा रजिस्टर शुरू होता है उसमें पुलिस के इस प्रकार के कांस्टेबल के आने की एन्ट्री मिली है। मेरा यह प्रश्न है कि अगर साढ़े ग्यारह बजे जुलूस के पथराव से पुलिस वाले घायल हुए थे तो मरीज वहां पर साढ़े ग्यारह, बारह बजे आने लग गये थे तो पुलिस वाले तीन बजे तक कहां थे? तीन बजे तक पुलिस वाले वहां क्यों नहीं पहुंचे। अगर इतनी गम्भीर चोट आयी थी तो उनकी देखभाल कौन कर रहा था? तो यह एक विचारणीय बिन्दु है, अध्यक्ष महोदय कि इस बात को प्रशासन जनता के ऊपर मंड देना चाहता है कि जनता ने पत्थर फैंके और पुलिस वालों के चोट आयी। पुलिस वालों के चोट आयी तो पुलिस वाले भी उसी समय वहां पहुंचने चाहिए थे जबकि जनता में से वहां पर आदमी हास्पिटल में पहुचे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल की गम्भीर समस्या को लेकर ब्यावर के नागरिकों ने आन्दोलन किया, उसमें ब्यावर के नागरिकों का कहीं पर भी किसी प्रकार से अशांति फैलाने का कोई लक्ष्य नहीं था। वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखना चाहते थे और शांतिपूर्ण तरीके से ही एस. डी. ओ. के पास गये। लेकिन एक तरफ पानी की मांग करें उसके बाद उनके सिर फोड़ दिये जाए, उनके हाथ तोड़ दिये जाए और उसके बाद उनके ही ऊपर 307 जैसे गम्भीर मुकदमे लगा दिये जांय इससे बढ़ कर अन्याय, अध्यक्ष महोदय, हमने तो कभी सुना नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे अन्य साथी भी इस पर बोलना चाहेंगे। मैं तो अपनी पुरानी मांग जो 31 तारीख को यहां पर रखी थी उसको पुनः दोहराना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच हो और न्यायिक जांच होने के पश्चात् जो भी अधिकारी अपराधी पाये जाएं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

इसके साथ-साथ ब्यावर की इस पेयजल समस्या का निराकरण वार फूटिंग पर होना चाहिए। चार-पांच दिन हो गये लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई हमें प्रूफ नहीं मिला कि हमारी सरकार संवेदनशीलता से वहां पर पेयजल की समस्या का निराकरण कर रही है। इसलिए ब्यावर में जल्दी से जल्दी 48 घंटे के अन्दर प्रेसर के साथ में आधे घंटे के लिए पानी दिया जाए, यह मेरी तीसरी मांग है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी चौथी मांग है कि निरपराध लोगों के विरुद्ध में जो केस बनाये गये हैं और उनको फंसाया गया है जिनमें पत्रकार भी शामिल हैं। पत्रकार प्रमोद वाजपेयी, सिद्धार्थ जैन, धीमन, इन पत्रकारों के विरुद्ध जो असत्य मुकदमें बनाये गये हैं उन मुकदमों को तुरन्त वापस लिया जाए अन्यथा इस घटना की आग सिर्फ ब्यावर

(श्री लक्ष्मण सिंह)

तक ही सीमित नहीं है, यह आग आगे भी फैल सकती है। यह आग अजमेर जिले में फैल रही है और लोग इस बात को कहने लग गये हैं कि इस शासन के अन्दर, इस सरकार के अन्दर अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेण्ट है, बेसिक नीड पानी है उसकी मांग करना भी एक अपराध बन जाता है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि तुलसीदासजी ने कहा है "जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवसि नरक अधिकारी"। तो मुख्य मंत्रीजी और आपकी सरकार नरक के अधिकारी होंगे अगर आप ब्यावर की और अजमेर जिले की इस पेयजल की समस्या का निराकरण नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ आपके माध्यम से सरकार के सामने तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा जो हम हास्पिटल से एक केसेट रेकार्ड करके लाये हैं कि किस प्रकार से ब्यावर के नागरिकों को वहां पर पीटा गया और इसके साथ ही एक 12 साल के गरीब बच्चे का सिर फोड़ा गया जो अपनी मां की एकमात्र सन्तान है। किस प्रकार से एक 62 वर्ष के व्यक्ति के सिर में चोट लगा कर उसका खून बहाया गया। मैं उन दोनों व्यक्तियों के, एक वृद्ध व्यक्ति और एक बालक के कपड़े जो खून से सने हुए हैं वह अध्यक्ष महोदय, यहां पर आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को ब्यावर की जनता की तरफ से प्रस्तुत करना चाहूंगा, एक भेंट देना चाहूंगा जिससे सम्भवतः इसको देख कर उनको ब्यावर की जनता के ऊपर इस निर्मोही सरकार के द्वारा जो अत्याचार किये गये हैं उस अत्याचार की याद आती रहेगी।

(माननीय सदस्यों द्वारा कपड़ों की गठरी सदन की मेज पर रखी गयी।)

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्षजी, पानी की समस्या के विषय में सदन में जो चर्चा है उसमें जो रचनात्मक दिशा निर्देश आप देते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। मान्यवर, उन रचनात्मक निर्देशों का असर सिर्फ प्रतिपक्ष पर हो और सत्ता पक्ष पर न हो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 31 मार्च को इस विषय को लेकर सदन में चर्चा हुई, मैं समझता हूं राजस्थान के संसदीय इतिहास में पहली बार If I am wrong I am subject to correction राजस्थान के संसदीय इतिहास में पहली बार आसन से आपने एग्जीक्यूटिव का काम किया। आसन से आपने स्पष्ट निर्देश दिया। हमको आश्वासन दिया और उसका एक नतीजा निकला विधान सभा की कार्यवाही आगे चली। कोई नहीं सोचता था कि आपके द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा करने में सरकार कमी लायेगी, कमजोरी दिखायेगी। प्रतिपक्ष के नेता माननीय परसरामजी मदेरणा ने पेयजल की गम्भीर स्थिति को समझते हुये कांग्रेस के विधायक दल की एक कमेटी का गठन किया और हमें तुरन्त अर्द्धरात्रि को निर्देश दिया कि आप ब्यावर में जाकर स्थिति का आंकलन करो और मुझे इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ब्यावर गये। ब्यावर का जो दृश्य हमें देखने को मिला, उसकी 31 मार्च को हमें

(श्री जगदीप धनखड़) ,

यहां कल्पना भी नहीं थी। अयोध्या कांड पत्रकार याद करते हैं, क्योंकि उनको चुन चुनकर मारा। यह विश्व विख्यात बात हो चुकी है। पूरे विश्व में इस बात को कन्डेम किया गया, पर माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार अयोध्या कांड के ऊपर इस स्थिति को ले गयी। इन्होंने मात्र पत्रकारों तक ही अपने आतंक को सीमित नहीं रखा, वकीलों को भी इसमें इन्होंने जोड़ा। आपके द्वारा दिये गये निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम ब्यावर जाकर स्थिति का ओब्जेक्टिव आंकलन करेंगे और कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे एक तो वहां की स्थिति में गिरावट आये, दूसरा कोई सेन्सेसन क्रियेट हो। मैं आपके समक्ष और आपके माध्यम से सरकार को, सदन को और राजस्थान की जनता को वहां की स्थिति से अवगत कराऊंगा। क्योंकि पहली जो हमारी मुलाकात हुई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने करीब करीब सभी वकीलों की उपस्थिति में घटना का विवरण दिया। 70 साल के वकील ने भी अपने कपड़े उतार कर कहा कि मेरे को यहां मारा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को न्यायालय में मार पीट करने के लिए अवमानना का दोषी मानते हुए दंडित किया। यह हाल की घटना है। पर ब्यावर में जो सीनियर मोस्ट ज्युडिशियरी आफिसर है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज, उनके कोर्ट के एकदम बाहर न्याय प्राप्ति की प्रतीक्षा करने वाले वृद्ध पर जो जुल्म ढाया गया, उसको सभी ने देखा। दीवार से पांच फुट ऊपर खून के अच्छे खासे धब्बे हमारी कमेटी ने भी देखे। वकील, पत्रकार सभी थे और जमीन पर, फर्श पर खून, जैसे कि पल आफ ब्लड इकट्ठा हो गया। अध्यक्ष महोदय, कहीं भी आतंक होता है, वायलेंस होता है, इस प्रकार की घटना हो सकती है। मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं. This happened in the court premises. और उन प्रीमिसेज में जहां लिटिगेन्ट स्वाभाविक रूप से आयेगा। बात यहां तक सीमित नहीं रही, दस वकील चोटग्रस्त हुए। वकील चोटग्रस्त हो सकता है यदि वकील आन्दोलन में था, यदि वकील वायोलेंस कर रहा है। मैं मानता हूं कि पत्रकार और वकील रेसपोंसिबल सिटीजंस हैं और वह काले कपड़े पहने हुए था। वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। कितनी बार कहा गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं वकील हैं They are Officers of the Court. काली ड्रेस में वकील जो मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, न्यायालय परिसर में कर रहे थे, उनकी पिटाई की गयी। अध्यक्ष महोदय, बात यहां तक नहीं है, सरकारी अधिकारी, असिसटेन्ट पब्लिक प्रासीक्यूटर को उसके कमरे में जाकर पीटा गया और उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इससे आगे देखिये, जब भी कोई घटना होती है पत्रकार बंधु पूरे विश्व को बताते हैं कि घटना क्या हुई ? और ऐसा देखा गया है कि एट दी रिस्क आफ लाइफ भी वह इस प्रकार का काम करते हैं। जो भी इस प्रकार का काम करते हैं, उसकी आप और हम मिलकर सराहना करते हैं कि हमारा जो राइट आफ

(श्री जगदीप धनखड़)

इनफोर्मेशन है, वह सीधा कम्युनिकेशन से लिंकड हैं। वह एक जीप के अन्दर दूर से देख रहे थे। जब अजमेर डिवीजन के सभी पत्रकारों के समक्ष हम गये, इतनी संख्या में कभी पत्रकारों को मैंने अजमेर जिले में इकट्ठा नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि एक पत्रकार जो राजस्थान पत्रिका से सम्बन्धित है, उसको तो पुलिस अभी भी पकड़ना चाहती है इसलिए उसका तो हम इन्तजार कर रहे हैं। जाते ही हम सभी ने नमोनारायण मीणा, जो आई. जी. हैं उनको कहा कि आप हमको इस दृष्टि से देखिये कि हम स्थिति को नार्मल स्थिति में लाना चाहते हैं। हम यहां पर कुछ ऐसी बात करने नहीं आये जिससे कि विभाजन बढ़े, कुछ ऐसा कार्य करने नहीं आये। मेहरबानी करके आप वकील, पत्रकार और जनता पर आतंक को तुरन्त रोकिये, इनमें असुरक्षा की भावना को कम कीजिये। ऐसा मत कीजिये कि आपकी पुलिस अब भी उनको घर से पकड़ने के लिए जाए। हमारी बात को उन्होंने सुना पर जब हम पत्रकारों के समक्ष गये, सभी पत्रकार थे। एक पत्रकार के दाहिने हाथ में चोट लगी हुई थी। पत्रकार की कलम उसके दाहिने हाथ में थी, मैंने पूछा राइट हैण्ड है? उन्होंने उसके हाथ को चोटग्रस्त किया ताकि वह कलम नहीं चला सके। उसने अपने कपड़े उतारने चालू किये, उसने अपने शरीर पर चोटें दिखायी। माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। उस पत्रकार ने कहा कि मेरे को जुगताराम बनाने का प्रयास किया गया। सबके समक्ष उसने कहा तो मैंने पत्रकारों को कहा कि हम इस बात का ओब्जेक्टिव आंकलन करना चाहते हैं, आप घटना का पूरा विवरण दीजिये तो दूसरा पत्रकार आया, फोटोग्राफर्स आये। उनके कैमरे सीज किये गये। कैमरों को डेमेज किया गया। उनमें से रील निकाल दी गयी, यह आतंक चल रहा है। इसके अलावा, हम अस्पताल गये। बड़ी भारी प्रसन्नता का विषय है कि इस पूरे प्रकरण में एक चीज देखने को मिली, एक भी आदमी ने अस्पताल के प्रशासन की बुराई नहीं की। हमने डाक्टरों को बुलाया, उन्होंने इलाज देने में ठीक किया। हमारी कमेटी के सभी सदस्यों को एक तरीके से बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने डाक्टरों को बुलाया कहा इस प्रकार कैसे हुआ? उन्होंने पूरा इलाज किया। हमने कहा कितने व्यक्ति एडमिट हुए थे? उन्होंने एक संख्या बतायी। मैंने कहा, हमने तो इतने लोगों को देखा नहीं। उन्होंने कहा, 7 या 9 व्यक्ति तो एब्सकांड कर गये। हम उनका इलाज कर रहे थे, वह इलाज से संतुष्ट थे पर पुलिस का उन पर इतना डर था कि कहीं अस्पताल में हमको गिरफ्तार नहीं कर ले, वह भाग गये। फिर हम पुलिस थाने गये। पुलिस थाने की भयानक स्थिति देखकर लक्ष्मणसिंह जी अपने आपको रोने से नहीं रोक पाये। वहां जो 19 व्यक्ति थे, वे सब के सब रो पड़े। अध्यक्ष महोदय, बताइये मेरे को, कौनसा धरती पर कानून है कि मुख्य मंत्री जी का प्रशासन एक बच्चे को अरेस्ट कर सकता है। (व्यवधान)... और रोने वालों में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था। वह लगातार रोता गया। मैंने कहा, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक छोटा सा कमरा, वहां उनको फोर्स किया गया कि यहीं टट्टी करो, यहीं पेशाब करो, यहीं पानी पियो। चाय तक उनको

(श्री जगदीप धनखड़)

नहीं दी गयी । हमने तुरन्त अधिकारियों से बात की कि इन्होंने ऐसा कौनसा अपराध किया है ।

(12.00)

हमने राहत दिलाने के प्रयास किये । यह तो मान्यवर स्थिति हुई जो हमें बतायी और हमने जो आंकलन किया उसको देखिये । माननीय अध्यक्षजी, जो भी व्यक्ति अस्पताल में चला गया, उसने अपना मेडिकल एक्जामिन करवा लिया । रिपोर्ट के मार्फत अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दिया । उन सबके ऊपर मुकदमे दर्ज किये । पहला अपराध है जहां इस घटना को लेकर पत्रकारों पर अटेम्पट टू मर्डर, डेकोइटी, आर्सन, यह मुकदमें दर्ज किये । हमने प्रशासन से निवेदन किया कि घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमें विदड्रा करने की बात नहीं कर रहे । पर आपने घटना को इस प्रकार का रूप दे दिया है । इतना भयंकर लोगों का इन्वाल्वमेंट कर दिया है इस तरीके से आप विडिक्ट हो गये कि मेहरबानी करके अब इस स्थिति को बताइये । मान्यवर, इस परिस्थिति में मुझे कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि Even as a lawyer जितने भी मुकदमे रजिस्टर हुए हैं अगर उनको विदड्रा नहीं किया जाता है तो न्याय के बजाय अन्याय होगा और चूंकि इस सदन में यह मामला उठ चुका है इसकी जांच सदन की एक कमेटी कर सकती है ।

माननीय अध्यक्षजी, यह तो था इस स्थिति का डवलपमेंट । यह स्थिति आयी क्यों? साधारण नागरिक से हमने पूछा, बच्चों से पूछा, औरतों से पूछा, वहां जो पी.एच.ई.डी. का असिसटेंट इंजीनियर है, कहते हैं उसका आचरण तो बड़ा फेमस है, पानी की बात करो तो गाली से कम बात नहीं करता, यहां तक कहा बताते हैं कि पानी मांगोगे तो डण्डे बरसेंगे, इतने डण्डे बरसेंगे कि फिर पानी मांग ही नहीं सकोगे । ऐसे असिसटेंट इंजीनियर, ऐसे संवेदनशील असिसटेंट इंजीनियर के पास जब महिलाओं का और जन प्रतिनिधियों का डेलीगेशन जाता है तो वह जिस स्थिति में खड़ा था उस वजह से घटना हुई । मैंने बड़ा लोगों से पूछा, हमारी कमेटी ने पूछा, वह घटना बिल्कुल ब्लाण्ड नहीं थी वह जिस तरीके से खड़ा था जैसे चलते-चलते कोई ठोकर खा जाए और वह चोट ग्रस्त हो जाए । पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी लाइटनिंग स्ट्राइक पर चले गये जब उनको बताया गया प्रशासन ने भाई इसका आचरण कैसा है । जनता ने कोई नेतागिरी नहीं की वह अपने संकट को आपके सामने लाये थे उस स्थिति को वह वापिस कर पाए पर जनता क्यों गयी, जनता इसलिए गयी कि माननीय मंत्रीजी, भंवरलालजी जो यहां कहते हैं वह बात नीचे तक प्रिकल डाउन नहीं हो रही । यहां सद्भावना रखते हैं हमसे विचार विमर्श करते हैं । हम भी कन्विंस्ड रहते हैं । इनकी भावना में हम किसी प्रकार की कमी नहीं लाना चाहते पर नीचे के अधिकारियों की स्थिति, मान्यवर, यह रही कि इतना भयंकर भ्रष्टाचार इस मामले में उस स्थिति में था जहां यह पेयजल की मांग पर आश्वासन दे चुके थे लगातार यह मुद्दा विधान सभा में उठता रहा । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, 295 के माध्यम से, टैंकर आने में भ्रष्टाचार

(श्री जगदीप धनखड़)

की एक नई नीति है। टैंकर का पानी कहां जाता है। कोई नहीं जानता उनकी खानापूर्ति इतनी होनी चाहिए कि आक्ट्राय पोस्ट से टैंकर अन्दर आ गया तो, मान्यवर वह टैंकर आता, पानी को रखता, पानी खाली नहीं होता। घण्टे भर बाद दुबारा जाता, दो मिनिट में दुबारा एण्ट्री करता और यह चलता रहता। मान्यवर, इस भ्रष्टाचार के लिए मेरा एक सुझाव है कि जहां टैंकर से पानी की व्यवस्था होती है उसमें मेहरबानी करके, नीति को बदलिये। कहां से पानी आता है इसके बजाय ज्यादा ध्यान इस बात पर दीजिये कि पानी कहां जाता है और वहां हर लोकेलिटी में माननीय मंत्रीजी, जन प्रतिनिधियों का इन्वाल्वमेंट कीजिये। जो चुनाव जीता है उसका भी कीजिए और जो सैकिण्ड है उसका भी कीजिए। उस इलाके में एक भी अगर कोई वकील है, कोई पत्रकार है, कोई स्वतन्त्रता सेनानी है, कोई सम्मानित नागरिक है उसका भी इन्वाल्वमेंट कीजिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो टैंकर से पानी की व्यवस्था होनी है वह वहां हो जाय।

मान्यवर, यह समस्या अकेले ब्यावर की नहीं रही। हम जब किशनगढ़ आये तो वहां लोगों ने कहा कि हमारे यहां भयंकर स्थिति है। मंत्रीजी से मैंने विचार-विमर्श किया मैंने देखा कि जो स्थिति 1989 में थी किशनगढ़ की पेयजल व्यवस्था के बारे में, वही आज है। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक चीज कहना चाहता हूं पेयजल की व्यवस्था करने में सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर रखे हैं। मान्यवर, जनता को मात्र तभी लाभ मिलेगा जब कोई स्कीम ऐसी स्टेज में पहुंचे कि उसका लाभ पहुंचे। कई टंकियां बनी पड़ी हैं, कई काम अधूरे हैं, इस प्रकार की स्थिति में खर्चा नहीं हो रहा है कि निर्णायक स्थिति में जाकर जनता को लाभ हो। माननीय मंत्रीजी आप आश्वासन दें और समयावधि बतायें कि कब तक इस प्रकार के अधूरे कामों को आप पूरा कर सकेंगे ताकि जनता को लाभ हो सके।

मान्यवर, इस पूरे प्रकरण के अन्दर अत्यन्त गम्भीरता से मैं आपका ध्यान और सरकार का ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। प्रजातन्त्र कोई सामन्तवादी व्यवस्था नहीं है। प्रजातन्त्र में हर सिटीजन को अधिकार है और वह अधिकार स्वयं भी व्यक्त कर सकता है और जन प्रतिनिधि के माध्यम से भी उजागर कर सकता है। सरकार की जो काम करने की रीति–नीति है वह प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। माननीय अध्यक्षजी, मुझे बताइये और मैं चाहूंगा कि जो बात मैं कह रहा हूं, गम्भीरता से, संयम से, उस बात का आप विवेचन करें, चिन्तन करें चूंकि पूरे देश के अन्दर आपकी पार्टी की सरकार यहीं पर है। मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा जो देश का शासन करने का सपना देख रहे हैं। चित्तौड़गढ़ कांस्टीट्यूएंसी में, माननीय अध्यक्षजी, छः मंत्री किस बात के लिए गये। क्या किसी की नौकरी करते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह बहुत गम्भीर विषय है। इस गम्भीर विषय पर सम्पूर्ण भारतीय जनता पार्टी को चिन्तन

Page No. 22

(22)

(श्री जगदीप धनखड़)

करना चाहिए। जो आगे की पंक्ति में वरिष्ठ नेता बैठे हैं उनको भी अपना मन टटोलना चाहिए कि इस रीति नीति को बदलें। मैं कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा। जनता पर इसका बड़ा कुप्रभाव पड़ा है। जनता हमको कहती है कि इस प्रकार की बात क्यों हो रही है और इस प्रकार का आचरण वह लोग कर रहे हैं जिन्होंने कांग्रेसी शासन में इस प्रकार की जो बात नहीं हुई उसको निराधार कारणों से उजागर किया। तो आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्षजी, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि अपनी रीति नीति को बदलें और सम्पूर्ण राजस्थान के विकास की तरफ ध्यान दें।

माननीय अध्यक्षजी, हमें जो प्रगति विवरणिका 1993–94 दी गयी है। इसमें पेज 21 पर लिखा हुआ है "अजमेर जिले के समस्याग्रस्त गांवों की योजना।" "अजमेर जिले के 644 समस्याग्रस्त ग्रामों हेतु पेयजल योजना बनायी गयी है जिसकी अनुमानित लागत 130 करोड़ रुपया है। भारत सरकार को यह योजना स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है।" अब मैंने जब इसको देखा, माननीय अध्यक्षजी, इसमें यहां पर जो विवरण दिया गया है, जो कार्यवाही दिसम्बर, 93 तक हुई। मान्यवर, जब इतना भीषण संकट है सरकार अब यह बताये कि इस स्कीम की मंजूरी के लिए सरकार ने कौन-कौन से ठोस प्रयास किये। इस समस्या के बारे में सदन में चर्चा हुई, पेयजल की मांग के ऊपर चर्चा हुई और उसके बाद यह घटना हुई। यदि यह घटना चर्चा से पहले होती, स्थिति दूसरी होती। तो, मान्यवर, आपके माध्यम से और, मान्यवर, I will seek protection. हम इधर से खड़े होकर बहुत से सुझाव देते हैं। माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं। आप डिबेट को एग्जामिन कर लीजिए। सरकार रेस्पांड करती नहीं है। सरकार उन मुख्य मुद्दों का जवाब देती नहीं है और कई बार तो, मान्यवर, इस प्रकार की स्थिति आ जाती है कि यदि हम दस प्रश्न पूछते हैं, एक का भी जवाब नहीं आता। विधान सभा की कार्यवाही, प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर किस प्रकार का अंकुश ऐसी गतिविधियों से लगता है, माननीय मुझे आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है। अभी अनेक माननीय सदस्यों को इस पर मान्यवर विचार व्यक्त करने हैं। इसलिए ज्यादा न कहते हुए मैं अंत में उन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जो हमें लोगों ने कही हैं। मान्यवर, पहली घटना की जांच के बारे में बात अलग है, सदस्य बोल चुके हैं। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जो भी जन प्रतिनिधि गये उनका प्रयास रहा उधर से कि मार्केट खुले। उन लोगों की जो वाजिब मांगें हैं और यह एक बहुत गम्भीर वाजिब मांग है कि पत्रकार, वकील और जनता के लोगों के ऊपर जितने मुकदमे दर्ज किये गये हैं यदि उनको विथड्रा करने की कोई घोषणा सरकार नहीं करती है और उनको तुरन्त विथड्रा नहीं करती हैं तो जैसी परिस्थितियों का मैंने वर्णन किया है नार्मली, मान्यवर, इस प्रकार की डिमाण्ड कोई रेज नहीं कर सकता पर जब इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं तो इस प्रकार मांग भी करनी पड़ती है। तो, मान्यवर, मेरा

(श्री जगदीप धनखड़)

आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव है कि स्थिति को नार्मल करने के लिए आपके मंत्री भी सक्षम नहीं हैं, जन प्रतिनिधि भी नहीं हैं आपको न्यायसंगत कदम उठाना पड़ेगा और वह न्यायसंगत कदम है कि पत्रकार, वकील और जनता के ऊपर जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वह सब के सब विथड्रा किये जायें ।

दूसरे, मान्यवर, एक बालक के वहां ज्यादा चोट लगी थी । हमने प्रशासन को कहा कि उसके इलाज की व्यवस्था अन्यत्र करायी जाये क्योंकि हो सकता है वहां इस प्रकार के इलाज की व्यवस्था नहीं हो ।

तीसरे, मान्यवर, वहां के पेयजल संकट को आंकड़ों के हिसाब से ठीक मत कीजिये । आंकड़ों के हिसाब से तो हमने देखा कि इस प्रकार की विकट स्थिति है ही नहीं जिस प्रकार की ग्राउण्ड रियलिटी है । इसके लिए आप इस सदन की एक कमेटी का गठन कीजिये जो कि पूरे अजमेर जिले के लिए इस प्रकार की स्थिति का जायजा ले और सरकार को सुझाव दे । मैं इसलिए कह रहा हूं मान्यवर कि आज सम्पूर्ण अजमेर में हड़ताल है, लोग परेशान हैं, आक्रामक रूख आ रहा है और ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि सदन की एक कमेटी का गठन किया जाये । आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान ।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : पहले मुझे बोलने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : आपका भी नाम आ रहा है ।

श्री किशन मोटवानी : मैं बोल लेता उसके बाद चेयरमैन साहब बोलें तो मैं समझता हूं उचित रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : आपस में तय कर लीजिए, मुझे तो क्या एतराज है । मुझे तो जो खेतसिंहजी ने लिस्ट दी उसके हिसाब से बुला रहा हूं ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद आजादी के बाद में यह पहला मौका है जबकि जन आन्दोलन ने जिसमें मिली राजनैतिक पार्टी का कोई प्रतिनिधि आगे नहीं था, उसने ऐसा विकराल रूप धारण किया । पिछले 40 सालों के इतिहास में जनता के अन्दर इतना जोश और गुस्सा मैंने तो अपनी जिन्दगी में कभी नहीं देखा । जल की समस्या के बारे में हम यहां पर विचार कर सकते हैं और इसकी सबसे बड़ी भुगतभोगी होती हैं महिलायें । उन्हीं की जिम्मेवारी पानी इकट्ठा करने की होती है और उन्हीं की जिम्मेदारी होती है पानी की व्यवस्था करने की और महिलाओं की आवाज कहां तक पहुंच सकती है वह, अध्यक्ष महोदय, आपसे छिपी नहीं है । इसकी शुरूआत वहीं से हुई जब दो दिन पहले 31 तारीख को महिलाओं ने इकट्ठा होकर कलक्टर को चूड़ियां सौंपी मुख्य मंत्रीजी को पहुंचाने के लिए । महिलाओं का रोष, महिलाओं की कठिनाई, जब वह नहीं बोल सकीं तो उस आन्दोलन में शरीक हुईं । और बिलकुल एक तरह से नियोजित रूप से इस तरह से इन आन्दोलनकारियों की पिटाई करनी है

(श्री माधवसिंह दीवान)

उनको अन्दर घुसने दिया, आन्दोलन कहां से रवाना हो रहा है उसकी कोई रिपोर्ट वहां पर नहीं आ रही है, कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्या हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं और पूरे लोगों को 50-60 लोगों को एस. डी. ओ. कोर्ट तक आने दिया गया और पीछे से गेट बन्द करके फिर उनकी पिटाई की। ऐसा मैंने तो कहीं भी नहीं देखा। पानी मांगने जा रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं है, कोई पार्टी लीड नहीं कर रही है और सिर्फ जनता के लोग अपने गुस्से में पानी से तंग हो कर 7-7 दिन में एक बूंद पानी नहीं मिले वह जनता उसको कहां तक सहन करने वाली है। 8-8 दिन पानी नहीं और कहीं-कहीं मौहल्ले में तो आप बताते हैं कि 500 हैंड पम्प लगे हुए हैं लेकिन मैं आपको बताऊं उनमें से 400 हैंडपम्प तो खराब पड़े हैं। कोई हैंडपम्प ठीक करने वाला नहीं हैं। माननीय श्री धनखड़जी ने बताया कि जो टैंकर्स के ठेकेदार है ए. ई. एन. और वहां के जन प्रतिनिधि सारे उस टैंकर के भ्रष्टाचार काण्ड में मिले हुए हैं। टैंकर आते नहीं हैं। उनकी हाजरी मंढ जाती है और पेमेन्ट हो जाता है। प्राइवेट दो पार्टियों का ठेका है। वह कहां आये और कहां वितरित हुए किसी को पता नहीं। आखिर जनता तंग होकर सिर्फ मांग करने गयी थी और ब्यावर में तो छावनी सी बना दी, 800 पुलिस के जवान वहां पर तैनात थे। उनको एडवान्स में जैसे पहले ही पता था कि क्या होने वाला है और उन गरीब लोगों को मारा और मारने के बाद भी किसी पुलिस वाले को सिर पर एक चोट नहीं आयी और 307 के मुकदमे सारे दर्ज हो गये। मुख्य मंत्रीजी, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तो वहां कलक्टर रहता है। सारे ज्ञापन और सारी ला एण्ड आर्डर की पोजीशन के लिए कलक्टर जिम्मेवार होता है। कलक्टर मार खा जाये और उसके बाद सरकार टिकी रहे कलक्टर मुकदमा दर्ज करवा रहा है कि मेरे साथ में हाथापाई हुई। कौन सी सरकार रह गयी, कौन सा ला एण्ड आर्डर रह गया, कम्पलीट गवर्नमेन्ट कोलेप्स हो गयी। किस बात का हम जवाब मांग रहे हैं ? किस बात का यह सरकार जवाब देने जा रही है, 4-5 बजे तक कलक्टर की हड्डी टूटी हुई बता रहे हैं, और 4-5 बजे तक कलक्टर साहब अस्पताल नहीं पहुंचे। डंडे चला रहे हैं और बाद में बता रहे हैं पसली की हड्डी टूट गयी। 5 बजे अस्पताल में जाकर उनका एक्स-रे हो रहा है, उनका इलाज हो रहा है। 6 घंटे तक उनको पता नहीं लग रहा है। कैसी सरकार है ? एक तरफ कनेक्शन बन्द कर रखे हैं कि नये कनेक्शन नहीं दिये जायेंगे। आज दो हजार रुपये ए.ई.एन. साहब को पकड़ाओ रात को और सुबह ही आपको इल्लीगल कनेक्शन अलाऊ हो जायेगा। सैंकड़ों कनेक्शन इस तरह से इल्लीगल दिये हैं और पूरा पी.एच. ई.डी. डिपार्टमेन्ट इसमें मिला हुआ है और श्री सीमेन्ट है, फैक्टरीज हैं उनको पानी पूरा मिल रहा है डाक बंगलों में जो पुलिस अधिकारी हमको मिले वह बता रहे हैं कि पानी की कौनसी प्राब्लम है डाक बंगले में तो चौबीसों घंटे ही पानी आ रहा है। आफिसर्स के घरों में चौबीसों घंटे पानी आ रहा है और गरीब जनता के मौहल्लों में सात-सात दिन पानी नहीं और जैसा होता

(श्री माधवसिंह दीवान)

है कि 'खावे सूअर और कुटिजे पाडा' बेसिक झगड़ा ही इस पानी के महकमे का है और पुलिस व्यवस्था का प्रश्न तो अपने आप इसमें पैदा हो गया। पानी की व्यवस्था पूरी होती तो यह समस्या पैदा ही नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, आप सुझाव मांग रहे हैं कि इस पानी की व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाये तो भंवरलाल जी शर्मा के भरोसे तो राजस्थान के अन्दर कोई व्यवस्था में सुधार की एक पैसे भर भी उम्मीद नहीं है। पिछले तीन सालों में यही मंत्री रहे पी.एच. ई.डी. के और फिर पता नहीं कौनसी काबलियत देखकर इनको पी. एच. ई.डी. सौंप दी। उम्मीद है कहीं मुख्य मंत्रीजी परदेश नहीं पधार जायें तो आप पधार गये लम्बे टूर पर, तो राजस्थान की जनता जून कैसे पकड़ेगी। मेहरबानी करके अगर इस महकमें को ठीक करना है तो जैसे आपने सैक्रेटरी चेन्ज किया, अपने पास ही यह महकमा ले लीजिए या फिर किसी और आदमी को यह महकमा दीजिए ताकि समस्या का सही समाधान हो सके। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था ही आधी बीमारी की जड़ है।

मैं अपने सोजत कांस्टीट्यूएंसी की बात बीच में निवेदन कर दूं कि डेढ़ दो साल तक गांवों में पानी नहीं गया था। थोड़ा सा एस. ई. को टाइट किया और रोज पानी पहुंचने लगा। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्रशासन में ढिलाई की आधी बीमारी है और आधी गड़बड़ है बीसलपुर योजना का समय पर नहीं बनना। पाइप कम्पनियों को आर्डर दिये। पाइप कम्पनियों ने समय पर ही नहीं बनाये। किसी-किसी पाइप कम्पनी पर विशेष मेहरबानी हुई है। उनका टाइम एक्सटेण्ड करते चले जा रहे हैं। उनका डिलीवरी पीरियड खतम हो गया और उनके एस्केलेशन क्लाज के तहत उनकी कीमत बढ़ा दी पर डिलीवरी पीरियड भी आगे-आगे बढ़ाते गये। यह कौनसी कोयला रोकला कम्पनी है पता नहीं इस पर कोई विशेष मेहरबानी है ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस पर तो आपकी मेहरबानी रही है।

श्री माधवसिंह दीवान : इस पर मेहरबानी किस की है किस की नहीं है यह तो आप अगर जांच कमेटी बैठा दें तो मालूम पड़ जायेगा कि कौन सी मेहरबानी है और इसके जो सो काल्ड आफिसर हैं श्री पाइप के भी वही प्रतिनिधि हैं और लाइजन आफिसर भी यही हैं और कोयला रोकला के भी वही हैं। पम्प जोधपुर लिफ्ट के लिए खरीद रहे हैं उनके भी वही हैं। वह जब पी.एच.ई.डी. में पहुंच जाते हैं तो पी. एच. ई. डी. पूरा घबराने लग जाता है, अघर हो जाता है। बड़े-बड़े भाजपा नेताओं का उनके ऊपर वरदहस्त है ऐसी हालत में ब्यावर की जनता चाहे रोओ, चाहे मरो, किसी को कोई पीड़ा नहीं है। मुख्य मंत्रीजी, आप इसको कृपया सीरियसली लें। अगर आपने इस महकमे पर कण्ट्रोल नहीं किया तो यह तो ब्यावर है, अगले दो-तीन महीनों में सारे राजस्थान में गांव-गांव में, शहर-शहर में यह व्यवस्था बिगड़ती जाएगी। जो अन्याय हुआ है लोगों पर वह तो पराकाष्ठा ही हो गयी। पुलिस के मुकदमे तो वापस कराएं हीं, आगे भी यह ला एण्ड आर्डर अन्य

(श्री माधवसिंह दीवान)

जगहों पर पैदा न हो इसलिए पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से सुधारें. यही आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंह भाटी।

श्री किशन मोटवानी : मैं बोल लूं ?

श्री अध्यक्ष : वे कहें तो बोलिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री किशन मोटवानी : स्थगन प्रस्ताव ही मेरा था, जिस पर आपकी व्यवस्था थी कि सोमवार को बुलवाएंगे।

श्री अध्यक्ष : यह सूची खेतसिंह जी के हस्ताक्षरयुक्त है और मैं उसी हिसाब से बुला रहा हूं। आप चेंज आपस में करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है :

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्षजी, मैं इस सदन को कुल 12–13 दिन पूर्व की बात की ओर ले जाना चाहता हूं। मैंने इंगित किया था कि ऐतिहासिक घटनाचक्र शुरू हो रहा है, विशेषकर अजमेर में जो 1947 के बाद शून्यता की स्थिति में आ गया था। मैंने राज्य सरकार को आगाह भी किया था कि आज जो स्थिति पेयजल की है उसमें सात दिन में, आठ दिन में पानी अजमेर को भी और ब्यावर को भी मिल रहा है। मैंने थोड़ा बहुत साधुवाद अजमेर की जनता का भी किया था कि वे जाग्रत हो रहे हैं। उनकी जागृति से सारा राजस्थान जाग्रत होगा। जो कुचक्र यहां चल रहा है राज्य सरकार का उसका प्रतिवाद होगा और राजस्थान जाग्रत होगा। उसके बाद यह ब्यावर की घटना आपके समक्ष है। अत्यन्त ही स्पाण्टेनियस यह घटना है। इसका कोई राजनीतिकरण नहीं किया गया है। 29 तारीख की जो घटना है उस दिन सम्भ्रान्त महिलाएं गयी थीं, सिर्फ सम्भ्रान्त महिलाएं। महेश्वरी समाज की औरतें थीं जो होली मिलन पर इकट्ठी हुई थीं। उनको पीड़ा जो पानी के सन्दर्भ में थी उसका दिग्दर्शन कराने के लिए। विदाउट एनी लीडरशिप आफ पोलिटिकल पार्टी आर एनी आर्गेनाइजेशन। सम्भ्रान्त परिवारों की औरतें जो 200 के करीब थीं, गयी हैं। उनके साथ जो दुर्व्यवहार वहां के एस. डी. एम. ने किया है वह उसने आग में घी डालने का काम किया है। वे 200 महिलाएं जब वापस घरों में आयीं तो उन्होंने घर में जिस तरह से उसका वर्णन किया होगा, आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं। एस. डी. एम. ने उनको कहा कि आप कल करती हैं वह आज कर दीजिए। तब उन्होंने चूड़ियां भेंट कर दीं, लीजिए चूड़ियां। उसका रीएक्शन, आप स्वयं अन्दाजा लगाइये, 30 को हुआ। 30 को भी कोई पोलिटिकल पार्टी उसको लीड नहीं कर रही थी। लायंस क्लब के लोग, जो एक क्लास अपने आप में माना जाता है, उन्होंने ज्ञापन दिया। यह जरूर था कि लायंस क्लब के मित्र थोड़ा अफसरों की लल्लोचप्पो में आ गये, और आम जनता ने उस बात को नहीं माना। उन्होंने चक्का जाम किया। चक्का जाम के बाद दूसरे दिन जिस तरह की घटना हुई है, मेरे मित्रों ने बताया कि बिलकुल जलियांवाला बाग की तरह उस घटना को घटित किया गया। मैं उस घटना के विवरण में नहीं जाऊंगा।

(श्री किशन मोटवानी)

सदन स्वयं सक्षम है, समझ सकता है। सारे सदस्य जन प्रतिनिधि हैं, वे इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह उस एस. डी. एम. की कोर्ट में उनको खदेड़कर अन्दर ले जाने के बाद चौथा गेट बन्द करके अन्दर कार्यवाही की गयी। वह अपने आप में निन्दनीय है। किन्तु मैं आपको सिर्फ दो दृष्टान्त दूंगा।

उससे परे, डेढ़ किलोमीटर दूर, एक किलोमीटर दूर स्टेशन पर एक व्यक्ति अपने परिवार जन को लेने गया था। इन्तजार कर रहा था गाड़ी का क्योंकि गाड़ी रोक ली गयी थी। वह इन्तजार कर रहा था चुंगी के दफ्तर में। वहां बैठे-बिठाए उसके सिर पर लाठी मारी कि यह प्रसाद ले जा। शब्द यही हैं। मैं जब ब्यावर गया तो मैं पहले हास्पिटल में गया था और उन व्यक्तियों से मिला। आठ जने उस समय वहां मौजूद थे। बताया गया था कि एब्सकाण्ड हो गये, डाक्टर्स कहने लगे कि लोग भाग गये। भाग क्यों गये, वह हम जानते हैं। क्योंकि उनके खिलाफ 307 और 394 के केसेज दर्ज हो गये। उनकी गिरफ्तारी की बात हो रही थी तो वे धीरे-धीरे खिसक गये। आठ जने वहां मौजूद थे, उनकी वर्बेटिम बात मैं सदन से कह रहा हूं।

बच्चे के लिए कहा, बच्चा ट्यूशन करके आया था और स्कूल जा रहा था। उसको रास्ते में। यह एस. डी. एम. कोर्ट से तकरीबन पौन किलोमीटर दूर की बात मैं निवेदन कर रहा हूं। वह भीड़ में नहीं था, उसको क्यों कर मारा? उसके सिर पर लाठी मारी। वह बच्चा आज भी एडमिटेड है।

तीसरा मजदूर मसूदा से आया हुआ था। मजदूरी करके वह स्टेशन की ओर जा रहा था बस के लिए, तो उसको रास्ते में मारा। उससे भी यही कहा, शब्द वही के वही सब कि प्रसाद ले जाओ। या तो यह रिटेलिएशन है पुलिस का। किन्तु मैं पवित्र सदन में खड़ा हूं, मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं।

जो पत्थरबाजी आम आदमी की ओर से कही जाती है, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। एस डी. एम. के परिसर के बाहर जहां टेलीफोन एक्सचेंज का दफ्तर है, वहां स्टैक्स आफ स्टोंस पड़े हैं। आज भी आप, मुख्य मंत्रीजी, उसका फोटोग्राफ करा सकते हैं। किस तरह सजे हुए पड़े हैं कि किसी ने उनको उठाया तक नहीं। स्टैकिंग इन दी प्रापर मैकनर। अगर यह बात सत्य होती कि मॉब ने पत्थर उठाकर मारे तो उसमें से तो एक पत्थर भी नहीं उठा। वे पत्थर छोटे-छोटे, आधे-आधे, पौन-पौन फीट के हैं। उठाकर मार सकते थे किन्तु वे स्टैकिंग के रूप में पड़े हुए हैं। इसलिए सरकारी जवाब में यह आना कि जनता ने पत्थर मारे जिससे पुलिस वालों को चोटें आयीं, बिलकुल निराधार बात है। इसकी आप इन्क्वायरी करा लीजिए। मैं तो कह रहा हूं, आप इन्क्वायरी कराइये। आज भी कह रहा हूं। वह स्टैकिंग एज इट इज, नीट एण्ड क्लीन पड़ी है।

ब्यावर की जो घटना घटी है इट काल्स फार। मैं तो यह सोच रहा था कि आज सदन में आऊंगा तो सदन में मुझे यह मिलेगा

(श्री किशन मोटवानी)

कि सरकार ने स्वतः ही इस बात के लिए कर लिया कि इसमें हम जुडीशियल इन्क्वायरी करा रहे हैं। इसमें जो पत्रकारों, वकीलों, महिलाओं और बच्चों पर मारपीट हुई है उसकी हम जुडीशियल इन्क्वायरी कराते हैं और ब्यावर के पेयजल की समस्या का हम समाधान करते हैं।

जो आंकड़े ब्यावर में पेयजल सम्बन्धी देते हैं कि इतनी सप्लाई करते हैं 12 लाख समथिंग, अगर 12 लाख गैलन आप ब्यावर को देते हो तो ब्यावर की नीड ही नहीं है। ब्यावर की नीड ही इतनी है, जो नीड बेस्ड रिक्वायरमैंट है वह इतनी है। पर आपके आंकड़े जो यह बता रहे हैं कि इतना दे रहे हैं तो यह सरासर गलत है। या अव्यवस्था है, या फिर हमारा जो आरोप है कि आपका जो प्रशासनिक अधिकारी है वहां पर, वह करप्ट है। वह दूसरे तरीके के उनके आंकड़े बनाता है। यह ब्यावर की घटना अपने आप में शर्मनाक घटना है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को स्वतः ही, बगैर हमारे कहे, इस बात को कर लेना चाहिए था। घोषणाएं 3–4 जी हैं वे कर लेनी चाहिए थीं।

अजमेर के सन्दर्भ में भी बात है। कल हमारी मीटिंग बुलायी थी, क्योंकि कुछ संगठनों ने स्वतः ही बन्द की घोषणा की थी। तकलीफ है, परेशानी है। बन्द से आदमी को कोई मजा नहीं आता है। जो व्यापारी बन्द करता है वह बन्द कोई स्वेच्छा से नहीं करता। उसको जब पीड़ा आ जाती है तब उस पीड़ा का दिग्दर्शन कराने के लिए वह बन्द करता है। और कोई कमेटी नहीं बुलायी। अध्यक्ष महोदय, इस पेयजल समस्या का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। कतई न करिये। आज से कोई 7–8 दिन पूर्व कलक्टर साहब ने एक मीटिंग बुलायी। मैं वहां था, मुझे नहीं बुलाया। इसकी पीड़ा मैंने जो आपको स्थगन प्रस्ताव दिया है उसमें इंगित की है कि जन प्रतिनिधि की किस तरह अवहेलना की गयी है। मैंने सुओ मोटो उनसे कहा था कि एक मीटिंग बुलाइये क्योंकि आपकी पेयजल समस्या बिजली बोर्ड ज्यादा बढ़ाता है। यह हमारी शिकायत है, आपकी भी शिकायत है। इन दोनों को कोआर्डिनेट करने के लिए हम 1972 से मुतवातिर ऐसी मीटिंगें करते थे कलक्टर के सान्निध्य में और उसका समाधान करते थे। मैंने उनको कहा, सुझाव दिया कि मीटिंग बुलाइये। कि मैं आपको मीटिंग की सूचना कर दूंगा, तुरन्त बुलाकर कह दूंगा। रात भर मुझे मीटिंग की कोई सूचना नहीं दी गयी। नैक्स्ट डे मुझे मालूम पड़ा कि 11 बजे मीटिंग हुई। वहां बीजेपी के 25–30 पदाधिकारियों को बुला लिया और सारा पैरा फरनेलिया आफ दी एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक अधिकारी सारे बुलाकर उन्होंने तय कर लिया कि वार्ड की कमेटियां बनेंगी। हमने कहा, चलो वार्ड कमेटी भी बनाते हैं तो अच्छा काम है। अगर जनता को उसमें इन्वाल्व करते हैं तो बुरी बात नहीं है। उसमें वार्ड मैम्बर को भी लिया, अब तीन मैम्बर भी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, आज इसका दुष्परिणाम हो रहा है कि जो आपके टैंकर जा रहे हैं, वे टैंकर्स एक व्यक्ति विशेष की कृपा के कारण बंटेंगे। अन्यथा नहीं बंटेंगे। इसलिये मैं आपसे कहना

(श्री किशन मोटवानी)

चाहता हूं कि, मैं ज्यादा इस सदन में उस बात को उवेड़ना नहीं चाहता हूं, आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि इस कमेटी को आप तुरन्त प्रभाव से निरस्त कीजिये। इससे राजनीतिकरण इसका होगा, इससे झगड़ा बढ़ेगा, इसमें दुराव बढ़ेगा और इसलिये आपकी व्यवस्था बैठ नहीं पायेगी। इसलिये कृपापूर्वक जो अजमेर में आपने वार्ड कमेटी बनायी है उसमें आप चाहो तो जे.ईएन. को रख लो मुझे एतराज नहीं है, चुने हुए मैम्बर को रख लो मुझे एतराज नहीं है या तो फिर बैठकर के सारी बात करके सारे जो भी वहां के सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं उनको ले लीजिये। मैं सदन में ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं अन्यथा मेरे पर भी आरोप लगेगा कि मैं राजनीतिकरण कर रहा हूं इसलिये मैं इसको यहां समाप्त करते हुए कल की बात पर निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर बन्द का जो आह्वान था, अजमेर बन्द हुआ, मैं अजमेर की जनता का साधुवाद करता हूं कि 47 के बाद आज करवट बदली है, करवट बदलते हैं तो राजस्थान बदलेगा, यह मेरी मंशा है, मेरी आशा है, मेरा विश्वास है। किन्तु मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल की मीटिंग में जिस तरह से आपके आई. जी. महोदय ने बात की कि हम आगाह करते हैं कि हम इसकी वीडियो कैसेट बनायेंगे और हम दिखायेंगे आपको कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है फिर आपसे हम राय लेंगे। मैंने कहा कि ग्रेट वेट हमको मत दें, फिर रेपिड फोर्स की बात की, मैंने कहा ग्रेट मत दीजिये। जनता अगर सुओ मोटो कोई बात कर रही है, अपनी पीड़ा का दिग्दर्शन कर रही है, उसको प्रोजेक्शन कर रही है तो आपको उसको करने देना चाहिये। जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको संवेदनशील बनना चाहिये। मैंने कहा, आप यह तो मानते हैं कि अजमेर में 6 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में पानी मिल रहा है। अजमेर की जनता पीड़ित है, आप भी चिन्तित हो, मैं यह नहीं कहता हूं कि प्रशासन चिन्तित नहीं, प्रशासन भी चिन्तित है किन्तु संवेदनशील होकर के कार्य नहीं कर रहा है और आज जो हमको ग्रेट कर रहे हैं यह ग्रेट मत कीजिये। अब उस ग्रेट का आज जैसा कि न्यूज आयी है कि वे दुकानें खुलवाकर के उसकी वीडियो कैसेट करा रहे हैं। जब दुकानदार दुकान नहीं खोलता, उसको जबरदस्ती दुकान खुलाकर उसकी वीडियो कैसेट कराकर फिर आपके समक्ष पेश करेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, आपको मिलना क्या है? अजमेर में जो पीड़ा है, अजमेर में जो आपके प्रति आक्रोश है वह तो वहां का वहां है और जैसा आप दबाओगे वह और उभरेगा, मेरी ऐसी चेतावनी है आपको, दबाओ मत उसको। जब आप इधर हुआ करते थे तो आप इसका किस तरह से एक्सप्रेशन प्रोजेक्शन किया करते थे। आज आप उसके विपरीत चल रहे हैं। आम आदमी की जो पीड़ा है, वह अगर एक्सप्रेशन कर रहा है, आप उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं एक और उदाहरण दूंगा कि जिस तरह ब्यावर में, उसी तरह का अजमेर में कर रहे हैं। यह आम आदमी की बात है कि एस. पी. यह कहता है कि मेरे डण्डे ने खून नहीं पीया, यह वर्दी पड़ी हैं इसलिये मेरे डण्डे ने खून नहीं पीया। तो आई. जी.

(श्री किशन मोटवानी)

उसको कहते हैं वे मुड़कर के, हमने एक दिन आपको किसलिए दिया था। आपको यह कार्यवाही तो कल कर देनी चाहिये थी तो आज का दिन हमको देखना नहीं पड़ता। This is the attitude of Administration. पुलिस प्रशासन का यह एटिट्यूड, अगर जनता का एक आक्रोश जिसको आप अनजस्टिफाइड किसी भी हालत में नहीं कह सकते, उसके प्रति यह दृष्टिकोण है तो मैं समझता हूं, यह निन्दनीय है।

मैं एक और बात निवेदन करना चाहूंगा भंवरलालजी कि काश आप 90 से 92 तक जब राज में थे, मेरी उस चिट्ठी को जो मैंने मुख्य मंत्रीजी को पहली चिट्ठी लिखी थी बधाई देते हुए। मैंने इनसे कहा था कि बीसलपुर परियोजना को हम पालिटिकलाइज न करें। हम पालिटिकल बेरियर्स से ऊपर उठकर के इसका मानीटरिंग करें, मैंने सुझाव दिये थे। मुख्य मंत्रीजी ने वह चिट्ठी आपके पास भेजी, मेरे पास भी पत्र आया। मैं उस पत्र के माध्यम से यह चाहता था कि मुख्य मंत्रीजी उसमें थोड़ा डिटेल से मुझे चिट्ठी का जवाब देते और अपनी जो इच्छाएं थीं, मंशा थी उसकी बात करते। परन्तु उन्होंने मुझे जवाब जरूर दिया। माननीय किशन मोटवानीजी, आपका पत्र नम्बर फलां-फलां मुझे प्राप्त हुआ, मैंने कार्यवाही हेतु भंवरलालजी को भेज दिया है। भंवरलालजी आपने दो साल तक पूरे, जब तक आप कार्यकाल में रहे, आपने उस लैटर पर कोई कार्यवाही नहीं की और यह मेरा आरोप है, यह सिद्ध आरोप है कि बीसलपुर की परियोजना 92 जून तक निश्चित पूरी हो जाती अगर मेरे 90 वाले उस पत्र पर कार्यवाही करते और उसका मानीटरिंग, सिर्फ मानीटरिंग की आवश्यकता थी, कुछ उसमें लेना-देना नहीं था। मानीटरिंग करते तो जून, 92 में यह परियोजना पूरी हो जाती और अजमेर जिले में यह जल व्यवस्था हो जाती।

अभी मैं आभार प्रकट करना भी जानता हूं। इस सदन में अभी चुनाव के बाद तुरन्त पहले सत्र में ही हमने आपको निवेदन किया और आप हमारे साथ बीसलपुर चले और आप इसका परिणाम स्वयं जानते हैं। वह हमारा चलना, वह हमारा मानीटरिंग और वहां हमारे जो डेफीनेट टार्गेट्स और इंडिकेशन्स हैं, उसके मुताबिक कार्य चल रहा है। मुझे विश्वास है। अभी भी आपकी पार्टी के अन्य सदस्य तो इसको कहते हैं कि 94 के आखिर तक इसको बीसलपुर का पानी मिलेगा किन्तु मेरा विश्वास है कि जुलाई-अगस्त तक बीसलपुर का पानी हमको निश्चित मिलेगा यह मेरा विश्वास है और मैं समझता हूं कि भंवर लाल जी का भी यही विश्वास है। किन्तु आपके कुछ साथी उसको भ्रम में डाल रहे हैं कि 94 के आखिर तक आ सकता है। इसलिये आप उन साथियों को भी आगाह करें और इसका मानीटरिंग करें। आपने पूर्व में मानीटरिंग नहीं किया जिसके कारण यह दुष्परिणाम निकले। यह ब्यावर की घटना घटी, अजमेर आज बन्द है और इसका आगे जो चैन रियेक्शन है, हम आपको पूरा विश्वास दिलाकर बात करते हैं, मैं तो पटिम्पुरली कि मैं इसको पालिटिकलाइज नहीं करूंगा। बिल्कुल विशुद्ध मानवीय इस समस्या को मानते हुए

(श्री किशन मोटवानी)

मैं बात करता हूं और सुझाव देता हूं। कल भी जिला कलक्टर ने शांति कमेटी के नाम पर वह मीटिंग बुलायी, हम उसमें गये, बातचीत की। हमसे कहा गया कि आप बन्द के आह्वान को रोकिये। मैंने कहा बन्द का आह्वान स्वतः है, यह आम आदमी की पीड़ा के कारण है, हम इसको नहीं रोक सकते। हम यह प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि शांतिपूर्वक हो। आपकी जो भी जायज मांग है, डेमोक्रेटिक सेट-अप में शांतिपूर्वक तरीके से आप मांगों को मांगें हम यह अपील कर सकते हैं। हमने वह अपील की। किन्तु आज जो घटनाक्रम चल रहा है वहां पर, मैं आपसे मुख्य मंत्रीजी कहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से आप इसकी मानीटरिंग करें, नजर रखें और ऐसी कोई दुर्घटना, जैसी ब्यावर में घटी है ऐसी घटना नहीं घटे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंह भाटी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में जो कुछ भी हुआ, वास्तव में बुरा ही हुआ और 31 तारीख को जब हम धरने पर बैठे थे तो उधर से, खासकर के कुछ मंत्रियों से हमारे उस एक्शन पर टिप्पणियां भी हुई। उसका नतीजा आज आपने जो व्यवस्था दी है उससे यह सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में प्रदेश में एक यह समस्या है। मैं अपने आपको कमेटी की रिपोर्ट से जोड़ते हुए और माननीय सदस्य लक्ष्मण सिंहजी ने जो फरमाया है उससे जोड़ते हुए ब्यावर के बारे में तो यही कहूंगा कि सरकार जितना जल्दी इसका कंप्लीशन करे पानी की सप्लाई का, बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर के बारे में चर्चा....

(12.38)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन।)

आज कितने वर्षों से हो रही है। बीसलपुर की योजना, सभापति महोदय, यह उचित रहेगा कि मैं आपको अध्यक्ष ही कहूं क्योंकि मुख्य मंत्रीजी आपको उस दिन अध्यक्ष नाम से ही सम्बोधित कर रहे थे। बीसलपुर की योजना, सभापति महोदय, माथुर साहब ने तो लागू की और मेरी यह भी उम्मीद है कि यह सरकार भी उसको लागू करना चाहती है लेकिन जब यह योजना बनी और इसके बारे में कल्पना की गयी, सभापति महोदय, आज से 25–30 साल पहले उसमें और आज की तारीख तक जो उम्मीदें सदस्य लोग बिराजमान यहां हैं, वे लगाये बैठे हैं। मैं कहता हूं कि उस कल्पना से कम से कम 50 पर्सेंट पानी प्राप्त हुआ और वह इसलिये कि फिर वही इन्वायर्नमेंट की बात आती है। सभापति महोदय, बीसलपुर की योजना की जब कल्पना हुई तो आस-पास का जितना भी एरिया था, जितनी भी पहाड़ियां थीं, वे जंगलों से भरी थीं। आज हालत वहां यह है कि एक तो पेड़ नहीं है और जितनी बार वर्षा होगी, भले ही दो इंच हो, 10 इंच हो, 25 इंच हो। इतनी जबरदस्त उसमें सिल्टिंग होगी कि उसकी जो रिजर्वायर कैपेसिटी है, सभापति महोदय, आधे से ज्यादा तो भर

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

जायेगा सिल्टिंग से और पानी की आपकी योजना जो बना रहे हैं, जो अधिकारी लोग बना रहे हैं और मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी उसको लागू करेंगे उसके बारे में आज ही उनको सोच लेना चाहिए कि ब्यावर वंचित रहेगा, अजमेर वंचित रहेगा और बाद में यह कहा जाएगा कि साहब कुछ और इसमें इम्प्रवूमेंट हो। करोड़ों रुपये प्रदेश की जनता के उस पर खर्च हो गये हैं, भविष्य में और होंगे और समस्या हल होगी नहीं। इसके लिए लोग कहेंगे कि आप तो मुख्य मंत्रीजी के पीछे पड़े हो लेकिन वास्तव में जब ये यहां विराजमान होते थे और मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, सभापति महोदय. खास कर आई.जी.एन पी. योजना से नरेन्द्रसिंह भाटी ने एक-दो मुख्य मंत्री की नाराजगी झेल कर के जो योजना पेश की उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट पेयजल का था, उसमें कोई रचनात्मक योजना नहीं थी उसमें सिर्फ मेरा यही सजेशन था, उसके लिए मंत्रिमण्डल ने सहयोग भी दिया और मंत्रिमण्डल से एक प्रस्ताव पारित होकर सन् 1985 में केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग कमीशन को भेजा भी गया। हमने तो सिर्फ प्रायोरिटी चेंज की, सभापति महोदय, और उसका सबसे ज्यादा विरोध माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया। प्रायोरिटी हमने यह चेंज की आई. जी. एन. पी. में पेयजल समस्या को नम्बर वन प्रायोरिटी बना दिया जाय और आई. जी. एन. पी. से पी.एच ई डी. से हमने मांग भी कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको आश्चर्य होगा, सभापति महोदय, कि सन् 1977-78 में मुख्य मंत्रीजी के पहली बार पद सम्भालने के बाद में एक तेज कुमार कमेटी बनी और उनकी रिकमण्डेशंस 1978 में यह थी कि पश्चिमी राजस्थान के लिए आई.जी.एन पी. से 500 क्यूसेक्स पानी पेयजल समस्या को हल करने के लिए उपलब्ध करवा दिया जाय।

उस रिपोर्ट के तहत हमने पी. एच. ई. डी. से 1981 में मांग की कि 500 क्यूसेक्स की रिक्वायरमेंट थी पश्चिमी राजस्थान के लिए क्या आप उसको उचित मानते हैं या आप उसकी बढ़ोतरी चाहते हैं? मेरे पास, सभापति महोदय, एक हफ्ते के अन्दर उत्तर आया कि नहीं साहब 500 क्यूसेक्स तो नहीं लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट 1200 क्यूसेक्स है। हमने हमारे सोर्सेज से, सभापति महोदय, मैं इसलिए इसकी यहां चर्चा करना चाह रहा हूं कि डिपार्टमेंट की वर्किंग आप देखिए कि हमने वापस उनको कहा कि भाई हमारे विचारों से, आंकलन से 1800 क्यूसेक्स की रिक्वायरमेंट, अगर अपन 2025 तक की रिक्वायरमेंट सोचें तो 1800 क्यूसेक्स पानी की रिक्वायरमेंट होगी। आप आश्चर्य करेंगे, सभापति महोदय, एक हफ्ते के अन्दर मेरे पास उत्तर आता है, कि नहीं साहब आपका जो सुझाव था हम भी मानते हैं कि 1200 क्यूसेक्स नहीं 1800 क्यूसेक्स चाहिए। यह कोई मजाक है। आप एक क्यूसेक्स की बात अगर करें, सभापति महोदय, आप पूरे पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं और एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर 600 क्यूसेक्स का फर्क आ जाय तो एक प्लानिंग की और डिपार्टमेंटल प्रोजेक्शन की एक तरह से मखौल है। मुख्य मंत्रीजी अब तो आप उधर विराजमान हैं, भाटी न तो डिपार्टमेंट

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

सम्भाल रहा है, देवीसिंहजी भाटी सम्भाल रहे होंगे अब तो उनको ही श्रेय मिले अब तो आप उसको लागू कर दीजिए। आई. जी. एन. पी. के तहत हजारों-करोड़ों का खर्चा करके प्रायोरिटी चेंज करके लिफ्ट के माध्यम से चूरू पानी पहुंचाइये, नागौर पानी पहुंचाइये, फलसूण्ड पानी पहुंचाइये, आसोल पानी पहुंचाइये तब तो कुछ हम भी सोचेंगे कि आपको वास्तव में न केवल ब्यावर की बल्कि पूरे राजस्थान की जनता के प्रति चिन्ता है।

मैं उस दिन जिक्र कर रहा था, खास कर जो ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं, सभापति महोदय, एक कटिंग पढ़कर कि किस गम्भीरता से डवलप नेशनस इस बारे में चिन्ता कर रहे हैं, और हम तो यहां पर धरने पर बैठे थे 31 तारीख को, यह साइंटिफिक अमेरिकन की एक कटिंग है, जो कि मेरे ख्याल से साइंस के बारे में 10-15 टॉपमोस्ट पीरियोडिकल्स है, आपके माध्यम से उसकी ओर ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं—Bill Clinton, the U.S A. President, is trying to create an example of the thought for fellow Americans. The President has decided to make the White House a model energy efficiency and conservation. According to Clinton's advisers, consumption of electricity and water at the White House complex would be reduced by 30% over the next ten years simply by installingies and taking common sense steps such as uncovering sky lights. If we can accomplish anything hers, then there is no excuse for anyone around the country not be taken similar steps. आदि, आदि अब वह सिंपल स्टेप्स न केवल अमेरिका में जरूरी हैं लेकिन खास कर अपने इस प्रदेश और देश में जरूरी हैं। क्योंकि मुख्य मंत्रीजी इजरायल भी पधार रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि इजरायल पधारना चाहिए आई.जी. एन.पी. इरिगेशन सिस्टम को सुधारने के लिए नहीं लेकिन इजरायल से और इजरायल में रहने वालों से कुछ वो सीखें पानी का कंजर्वेशन और बिजली का कंजर्वेशन और वहां का रहस्यमय रहने का तरीका, उस पर ध्यान करके, सभापति महोदय, यहां वापस आकर वह आइडियाज लागू करवाएं तो तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान को और राजस्थान की जनता को लाभ हो सकता है। इरिगेशन टैक्नोलोजी अपने यहां सांगानेर के पास ही पड़ी है। आज से 4 साल पहले, आपके मुख्य सचिव जी जानते हैं कि एक निजी क्षेत्र में इजरायल से ही उन्होंने इंजीनियर्स बुलाये, जबकि इजरायल और अपने कोई ऐसे सम्बन्ध ठीक नहीं थे और उन्होंने अपने खुद का पैसा खर्च करके ड्रिप इरिगेशन योजना, तकनीक है वह तो आलरेडी लागू है।

सभापति महोदय, मैं ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि अध्यक्षजी ने मुझे टाइम दिया है, मैं सोचता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर मुख्य मंत्रीजी जनता की पेयजल समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। सरदारपुरा से आने वाले विधायक ने फरमाया कि जोधपुर की समस्या हल हो गई। इसलिए मैं उनको चैलेंज के साथ कहता हूं.... (व्यवधान)....

Page No. 34

(34)

श्री राजेन्द्र गहलोत (जोधपुर) : मैंने यह नहीं कहा, मैंने यह कहा कि 10 साल से जोधपुर लिफ्ट कैनाल लटका के अटका रखी थी आप लोगों ने, कोई निर्णय नहीं हो रहा था 1984 से लेकर 1989 तक जिसका परिणाम जोधपुर की जनता को आज भी भुगतना पड़ रहा है और ढाई साल के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने 92 करोड़ रुपये उस पर खर्च करके उसकी व्यवस्था की और निर्णय लिया है जिसके कारण जोधपुर को थोड़ा पानी मिलना शुरू हो रहा है। जोधपुर की लिफ्ट कैनाल के लिए दोषी तो प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोग हैं।... (व्यवधान) ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके भाषण की कटिंग दिखाएंगे जोधपुर की जनता को।

श्री राजेन्द्र गहलोत : समस्या हल नहीं हुई है, मैं यह कह रहा हूं कि समस्या हल करने के लिए गए हैं जिसके कारण हल होना शुरू हो गया है।....

श्री सभापति : बिराजें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं जोधपुर की जनता के बीच में हमेशा घूमता हूं इस बात की समस्या का समाधान कर रहे हैं लेकिन दोषी कौन हैं, यह आपके सामने हैं।

श्री सभापति : बिराजें आप।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय सभापतिजी, सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य निराधार आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस की सरकारों पर —

"गुरू गोविन्द दोनों खड़े, किसके लागू पांव।
बलिहारी गुरूदेव की, गोविन्द दियो बताये।।"

लटका के अटका दी, लेकिन योजना की स्वीकृति किसने की।.... आप सुनिये, इस योजना की स्वीकृति जब मैं राजस्थान सिवरेज एण्ड वाटर सप्लाई मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन था तो 20 फरवरी, 1984 को की थी और उसके बाद में कार्य को प्रारम्भ किया गया। हमने दूरगामी योजना सोची जोधपुर शहर को पानी सप्लाई करने के लिए इन्दिरा गांधी कैनाल से। आपका साधुवाद करना तो रहा दूर, और हाउस में अनर्गल बातें ठोक रहे हैं मुख्य मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी और कोई पोलसन का डिब्बा है, 2-4 और ले आओ।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये। बिराजिये राजेन्द्र जी। कृपया बिराजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : योजना आपने स्वीकार की, आपने 1984 में उसका शिलान्यास किया, 1985 में फिर शिलान्यास किया। उस योजना में विलम्ब किया और विलम्ब होने के कारण जोधपुर की जनता को पानी मिलना चाहिये था, न आपने मेकेनिकल पम्प का निर्णय किया न आपने सिविल पम्प का निर्णय किया, न आपने किसानों को भूमि का मुआवजा देने का निर्णय किया और जिसके कारण कैनाल पूरी हो जानी चाहिये थी 1986 के अन्दर, वह आज 1990 तक पूरी नहीं हो पायी और उसके कारण मुख्य मंत्रीजी, से निवेदन करके हमने ...

श्री सभापति : बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र गहलोत : .... इमरजेन्सी स्कीम लागू करवाई जिससे हमें 40 लाख

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

गैलन पानी मिल रहा है। वह 40 लाख गैलन पानी आज इस पानी के संकट के समय जोधपुर की जनता के लिए अमृत है। आज भी पानी की कमी है, कमी के लिए आपकी योजना समय पर पूरी नहीं होने के कारण ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जिसके लिए सिर्फ आप दोषी हैं।

श्री सभापति : श्री भाटी साहब बोल रहे हैं। भाटी साहब बोलिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, माननीय गहलोत साहब, ..

श्री सभापति : आप गम्भीर समस्या पर चिन्तन कीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : .... कि जोधपुर की पेयजल समस्या (व्यवधान) मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, जिस योजना के बारे में ये बात कर रहे हैं....

श्री सभापति : ब्यावर पर बोलें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : वह इनको ध्यान नहीं होगा। मैं अभी अर्ज कर रहा था, ये मेहरबानी करके मुख्य मंत्रीजी का सन् 1985 में भाषण हुआ था और जो इन्होंने विरोध किया था, सिर्फ उसकी कटिंग्स यहां सदन से लेकर पढ़ लें। आज यह कहना बहुत आसान हैं कि 92 करोड़ रुपये दे दिये। मैं चैलेंज के साथ अर्ज करता हूं कि जोधपुर की लिफ्ट कैनाल है, उसका डिजाइन इतना फाल्टी है, आज से 10 साल बाद में भी उसमें पानी जवाई से जो आ रहा है, इतना भी पानी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। अब ये क्या बात करेंगे उसके कम्प्लीशन की।

श्री राजेन्द्र गहलोत : डिजाइन बनाया किसने ?

श्री सभापति : आप बिराजिये माननीय सदस्य कृपया (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : हमने ही तो बनाया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : और, सभापति महोदय,....

श्री सभापति : विषयान्तर नहीं हों माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं। चूंकि, अध्यक्षजी ने फरमाया, आज भी कोई लेट नहीं है आज भी बिराज करके, मैं तो मुख्य मंत्रीजी को सजेशन दूंगा, बजट भाषण इन्होंने गवर्नर साहब से यहां सुनवा दिया, आपके बजट को भी इन्होंने पास करवा दिया। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षण बजट के एक पाइंट पर करना चाहता हूं, आपने उसमें रिसर्च एण्ड डवलपमेंट में 5 करोड़ रुपये दिये हैं। 5.85 या ऐसा कुछ, आपका 2400 कुछ करोड़ का बजट था इस वर्ष का। आर. एण्ड डी. पर आप अगर 5.85 करोड़ रुपये खर्च करेंगे तो आप क्या अनुमान करते हैं कि राजस्थान का उद्धार होगा। आज जापान देश इस स्थिति

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

में पहुंचा है, अमेरिका आज विश्व में नम्बर एक हुआ है। अभी माननीय रामनारायण जी फरमा रहे थे, 1917 में जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ, रशिया आज पिटा इसी कारण है कि इन्होंने आर. एण्ड डी. पर जितना योजनापूर्वक खर्च करना चाहिये था, इन्होंने किया नहीं और आर. एण्ड डी. पर ही आपकी मजबूती है। आज पूनम चन्द जी ने फरमाया कि मैं 25 साल से ध्याना-कर्षण कर रहा हूं लेकिन समस्या क्या है। आज चूंकि यह चर्चा हो रही है और मैं तो आभारी हूं अध्यक्षजी का, क्योंकि आज हमें मौका मिला है, समय उपलब्ध है। यह समस्या राजस्थान में आप तब तक हल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप वास्तव में आज से 50 साल आगे की योजना नहीं बनायेंगे, उसके लिए आपको आर. एण्ड डी. पर खर्च ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब नहीं बढ़ाया तो मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से, पता नहीं आपकी सिफारिश कितनी चलती है, लेकिन चलती है तो आप मेहर-बानी करके मेरी मदद करिये

श्री सभापति : आप सीधी बात कर लें। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, मैं बहुत ही गम्भीरता से अर्ज करना चाह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, आर. एण्ड डी. पर खर्चा बढ़ाइये। आगे की योजनाओं में आपने सबसे बड़ा कम्पोनेन्ट ईरिगेशन और पावर पर दिया है। उस दिन भी जब पावर पर चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा, जितना ज्यादा खर्च करते जाओगे उसी विशियस सर्किल पर आप फंसते रहेंगे। यह की यह समस्या पेयजल की है। आपको आज यहां पर ध्यान देना चाहिए कि ईरिगेशन की जितनी योजनाएं हैं, उनको कैसे हम कन्वर्ट करके ईरिगेशन में कैसे इन्टेन्सिटी कम करके वहां से पानी बचायें, तो पेयजल की समस्या उससे हल हो सकती है, उसके लिए आपको पूरे राजस्थान के लिए सोचना चाहिये। यह नहीं चलेगा कि कहीं तो आप 200 प्रतिशत इन्टेन्सिटी में ईरिगेशन दे रहे हैं और कहीं-कहीं एरिया ऐसा है राजस्थान में, जैसे आज ब्यावर के पेयजल पर चर्चा हो रही है, 7-7 दिन पानी जहां नहीं मिले, लोग वहां पर प्यासे मरें और कुछ ईरिगेटेड एरियाज भले ही कोटा हो, गंगानगर हो, वहां पर इतना क्रिमिनल यूटिलाइजेशन पानी का करें तो माफ करना वाटर लोगिंग होगी और हजारों करोड़ रुपया आप वाटर लोगिंग की समस्या को हल करने के लिए खर्च कर रहे हैं और क्या तो आपकी प्लानिंग है और यह प्लानिंग सिर्फ इसलिये है सभापति महोदय, इसमें मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि अगर पोलिटिकल हाइरार्की एक बड़ के समान हो जाय और वहां पर प्री-थिंकिंग नहीं हो और यंगर जनरेशन को मौका नहीं मिले, न केवल उधर बल्कि इधर भी ...

श्री सभापति : दोनों तरफ हो रहा है। आपकी राय से हो रहा है। नहीं-नहीं, मैं नहीं हूं, मैं तो बैठा हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां हां बिल्कुल, तो यह समस्या....

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : आप भी भुगतभोगी हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उधर तो विशाल वटवृक्ष है, उसकी छाया में आप नहीं पनपेंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसलिए, सभापति महोदय, बहुत ही आवश्यक है, जो मूल परिवर्तन होना चाहिये प्लानिंग में उस ओर ध्यानाकर्षण मैं करना चाहता हूं, सरकार का, कि मेहरबानी करके, जैसा अजमेर के माननीय सदस्य ने फरमाया इसको पोलिटिसाइज नहीं करें । मेरी इण्टेंशन यह नहीं है कि आपको मैं डोक में डालूं लेकिन मेरी जो समस्या है, आज मैं सोचना चाहता हूं, यहां पर मेरा 11वां साल है । एक-दो टर्म और समझ लीजिये अगर जनता भेजेगी तो, 2015 में या 2010 में या 2025 में, मेरे से आगे आने वाली पीढ़ी यह कहे कि भाटी, तूने वहां पर क्या किया ? तो इस सदन के माध्यम से यह सुझाव तो दे सकता हूं, जिस दिन हमारी सरकार फिर बनेगी, फिर उसके लिए लड़ेंगे ...

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : नहीं बनेगी ।

एक माननीय सदस्य : बनेगी, थोड़े दिन इन्तजारी करिये ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कालीचरण जी, अभी तो आपकी सरकार है, मेहरबानी करके यह सुझाव अनपोलिटिकल समझ कर आप इसको लागू करवा दो तो कहूं, मैं आपका आभारी रहूंगा और जौहरी बाजार में आकर आपके लिए भाषण दूंगा ।

श्री कालीचरण सराफ : धन्यवाद ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद भाटी जी । श्री विष्णु मोदी (अनुपस्थित) श्री गोविन्द सिंह जी ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अत्यन्त ही गम्भीर विषय के ऊपर सूक्ष्मता से अपनी बात कहना चाहता हूं ।

आपको मालूम होगा कि अजमेर पहले केन्द्र का 'सी'' क्लास स्टेट था और जब अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया तो प्रश्न यह आया कि राजस्थान की राजधानी क्या हो । उस समय जो कमेटी बनी, उसकी एकमत राय थी कि अजमेर राजस्थान की राजधानी होनी चाहिये लेकिन एक ही कमी थी कि वहां पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी । इतनी बड़ी कुरबानी अजमेर को इस पानी की वजह से देनी पड़ी और आज भी स्थिति उससे बहुत बदतर है और मुझे अफसोस है यह कहते हुए कि 1945 में यह योजना बनी थी जिसको आज हम बीसलपुर योजना कहते हैं । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिवंगत राजीव गांधी को, उन्होंने हिम्मत करके बगैर प्लानिंग कमीशन से इसको पास हुए, बगैर वाटर बोर्ड से इसको अनुमति दिये, यहां जयपुर में एक सभा में एक नन्ही बालिका की चिट्ठी पर यहां स्वीकृति दी और इसके लिए पैसे मंजूर किये

(13.00)

लेकिन आज जिस गति से यह स्कीम चल रही है, ये कह रहे हैं जुलाई तक पानी मिल जाएगा । मैं समझता हूं कि जिस तरीके से विश्वनाथ प्रताप सिंहजी ने पहली माला

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

पहनायी थी यदि भंवर लालजी अजमेर की जनता को जुलाई में पानी पिला दें तो मैं इनको सबसे पहले माला पहनाऊंगा, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। उस 12 किलोमीटर के इलाके में निहित स्वार्थो के कारण पाइप लाइन आज तक नहीं डली है, उसके बारे में अभी तक कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि किस तरीके से 1945 से चलती-चलती यह योजना आज तक हल नहीं हुई और उसका जो अंजाम हुआ वह आपने ब्यावर में देखा है।

श्री सभापति : गोविन्द सिंहजी आप तो जानते हैं कि यह समस्या कबसे चल रही है अजमेर की 1947 से पहले से ही है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : हां। मुझे याद है कि अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय सदन के नेता महोदय ने अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व दो बातें कही थीं। पहली थी जनसंख्या में वृद्धि और दूसरी थीं पीने का पानी। ये दो राजस्थान की गम्भीर समस्याएं हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हैं। उनका मैंने जिक्र किया। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि इन समस्याओं का मुकाबला करने के लिए, इन समस्याओं पर किस तरह हम पार पा सकते हैं इसके बारे में कोई गम्भीर चिन्तन आज तक नहीं हुआ और जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसे राजनीतिक दल देकर या किसी तरह से अधिकारियों द्वारा फर्जी आंकड़े देकर, आज भी कह रहे हैं कि ब्यावर को पानी मिल रहा है, हमने टैंकर लगा दिये, हमने इतने ट्यूब वैल खोद दिये हैं लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है।

मैंने कुछ दिन पूर्व नसीराबाद के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मैंने जवाब दे दिया। मैंने उनको बताया कि नसीराबाद एक ऐसी जगह है जहां हिन्दुस्तान की रक्षा करने वाले सैनिक रहते हैं और वह ऐसी जगह उस एरिया से लौटकर आते हैं जिन्हें हम आपरेशन एरिया कहते है। उनको दो साल अपनी फेमिली के साथ रहने का मौका दिया जाता है। हम अगर वहां भी पानी नहीं दे सकते तो धिक्कार है हमारा इस राज को चलाना। ऐसी स्थितियां जब बनी हुई हैं, इसके आगे क्या हाल होगा हम केवल उस बात को सोचकर ही रह जाते हैं। एक ऐसी सिहरन पैदा होती है कि न जाने इस राजस्थान का क्या हाल होगा। अण्डरग्राउण्ड वाटर, अभी आपने पढ़ा होगा, दिल्ली की एक खबर है कि 20 से 25 फीट तक पानी प्रतिवर्ष नीचे जा रहा है। हैण्ड पम्प्स और ये योजनाएं हैं, ये तात्कालिक योजनाएं बना रहे हैं। जैसा अभी भाटी साहब ने कहा कि 50 साल आगे की, 100 साल आगे की योजनाएं बननी चाहिऐ उस सम्बन्ध में कोई चिन्तन नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस काम को इस तरीके से लें कि जितने भी हमारे साधन हैं, जो पानी बहकर जा रहा है उस पानी को कैसे हम रोक सकते हैं उसके लिए तुरन्त योजना बनें। अभी भी सभापति महोदय, कई जगह ऐसी हैं जहां नीचे जमीन में पानी है। उसको निकालने के लिए आज आर.एस.ई.बी. वाले कनेक्शन नहीं देते।

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

मेरे यहां अजमेर जिले में पी.एच.ई.डी. ने 6 ट्यूब वैल खोद रखे हैं नसीराबाद में, उनमें पानी है लेकिन वह काम में नहीं लिया जा रहा है। हम किसको दोष दें ? यह व्यवस्था सम्बन्धी बात है। आपको फीड किया जाता है कि पानी की दिक्कत नहीं है, हमने यह कर दिया वह कर दिया लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है और इसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं यह कोई व्यवस्था कीजिये वरना यह चिंगारी जो अजमेर जिले से उठी है वह सारे राजस्थान में फैलेगी और आपके लिए शासन करना मुश्किल हो जाएगा।

श्री सभापति : श्रीमती कमला जी। (अनुपस्थित)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अनुपस्थित)

श्री चन्दनमल बैद (अनुपस्थित)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी (अनुपस्थित)

श्री बनवारी लाल बैरवा (अनुपस्थित)

श्रीमती इंदिरा मायाराम।

श्रीमती इंदिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आज गम्भीर समस्या जो ब्यावर में उत्पन्न हुई है उसके बारे में कुछ कहूंगी लेकिन उसके साथ-साथ यह स्थिति पूरे राजस्थान में बनने वाली है उसके बारे में भी बोलना बहुत जरूरी है। ब्यावर में जो स्थिति हुई और जैसा कि अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि कुछ संभ्रांत महिलाओं ने पानी की समस्या के लिए जाकर अगर घड़े फोड़े तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं हैं। क्योंकि अगर पानी की समस्या होती है तो सबसे पहले महिलाओं को कष्ट होता है। अगर घर में खाना बनाना है, बर्तन साफ करना है, कपड़े धोने हैं, बच्चों को संभालना है, सब काम महिलाओं की जिम्मेदारी है। अगर महिलाओं को कठिनाई हुई और उन महिलाओं ने जाकर अपनी समस्या बतायी तो उस समस्या को प्रशासन को संवेदनशील ढंग से सुनना चाहिए था, उसका समाधान निकालने का उनको आश्वासन देना चाहिए था। बदले में उनको फटकारना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, यह कितना सही है यह तो सरकार ही जाने पर मैं तो इसको बहुत ही निर्दयतापूर्ण व्यवहार मानती हूं।

दूसरी बात यह है कि उसके बाद में जुलूस निकला और उसमें पत्रकार, वकील और वहां के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया वह भी बहुत ही निर्दयतापूर्ण है उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि यह पानी की समस्या ऐसी है जिसके बारे में हर आदमी जाकर प्रशासन को बतायेगा यह उसका अधिकार है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हवा और पानी के बिना आदमी जिन्दा नहीं रह सकता इसलिए ऐसी गम्भीर समस्या के होते हुए भी प्रशासन अगर संवेदनशील नहीं होगा, सरकार उसमें ध्यान नहीं देगी तो और किस समस्या पर ध्यान देगी ? यह सोचने की बात है ब्यावर के आगे बढ़कर हमारे अजमेर से आये हुए माननीय सदस्य ने बताया कि वहां क्या हालत हो रही है। किशनगढ़ के माननीय सदस्य ने बताया कि वहां भी पानी की भयंकर समस्या है। मैं उससे आगे बढ़कर बताना चाहती हूं दूदू में, सांगानेर में, चाकसू में, फागी में, इन सब में

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

भी यही होने वाला है। कल 500 आदमी मेरे घर पर धरना दे रहे थे कि हमारे साथ चलिये, हमें मंत्री महोदय के यहां जाएंगे और मैंने इतनी बार यहां पर बोला, पिछले सदन में हमको बुलाया, बैठक भी हुई और हमारे मंत्री महोदय इस मामले में ध्यान भी दे रहे हैं। कहते भी हैं कि आपके यहां सब इंतजाम हो रहा है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपका दिया हुआ आश्वासन कहां जाकर रुक जाता है। सरकार में किस जगह उसमें रुकावट आती है। क्योंकि हम इंजीनियर साहब से बात करते हैं तो वे कहते हैं एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करिये उनको मालूम है। वे कहते हैं नीचे इंजीनियर साहब से बात करिये। पता नहीं कहां जाकर रुक रहा है।

मैं इस बारे में एक बात और बताना चाहती हूं। मैंने इसी सदन में क्वेश्चन भी किया था, इस सदन में प्रक्रिया के नियम 295 के तहत भी कहा था कि यह पानी की समस्या तभी हल हो सकती है, जैसा हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि सिंचाई की समस्या को इसके साथ जोड़ा जाए। मैंने बताया था कि हमारे यहां गुलर का बंधा, हमारे यहां का चिरोटा का बंधा, नेवटा का बंधा, ये सूखे पड़े हैं और कोई बड़ी समस्या नहीं है। वे बाढ़ के बाद टूट गये हैं। अगर उनकी थोड़ी मरम्मत कर दी जाए तो वहां पानी रुकेगा, पानी रुकने से हमारे कुओं में पानी बढ़ेगा और उससे पानी की समस्या हल हो सकती है लेकिन उसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। अभी असेम्बली चल रही है, हम बोल लेते हैं, आपको कह देते हैं, दो बार बोल भी चुके हैं। असेम्बली के बाद तो यह बोलने का भी नहीं रहेगा फिर कौन इस पानी की समस्या को गर्मियों में सुलझायेगा यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार सचमुच इस समस्या का समाधान करना चाहती है तो ईरिगेशन विभाग, आपका जलदाय विभाग और बिजली विभाग तीनों मिलकर इस समस्या का समाधान करें।

सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा और मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं आज मुआना की टंकी बनी पड़ी है। मुआना के कुए में बोरिंग हो रहा है उसको जोड़ने का काम नहीं किया जा रहा है पिछले दो महीनों से, जबकि पानी की इतनी गम्भीर समस्या है। इसी प्रकार कई जगह टंकी बनी पड़ी है लेकिन जलदाय विभाग से कहते-कहते थक गये हैं। वह सो रहा है, सुनने को तैयार नहीं है, कुछ करने को तैयार नहीं है। उनसे हैण्ड पम्प के लिए कहते हैं तो वे झगड़ा खड़ा कर देते हैं। कहीं जाकर लगाने के लिए गांव वालों को कह देते हैं तो कभी कहीं जाकर लगाने के लिए कह देते हैं। इस तरह का व्यवहार जलदाय विभाग का हो रहा है जबकि पानी की इतनी गम्भीर समस्या है कि लोग बूंद-बूंद के लिए तरस रहे हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस समस्या को गम्भीर रूप से लीजिये। इस समस्या को आसान मत समझिये, जो ब्यावर में हुआ है यह हर जगह होगा क्योंकि जब पीने को पानी नहीं मिलेगा, जब लोगों को पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो वे क्रांतिकारी कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। और वह जो कुछ

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

भी करेगा, उसको यह पता नहीं कि मरेगा या जियेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको गम्भीरतापूर्वक लीजिये और इस पानी की समस्या को सिंचाई की समस्या के साथ मिलाकर सुलझायें। कई जगह जलदाय विभाग वाले कहते हैं कि बिजली विभाग वाले हमको कनेक्शन नहीं देते। मेरी समझ में नहीं आता कि बिजली विभाग वाले पानी पीने के लिए कुओं को कनेक्शन नहीं देते तो और किस चीज के लिए कनेक्शन देंगे। सरकार के कुए जो पानी दे रहे हैं उनको भी कनेक्शन देने में बिजली विभाग वाले दिक्कत करते हैं। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि आप इस समस्या को गम्भीरतापूर्वक लीजिये और आप तीनों विभागों की एक आवश्यक बैठक बुलाकर इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करें।

एक और समस्या है। हमारे कुछ क्षेत्रों में, बगरू के पास, चाकसू में, फागी में और दूदू में जमीन के नीचे पत्थर आ गया है और पानी नहीं निकल पाता है। एक-दो जनों ने वहां पर पत्थर तोड़ कर बोरिंग कराया है तो उसमें पानी आया है। यह डार्क जोन वैसे है। गरीब लोग पत्थर तोड़कर कुएं नहीं बना सकते। इसलिए आपको इसका भी सर्वेक्षण कराना चाहिए कि जहां यह पत्थर आ गया है जमीन के नीचे, उसमें आप अण्डर ग्राउंड वाटर बोर्ड से बात करेंगे या क्या करेंगे, उसका भी कुछ प्रबन्ध आपको करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया।

श्री सभापति : श्री परसादीलाल-जी मीणा।

श्रीमती कमला (बैराठ) : सभापति महोदय, मैं उपस्थित नहीं थी, मुझे समय दें।

श्री कालीचरण सराफ : आप नहीं थी।

श्रीमती कमला : और सभापति महोदय, इस हाउस को इतना ठंडा कर दिया जाता है कि बहुत लम्बे समय तक यहां बैठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बार-बार इनसे कह कर बंद कराना पड़ता है। इसलिए मैं वहां लाबी में बैठी हुई थी जिससे मैं लेट हो गयी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ठंड के कारण जाना पड़ा बाहर।

श्री सभापति : ठंड के कारण से आप बाहर चली गयीं?

श्रीमती कमला : इसलिए आप मुझे समय दीजिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप भी ठंड के कारण से गये?

श्री बनवारीलाल बैरवा : अब समय दीजियेगा आप। अब समय दीजियेगा।

श्री सभापति : माननीय परसादीलाल-जी, सुबह-सुबह यह देखा गया था कि जब

(श्री सभापति)

प्रश्नकाल आसन ने स्थगित किया था तो यह लगा था कि गर्मी रहेगी। अब आप कह रहे हैं कि ठंडा हो रहा है।

श्रीमती कमला : वह गर्मी को दबाने में लग गयी ना।

श्री सभापति : श्री परसादी लालजी मीणा। कृपया, ठंडा हाउस है।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, ब्यावर की घटना को लेकर, 31 तारीख को पीने के पानी को लेकर जो घटना हुई ब्यावर में, जिस तरह से जनता का आन्दोलन वहां हुआ, क्या प्रशासन को उसकी पहले जानकारी नहीं थी? कल मेरे को ब्यावर के लोग मिले थे, मेरे साथ ही वह लालसोट से आये थे तो हमने उनसे जानकारी चाही कि भाई वास्तविक स्थिति क्या है? वह सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे, उन्होंने बताया कि सात दिन में सरकार के द्वारा टैंकरों से एक दिन पानी एक परिवार को दिया जाता है और उसकी लाइनें इस कदर लगायी जाती हैं जैसे केरोसिन वितरण की लाइनें होती हैं, राशन की दुकानों पर लाइनें होती हैं और जो पावरफुल लोग हैं, जो ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं उन लोगों को तो पानी मिल जाता है और जो गरीब लोग हैं, जिन मौहल्लों में गरीब लोग रहते हैं उन मौहल्लों में तो आठ-आठ दिन तक पानी नहीं पहुंचता है ...

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : सभापति महोदय, वहां पहले टंकी ...

श्री सभापति : आप बिराजिए, बिराजिए माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : और कोगटा साहब की मैंने एक खबर भी पढ़ी है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य को तो चूड़ियां पहना दी इसलिए यह नहीं बोलें। ब्यावर की जनता ने चूड़ियां भेंट की हैं कोगटा साहब को, इसलिए नहीं बोले तो ब्यावर के हित में होगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ब्यावर के हित में होगा। मैं माननीय मंत्रीजी को और सरकार को आगाह करना चाह रहा हूं ...

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आपकी बात भी छिपी रहेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आसन को संबोधित करें और मैं आपसे निवेदन करूं, आपको एक निवेदन कर दूं ...

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, जिस तरह के हालात ब्यावर में हैं ...

श्री सभापति : एक निवेदन कर दूं मैं आपको, ब्यावर में पानी पहले टंकी में चढ़ाया जाता है वहां डालकर, टैंकरों की केरोसिन की तरह लाइन नहीं लगाते। आप कृपया बोलें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : टैंकर लग रहे हैं वहां सभापति महोदय, आप मानिये।

श्री परसादीलाल मीणा : टैंकर लग रहे हैं वहां, टैंकरों की बतायी है, सरकार कह दे कि टैंकर नहीं है वहां। पानी टंकी

(श्री परसादीलाल मीणा)

में तो पहुंचता ही नहीं है। टंकी के भरोसे तो वहां पानी आधी भी आबादी को नहीं मिलता।.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिए। आप बोलिये माननीय सदस्य।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : लाइन नहीं लगे तो सदन में कैसे गर्मी आयेगी। जब लाइन लगेगी तो ही गर्मी आयेगी न यहां।

श्री सभापति : हां, यह है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, पानी किस तरीके से....

श्री सभापति : बोलने दीजिऐ माननीय सदस्य को कृपया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पानी किस तरीके से चढ़ता है यह तो आपकी जानकारी में है, इनके साथ ब्यावर में क्या हुआ उसकी जानकारी आपको नहीं है।

श्री सभापति : वह आपकी जानकारी में है। विराजिए।

श्री परसादीलाल मीणा : इनकी धोती भी पकड़ कर खींच ली, इनको चूड़ियां पहना दी इसलिए नहीं बोलें आप तो अच्छा है।

सभापति महोदय, पानी को लेकर ब्यावर में जो घटना घटी, 31 तारीख को पुलिस ने जिस तरीके का लाठीचार्ज किया, लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया, पत्रकारों को पीटा, वकीलों को पीटा गया, उसमें सारे राजनीतिक दलों के लोग थे, उनकी जमकर पिटाई की गयी। मैंने अखबार में पढ़ा है जो आज पत्रकार बन्धु भी कह रहे थे। सिद्धार्थ जैन एक बहुत ही भला पत्रकार, उसको कलक्टर के वहां डाक बंगले में ले गये, वहां डी. डी. राठौड़ भी उनके साथ थे, तो कलक्टर ने उसको किस तरह पीटा, उसके बाल खींचे गये, उसको जमीन पर डाला गया और उसके घूंसे....

श्री शांतिलाल खोईवाल : कलक्टर ने....

श्री हरिसिंह (महुआ) : हां, कलक्टर ने खुद ने। कलक्टर ने पिटाई की है, आप तो +++ हो। कलक्टर ने पिटाई की है।

श्री सभापति : आप विराज जाएं।

श्री परसादीलाल मीणा : हां, कलक्टर ने खुद ने। क्या बातें करते हो, कलक्टर ने खुद ने। बिलकुल कलक्टर ने की है। आप तो कहोगे, आपको काम कराना है कलक्टर से, हमको कोई काम नहीं है....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य व्यवधान न डालें, बोलने दें उन्हें।

श्री परसादीलाल मीणा . कलक्टर ने स्वयं ने उस सिद्धार्थ जैन के बाल पकड़े, बाल पकड़ कर उसको बाथरूम में डाला, वहां उसके घूंसे दिये और फिर कहता है कलक्टर कि मेरी हड्डी टूट गयी, पसली टूट गयी। कलक्टर ने उस सिद्धार्थ जैन की, सभापति महोदय, आप इसकी सदन की कमेटी गठित कर दीजिये और अगर यह बात सही है तो उस कलक्टर के खिलाफ

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

कार्यवाही करें। पत्रकार सिद्धार्थ जैन को जिस तरह पीटा, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, बाथरूम में बंद कर दिया, वहां गनमैन को बैठा दिया गया और यह कह दिया गया कि इसको निकलने न दें, यह सारी जो करतूत हुई है ब्यावर में, इसका कारण यह पत्रकार हैं, इन पत्रकारों ने राजस्थान में आग लगायी है, इन पत्रकारों ने यहां की जनता को जागरूक किया है इसलिए उनको पीटा गया। जो एफ. आई. आर. 31 तारीख की है उसमें सारे पत्रकारों के नाम हैं। अगर पत्रकार जनता की समस्याओं को शासन तक नहीं पहुंचायेंगे, जनता को जागरूक नहीं करेंगे तो पत्रकारों की क्या भूमिका है, सभापति महोदय क्या सरकार के अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है जिसकी जिम्मेदारी मुख्य मंत्रीजी की है, ऐसे पत्रकारों को पिटायेंगे तो कोगटा साहब, कल आपकी भी पिटाई होगी और यह तो क्या, मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि उस जे. ई एन. को पीटा, सभापति महोदय, सन् 1990 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की तो यहां के जो इस मन्त्री मण्डल के सदस्य थे उन्होंने एक ए. ई. एन. का अटरू में काला मुंह किया, काला मुंह करके गधे पर बैठाया, गधे पर बैठाकर उसको मार्केट में घुमाया, क्या उससे भी शर्मनाक घटना यह थी? क्या उससे भी ज्यादा थी? उससे भी ज्यादा क्या जनता ने किया था? आज वहां की महिलाएं आन्दोलित हैं, वहां के बच्चे आन्दोलित हैं। आज सब कह रहे हैं कि सरकार ने क्या किया पानी की व्यवस्था के बारे में वहां। पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। और यह पिटाई, माननीय सभापति महोदय, मरता क्या न करता। जिस आदमी ने यह सोच लिया कि मुझे मरना ही है तो वह सब कुछ हथकण्डे अपनायेगा। जनता आन्दोलित है। मेरी सबसे प्रथम मांग तो जलदाय मंत्रीजी से यह है कि आपको स्वयं वहां पर जाना चाहिए और वहां की जनता में जो इस तरह की बाते हैं, शिकवा-शिकायतें हैं और वहां के विधायकों को और कोगटाजी को भी साथ ले जाएं। चुड़ियां पहन ली तो कोई बात नहीं, पर इनको भी साथ ले जाएं। जलदाय मंत्रीजी बहुत भले आदमी हैं और अब यह भलेपन का काम नहीं रहा है, मंत्रीजी, यह आग बहुत भड़क चुकी है, आपको स्वयं बैठना पड़ेगा और अपने भलेपन का वहां की जनता को फायदा इस रूप में दे कि आप वहां बैठे जब तक पानी की पर्याप्त व्यवस्था चाहे टैंकरों से, चाहे कैसे भी हो, अजमेर और ब्यावर के लिए आप व्यवस्था करें। कल अजमेर में आग लगेगी, कल हमारे इलाके में आग लगेगी, आपने क्या दिया है बजट में? एक-एक निर्वाचन क्षेत्र में जो तीन-तीन सौ गांव हैं, सारे राज्य में आग लग जायेगी मंत्रीजी, अगर इस बात को आपने काबू में नहीं किया। चाहे आपकी तीस जिले तीस काम का पैसा हो, चाहे दूसरी योजनाओं का पैसा हो, इस साल आप सारा पैसा जलदाय विभाग को दे दें और आप ज्यादा से ज्यादा पानी के इन्तजामात करें, चाहे आपको स्कीम बनानी पड़े आपकी यह जनता जल योजना जो है, यह कोई चलने वाली नहीं है। आपको गर्मी के समय जल की, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, आज अजमेर और ब्यावर में हुई है, आपने कामां में भी गोलियां चलायीं थीं

(श्री परसादी लाल मीणा)

जब पहले आपका शासन था, आप जलदाय मंत्रीजी थे। वहां भी पानी के लिए लोग आन्दोलित हुए, वहां पर गोली चलायी थी, वहां पर लाठीचार्ज किया था। यह परिपाटी ठीक नहीं है। प्रजातंत्र में लोग जिस बात की कमी होगी उसकी मांग करेंगे। यहां उजला अरोड़ाजी ने और आपने भी, जब हम राज में थे, बहुत मटकों के प्रदर्शन कराये थे। याद है आपको ? अगर आपको याद है तो उन बातों को देखते हुए आपको पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और पत्रकारों के साथ, जनता के साथ, वकीलों के साथ जो असत्य मुकदमे दर्ज किये हैं, आपको मुख्य मंत्रीजी, सारे मुकदमे वापिस ले लेने चाहिए। आज भी बाजार नहीं खुल रहे हैं, आज भी ब्यावर बंद है, आज भी वहां पर लोग भयभीत हैं, मेरे से पूर्व मेरे बन्धु कह रहे थे, कल मेरे साथ आये थे, मैं बिलकुल सत्य बात कह रहा हूं सभापति महोदय कि पुलिस वालों ने औरतों को भी जाकर भद्दी-भद्दी गालियां दी हैं। अगर आप मकानों से निकली तो आपको भी देख लिया जायेगा। यह शत-प्रतिशत सही बात है, बच्चे तो भयभीत हैं ही, सारे वहां पर बन्द हैं, रेल भी बन्द हैं, बसें भी बन्द हैं। आप जलदाय मंत्रीजी, वहां पर स्वयं जाइये, आप जनता को आश्वस्त करिये और जाने से पहले आप वहां के सारे लोगों को रिहा कीजिये। लोगों पर जो मुकदमे दायर किये हैं, उनको विदड्रा करिये और वहां पर अमन और शांति का माहौल पैदा करिये। आप पानी की, चाहे कितना भी रुपया आपको लाना पड़े, आप वहां पर व्यवस्था करें, तभी राजस्थान में शांति होगी।

आपने समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री पूनमचन्द जी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी) : सभापति महोदय, आज ब्यावर में जो कुछ हुआ उसके सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया और उस पर विचार कर रहे हैं। उस विषय पर काफी माननीय सदस्यों ने, जो वहां पर गये थे, उन्होंने प्रकाश डाला, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं निवेदन करूंगा कि पेयजल की गम्भीर समस्या है। मैं बहुत लम्बे अर्से से इस सदन में निवेदन करता आया हूं कि हमने जो योजना बनायी है वह फौरेन टेक्नोलाजी और फौरेन ट्रेन्ड्स पर आधारित है और उसका नतीजा यह हो रहा है कि जहां पहले पेयजल की समस्या का प्रश्न ही नहीं था, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सब जगह पेयजल की समस्या हो रही है और अगर यह हालत रही तो दो साल के अन्दर ऐसे किस्से हमारे यहां पर होंगे कि लोग पेयजल के अभाव में मर जाएंगे, इसका कोई इलाज नहीं निकलेगा, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है।

दूसरी तरफ देखने की बात यह है कि एक एकड़ में एक इंच अगर बरसात हो तो 25 हजार गैलन पानी पड़ता है, यानी एक लाख लीटर और जैसलमेर और बीकानेर के कुछ हिस्सों को छोड़ कर बाकी जगह 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच जोधपुर में 12 इंच का एवरेज है, यह हो तो एक-एक जगह तीन-तीन लाख गैलन और 15-15 लाख

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

लीटर पानी एक एकड़ में बरसता है। इस पानी का यदि हम उपयोग ज्यादा से ज्यादा लेते हैं तो पेयजल के अभाव का कोई प्रश्न ही नहीं है ..

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : लेकिन हमने त्रुटिपूर्ण नीति यह बना दी कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, बड़े शहरों को छोड़ दीजिये, छोटे गांवों के अन्दर भी पेयजल योजनाएं हमने भूजल के ऊपर आधारित कर दीं। इधर कृषि का सिंचित क्षेत्र है वह बहुत बढ़ गया और सिंचाई के कुएं भी ज्यादा हो गये, नतीजा यह हो रहा है कि पानी कहीं 50 फीट, कहीं 60 फीट, कहीं 100 फीट और कहीं सवा सौ फीट गहरा चला गया। इसकी भी कुछ सीमा है। दो तीन साल के अन्दर भूजल है, वह करीब-करीब समाप्त हो जाएगा और यह भूजल जो एकत्र हुआ है यह हजारों और लाखों वर्षों में एकत्र हुआ है, इसका दुबारा पुनर्भरण बहुत आसानी से हो सके, यह सम्भव नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा सुझाव है कि गहन अध्ययन करके, सर्वेक्षण करके भूजल के स्तर को हम बढ़ा सकें, बरसात का पानी है, उसको जमीन में दाखिल कर सकें, यह योजना बनानी होगी।

दूसरा, यह कि जितनी भी ग्रामीण पेयजल योजनाएं हैं, उनमें दो महीने भूजल या कुओं से, नलकूपों से पानी लिया जाना चाहिये, 10 महीने का पानी हमको वर्षा का एकत्र कर लेना चाहिए। पहले अधिकतर गांव थे, जो तालाबों के ऊपर निर्भर करते थे। अब आबादी दो-ढाई गुणा बढ़ गयी तो इन तालाबों की क्षमता भी हमें दो-ढाई गुना बढ़ा देनी चाहिए थी लेकिन वह हमने नहीं किया। हमने उनको छोड़ दिया है, अवंडन कर दिया। उनका जो जल ग्रहण क्षेत्र था, वहां लोगों ने बस्तियां निर्मित कर दीं, वहां खेती कर दी, वहां खानें खोद कर गड्ढे कर दिये। नतीजा यह हुआ कि तालाबों का पानी काम में भी नहीं आ रहा है और वर्षा का जल तो तालाबों में ही एकत्रित किया जा सकता है। यह जो दुःखांतिका हमारे सामने आने वाली है इसका एक कारण यह है कि वर्षा के जल को हमने एकत्र नहीं किया। वर्षा के जल को चाहे टांकों में एकत्र करें, चाहे तालाबों में एकत्र करें और चाहे बांधों में एकत्र करें, यह जब तक नहीं करेंगे और इसके सम्बन्ध में तत्काल हम कोई विचार-विमर्श करके नीति नहीं बनायेंगे तो जैसा मैंने कहा, अपना भविष्य इस मामले में बहुत ही अंधकारमय है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि सरकार को इस साल और यहीं इस बैठक के अन्दर मुख्य मंत्रीजी को यह ऐलान करना चाहिए कि जितने भी राजस्थान में अच्छे से अच्छे तालाब हैं उन सबका सर्वेक्षण दुबारा कराया जायेगा, उनके अन्दर कितना अतिक्रमण हुआ है और अतिक्रमण अगर आसानी से हटाये जा सकते हैं तो वह अतिक्रमण हटाये जाने चाहिए। जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसको सुधारा जा सकता है तो उसकी सुधारने की योजना अकाल में बनानी चाहिए। अकाल में सड़कों और तालाबों की कायदे से खुदाई और एक वैज्ञानिक तरीके से तालाबों को सुधार सकें तो यह बहुत ही सहायक होंगे। तालाब के पानी के बारे में पेयजल के लिए विदेशों से

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जो पैसा आता है उसके सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि हमको विदेशी सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि तालाबों का पानी है, वह स्वच्छ पानी नहीं है, फिल्टर्ड पानी नहीं है, प्रोटेक्टेड वाटर जिसको बोलते हैं वह नहीं है। तो उसके लिए इतने वर्षों में तालाबों के पानी को आसान तरीकों से स्वच्छ बना सकें और उसको निर्मल बना सकें ऐसी टेक्नोलॉजी हम नहीं निकाल सके तो तालाब के पानी को स्वच्छ करके पेयजल के रूप में कैसे उपयोग में लिया जा सकता है दूसरा यह निर्णय हमारा आज का आज होना चाहिए ताकि तालाब के पानी को पीने के काम में ले सकें क्योंकि आज अच्छे-अच्छे तालाब हैं, आना सागर कितना सुन्दर और बढ़िया तालाब है और उसके अन्दर आबादी नहीं बसी होती, मकानात नहीं बने होते तो इसकी क्षमता को आसानी से दुगुना किया जा सकता था। लेकिन उसके अन्दर एक शहर का शहर ही बसा दिया। जोधपुर के पास जितने तालाब थे, बड़े-बड़े हमारे बांध थे, उन सबके अन्दर अनाप-शनाप, बेतरतीब खानें बना दीं। बालसमंद है, कायलाना है, दूसरे जितने भी इस तरह के छोटे-मोटे तालाब हैं उनको उससे भरना चाहिए और जोधपुर स्टेट में तो यह भी सिस्टम था कि अगर बांधों में थोड़ा-थोड़ा पानी आ जाता तो पम्प करके पानी को एकत्र कर देते थे एक या दो में, ताकि एक जगह पानी हो तो पानी का इवेपोरेशन और सीपेज दोनों ही बहुत कम होगा। तो इस तरह की योजना जब तक हम नहीं बनायेंगे तब तक पेयजल की समस्या को हम हल नहीं कर सकेंगे।

अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि पेयजल की समस्या को हल करने के लिए हमें राजस्थान नहर के पानी को, खेती के काम में नहीं लेकर पेयजल में काम में लेना चाहिए। हिमाचल से लाकर के अगर आप बाड़मेर के टीबों के अन्दर उपलब्ध कराओ तो बाड़मेर खुद में हीं, मैंने कहा ना कि एक एकड़ के अन्दर 25 हजार गैलन पानी, एक इंच बरसात हो, पड़ता है, लेकिन वहीं का वहीं एकत्र करने की विधियां आप निकालो। इसमें विधि कौनसी नयी निकालनी है, थोड़ा सा पक्का करना पड़ेगा, टांके निर्मित करने पड़ेंगे, तालाब पक्के बनाने पड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि व्यावहारिक ढंग से हमको इस पर विचार करना चाहिए वरना आप करोड़ों रुपये अगर व्यतीत कर देंगे तो भी आप पेयजल समस्या का कोई समुचित हल नहीं निकाल सकेंगे। यह मैं बहुत लम्बे अर्से से कहता आया हूं और दिनों दिन हम इस मामले में उलझते जा रहे हैं और आगे गर्मियों में स्थिति बहुत खराब होगी, आज भी यह स्थिति आ गयी है। अगले साल इससे ज्यादा खराब होगी तो इस पर बहुत गहराई से मुख्य मंत्रीजी आप विचार करके और इन्जीनियरों को बैठाकर के, इन्जीनियरों की ट्रेनिंग यह आयातीत ट्रेनिंग है, जो ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने में वह होशियार है लेकिन इसके उपयोग और पानी को एकत्र करने की विधियां, इसके बारे में उनको व्यवहारिक जानकारी नहीं है, अच्छे बांध, अच्छी बिल्डिंग यह सब कुछ यह बना सकते हैं लेकिन पानी का स्रोत नहीं होगा तो यह बने हुए काम क्या आयेंगे? तो यही मेरे सुझाव हैं, माननीय सभापति महोदय, इस पर गहराई से आपको विचार करना चाहिए।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम)। ब्यावर के बारे में कुछ नहीं कहा ...

श्री सभापति : यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, माननीय सदस्य।

श्री किशन मोटवानी : मुझे सदन को सूचना देनी है।

श्री सभापति : आप बिराजें, पूनमचन्द जी बोल रहे हैं, आप बिराजें, मोटवानी साहब।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने कह दिया, शुरूआत ही मैंने ब्यावर से किया है।

श्री सभापति : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री किशन मोटवानी : मुझे आपको सूचना देनी है। मैंने निवेदन किया था मुख्य मंत्रीजी से कि एग्रेवेट सिचुएशन न हो इसके लिए आप थोड़ा सार्थक कदम उठायें। अभी अभी सूचना आयी है कि उन्होंने गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी हैं। सुबह से 6–7 जनों को गिरफ्तार किया है और भी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, इससे कोई विकल्प नहीं निकलने वाला है जनता की जो स्वतः इच्छा आयी है उसको होने दीजिए उसको एग्रेवेट करने से आपको भी कोई फायदा नहीं, हमें भी कोई फायदा नहीं। It will be unnecessarily creating a fuss in the situation. इसलिए रुकवाइये इसको आप।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति जी, ब्यावर की पानी की समस्या के बारे में सदन में काफी चर्चा हुई ...

श्री सभापति : ब्यावर की भी है माननीय सदस्य और माननीय पूनमचन्द जी ने जैसा कहा, यह बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है केवल ब्यावर की नहीं सबके लिए होती जा रही है।

श्री शिवनाथ सिंह : आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। सभापति जी, एक से अधिक बार यहां चर्चा हो चुकी और जैसे-जैसे बातें प्रकाश में आती जाती हैं, शुरूआत हुई एक असिस्टेंट इंजीनियर से। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा, जब पानी की मांग यहां हो रही थी काफी ऊंचे-ऊंचे पुल बांधे गये थे अधिकारियों की प्रशंसा करने के। अब माननीय मंत्रीजी को आप कितना ही दोष दो लेकिन अभियन्ता, सहायक अभियन्ताओं पर नियन्त्रण तो अधिकारियों का ही होता है। आज मैं यह चाहूंगा कि वह अपने मन में सोचें कि किस प्रकार से पुल हमने बांधे थे और उसका नतीजा क्या आया? मैं उस सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा, सभापतिजी, पानी की समस्या है ब्यावर में और उसको हल करने के प्रयत्न भी किये हैं लेकिन पानी की समस्या अब गौण हो गयी है दूसरी समस्याएं ज्यादा आ गयी हैं और वह समस्याएं तीन रूप से हमारे सामने आयी हैं। पहला पी. एच. ई. डी. के उन अधिकारियों का व्यवहार जनता के सामने और खास तौर से महिलाओं के साथ क्या हुआ जो सिर्फ अपना दुःख रोने के लिए गयी थीं चाहे चूड़ियां साथ में लो, चाहे लुगड़े साथ में लो लेकिन वह बिना किसी पोलीटिकल

(श्री शिवनाथ सिंह)

पार्टी के अपना दुःख कहने के लिए गयी थीं और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। उसके बाद में प्रशासन ने एक रास्ता अपनाया और जो कुछ अखबारों में आया है, माननीय सदस्य वहां गये हैं, पत्रकारों के साथ में हुआ है वह सब इस बात का द्योतक है कि वहां प्रशासन ने पानी की गम्भीरता को छोड़कर सहायक अभियन्ता के साथ में यह घटना कैसे हो गयी उनके प्रतिरोध में एक तरह से बदला लेने की उन्होंने ठान ली। दुर्भाग्यवश उसी रोज मेरी भी एक समस्या थी उदयपुरवाटी के सम्बन्ध में, मुझे इस बैकग्राउण्ड का पता नहीं था और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बैकग्राउण्ड में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हमारे अधिकारी कब तक पिटते रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपके अधिकारी पिटें, कोई भी सभ्य नागरिक आपके किसी अधिकारी को पीटना नही चाहेगा क्योंकि वह भी हमारे भाई हैं, बन्धु हैं, बेटे हैं, कहीं बाहर से आये हुए नहीं हैं लेकिन उद्दण्डता की एक सीमा होती है उस सीमा को लांघने के बाद गुस्सा आता है और उस गुस्से में कोई भी व्यक्ति कुछ कर बैठता है तो उसको आप यह मत लो कि हम प्रशासन को चैलेन्ज कर रहे हैं। वहां गुस्से के अनुरूप में किसी ने व्यवहार कर दिया होगा लेकिन आप उस तह में क्यों नहीं जाते हो कि आपके सहायक अभियन्ता ने क्या किया। आज आवश्यकता इस बात की जांच की है कि आपके पी.एच.ई.डी. के वहां के लोकल लेवल के अधिकारियों ने क्या प्रिकाशन्स लिये और जिला प्रशासन ने क्या लिये ? माननीय सदस्य कह रहे हैं गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप सिचुएशन को जितना एग्रेवेट करना चाहें कर दें, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है लेकिन अन्त में भुगतना आपको ही पड़ेगा।

सभापतिजी, 31 तारीख को माननीय सदस्य यहां घरने पर बैठे थे उस वक्त इस बात को गम्भीरता से लिया जाता तो न अजमेर बंद होता, न किशनगढ़ बंद होता और न ब्यावर की हालत यह होती। प्रशासन ने सरकार को गहतफहमी में रखा और सरकार ने यह सोच लिया कि प्रशासन की जिम्मेदारी है वह जिस प्रकार से चाहे सिचुएशन को हैण्डिल करे, वह उसमें असफल रहे। आज सदन को पूरा काम छोड़ कर उस पर चर्चा करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। तो मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी जब विपक्ष के नेता की हैसियत से बात करते थे तो बिना किसी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी के उनका एक भी भाषण समाप्त नहीं होता था, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि न्यायिक जांच हो लेकिन हम तो जांच वह चाहते हैं जिसके रिजल्ट आयें और जो भी अधिकारी इसमें गलत पाये जाएं उनके खिलाफ कार्यवाही हो ताकि समूचे प्रदेश में इस प्रकार का एक अहसास हो कि कोई भी विभाग का अधिकारी कोई गड़बड़ करेगा तो उसको सजा मिलेगी।

सभापति जी, मैं पानी की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी ने यहां मांग के सम्बन्ध में घोषणाएं कीं, स्वागत योग्य है और उन घोषणाओं

(श्री शिवनाथ सिंह)

के अनुरूप सरकार की ओर से प्रयत्न भी किये गये। जिलों को रुपया दिया गया कंटीन्जेंसी प्लान में, जिलों में इस बात के लिए चर्चा चली, सुझाव आये लेकिन समस्या वहीं की वहीं है क्योंकि आपने जिस सद्भावना से राजस्थान की जनता की पानी की समस्या दूर करने के लिए, सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो एक प्रकार का वातावरण बनाया था वह नीचे के स्तर पर जाकर बिल्कुल समाप्त हो गया। आपने कई कमेटियों की घोषणा की, न कोई कमेटी बनी है और न कोई बात है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पी.एच.ई.डी. और बिजली विभाग इन दोनों में सामंजस्य नहीं है। आपने घोषणा की कि कुओं को हम, आपकी जल धारा कौनसी है उसमें लेंगे। लोग मोटर लगाना चाहेंगे उसमें हम पूरा खर्चा करेंगे, लेकिन माननीय मंत्री महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपने जितना रुपया दिया है, जिलों को अलाट किया है और मेरे ख्याल से हमारे जिले को 75 लाख रुपया दिया है। कम नहीं है, बहुत रुपया है लेकिन उससे तो 15 कनेक्शन भी नहीं हो पायेंगे। आज बिजली विभाग इतनी बड़ी डिमाण्ड करता है एक कुए को जिस पर एक पोल नहीं लगाना है और उसको मोटर चालू करने के लिए डेढ़-डेढ़, दो-दो लाख रुपये का एस्टीमेट देता है। सभापति जी, रुपया सरकार का है। चाहे पी.एच.ई.डी. दे, चाहे बिजली बोर्ड भुगते, कुछ भी करे लेकिन यह सामंजस्य आपको बैठाना पड़ेगा। आपने जो घोषणाएं की है उसमें सबसे बड़ी बाधक जो चीज है वह बिजली विभाग आ रहा है और बिजली के कनेक्शन यदि आपकी मांग पर मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती है।

सभापति जी, दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा कि साधन हमारे पास हैं जैसा माननीय पूनम चन्द जी ने कहा, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि गांवों में और खास तौर से रेगिस्तानी इलाका चाहे चूरू हो, बीकानेर हो, गंगानगर हो, झुन्झुनूं, सीकर हो सब में बड़े-बड़े टांके, बड़े-बड़े तालाब बने हुए हैं उनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया और आज यह सुझाव इनका बहुत समय के अनुसार है कि उन टांकों में, उन जोहड़ों और उन बांधों या उन तालाबों का पानी शुद्ध करके हम लोगों को दे पायें तो आपका बहुत बड़ा बर्डन जो अण्डरग्राउण्ड वाटर पर है वह मिट जायेगा।

सभापति जी, आज छोटे-छोटे एनीकट बांध बनाये जा सकते हैं। पानी को प्रिजर्व किया जा सकता है लेकिन सिंचाई विभाग आपका को-आपरेट नही करता है, अण्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड को-आपरेट नहीं करता है तो इन सब विभागों को जिनका पानी से सम्बन्ध है चाहे इरिगेशन हो, चाहे सोइल कन्जर्वेशन हो, चाहे पी.एच.ई.डी. हो और चाहे बिजली विभाग हो। यह चार विभाग यदि यह मन बना लें कि हमको इस पानी की समस्या का निराकरण करना है तो निराकरण हो जायेगा। हमारे पास वर्षा अभी तक उतनी सूखी नहीं है। कहीं बीस इंच और कहीं तीस इंच और कहीं उससे भी अधिक होती है। वर्षा का पानी हम प्रिजर्व कर लें चाहे कोई भी डिपार्टमेंट करे

(श्री शिवनाथ सिंह)

तो पीने के पानी की समस्या देहात के अन्दर बहुत कुछ हल हो सकती है इसलिए इस ओर भी हमको ध्यान देना चाहिए।

सभापति जी, सबसे बड़ी समस्या जैसा मैंने निवेदन किया आपके लोअर लेवल का स्टाफ बहुत बड़ा बाधक है आपकी समस्या को हल करने में। यदि कोई सही आदमी होता तो ब्यावर की समस्या इतनी फ्लेरअप नहीं होती और यह ब्यावर अकेला नहीं है। हर जगह जहां-जहां भी आपके कर्मचारी कार्यरत हैं या तो वह काम नहीं करते, समय पर टंकियां नहीं भरते हैं और उनका व्यवहार जनता के साथ बड़ा दुखदायी होता है। इसलिए उस स्तर पर चाहे मन्त्री महोदय आप करें चाहे आप अपने विभाग के किसी अधिकारी को यह जिम्मा सौंपे कि जनता की कोई भी शिकायत आये उसका निराकरण जल्दी हो। आप यह बात तो सोचकर चलते हैं, आपके अधिकारी इस बात को सोचकर चलते हैं कि जनता की तरफ से जो शिकायत आती है वह 100 में से 99 असत्य होती है और हमारा अधिकारी सही है। यदि हम अपने अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे तो वह डिमोरलाइज होगा। मंत्री महोदय एक महीने के लिये आप यह मान लो कि 100 में से 100 शिकायतें सही हैं। उनका निराकरण आप करना शुरू कीजिये। हो सकता है कि आपके पांच-दस अधिकारियों के खिलाफ गलत कार्यवाही हो लेकिन उसका असर पूरे राजस्थान में पड़ेगा और नीचे के स्टाफ को आप प्रोटेक्ट मत कीजिये, अनावश्यक रूप से हम इसको पेनेलाइज भी नहीं करना चाहते लेकिन इस प्रकार का व्यवहार आप करें और आपका एक दिमाग होना चाहिये, आपका सन्देश लोअर ग्रेड तक पहुंचना चाहिये। कोई भी कहीं खामी होगी तो उस खामी को दूर करने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे।

मैं कोई विशेष नहीं कहना चाहता, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आपका नियन्त्रण ढीला है उसको ठीक कीजिये और वर्षा के पानी को प्रिजर्व करके, इसको शुद्ध करके लोगों को बांटेंगे तो उससे काफी राहत लोगों को मिलेगी। ब्यावर के मामले में जो कुछ घटना घटी है उसकी आप जुडिशियल इन्क्वायरी करवाओ या मजिस्ट्रेट की कोई इन्क्वायरी करवाओ, जैसा आप ठीक समझो करवाओ, हम आपको उसके लिये बाध्य नहीं करते कि कौनसी इन्क्वायरी हो लेकिन उसके रिजल्ट आने चाहिये। अजमेर के लोगों को, ब्यावर के लोगों को यह महसूस होना चाहिये कि हमारे साथ ज्यादती हुई और उस ज्यादती की ऊपर जांच हुई और जांच होकर जो दोषी अधिकारी हैं उनको बख्शा नहीं गया। चाहे कलक्टर हो, मैं कहता हूं कलक्टर जिले का मालिक होता है लेकिन जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा कि एक पत्रकार को बाल पकड़ कर घीसा गया, हो सकता है यह बात अतिश्योक्तिपूर्ण हो लेकिन इतना जरूर है कि उस पत्रकार के साथ में कलक्टर द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। चाहे कितना ही बड़ा आफिसर हो इस मामले में ढील नहीं बरतें। और सदन का जो समय खास तौर से इस बात के लिए लिया गया है उसका एक रिजल्ट आना चाहिये। आपके अधिकारियों तक और प्रशासन तक

(श्री शिवनाथ सिंह)

यह जाना चाहिये कि सदन चाहता है, सरकार चाहती है और पूरी विधान सभा इसके लिये चिन्तित है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। इसको कितना लम्बा चलाना है।

श्री शिवनाथ सिंह : आज तो पूरा ही चलेगा। डट करके चलाओ आप।

श्रीमती कमला (बैराठ) : मैं बोल लूं आपकी इजाजत हो तो ?

श्री सभापति : श्रीमती कमलाजी। आपके सबके नाम है, सबको बुलाऊंगा।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, ब्यावर में जिस प्रकार की घटना घटी है और उस घटना के सन्दर्भ में जिस प्रकार के तथ्य और स्थितियां सामने प्रस्तुत हुई हैं, सारा सदन इस बात को मानता है कि विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य भी अगर तथ्यों को सही मानकर, इसका आंकलन करेंगे तो स्वयं इस बात को महसूस करेंगे कि इस तरह की घटना प्रजातन्त्र में होना अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, सोचनीय है। जिस तरह से छोटे-छोटे बच्चों के ऊपर वृद्धों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, वकीलों के ऊपर, आम जनता के लोगों के ऊपर प्रहार किया गया, उन्हें बेइज्जत किया गया, उनके सिर पर चोटें आयी हैं, उन्हें घायल किया गया है, यह अपने आप में प्रशासन की जो संजीदगी होनी चाहिये, संवेदनशीलता होनी चाहिये और अच्छा मेनेज करने, हैण्डल करने के टैक्ट होने चाहिये उसकी कमी के कारण से हुआ है। घटनाएं घटती रहती हैं, उन घटनाओं के पीछे कारण भी होते हैं और कारण माननीय सदस्यों ने खूब विस्तार से कारण बताये हैं, हालात भी बताये हैं लेकिन प्रशासन किस प्रकार से आपे से बाहर हो गया और उसके कारण से किस तरह की दर्दनाक और शर्मनाक घटना घटी यह आगे ना हो इसके लिये जरूरी है कि सदन की एक कमेटी बनाकर उसकी जांच करवायी जाय और जांच करवाने के बाद उसके ऊपर मुकम्मल, पुख्ता एक्शन किया जाय। चाहे वह जनता के हक में हो, चाहे प्रशासन को सुधारने के दृष्टिकोण से हो। मैं इस मामले में ज्यादा लम्बी चौड़ी बात न कह कर इतना निवेदन करना चाहती हूं कि जहां ब्यावर में इस तरह की घटना घटी हो, अजमेर में जहां गम्भीरता से पेयजल संकट हो, आपका सारा रेगिस्तानी इलाका जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, झुन्झुनूं, सीकर आदि जो पेयजल संकट से भयानक रूप से त्रस्त हैं और उसके बाद अगर उसके सन्दर्भ में मैं जयपुर से बोलूं तो मैं समझती हूं आप लोग चकित होंगे कि जयपुर वाले भी क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने एक दिन कहा था कि किसी समाज, किसी व्यवस्था और संस्कृति का, उसके उत्थान, उन्नयन, पतन से अगर कोई अन्दाज लगाना हो, मापदण्ड करना हो तो उसका मापदण्ड महिला है। उसी तरह मैं कहना चाहती हूं कि पेयजल की समस्या कितनी गम्भीर है और कितनी व्यापक तैयारी और कितनी सख्त मानीटरिंग इसके लिये चाहिये इससे जाहिर होता है कि जयपुर जैसे

(श्रीमती कमला)

जिले में भी पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है और यह बात इसलिये हो रही है कि जितनी व्यापक आवश्यकता है, जितनी व्यापक परेशानी है उसके मुकाबले में सरकार के पास में न अर्थ है न योजना है, न क्रियान्विती की मुकम्मल व्यवस्था है और इसीलिये यह सारी की सारी स्थितियां पैदा हुई हैं। तो मेरा एक निवेदन तो यह है कि इस समस्या को आप जितनी गहरी लाल स्याही से अण्डर लाइन करके लिख, कुछ और निशान जो आप लगा सकते हैं लगाइये, यही बहुत व्यापक और गहन समस्या राजस्थान के सामने उपस्थित है जो आज तक के सालों में इतनी नहीं हुई। इसलिये उस दृष्टि से, इतनी व्यापक गहराई से, सतर्कता से, जागरूकता से उसको व्यवस्थित करने की चेष्टा करें।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि जिस प्रकार से यह समस्या धीरे-धीरे करके पैदा हुई है उसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि हमने जल संरक्षण का कार्य पूरी तरह से छोड़ दिया है। हमने या तो इरिगेशन डिपार्टमेंट से जो उनके क्राइटेरिया में, फिजिबिलिटि क्राइटेरिया जो बनता है उस क्राइटेरिया में कई बांध आये तो हम लेते गये और कई बांध हमने ऐसे लिये कि एक ही नदी के फ्लो में हमने चार-चार बांध बना दिये तो ऊपर वाले रिडंडेंट होते गये या नीचे वाले रिडंडेट होते गये और नतीजा यह हुआ कि पैसा चार बांध पर खर्च हो गया और उपयोग सिर्फ एक या दो बांधों का हुआ। तो कई जगह तो यह स्थितियां बनीं और कई जगह यह स्थितियां बनीं कि लाखों करोड़ों रुपया लगा करके भी वह इरिगेशन की स्कीम्स नहीं बन पायी, वह छोटी-मोटी स्कीम्स बन करके रह गयी। ... (व्यवधान) किसको क्या तकलीफ हो रही है ? क्या तकलीफ हो रही है आपको ?

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : ए. सी. कम है, पसीने आ रहे हैं। मैंने कहा हाउस गरम हो रहा है।

श्रीमती कमला : आपको तकलीफ क्या है ? पानी पीना है क्या ?

श्री सभापति : इनको तकलीफ यह है कि माननीय सदस्य आपको ठण्ड से तकलीफ हो रही थी उनको गर्मी से तकलीफ हो रही है।

श्रीमती कमला : हां, तो थोड़ी बीच की चीज होनी चाहिये ना। आप ऐसी व्यवस्था दो। या तो आर या तो पार। यह थोड़े ही होता है। एक नम्बर पर चलवायें। यह ऐसा ही करते हैं कि या तो बिलकुल बंद कर देते हैं या एकदम तेज कर देते हैं।

श्री सभापति : बीच की व्यवस्था करेंगे।

श्रीमती कमला : बीच की व्यवस्था करवाइये। तो मेरा यह निवेदन है कि मैंने मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिख कर दिया है कि हम वर्षा से जो पानी आता है और जो नीचे ग्राउण्ड वाटर है उन दोनों का भरपूर सदुपयोग बहुत लम्बी योजना बना कर कर सकें। चाहे छोटे-छोटे कदमों से उनको करना पड़े, तो हमको एक अलग महकमा उसके लिये बनाना चाहिये, जल

(श्रीमती कमला)

संरक्षण एवं भू-जल उपयोग विभाग। क्योंकि आज जो आपके पास भू-जल विभाग है उसने कितना काम कर रखा है उसका भी हम उपयोग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। उपयोग के लिये एक अलग से महकमा बनाने के लिये सुझाव उनको दिये हैं। जो जल संरक्षण का काम है वह 3-4 तरीके से कर सकते हैं, जो करना जरूरी है। एक तो माननीय पूनमचन्दजी ने बताया कि पुराने जमाने में जब कभी अकाल पड़ता था तो सबसे पहले ग्रामवाइज तालाब की खुदाई होती थी; पाल टूट गयी तो उसको बनाने का काम होता था, उसमें मजदूर भी खूब लगते थे और बरसात के समय में उसमें पानी अच्छा भर जाता था लेकिन पिछले कुछ समय में हमने क्या किया ? स्थायी उपयोग के काम हमको करने चाहिये। स्थायी उपयोग के हम क्या काम कर रहे हैं ? सड़क शुरू की, उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी और रेला डाला और उसके बाद अकाल खत्म हो गया तो वहीं की वहीं पड़ी रह गयी। एक हमने मकानात बनाये स्कूल के, दवाखाने के और एक कमरा बनाया दूसरा आधा बना था इतने में अकाल खतम हो गया तो वह भी खतम हो गया। तो वह करें। लेकिन यह एक इतनी जरूरी चीज है। मैं जैसलमेर जिले की इन्चार्ज थी, इन्दिरा गांधी नहर मंत्री भी थी उस नाते मैं वहां इतनी बार गयी हूं और इतने-इतने, नये-नये कामों की कोशिश की तो एक हमने और कलेक्टर महोदय जो आज डायरेक्टर ट्यूरिज्म हैं ललित जी पंवार, हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि वहां पर अगर पानी पड़ता है नीचे पोरस है, जमीनी टीले हैं इसलिये पानी पी जाते हैं तो वहां पर पानी पीने के लिये बचता नहीं था इसलिये कई जगह पर एक आजमाइश की गयी कि उनकी बैड के अन्दर पालिथीन लगा दी जाय तो पानी एक महीने में नीचे चला जाता था वह पानी 6-6 महीने तक वहां रहता था और मवेशी का जो मुख्य धन्धा वहां पर है वह उसको करवाते थे। नीचे पानी जाने के लिए तो वह ठीक है, जहां-जहां जरूरत है जाए लेकिन जहां ऊपर पानी की जरूरत है उसके लिए रोकने का यह भी एक इन्तजाम कुछ ट्रायल पर किया था।

तीसरा, मेरा सुझाव है कि यह तालाबों वाला प्रोग्राम गांव-गांव में सर्वे करा कर, पंचायत समितियों से उसका पूरा ब्यौरा लेकर के, आपकी सरकार के पास, और रस नये महकमे के पास आप मंगवायें और मंगाकर के आप योजनाबद्ध तरीके से इनको सब को वापस केचमेंट एरिया फ्री हो सकता है या नहीं हो सकता है, किसी और तरीके से उसमें पानी आ सकता है, उसको देखना चाहिए।

जो एनीकट हैं, एनीकट के बारे में, ऐसी पाबंदी लगा दी कि एनीकट अकाल में नहीं बनेंगे और न वैसे बनेंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि एनीकट का बनाना बहुत जरूरी हैं। आज जो वाटर फ्लो करता है किसी रिवर में या किसी नाले में या किसी और छोटे नदी-नाले में, जितना उसका फ्लो है, उसका इण्टेक हैं उसके हिसाब से एक जगह बड़ा बांध न बना कर के जगह-जगह छोटे एनीकट्स अगर हम बनाते हैं तो वह सारे एरिया में, जहां-जहां वह शुरू होता हैं वहां से लेकर जहां उसका अन्त हैं

(श्रीमती कमला)

वहां तक अगर हम चार-पांच जगह छोटे एनीकट बनाते हैं और पानी ओवर फ्लो इसके आगे से आगे जाता रहता है तो वह एरिया ड्राई नहीं होगा और उसके कारण से उसके आस-पास के दोनों तरफ के इलाके में पानी की सप्लाई होगी और कुओं का जल स्तर बढ़ेगा। इसलिए इस बात को मैंने, जो माननीय सिंचाई मंत्रीजी हैं, उन्होंने कुछ सुझाव मांगे थे, उसमें यह लिखा है कि आप अगर इसमें नहीं कर सकते हो तो उसके लिए मैंने लिखा है मुख्य मंत्रीजी वाली चिट्ठी में, कि इसमें एनीकट तो यह जो महकमा वाटर कंजर्वेशन एण्ड यूज आफ ग्राउण्ड वाटर....

श्री सभापति : सुनिये, माननीय सदस्य। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं; आप सुनिये।

श्रीमती कमला : इसके लिए मैंने लिखा है, कि एक तरफ इस तरह के तालाब हैं, एनीकट हैं जो फ्लड से डेमेज होते हैं उनको रोकने के लिए, उसके डाट लगाने की बात कहो या कुछ भी कहो, तो फ्लड वाटर कण्ट्रोल के तहत जो काम हो सकते हैं वह सब आप इसमें लें। इसके बाद जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें माइनर इरिगेशन प्रोग्राम होता है, माइनर इरिगेशन प्रोग्राम में बहुत कम ऐसे बंधे हैं जिनकी धाराएं खोलकर, चैनल्स बनाकर के या नहरें बना कर के जिनसे कि कोई खास सब्स्टेंशियल उसकी सिंचाई हो सकती हो इसलिए उनको ज्यादातर हम लोग बी. सी. रेश्यो सही कर के बना तो देते हैं लेकिन एक्चुअल इरिगेशन नहीं होती है इसलिए माइनर इरिगेशन जिनसे सिंचाई नहीं हो सकती उनको भी हमें इस महकमे के नीचे डालना चाहिए। यह तीनों चीजें अगर हम करते हैं तो हम यह समझते हैं कि आने वाले कुछ सालों में एक-एक बूंद पानी को हम किस तरह से रोक सकते हैं, यह हमारा इन्तजाम इनके जरिए से होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक इतनी बड़ी दर्दनाक घटना है कि जितने पुराने वक्त में बंधे टूट जाते हैं वर्षों तक उनकी कोई मरम्मत नहीं करता। नये बंधे बनाने में तो महकमा बहुत इंट्रेस्टेड होता है लेकिन पुराने बंधों की मरम्मत वर्षों तक नहीं होती। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय अध्यक्ष महोदय को और माननीय सदस्यों को ऐसे-ऐसे बंधों पर ले चल सकती हूं कि जो किसी वक्त में बहुत बढ़िया बंधे थे लेकिन इतनी मोटी फाइल मरम्मत के लिए बनाते-बनाते भी न हमारे राज में उनकी मरम्मत हुई न आज के राज में मरम्मत हुई। आज हालत यह हो गयी है कि रेत की चौपट जमीन हो गयी है। अब आप बताइये, उसको वापस बनाने के लिए फिर उतना ही पैसा चाहिए जितना कि पहले उनको बनाया था। अभी ऐसे और बहुत बंधे पड़े हैं जिनकी एक तरफ की दीवार टूट गयी और उसको सुधारा नहीं जा रहा है। धीरे-धीरे कर के वह पूरी खतम हो जाएगी फिर साइड वाली हो जाएगी। मैंने अभी मेरे यहां के इलाके के कम से कम 15 ऐसे बंधों और एनीकट की लिस्ट बनाकर दी है कि जो पिछले तीन-चार साल पहले बने थे या सात-आठ साल पहले बने थे, उनकी मरम्मत पर पिछले सालों में एक पैसा भी नहीं लगाया और वह बंधे टूटे पड़े हैं और हालत

(श्रीमती कमला)

यह होगी कि कुछ समय में वह भी ऐसे हो जाएंगे जैसे उन दो बंधों की हालत मैं आपको बता रही हूं। इसलिए इस सम्बन्ध में हमें भरपूर पैसा रखना चाहिए कि जो बंधे पहले बने थे और टूट गये, तो उनका, जैसे यह किया कि 10 दिन के अन्दर-अन्दर अगर ट्रांसफार्मर जल गया है तो रिप्लेस हो जायेगा, तो इस तरह से अगर बना हुआ बंधा, कोई काम करता हुआ बंधा टूट गया तो कम से कम एक बजट सेशन के अन्दर उसकी मरम्मत जरूर हो जाएगी, इस तरह का कुछ प्रावधान इसमें हमें रखना चाहिए वरना आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे हम छोड़ते जायेंगे।

सभापति महोदय, एक मेरा निवेदन है कि यह जो हैण्डपम्प की स्कीम है इसकी भी जांच करनी चाहिए, रिव्यू करनी चाहिए। जहां यह उपयोगी हो वहीं लगानी चाहिए। हमने एक जनरल फैसला कर दिया, जहां उपयोगी नहीं है वहां हमने भी लगा दिये, इसलिए जहां लगाये गये हैं उनमें हजारों हैण्डपम्प खराब पड़े हैं। यहां पर घोषणा भी की गयी, बताया भी गया मीटिंगों में कि हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं, मेरा निवेदन है, माननीय मंत्रीजी, कि जो-जो हैण्डपम्प्स खराब होकर आइडेंटिफाई हो चुके हैं उनकी मानीटरिंग के लिए आप पंचायत समिति लेवल पर एक कमेटी बना दे जिसमें आपके अधिकारीगण भी हों और जन प्रतिनिधि भी हों तो यह पता लगे कि कहां-कहां पर आपने क्या-क्या ठीक कर दिया और कितने दिन के लिए ठीक कर दिया। अगर ऐसा ही ठीक किया है कि दस-पांच दिन बाद में वापस खराब हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मानीटरिंग के लिए एक कमेटी आपको बनानी चाहिये। जो ठीक हो सकते हैं उनको भरपूर चेष्टा करके ठीक कराना चाहिए और जो ठीक नहीं हो सकते हैं उनकी जगह नये लगाने चाहिये। नये लगाने के लिये यह है कि जब तक आप भरपूर पैसा नहीं लगायेंगे, माननीय सभापति महोदय, यह पैसे का मामला है बिना पैसे के यह काम नहीं हो सकते और जितना पैसा आपके पास है उससे काम चल नहीं सकता इसलिये नये लगाने के लिए जो जल योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, टंकी बननी है, पाइप लाइन मौहल्लों में जानी है या उनके पास के छोटे गांवों के अन्दर जाना है, वह सारे अधूरे पड़े हैं तो उनके लिए पैसा चाहिये, नये लगाने के लिये पैसा चाहिए, सुधारने के लिये पैसा चाहिये। अब पैसा सीमित है तो पैसा कहीं से भी लेकर आना बहुत जरूरी है और यह नयी जो जल योजना है, पूरी करनी है। आपने एक जनता जल योजना दी, जनता जल योजना में आप क्या चाह रहे हैं जनता से कि जनता अगर मोटर लगा दे तो हम वहां पर ड्रिलिंग करके और बोरिंग करके आपको कुआ सम्भला देंगे। सभापति महोदय, उस दिन आप भी मीटिंग में थे, अपन ने यह कहा कि हम मोटर तो आपको ला देंगे लेकिन अपन यह समझें कि वह दस हजार, बारह हजार की मोटर आती है वह आप कह रहे हैं लेकिन वह तो बोरिंग के बाद जो मोटर लगेगी वह जनता के बस की बात थोड़ी है। तो, इसलिये आप जनता से कुछ पर्सेण्टेज पैसा जहां की भी जनता दे

(श्रीमती कमला)

सकती है, आप पता करा लीजिये, कुछ गांवों में ऐसे लोग हो सकते हैं कोई दस पर्सेण्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कोई पन्द्रह पर्सेण्ट, कोई बीस पर्सेण्ट कंट्रीब्यूशन, तो इतना कंट्रीब्यूशन तो जनता कर सकती है लेकिन आप जनता से यह चाहें कि तीस-तीस, चालीस-चालीस हजार रुपये के कंट्रीब्यूशन जनता कर सके, ऐसे हमारे इधर तो कोई गांव हैं नहीं लेकिन ठीक है बड़े-बड़े सेठों के कोई गांव हों, कोई बीकानेर साइड में, झुंझुनूं और सीकर सोइड में या कोई और जगह पर तो उनके गांवों में तो भले ही कुछ करा सकते हैं. बाकी आम तौर पर पब्लिक इसका कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। इसलिए जनता जल योजना जो आपने चलायी है उसको व्यावहारिक बनाकर पांच, दस, पन्द्रह और बीस पर्सेण्ट तक आप पैसा लेना चाहें या उसका कोई एक उपकरण के लिए आप तय करना चाहें तो वह फिर भी हो सकता है बाकी यह उस तरीके से नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, यह जो नलकूप हैं इनका हम बिलकुल उपयोग नहीं करते। अनेक जगह, गवर्नर महोदय के अभिभाषण के वक्त भी, आपके बजट भाषण के वक्त भी, लिखित में भी खूब लिख चुके हैं कि जो ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने अपनी सेमी डिटेल्ड और डिटेल्ड सर्वे के मुताबिक हरेक जगह की रिपोर्ट्स तैयार की हुई हैं, पाइंट्स आइडेंटिफाई किये हुए हैं वहां पर आप स्कीम लगाइये जहां उन्होंने एक्सप्लोर करके छोड़ा हुआ है उसको तो सीधा ही आप टेकअप कर सकते हैं, जहां उन्होंने सिर्फ पाइंट आइडेंटिफाई किये हैं उनको एक्सप्लोर आप उनसे करा सकते हैं तो रीजनल या ग्रुप ऑफ विलेजेज की ट्यूबवैल स्कीम भी आपको हाथ में लेनी चाहिए जिससे कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें ग्राउण्ड वाटर को, जितना भी आपके पास अवेलेबल है।

आपने जो जल धारा बनायी है, माननीय, आपका उससे ताल्लुक नहीं है, उससे ताल्लुक पंचायत राज मंत्रीजी का या एस. एस. ओ. वालों का है। जल धारा में यह शर्त लगा दी है कि जो कोई कुआ बनाता है उसकी रिपोर्ट करने के लिए आप अगर नोशनल शेयर किसी का बनाना है तो नहीं बनायेंगे, आपके नाम से तो कुआ ही नहीं है

(14.00)

इसलिए हम आपको नहीं देंगे। कलक्टर साहब को हमने कहा था कि आप तीन चार चीजों का इसमें उल्लेख कर दीजिये कि जिसका नोशनल शेयर जितना बनता है उसका उसमें शेयर है तो उसको मंजूर कर देंगे, हम लघु और सीमान्त किसानों को भी मंजूर कर देंगे। उसमें यह कर रखा है कि जो बिलो पावर्टी लाइन लोग सलेक्टेड हैं उनको हम देंगे। तो बिलो पावर्टी लाइन जो लोग हैं वह तो ज्यादातर वे हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं और जिनके पास छोटी जमीनें हैं वह बहुत मुश्किल से छोटा-सा पर्सेण्टेज आते हैं। इसलिए लघु सीमान्त कृषक और नोशनल शेयर वाले कृषक, इन सबको उसके अन्दर डालना चाहिए जिससे कि लोग अपने प्रयत्न से उन कुओं को खोद

(श्रीमती कमला)

सकें, उनमें पानी आये तो कुछ समस्या उससे हल हो।

एक अन्त में मेरा यह निवेदन है कि आज किसान यह कह रहा है कि आप ड्रिलिंग के अन्दर थोड़ा अगर कन्सेशन कर दें रेट्स के अन्दर तो हम अपने कुए को खुद ही ड्रिल करा लेंगे, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। इतनी भारी उसकी रेट्स होती हैं कि सारा का सारा खर्चा किसान या गांव वाले जनरल जो अपना कुआ होता है उसको ड्रिल करने की क्षमता नहीं रख सकते। इसलिए ड्रिलिंग की रेट्स में इस अकाल के समय में, भयंकर पेयजल की समस्या के समय में, हमें कुछ कमी करनी चाहिए, मेरा यही निवेदन है। और भी बहुत सी बातें हरेक जगह से, आपको वैज्ञानिकों से, विशेषज्ञों से मिल सकती हैं पर बैठकर मेहरबानी करके एक लम्बे समय की, योजनाबद्ध तरीके से पुख्ता ढंग की कारगर कार्य योजना तैयार करिये जिससे कि आने वाले समय में हम इस संकट को और गहराने न दें। इस मौजूदा संकट से उभरने के लिए आप कहीं से भी लाइये, आपको पैसा लाकर इंतजाम करना पड़ेगा यह मानकर आप तत्परता से पैसे का इंतजाम कराइये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह महुआ। (अनुपस्थित)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : सभापति महोदय, ब्यावर में पानी की समस्या को लेकर पिछले कुछ अरसे से सरकार को जगाने की कोशिश की गयी। महिलाओं ने प्रदर्शन किया, सरकार नहीं जागी। जनता ने प्रदर्शन किया, सरकार नहीं जागी। आखिर जनता के पास कौन-सा हथियार था कि जिससे राजस्थान की और खास तौर से ब्यावर की, अजमेर की पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को जनता जगाये? ब्यावर की जनता ने शायद उम्मीद रखी होगी कि आजकल उधर बैठने वाले लोग जब इधर बैठा करते थे तो घड़े फोड़ा करते थे, शायद उनके माथे घड़ा फोड़ा जाय तो उनकी नींद जागे। उसका भी असर नहीं हुआ। प्रदर्शन किया, शायद प्रशासन को वह भी पसन्द नहीं आया। पीने के पानी की मांग जनता करती है और उन पर लाठी की बौछार यदि यह सरकार करती है, बड़े शर्म की बात है। और सरकार भी कौन-सी? जो लोक कल्याणकारी राज चलाने वाली सरकार है, संवेदनशील सरकार है, गरीब को गणेश मानकर उसकी पूजा करने वाली सरकार है। उसके बाद उसका क्या हश्र हुआ?' मेरे से पहले जिक्र करने वाले माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की। पिछले 40 वर्ष में विरोध पक्ष में बैठते हुए जिन लोगों ने पानी के लिए घड़े फोड़े, पानी के लिए आन्दोलन किया, पेयजल की समस्या के समाधान के लिए संघर्ष किया, गिरफ्तारी दी, वे लोग गूंगे और बहरे होकर इस प्रकार से बैठ जायेंगे, इस बात की जनता कल्पना नहीं करती थी। जब कांग्रेस शासन में थी तो ये लोग प्रदर्शन करते थे। अब जनता प्रदर्शन करती है तो इनको पसन्द नहीं आता। मुझे तो एक पंक्ति याद आ जाती है,

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

"हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं
बदनाम,
वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं
होती।"

सभापति महोदय, अभी सदस्य फरमा रहे थे कि पत्रकारों के बाल पकड़कर कलक्टर खुद खींचे, घसीटे, पीटे और उसके बाद यदि जांच की मांग भी कर लें तो क्या होने वाला है। ताज्जुब होता है, प्रशासन आदेश देता है या खुद पिटाई करना जनता की शुरू कर देता है और वह भी पानी की मांग पर? माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये, पीने के पानी की समस्या का समाधान करने की बात कही। आज पीने के पानी की डिमाण्ड नहीं है, इरिगेशन की भी डिमाण्ड नहीं है, सवाल इस बात का है कि राजस्थान की प्यासी जनता को यदि आप पानी नहीं दोगे तो जनता को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सड़कों पर जनता उतरी है, कांग्रेस पार्टी ने उनको बरगलाया नहीं। उसके बावजूद भी यदि आपकी आंखें मींचकर बैठने की नीयत है तो राजस्थान की जनता बरदाश्त नहीं करेगी। विपक्षी सदस्य होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व है कि हम आपके कानों में आवाज को पहुंचा कर आपको नींद से जगायें।

आदरणीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से आपको यह जानकर बड़ी तकलीफ हुई होगी। 7-8 दिन तक यदि किसी शहर को पानी आप नहीं पिलाओ, क्या करेंगे लोग? सौ से 144 घंटों तक पानी नहीं आये तो क्या करेंगे लोग? पैसा आप खर्च करते हैं, योजनाएं आप बनाते हैं, पाइप लाइन आप बिछाते हैं लेकिन उसके बावजूद यदि प्रशासन निकम्मा बनकर बैठ जाय और उसका परिणाम जनता को लाठियों के रूप में भुगतना पड़ेगा तो जनता चुप होकर नहीं बैठ सकेगी। सभापति महोदय, पानी मांगा, महिलाओं ने प्रदर्शन किया, मजबूर होकर जनता ने प्रदर्शन किया और बदले में सरकारी नुमाइंदों ने लाठीचार्ज किया। आखिर किस पर? आपको जानकर आश्चर्य होगा, कोर्ट में जाकर वकीलों को पीटा गया, पत्रकारों को जीप से उतारकर पीटा गया। जिन-जिन लोगों को पीटा और पकड़ा गया है अगर मैं फहरिश्त पेश करूं तो आपको ताज्जुब होगा। 10 वर्ष के एक शम्भू को पीटा गया जिस +++ का कोई लेना देना उस प्रदर्शन से नहीं था, एक स्कूल का छात्र था, अस्पताल में भर्ती है। एक फैक्ट्री के अन्दर मजदूरी करने वाले छोटू को पीटा गया, जिसका इस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं था, अस्पताल में भर्ती है। एक मांगू को पकड़कर पीटा जो अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था, पानी की मांग नहीं कर रहा था गूंगी बहरी सरकार से, अस्पताल में भर्ती है। एक फर्म का नौकर कमल नाम का, सभापति महोदय, अपने मालिक की फर्म का रुपया बैंक में जमा कराने जा रहा था, प्रदर्शन में शरीक होने नहीं, उसको पकड़कर पुलिस ने पीटा। स्वरूपनारायण नाम का व्यक्ति अपनी राशन की दुकान पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, अखबार पढ़ते हुए को पीटा, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। क्या ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे? क्या ये लोग भारतीय जनता पार्टी

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

की सरकार के खिलाफ आन्दोलन कर रहे थे ? क्या ये लोग सरकार बदलने की बात कर रहे थे ? सभापति महोदय, वकीलों को पीटा । वकीलों के साथ साथ ए.पी.पी. को पीटा । +++ सरकारी नौकर था, दफ्तर में था, वह तो प्रदर्शन करने नहीं गया था । अस्पताल में भर्ती पड़ा है ।

श्री सभापति : तथ्य सदन में आ चुके हैं, माननीय सदस्य ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सभापति महोदय, जब ब्यावर पर चर्चा चलेगी तो घावों पर नमक भी छिड़का जायेगा और उधर बैठने वाले लोगों को तकलीफ भी होगी । असलियत तो सामने लाने की इजाजत मैं आपसे चाहता ही हूं ।

श्री सभापति : लाइये न, तथ्य आ चुके हैं ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सभापति महोदय, कलक्टर स्वयं ने लाठीचार्ज किया और करवाया और लोगों को गिरफ्तार किया । लोगों पर केस कैसे-कैसे बनाये, आप ताज्जुब करेंगे । कोई किसी को जानता नहीं था वे पीटे गये । अस्पताल में गये वहां तक जाकर पीछा किया । दवा ले जाने वाले लोगों को पीटा । मिलने गये रिश्तेदारों को पीटा । भर्ती थे उनके मां-बापों को पीटा और आप ताज्जुब करेंगे, जब पुलिस से केस बनवाने की स्थिति आयी, मामला भड़का, जनता में आक्रोश फैला तो अस्पताल के रजिस्टर में भर्ती मरीजों की लिस्ट लेकर उसी की एफ.आई.आर. दर्ज करा दी, उसी क्रम में जिस क्रम में लोग अस्पताल में भर्ती हुए, उसी क्रम में एफ.आई.आर. दर्ज हुई है । यह मैनीपुलेशन नहीं है तो क्या है ? ताज्जुब की बात है, जब मामला भड़कने लगा, फंसने की नौबत आयी तो कलक्टर साहब चार घण्टे बाद अस्पताल पहुंचे और कहा, मेरी हड्डी टूट गयी पसली की । उसका एक्स-रे करवाया गया और डाक्टर ने कह दिया, आपकी पसली की हड्डी टूटी ही नहीं है । आखिर उसको एस्टेब्लिश किया जाय कि उन्होंने जो लाठीचार्ज किया वह जायज था दुबारा से दबाव डाला गया, सी. एम. एच. ओ. से प्रेशराइज कराया, दूसरे डाक्टर्स को बुलवाया और उनकी छठी पसली के तोड़ने की रिपोर्ट करायी । लेकिन उस रिपोर्ट में भी यदि तथ्यों को कोई देखने वाला होगा, फ्रेक्चर की असलियत भी सामने आ जायेगी कि कलक्टर साहब को फ्रेक्चर हुआ या नहीं हुआ । सभापति महोदय, मेडिकल बोर्ड की मैं मांग करना चाहता हूं कि इस तथ्य को सामने लाया जाय कि पसली कैसे टूटी, किस प्रकार से वायर रखकर एक्सरे करवाया गया, किस प्रकार से टूटी हुई पसली के नाम पर सारे मामले को रफा दफा किया जा रहा है । बेन्डेज खरीदी गयी कलक्टर साहब के लिए । जिस दुकान से बेण्डेज खरीदी, थोड़ी देर बाद डाक्टर ने कहा इस बेण्डेज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पसली टूटी नहीं है । वो बेण्डेज वापस गयी है, दुकान का रिकार्ड बताता है । फिर बाद में पता लगा कि गलती हो गयी, बेण्डेज तो मंगाकर लगानी चाहिए थी । जब बेण्डेज दुबारा मंगाई तो कलक्टर साहब ने कहा, नहीं

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

बेण्डेज लगाने की आवश्यकता नहीं है। किस-किस तरह से तथ्यों को मरोड़कर साबित करना चाहेंगे कि उन्होंने लाठीचार्ज सही किया है ?

सभापति महोदय, ताज्जुब होता है, अब कांग्रेस के सदस्य बोलते हैं और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को कुछ आपत्ति होती है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह कांग्रेस नहीं बोलती, ब्यावर की जनता बोलती है। और हमने प्रदर्शन नहीं करवाया, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल थे जिनकी पिटाई हुई और अस्पताल में आज भी भर्ती है। प्रश्न जनता का है, न कांग्रेस का है, न भाजपा का है। प्रश्न पानी का है। सबसे आधारभूत मूल आवश्यकता इंसान और पशु की पानी है। यदि सरकार पानी नहीं दे सकती तो उस सरकार का नैतिक दायित्व नहीं रह जाता है कि सरकार एक मिनट के लिए भी शासन चलाये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रकार से जल्दबाजी में मुकदमे बनाये गये हैं, छोटे-छोटे बच्चों तक को मुकदमों में घसीटा गया है। निर्दोष लोगों को लपेटा गया है और इस बात की साजिश की गयी है कि इस प्रकार के मुकदमे बनें 307 के, अटेम्पट टू मर्डर के, डकैती के। क्या एक भी मुल्जिम, जिनको यह करार देते हैं, कोई हथियार बरामद हुआ है ? बेचारी निहत्थी भीड़ केवल पानी मांग रही थी जिस पर अटेम्पट टू मर्डर के मुकदमे दर्ज किये जायें, डकैती के मुकदमे दर्ज किये जायें, अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियां की जायें, क्या नैतिकता इसी में है ? आदर्श और मूल्यों की बात करने वाले लोग अपने गिरहबान में झांककर देखें।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पत्रकारों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार किया है प्रशासन ने, कुछ माननीय सदस्यों ने जांच की मांग की। झुन्झुनूं से आने वाले माननीय शिवनाथ सिंहजी ने कहा कि जांच होनी चाहिए। वह नहीं कहते कि जुडिशियल जांच हो या कौनसी हो लेकिन जांच हो। कलक्टर यदि + + + करेगा तो क्या उसकी जांच प्रशासन कर पायेगा ? जब पुलिस का एस. पी. खड़े रहकर लोगों को पिटवायेगा तो उसकी जांच पुलिस वाले कर पाएंगे ? क्या एक भी पुलिस वाले के इस प्रकार की चोट आयी जिससे अटेम्पट टू मर्डर का केस बनता हो ? ऐसी स्थितियों में न जांच हो पाएगी, न पानी मिल पाएगा। न वाटर वर्क्स काम को अंजाम देना चाहता है। सब लोग ब्यावर की जनता से बदला लेने में लगे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आग केवल ब्यावर की नहीं है, यह आग केवल किशनगढ़ की नहीं है, यह आग केवल अजमेर की नहीं है, यह चिंगारी फूटी है जिसकी ज्वालामुखी लपटें पूरे प्रदेश में फैलने वाली है। इसलिए आप जांच करवाएं। प्रशासन से नहीं, न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं, यदि सरकार न्यायिक जांच कराने में थोड़ा

(14·13)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

बहुत भी ना-नुकर करती है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप इन्टरपिन करें, ब्यावर की जनता को न्याय दिलावें । प्रशासन +++ नहीं कर सके, +++ नहीं कर सके, जनरल डायर बन करके उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो पाये, इस बात को रोकने के लिए इस सदन के सदस्यों की समिति बनाइये। पक्ष और विपक्ष के सदस्य इसमें शामिल होंगे और वह सदन की समिति जांच करेगी तो निष्पक्ष तथ्य सामने आ पायेंगे । जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बने हैं, अध्यक्ष महोदय, वह मुकदमे बिल्कुल असत्य हैं । इन मुकदमों को सरकार वापस नहीं लेना चाहेगी तो ब्यावर की जनता को दबा करके, खौफ पैदा करके किसी प्रकार की जांच भी सम्पूर्ण नहीं हो पायेगी। इसलिए सारे तथ्यों को सामने लाने के लिए, प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए, पानी दिलाने के लिए सारी स्थितियों का मूल्यांकन करते हुए या तो राजस्थान की सरकार को आप निर्देश दें कि वह हाई कोर्ट के जज से जांच करवायें, या इस सदन के सदस्यों की एक समिति बनाकर, दोनों पक्षों के सदस्यों को लेकर आप जांच करवायें । तभी जाकर न्याय मिल पायेगा ।

आपने समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करते हुए इतना ही अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सैंसिटिव इश्यू पर सरकार डिबेट की बात नहीं सोचे, डिबेट का प्लेटफार्म मात्र नहीं सोचे, लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए कार्यवाही करे । धन्यवाद ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, एक मिनट बैठें । आप बैठिए । एक मिनट बैठिये । मेरे पास सात आदमियों का यह एडजोर्नमेंट मोशन आया था और अब तक सवा तीन घण्टे ... (व्यवधान) आप बिराजिये । एक मिनट ।

एक माननीय सदस्य : मेरा नाम भी नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : मैं बता तो रहा हूं । सवा तीन घण्टे बहस हो गयी है और अभी जो नाम दिये गये हैं वह और भी ज्यादा हैं । जिन्होंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है उनमें से भी कुछ लोग रह गये हैं । मैं चाहूंगा कि आप सब लोग बोलें, समय का ध्यान रखें क्योंकि आखिर घूम-फिर कर तथ्य तो वही आ रहे हैं । इसलिए आप समय का ध्यान रखें और उसमें जो ...

श्री कालीचरण सराफ : साहब मीणा जी का भी ध्यान रखो ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इनका नाम नहीं है ।

श्री रामस्वरूप : मेरा नाम तो आपके दिल में है, साहब ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका नाम अपने दिल में संजोकर रखूंगा, बाहर नहीं

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

निकालूंगा। चिन्ता मत कीजिये। श्री रामपाल उपाध्याय।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर का जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम के बारे में इस सदन के कई माननीय सदस्यों, जो प्रत्यक्ष-दर्शी हैं वहां गये थे, ने विस्तार से इस बात को कहा है। मैं समझता हूं कि मनोवैज्ञानिक बात है, जब प्रशासन कुछ नहीं करता है तो जनता जागती है और जनता कह उठती है, "सिंहासन खाली करो।" अब जनता जागी है। इसलिए मैं समझता हूं कि ब्यावर की जनता ने यह संकेत दिया है राजस्थान की जनता के जागने का। मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह सिंहासन कब तक खाली होगा। यह दूसरी बात है। लेकिन मानवीय संवेदनशीलता से ओत-प्रोत यह सरकार आज जिस प्रकार ब्यावर के घटनाक्रम को दबाने की बात कर रही है उस सरकार को अच्छी तरह से समझकर चलना चाहिए कि खून, खांसी, खुशी, इनको जितना दबाओगे उतना भड़केगी। इसलिए जो तथ्य, जो मामले आपके सामने आये हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि संवेदनशील घटनाक्रम को मानवीय दृष्टिकोण से जांचा-परखा जाना चाहिए और इसके बारे में मैं कई माननीय सदस्यों की इस राय से सहमत हूं कि इस मूल्यवान सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की एक मिली-जुली कमेटी बना दी जाए जो जांच करके तथ्य पता करे। क्योंकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट आभास हो रहा है इस बात का कि आज का जो ब्यूरोक्रेट है, आज का जो आई. ए. एस. आफिसर है, वह अपने आपको आल राउण्ड चैम्पियन मानता है, वह अपने आपको आलीम फाजिल मानता है और वह समझता है कि वह असाध्य रोगों की दवा है और सब तरह के रोगों की दवा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, परिस्थिति यह है। मुझे आश्चर्य होता है कि एक आई. ए. एस. ऑफिसर जिलाधीश महोदय, अजमेर ने जिस प्रकार का तांडव-नृत्य किया। विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से, प्रत्यक्षदर्शी और अप्रत्यक्षदर्शी, जो वहां गये हैं, के माध्यम से जो ज्ञात हुआ है, मैं समझता हूं, इससे अधिक कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। मुझे समझ में नहीं आता कि कहां, किस प्रकार की जिद है। जो सच्चाई है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और जो नहीं है उसको अस्वीकार करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के कई माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा सिंचाई विभाग, जलदाय विभाग और विद्युत विभाग, इन तीनों विभागों का एक समन्वयात्मक कार्यक्रम होना चाहिए। समय-समय पर सिंचाई विभाग इतने अड़ंगे डाल लेता है कि हमारा जो जलस्तर ऊंचा रहता है उसको वह रहने नहीं देता। कहीं पर जलदाय विभाग अगर अपना कार्यक्रम शुरू करना चाहता है तो विद्युत विभाग कई तरह के पैसे मांग करके या पता नहीं किन-किन कारणों से कुछ करना चाहता है। मुझे डर है कि यह ब्यावर की आग अजमेर में जलने जा रही है और अजमेर जिला इससे बचा हुआ नहीं है लेकिन यह आग

(श्री रामपाल उपाध्याय)

कहीं भीलवाड़ा जिले में नहीं चली जाय। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भीलवाड़ा जिले के बारे में, विशेष रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ारायपुर के बारे में अनेक-अनेक माध्यम से मैंने आपके पास सूचना पहुंचाई थी, आपका ध्यान आकर्षित किया था। मैंने 295 में नोटिस दिये। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, केवल मैं अपने क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहूंगा। आज भीलवाड़ा जिले में गुलाबपुरा की क्या हालत है? ब्यावर से गुलाबपुरा मात्र 40–45 किलोमीटर दूर है, वहां पर पांच-पांच, सात-सात दिन तक पानी नहीं जा रहा है। इसी तरह से, मैं निवेदन करूंगा, गंगापुर में नौ दिन तक पानी नहीं गया है। रायपुर की यही स्थिति है, मांडल तहसील की यही स्थिति है, आसीन्द क्षेत्र की यही स्थिति है, बोरड़ा-बनेड़ा की यही स्थिति है, भीलवाड़ा खास की लगभग ऐसी ही स्थिति है। आखिर इन सारे के सारों का उपचार होगा क्या?

माननीय अध्यक्ष महोदय ने रचनात्मक सुझाव देने के लिए फरमाया था। पहला रचनात्मक सुझाव आपको यह है, कृपा करके आपकी इस मशीनरी को टाइट करने का कष्ट करें। जब तक यह मशीनरी टाइट नहीं होगी तब तक आपका कोई कार्यक्रम सफल नहीं होने वाला है। केवल जलदाय विभाग की मशीनरी के बारे में मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जल स्तर नीचे चला गया यह भी सच है, अकाल पड़ गया यह भी सच है, सच्चाई को हमको नकारना नहीं चाहिए लेकिन, अध्यक्ष महोदय, केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र में 966 हैण्डपम्पों में से आज 81 हैण्डपम्प कार्यरत हैं; बाकी में न जाने क्या नाटक हो रहा है। पंचायत समिति के तीन हैं। इनके जे.ईएन. और ए.ईएन. पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे आप क्षमा करें, विनम्र भाव से क्षमा चाहूंगा, मुझे तो यहां तक शिकायत मिली है अपने ही क्षेत्र में कि जो हैण्डपम्प के पाइप निकालते हैं, उनको ठीक करते हैं उनको ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। बहुत तकलीफ की बात है। बहुत हल्की-फुल्की बात है, न मुझे अच्छी लगती है, न सदन का मूल्यवान समय खर्च करने में अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, आखिर में आप क्या करें, आखिर आपको जल स्रोत के बारे में क्या करना पड़ेगा। मुझे खुशी है माननीय पूनम चन्दजी विश्नोई और माननीया कमलाजी काफी अच्छे सुझाव दिये हैं। आज तक सिंचाई विभाग इन्टरसेप्शन आफ वाटर के नाम पर न एनीकट बनने देता है, और न ही पुराने तालाबों को ठीक करने देता है, न ही गांव के तालाबों को ठीक करने देता है। आज भी तालाबों के पीछे वाले कुओं का जल स्तर ऊंचा है जबकि राजस्थान का 25 से 100 फीट तक जल स्तर नीचे चला गया है। तो हमको नये तौर तरीके से नयी योजना बनानी पड़ेगी और उन नयी योजनाओं के तहत सारी स्थानीय समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए यह सब कुछ करना पड़ेगा।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेकर केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा, पत्रकारों के साथ जिस प्रकार की ज्यादती हुई है उसका समाधान मनोवैज्ञानिक ढंग से करने की कृपा करिये, वैधानिक ढंग से करने की कृपा करिये। जिस जिले के उच्च अधिकारियों ने जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक कार्य किया है, उन्होंने जो व्यवहार किया है वह व्यवहार तो फासिस्ट व्यवहार से भी बदतर है, उसके लिए आप उपचार करिये। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर की जनता जनार्दन ने जिस प्रकार का आह्वान किया है, आह्वान करके आपको संकेत दिया है कि इस प्रकार की स्थिति चाहे राजस्थान में भीलवाड़ा जिला हो, चाहे राजसमन्द हो, चाहे अजमेर हो और चाहे दूसरे जिले हों, वहां भी आ सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मार्च का महीना खतम हो गया है, अभी अप्रेल का प्रथम सप्ताह है, जून, जुलाई तक इस पानी के लिये कुछ देखना पड़ेगा। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि आप कृपया जितने सख्त कदम उठा सकें, उठायें। बल्कि मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि बजट के दूसरे हैड में अगर पैसा इधर-उधर करना पड़े तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, जलदाय कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर इस बारे में सारे के सारे कदम उठाने चाहिए।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आपने ब्यावर में टेंकर से पानी सप्लाई किया। कब किया ? जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया। इसी तरह से मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा जिले में चाहे गुलाबपुरा हो, चाहे गंगापुर हो, चाहे आसीन्द हो, चाहे माण्डल हो, चाहे कोई दूसरा क्षेत्र हो, आप कृपया अभी से अपना दूरगामी कार्यक्रम बनायें। अभी आपने कुछ दिनों पहले आपके विभाग से भीलवाड़ा के लिए सवा करोड़ रुपया दिया। अध्यक्ष महोदय, सवा करोड़ में मेरे क्षेत्र में सिर्फ 15 नये हैण्डपम्प खोदे हैं और पहले के 966 हैण्डपम्प में से 81 चालू हैं बाकी के सारे बन्द पड़े हैं। अब उसका क्या औचित्य रहेगा? इस सारे मामले को देखकर मेरा आपसे यह अनुरोध है कि ब्यावर में जो घटनाक्रम हुआ है, जो हमारे लिए चेतावनी है, हमारे लिएएक संकेत है, इस चेतावनी को हमको स्वीकार करना चाहिए।

आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल अहारी। अभी जो एडजोर्नमेंट मोशन में नाम हैं उनको ही बुला रहा हूं। संक्षेप में ही बोलें।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर की घटना को लेकर आज सदन काफी चिन्तित है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष की आज्ञा से एक समिति का गठन किया गया और माननीय दीवानजी के तत्वावधान में हम ब्यावर पहुंचे। मैं भी ब्यावर पहुंचा। मैं डूंगरपुर जिले का निवासी हूं। डूंगरपुर जिले के लोग जो भी बात कहते हैं वह तथ्य पूर्ण बात कहते हैं, जो भी बात रखते हैं वह सत्य बात रखते हैं। मैं सदन को मेरी बातों से कहीं कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैंने जो देखा है, सुना है वही तथ्य मैं आपके

(श्री शंकरलाल अहारी)

सामने रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आया कि एक पानी की समस्या को ले करके तड़फते हुए आदमी की आवाज गूंजती है, अगर पुकार की जाती है तो उसको दबाने की बात क्यों की जाती है। मैंने वह स्थिति देखी है, हम इतिहास पढ़ते थे, याद आता है कि एक-तंत्रीय हुकूमत में ऐसा तो कहीं नहीं हुआ, हम ज्योंही हास्पिटल पहुंचे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह हास्पिटल एक हास्पिटल ही नहीं रहा वह तो रोने का घर हो गया था। लोग चोट खा करके पलंग पर पड़े हुए थे और हम जब गये तो हमको देख कर फूट फूट कर रोये जिसकी वास्तव में कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ होगा। मुझे मौका मिला क्योंकि डूंगरपुर जाते हैं तो ब्यावर बीच में आता है और स्वाभाविक है, मुझे मौका मिला तो मैं तथ्यों की वास्तविकता से एक दूसरे से पूछूं और पूछ कर माननीय अध्यक्षजी के सामने रखूं। अध्यक्ष महोदय, छोटे-छोटे लड़कों पर डंडे बरसाये गये वह तो वास्तव में दयनीय है। किसी के भी हाथ पैर पर डंडे नहीं मारे, सबके सिर फोड़े हैं और सिर इस ढंग से फोड़े हैं, मेरे ख्याल से पुलिस का जो वातावरण वहां बना उससे यह मालूम होता है कि पुलिस कुछ लोगों को मारना चाहती थी कि कुछ लोग मरें ताकि पानी की समस्या और ऊपर उठे। माननीय मंत्रीजी का इसमें कोई दोष नहीं है पर माननीय मंत्रीजी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। माननीय उपाध्याय कह रहे थे कि माननीय मंत्रीजी को सरकारी मशीनरी को टाइट करने की आवश्यकता है। अगर ढीलेपन से काम करेंगे, ढीलापन रहेगा तो पूरे प्रदेश में जो पानी की समस्या है वह और ज्यादा बढ़ती जायेगी। बिलखती हुई जनता ने रो-रो कर अपनी पीड़ा को समिति के सामने रखा। तो उसमें कोई राजनैतिक षड़यंत्र नहीं था। जनता को 6-6 रोज तक पानी नहीं मिले और लोकतांत्रिक तरीके से उन लोगों ने प्रदर्शन किया, 29 तारीख को महेश्वरी समाज की तरफ से कुछ महिलाएं अपने हाथ में बर्तन लेकर गयीं, घड़े फोड़े गये (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : घटनाएं तो बहुत हो चुकी हैं, आप संक्षेप में अपनी बात कहिये।

श्री शंकरलाल अहारी : मैं आपको सही बात बताना चाहूंगा, आप सुनिये।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने भी सही कही है। लक्ष्मणसिंहजी ने कही वह भी सही कही है, मोटवानीजी ने कही वह भी सही कही है। वही बात आप बोल रहे हैं। नयी बात क्या हुई ?

श्री शंकरलाल अहारी : एक और निवेदन करके खतम कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : देखिये, फिर बाकी लोग नहीं बोल पायेंगे।

श्री शंकरलाल अहारी : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह हमारा यह सदन परिसर है उसी ढंग से वहां न्यायालय का एक भवन है, डाक बंगला है और तीन रास्ते हैं। उन तीनों रास्तों से जनता को अन्दर घुसा देने के बाद में तीनों रास्तों को क्लोज किया और खूब मारा लोगों को। मारने से अगर सरकार पानी की समस्या का समाधान कर सकती है तो बड़ी खुशी की बात है।

(श्री शंकरलाल अहारी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात को सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। पानी के बदले लोगों को डंडे मिलें। पानी के बदले लोगों के वस्त्र खून से लथपथ हो चुके हैं। छोटे-छोटे बच्चों को मारा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से मैं कभी भी जेल में नहीं बैठा था और मुझे जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। ऐसा मौका मैं चाहता भी नहीं. (व्यवधान) आप अगर यह चाहते हो तो देख सकते हो। हमने जब अन्दर प्रवेश किया तो जितने लोग अन्दर बैठे थे वह तो रोये, पर आप ताज्जुब की बात मानोगे कि इन लोगों को इस ढंग से बन्द कर रखा है कि वहीं लैट्रीन करें, वहीं बाथरूम करें और पानी की भी व्यवस्था नहीं। तो हमने बुलाकर कहा कि लाइये पानी का घड़ा भर कर, पानी की व्यवस्था करें। पानी मंगवाया गया....

श्री अध्यक्ष : यह सब हम भुगत चुके हैं। यह मैं भी भुगत चुका हूं।

श्री शंकरलाल अहारी : जो वकीलों और पत्रकारों पर डंडे बरसाये गये और वहां की जनता यह कह रही थी....

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये। आप समाप्त कीजिये। श्री हरिसिंह जी, आप अनुपस्थित थे, अब बोलिये आप। बिराजिये। हां, अब बोलिये आप।

श्री शंकरलाल अहारी : कि हमारे घरों में घुस-घुस कर भी मारा गया। वहां मुसलमान बस्ती में भी घुसकर मारा गया। इस ढंग से पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आपको योजना बनानी पड़ेगी। आपको ब्यावर की जनता के लिए एक स्थायी तौर पर योजना बनानी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये।

श्री शंकरलाल अहारी : सबसे मोटी बात यह है। मैं दो-तीन बातें कह कर समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, अब दो-तीन बातें नहीं होंगी। आपने बहुत टाइम ले लिया है, और लोगों को भी बोलना है। देखिये, अब आप जिद मत करिये। देखिये, फिर और लोग बोलेंगे नहीं। वह कर लेंगे मांग। अभी खेतसिंह जी बोलने वाले हैं, आपकी सारी मांग वह कर लेंगे। आप बिराजिये। वह कर लेंगे मांग। आपके मुख्य सचेतक जी बोलने वाले हैं, वह मांग कर लेंगे। आप बिराजिये। श्री हरिसिंह जी।

श्री शंकरलाल अहारी : धन्यवाद।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूं कि आपने प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या का इस सदन में विवेचन करने की एक व्यवस्था दी। जहां तक मुझे जानकारी है, ब्यावर की पानी की समस्या बहुत लम्बे समय से है। समस्या कोई आज पैदा हुई हो और उसके लिए मैं सरकार को दोषारोपित करूं ऐसी बात तो है नहीं। पिछले बीस वर्षों से ब्यावर वालों ने हमेशा अपने घर के सामने गड्ढा खोद करके पानी प्राप्त किया है और आज भी कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि गड्ढे में जो पानी मिलता था उससे उनकी पूर्ति हो रही थी, वह अब सप्लाई और डिमाण्ड का जो गैप बना तो

(श्री हरिसिंह)

वह पूर्ति भी नहीं कर पाये । पूर्ति क्यों नहीं कर पाये, इसमें ज्यादा दोष आपकी नीचे वाली मशीनरी का है । वह मशीनरी सक्षम नहीं थी, वह मशीनरी जनता की समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं थी, वह संवेदनशील नहीं थी । ब्यावर का यह आन्दोलन जनता का स्वतः स्फूर्ति आन्दोलन है । अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी राजनीतिक दल की कोई हिस्सेदारी नहीं है । इन हालात में आप सौभाग्यशाली हैं, आपकी तकदीर ठीक है । कि आपको एक संवेदनशील प्रतिपक्ष मिला हुआ है जो समझदार भी है । वह समस्याओं को कभी भड़काता नहीं, समस्याओं के निराकरण के लिए पहल करता है, सुझाव देता है । यह दुर्भाग्य तो हमारा ही था कि हमारा प्रतिपक्ष हमेशा समस्याओं को भड़काया करता था । यह स्वतः स्फूर्ति आन्दोलन है जिसमें वहां की महिलाएं जुटीं । महिलाएं अपनी मांग लेकर कि प्रशासन से हमको कुछ राहत मिलेगी, वहां के एस. डी. एम. के पास गयीं । खाली मटके फोड़ दिये । उनके साथ बदसलूकी हुई, वह महिलाएं वापस आ गयीं, उससे दूसरे लोगों में आक्रोश पैदा हुआ ब्यावर के जो दूसरे लोग हैं । जिसमें वहां के प्रबुद्ध नागरिक, वकील और पत्रकार हैं, पत्रकारों का कसूर तो यह है कि पत्रकार इस प्रजातंत्र का चौथा खम्भा है और विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखता है, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचता है और सरकार जनता के लिए क्या कर रही है उन कामों को वह जनता तक पहुंचाता है । 29 तारीख को आन्दोलन शुरू हुआ, 30 तारीख को आन्दोलनकारी गये और 30 की शाम को यह हो गया कि पूरा का पूरा ब्यावर बन्द रहेगा लेकिन प्रशासन फिर भी सोता रहा । आगे क्या होगा, इस बात के लिए प्रशासन सतर्क नहीं था । अगर सतर्कता बरती तो इस बात की बरती कि पुलिस फोर्स मंगवा लो, हमको डंडे चलाने हैं । 31 तारीख को जब आन्दोलनकारी वहां पहुंचे तब जो हालात वहां घटित हुए उसमें निर्दोष जनता के ऊपर निर्दयी होकर डंडे बरसाये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बड़ा भारी जो उसमें अन्याय किया है वह पत्रकारों के साथ किया है और इससे ज्यादा दुर्गति कुछ नहीं हो सकती है । एक बहुत शर्म की बात है कि ए. डी. जे. और डी जे. की कोर्ट के सामने पिटाई हो । इससे ज्यादा स्पष्ट और कुछ हो नहीं सकता, होम मिनिस्टर साहब, कि आपका ए.पी.पी. पिट जाय जो कोर्ट का एक अधिकारी है । न्यायपालिका पिट गयी । प्रजातंत्र का चौथा हिस्सा पत्रकार पिट गया और वह भी जीप में खड़े-खड़े । इससे ज्यादा शर्मनाक घटना आज तक राजस्थान में नहीं हुई कि जिले का कलक्टर किसी पत्रकार के बाल पकड़, पकड़कर खींचें ठोकरें मारे, लात मारे, खुद अपने हाथ से पिटाई करे, अपने गनमैन से कहे कि इसको बाथरूम के अन्दर बन्द कर दो । यह प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात है । प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर कुठाराघात है । आप समस्याओं को छिपाना चाहते हो, आप समस्याओं को दबाना चाहते हो । उनकी अभिव्यक्ति नहीं होने देना चाहते । आप प्रेस को कुचलना चाहते हैं । इससे ज्यादा संकट की स्थिति

(श्री हरिसिंह)

में भी पहले राजस्थान सरकार ने कभी प्रेस के ऊपर ऐसा हमला नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, यहां 307 और 394 के मुकदमे बने। अध्यक्ष महोदय, यह तो आप स्वयं जानकार हैं कि अपनी पूरी की पूरी आई. पी. सी. में कोई भी अगर क्रिमिनल मुकदमा बनता है तो उसमें उसका इल्लीगल मोटिव और इन्टेंशन चाहिये। क्या पानी मांगने जो जनता गयी थी उसका यह इन्टेंशन था कि हम यहां मर्डर करने आये हैं कलक्टर का, एस. पी. का? उसका इस ढंग का कोई मोटिव था, कोई इन्टेंशन था उसका?

श्री अध्यक्ष : दस मिनट हो गये हैं आपको। प्लीज-प्लीज। देखिये, रिपीटिशन हो रहा है। अब रिपीट हो रहा है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह रिपीटिशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मगर You have taken 10 minutes. अगर आप इस तरह से बोलते जायेंगे तो there will be no end to it. हां तो आप जल्दी समाप्त कीजिये। रिपीटिशन हो रहा है। देखिये, Nothing new is coming. रिपीटिशन हो रहा है। क्या मतलब है रिपीटिशन से। आप या तो कोई नयी बात हो, आप वहां गये हैं, कोई नयी बात जो और कोई नहीं बोला हो तो जल्दी बोलिये आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप मेरे को इतनी इजाजत तो दे दो कि मैं कन्क्लूड कर दूं। मेरा निवेदन है कि उस भीड़ का इस ढंग का कोई क्रिमिनल इन्टेंशन और मोटिव नहीं था फिर 307 और 394 के मुकदमे किस बात के बने हैं? सबसे ज्यादा शर्मनाक स्थिति तो यह है कि वहां रेडियोलाजिस्ट, डाक्टर्स को कलक्टर ने इस बात के लिए बुलाकर बाध्य किया कि उसकी पसली टूटी हुई दिखायी जाय। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति इस प्रशासन के लिए, इस सरकार के लिए दूसरी कोई हो नहीं सकती। मैं खुले शब्दों में सरकार और प्रशासन की निन्दा करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो चुकी है और सभी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बात कही है। मैं तो आपसे इस ब्यावर कांड के बारे में खास तौर से पांच मांग रख रहा हूं और वह मेरा ख्याल है माननीय मंत्रीजी निश्चित तौर पर स्वीकार करेंगे।

पहला, इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी होनी ही चाहिये और उसकी रिपोर्ट दो माह के अन्दर अन्दर आनी चाहिये। जुडिशियल इन्क्वायरी आप शुरू करवाते हो और दो माह में नहीं करे तो फिर उस इन्क्वायरी का कोई इफेक्ट नहीं रहता। इसलिए जुडिशियल इन्क्वायरी करवाइये। जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा कीजिये और तुरन्त इसकी रिपोर्ट आनी चाहिये।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

दूसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन पत्रकारों और संभ्रांत नागरिकों के चोटें आयी हैं उनके इलाज के लिए दस-दस हजार रुपये आपको उनको देने चाहियें।

तीसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके जितने भी केसेज आपने बनायें हैं, इन सारे केसेज को आपको विथड्रा करना चाहिये।

चौथा, मैं आपके सामने यह मांग रखता हूं कि पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए आप रेल टैंकर्स यूज कीजिये, ट्रक टैंकर्स यूज कीजिये, प्राइवेट कुओं को और कांट्रेक्ट पर लीजिये। जो कुछ भी हो, जैसे भी हो पहले भी रेल टैंकर्स मिले हैं, और रेल टैंकर्स मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप यह व्यवस्था करवाइये क्योंकि गर्मी ऊपर है, बड़ी मुश्किल हो जायेगी। इसलिए अभी से आप रेल मंत्रालय से कांटेक्ट करके यह सब काम करवाइये।

पांचवीं मांग मेरी यह है कि आप दूरगामी योजना के लिहाज से बीसलपुर योजना को और द्रुतगति दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। गृह मंत्रीजी, पहले आप बोलिये।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमको एक मिनिट का समय भी नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आपका नाम मेरे दिल में है।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा फर्ज बनता है इस सदन के अन्दर, मैं भी प्रेस रिपोर्टर रहा हूं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय परसरामजी बोल रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : मैं एक वकील हूं। मेरा ब्यावर के अन्दर एक वकील भी पिटा है और प्रेस वाले भी पिटे हैं....

श्री अध्यक्ष : यह अदालत नहीं है।

श्री रामस्वरूप : आपके दिल में जगह है मेरे लिए लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री अध्यक्ष : मत नोट करो।

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय परसरामजी। आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री अध्यक्ष : वह आपका एक अक्षर नहीं लिख रहे हैं। एक अक्षर रिकार्ड में नहीं आ रहा है।

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री अध्यक्ष : एक अक्षर रिकार्ड में नहीं आ रहा है। एक अक्षर नहीं आ रहा है। यह न प्रेस में आयेगा और न यहां आयेगा।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय परसरामजी ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जब पी.एच.ई.डी. की डिमाण्ड पर चर्चा हो रही थी और 31 तारीख को भी मैंने जलदाय मंत्रीजी से निवेदन किया था कि पानी की समस्या ग्रीष्मकाल में प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है । आप जो कुछ भी स्टेप्स ले रहे हैं, इस इमरजेंसी को मीट आऊट करने के लिए जो कण्टिन्जेंसी प्लान आपने अडाप्ट किया है उस कण्टिन्जेंसी प्लान को आप वार फुटिंग के ऊपर प्रभावी ढंग से और इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेण्ट नहीं करेंगे तो समस्या यूं की यूं मुंह बाये खड़ी रहेगी और जनता को बहुत बड़ी परेशानी में से गुजरना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में मूल में प्रश्न है, पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है और वह भी 144 घण्टे तक, छह दिन तक आपूर्ति नहीं हुई । उसके पहले 30 तारीख को यह घटना हुई । उस घटनाक्रम के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां पर आपको अवगत करवा दिया है । 29 तारीख को यहां पर प्रदर्शन हुआ । 30 तारीख को ए.ई.एन. के साथ में दुर्व्यवहार हुआ और उसके साथ में रेल और दूसरे रास्ते रोके गये । 31 तारीख को यह सब दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं, उस दिन भी मैंने यह बात कही थी, मुख्य मंत्रीजी भी उस समय बैठे हुए थे, तमाम ब्यावर में जो हैं, पेयजल की सप्लाई की बात कही थी मैंने खास तौर से उस वक्त । उसके बाद में सिचुएशन दूसरी जगह डेटेरियोरेवल हो रही है इसलिए आप ओवरसी कीजिये । मेरा ओवरसी करने का मतलब यह था कि आप निगरानी रखिये उसके ऊपर । अध्यक्ष महोदय, समस्या सिर्फ अजमेर डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, समस्या राजस्थान के अन्दर और हर जिले के अन्दर विषम होती चली जायेगी प्रतिदिन और उसके कई कारण हैं । मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता । कारणों में जा चुका हूं उस दिन मैं । अण्डर ग्राउण्ड पानी कम होता जा रहा है । नलकूपों में जितनी सप्लाई होनी चाहिए थी पानी कम होने के कारण उनकी जल स्रावक क्षमता घटी है । उसके साथ में राजस्थान के अन्दर जहां हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमने गांवों को लाभान्वित कर दिया, उसमें 35 हजार और कुछ गांव हैं, ज्यादातर गांव, मुख्य मंत्रीजी, लाभान्वित हुए हैं वह हैण्डपम्प से हुए हैं और शहरों में और गांवों के अन्दर आज हैण्डपम्प की जो संख्या है वह 1 लाख 36 हजार है, उस 1 लाख 36 हजार में से जैसा कि माननीय सदस्य यहां पर कह रहे हैं और मेरा खुद का अनुभव है, 50 फीसदी से ज्यादा हैण्डपम्प सर्विसेबल नहीं हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 25% से कम हैं ।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री परसराम मदेरणा : वह लोग तो ज्यादा कह रहे हैं लेकिन मेरा यह अनुभव है, 50 फीसदी के आसपास हैं। जो कार्य पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत समिति और ग्राम सेवक को दे रखा था वह कार्य आप करने जा रहे हैं अब। और आप करने जा रहे हैं तो 50% हैण्डपम्प जो खराब हैं तो कम से कम 68,000 हैण्ड पम्प्स खराब हैं। 68,000 हैण्ड पम्प्स को आप आगे जा करके सौ दिन के अन्दर रिपेयर करने जा रहे हैं। आपकी रिपेयर करने की मशीनरी क्या है ? रिपेयर करने की मशीनरी अगर है तो एक दिन में छह सौ, सात सो हैण्ड पम्प ठीक करेंगे तो भी आप सब हैण्डपम्प ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मैं, मुख्य मंत्रीजी, आपसे यही जानना चाहता हूं कि 1 लाख 36 हजार में से कितने ऐसे हैण्डपम्प हैं जो आपने अबण्डन कर दिये हैं और कितने ऐसे हैण्डपम्प हैं जहां पर पानी बिलकुल ड्राई हो गया है ? उन हैण्डपम्प्स को सर्विसेबल इस मौसम में और अगले तीन महीने में बनाया नही जा सकता बरसात के पहले। उसके बाद आपका कंटिन्जेंसी प्लान है। कण्टिन्जेंसी प्लान आपके तीन प्रकार के हैं। एक तो जैसा आपने घोषणा की उस दिन कि तीन हजार नये हैण्डपम्प आप खोदना चाहते हैं। दूसरा, कण्टिन्जेंसी प्लान के अन्दर आप ट्यूबवैल्स बोर करना चाहते हैं और तीसरा, कण्टिन्जेंसी प्लान के अन्दर जो पहले स्कीम्स बन गयी हैं उन स्कीम्स को अन्दर सोर्स से जोड़ना, उसके साथ उन स्कीम्स में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं मिला है वह भी देने की बात की गयी है। मेरा ऐसा अनुभव है कि करोड़ों रुपये, अध्यक्ष महोदय, पी.एच.ई.डी. ने आर.एस.ई.बी. को दिये हैं कि पी.एच.ई. डी. की लाइन खींचने के लिए लेकिन वह पी.एच.ई.डी. की लाइन एक जगह, खींचने के बाद आर.एस.ई.बी. ने उस पर दूसरे कनेक्शन दे दिये। उस पर एग्रीकल्चर कनेक्शन दे दिये, उस पर इण्डस्ट्रियल कनेक्शन दे दिये, उस पर डोमेस्टिक कनेक्शन दे दिये। जब लोड शैडिंग होता है पावर का तो वह जो रीजनल पाइप लाइन है, या जो सोर्स पानी का है उसमें भी बिजली चार घण्टे या छह घण्टे जब दूसरी जगह मिलेगी कंज्यूमर्स को तो आप उसी कैटेगिरी में आ गये हैं। जबकि पैसा कम्प्लीटली आपका था और जो टोटल एक्सपेंडीचर बियर किया है वह आपने किया है। मैं निवेदन यह कर रहा था कि राजस्थान के अन्दर जिन 35 हजार गांवों के अन्दर अभी तक पानी पहुंचाया है, राज्य सरकार ने, ऐसा सोचना है, राज्य सरकार ने अपने मेमोरेण्डम में भी यह बात कही है और जो प्रगति विवरण आपने दिया है, उस प्रगति विवरण में कहा है, राजस्थान के 2/3 जिलों की योजना बना करके भारत सरकार को, जर्मनी को, आपके यूरोपियन संस्था को या आपने आइडा I.D.A. को या स्वीडन को भेजी हैं। आपने बहुत योजनाएं बनायी हैं। गवर्नमेण्ट ऐसा सोच रही है कि एक मिनिमम सर्विस लेवल पर पानी उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 7 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। वह तो आज की प्राइज पर है। अरबन क्षेत्र के अन्दर यह प्राब्लम और डेटेरियोरेट होती जा रही है। आज सबसे बड़ी हमारे सामने जो समस्या आ रही है, उस वक्त हमने 24 हजार और कुछ गांवों को प्राब्लमेटिक माना था, जो क्लासीफिकेशन किया था, उसके आधार पर उसके बाद जो क्राइटेरिया

(श्री परसराम मदेरणा)

भारत सरकार ने निर्धारित किया था, उसके बाद प्राब्लमेटिक विलेज का क्लासीफिकेशन आज बहुत ज्यादा हो गया है। जिस वक्त हम एक पाइण्ट देने जा रहे थे और उसको कवरेज बता रहे थे, एक पाइण्ट जहां हैण्ड पम्प आ गया है गांव के अन्दर, चाहे आबादी चार हजार है तो हम उस गांव को यह समझ रहे थे कि उस योजना के अन्दर हमने लाभान्वित पूरे गांव को कर दिया है। मैं जैसा पूर्व में कह चुका हूं, 60 से लेकर 80 प्रतिशत की पापूलेशन को अभी तक आप पानी उपलब्ध नहीं करवा सकते। छोड़िये, उस बात को कि यह केमिकल और फिजीकल स्टेण्डर्ड का पानी हैं कि नहीं है। आज हमारे सामने समस्या इस बात की है कि हम पानी उपलब्ध किसी तरह से करा सकते हैं या नहीं करा सकते। आज आपके पास में ब्यावर के अन्दर 500 हैण्डपम्प हैं। 1600–1700 अजमेर में होंगे। उसमें से कितने हैण्डपम्प आज सर्विसेबल हैं? इसी तरह से राजस्थान के दूसरे इलाकों के अन्दर यह समस्या और गहराती हुई चली जायेगी। जयपुर के अन्दर भी यह समस्या आगे गर्मियों के अन्दर विकट रूप धारण कर लेगी। इसलिए इस समस्या को आपको एक चैलेन्ज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि पानी की मांग गर्मियों के अन्दर बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी, जो उसकी सप्लाई और आवक के अन्दर हमारा गेप है। कण्टिन्जेंसी प्लान आपने जो बनाये हैं, बहुत छोटे-छोटे बनकर आये हैं। मैं देख रहा था मेरी कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर कंटिन्जेंसी प्लान के अन्दर आपने चार पांच काम लिए हैं वह 100वां हिस्सा भी नहीं है जो आज वहां पानी की समस्या है। इसलिए आप सदन को यह जानकारी दीजिए कि मिनिमम नीड प्रोग्राम, एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, सैन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम और डेजर्ट डवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत इस इमरजेन्सी को मीट-आउट करने के लिए कितनी धनराशि से किस-किस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आपके लक्ष्य क्या हैं? कितना आपका ट्यूबवैल बोर करने का लक्ष्य है? कितने हैण्डपम्प्स को अलग-अलग जिलों को आपने दिया है? उनकी कितनी धनराशि आपने आवंटित की है? इसको करने के लिए आपने किस तरह से सामंजस्य बैठाया है सभी डिपार्टमेंट का? कितने जिलों के अन्दर आप पानी ट्रान्सपोर्ट करने जा रहे हैं और उस ट्रान्सपोर्टेशन के लिए आपके पास में कितने टैंकर्स की आवश्यकता होगी और उसकी व्यवस्था या रिक्वीजीशन आपने कर लिया है क्या? जब तक ओवरआल आप सभी एजेन्सीज को इसमें नहीं डालेंगे और जब तक बिजली विभाग, पी.एच ई.डी. और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो टैंकर्स की पानी की सप्लाई के लिए जिम्मेवार हैं, इन सब का आप इफेक्टिव कोआर्डीनेशन. एस्टेबिलश नहीं करेंगे और फिर यहां से मानीटरिंग नहीं होगी तब तक यह समस्या हल नहीं होगी।

एक समस्या और खड़ी होने वाली है। बहुत-सी जगह बिजली के कनेक्शन नहीं हैं वहां पर ट्यूबवैल आपरेट हो रहे हैं वह डीजल से हो रहे हैं और जो ट्यूबवैल डीजल से आपरेट हो रहे हैं, अब तक आप उनको लिमिटेड डीजल दे रहे थे लेकिन क्योंकि पानी की आवक आपको अब बढ़ानी

(श्री परसराम मदेरणा)

पड़ेगी इसलिए डीजल की मात्रा में भी परिवर्तन करना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि आपके जितने भी आपरेटर्स हैं, चाहे पम्प ड्राइवर्स हों या दूसरे लोग हों जो स्कीम के ऊपर हैं वह लगातार रहें और इसके आपरेशन का पीरियड भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। पहले आप 4 घंटे आपरेट कर रहे थे, अब आपको 8 घंटे आपरेट करना पड़ेगा तब जाकर आप इस समस्या का कुछ हद तक समाधान कर पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, उस समय भी मैंने कहा था और मैं आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी और बहुत से हमारे साथी जो उधर बैठे हुए हैं, बहुत जोर जोर से यह कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर टोटल प्लान का 62 प्रतिशत आउटले ईयरमार्क कर दिया है। पानी के मामले में, मुख्य मंत्री जी, जैसा मैं देख रहा था और उस दिन भी मैंने सदन में निवेदन किया था, मुख्य मंत्री जी यहां पर थे नहीं, आपने अरबन एरिया में जहां 130 करोड़ 59 लाख रुपये दिये हैं, देना चाहिए अरबन एरिया में भी प्राब्लम है बहुत बड़ी। लेकिन रूरल एरिया के अन्दर केवल सैन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम में 41 करोड़ 83 लाख रुपये दिये हैं और एम. एन. पी. के अन्दर 72 करोड़ 66 लाख रुपये दिये हैं, कुल 114 करोड़ 48 लाख रुपये दिये हैं जब कि अरबन एरिया के अन्दर 130 करोड़ 59 लाख रुपये दिये हैं। आप कह रहे हैं कि हम रूरल एरिया में 62 पर्सेण्ट खर्चा करने जा रहे हैं और यह लागत आने वाली है हमारे विनियोजन की, मैं समझता हूं कि यह आपका नमूना है ग्रामीण क्षेत्रों में 62 प्रतिशत देने का। जो आज आपके पास में केलेमिटी रिलीफ फण्ड में जितना भी अमाउण्ट है, जैसा कि पूर्व में यहां पर जलदाय मंत्रीजी सदन को सूचित कर चुके हैं कि वह 20 करोड़ रुपये रूरल में देने जा रहे हैं और 7 करोड़ रुपये अरबन एरिया में देने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि समस्या को देखते हुए और उसकी व्यापकता को देखते हुए, इनार्मस प्राब्लम को देखते हुए यह अमाउण्ट कम है और आपको इस धनराशि को बढ़ाना चाहिए और कण्टिंजेंसी प्लान को इम्प्लीमेन्ट करने के लिए आपको वार फुटिंग पर काम करना चाहिए। मैं वार फुटिंग की बात इसलिए कह रहा हूं कि आप 3 हजार हैंडपम्प खोदने जा रहे हैं अगले 100 दिनों के भीतर भीतर और 100 दिनों के अन्दर जून के एण्ड में खोदेंगे तो आपका अभिप्राय: भी खतम हो जायेगा और उद्देश्य भी अनडू हो जायेगा। तो जल्दी से जल्दी खोदने के लिए कितनी रिग्स आपके पास में डिपार्टमैण्ट की हैं और कितनी ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की रिग्स ले रहे हैं और कितनी प्राइवेट रिग्स लेकर कितने दिनों में खोदने के बाद में चालू कर देंगे ? क्योंकि हैंडपम्प को बोर करने के बाद में भी आप उसको आपरेटिव और सर्विसेबल नहीं बना सकते 15 दिनों तक आगे। आपको प्लेट-फार्म बनाने पड़ेंगे, उसमें नल भी डालने पड़ेंगे, इसके दूसरे इक्विपमेन्ट्स भी आप को रखने पड़ेंगे। मैं हैंड पम्प की बात कर रहा हूं। इसी तरह से आप बोर करने जा रहे हैं उसमें भी आपको यह डिफिकल्टी आयेगी। उस दिन आपने ब्यावर के लिए 12 ट्यूबवैल्स के बोर

(श्री परसराम मदेरणा)

करने की बात कही है बीसलपुर एरिया के अन्दर जहां से पानी आ रहा है, दो ओपन और दस ट्यूबवेल्स, उस सम्बन्ध में भी कितनी सफलता आपको अभी तक प्राप्त हुई है, किस तरह से आगमेन्ट करने के लिए इसकी निगरानी कर रहे हैं और अगले कितने दिनों में आप पानी सप्लाई करा देंगे।

मैं अंत में, अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि ब्यावर के अन्दर पीने के पानी को लेकर जिस तरह से लोगों के साथ वहां पर मारपीट हुई, अस्पताल में भर्ती हुए उसमें पत्रकार बंधु भी थे, फोटोग्राफर्स भी थे पत्रकार भी थे और शहर के दूसरे नागरिक भी थे और सभी पार्टियों के लोग थे क्योंकि यह जन आन्दोल वहां पर शुरू हुआ। पीने के पानी की समस्या गहराती चली गई और जब लोगों ने यह देखा कि इसके मूल में, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्य कह चुके हैं मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि कनेक्शन दिये जा रहे थे, एक्चुअली कनेक्शन रेकर्ड में नहीं आ रहे थे लेकिन पैसे लेकर कनेक्शन दिये जा रहे थे। जो टैंकर्स आ रहे थे उसकी गिनती तो ज्यादा आ रही थी लेकिन उसके बाद में कुछ स्टेप्स इन्होंने लिये हैं कि आक्ट्राय ड्यूटी पर बराबर एन्ट्री करेंगे, उस एन्ट्री को आपने इफेक्टिव बनाया है क्या? मैं यह समझता हूं कि आप को कुछ वार्ड को इसमें सम्मिलित करके आपको विजिलेन्स एस्टेब्लिश करना चाहिए था। इसके साथ ही साथ जो सप्लाई हो रही है और जो टैंकर्स एक पर्टीकुलर एरिया में आ रहे हैं; वे वहां पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं क्योंकि टैंकर्स जो आप भेज रहे थे, पाइप लाइन से जहां सप्लाई है वहां नहीं भेज रहे थे और जो कच्ची बस्तियां हैं या बाहर का एरिया है, जहां पर आपकी पाइप लाइन अभी तक नहीं गयी हुई है, वहां पर आप टैंकर्स से पानी सप्लाई कर रहे थे, तो मैं यह कह रहा हूं कि भीतर के एरिया में भी जो एरिया ऊंचाई पर आये हुए हैं वहां पानी नहीं पहुंच रहा था। इस संबंध में भी आपको टैंकर्स भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि बराबर टैंकर्स आ रहे हैं क्योंकि आस-पास का जो भी क्षेत्र है, जहां पर लीड सबसे कम है ताकि आप ज्यादा इसमें गाड़ियां दौड़ा सकें और कई ट्रिप कर सकें।

इन शब्दों के साथ में जो यह घटना घटी और जो घटनाक्रम ब्यावर में हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं था बल्कि उसमें बरबरता का भी समावेश है। इसलिए हमारे चीफ व्हिप महोदय ने जो आपके सामने 5 डिमाण्ड्स रखी हैं, मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि हमारी पांचों मांगें आप स्वीकार करें और पूरे राजस्थान के अन्दर इस समस्या के समाधान के लिए, पीने के पानी की समस्या जो गहराती हुई जा रही है, जो विषम स्थिति होती चली जा रही है और जो डाइमेंशन इसका बढ़ता चला जा रहा है और प्रतिदिन बढ़ता हुआ चला जायेगा।

(15.00)

रूरल एरिया में, अरबन एरिया में, सभी जगह प्राथमिकता के तौर पर, मैं तो यह

(श्री परसराम मदेरणा)

कहूंगा, आपको देखने की बात यह करनी चाहिए, मुख्य मंत्रीजी, कि जिस तरह 20 पाइण्ट प्रोग्राम में आप इन्चार्ज बना रहे हैं जिलों का मिनिस्टरों को, दो-तीन महीने केवल पीने के पानी की निगरानी रखने के लिए मिनिस्टर्स को एण्ट्रस्ट कीजिए इस काम में। दूसरे जो अधिकारी हैं पी.एच.ई.डी. के, जैसाकि मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं, आज उसको ज्यादा रिपीट करना नहीं चाहता। मैंने उस दिन कहा था कि सचिव लेवल से लेकर मिनिस्टर लेवल तक, मैंने तो मिनिस्टर को यहां तक कहा था कि आप कांस्टैण्टली टोज पर रहिये। आपके पास वायरलैस की गाड़ी होनी चाहिए जो आपको इन्फोर्मेशन देती रहे बराबर प्रोग्रेस की। हैण्डपम्प रिपेयर हो रहे हैं, नये खोदे जा रहे हैं, ट्यूबवैल खोदे जा रहे हैं, कनेक्शन देने की बात है, बिजली की सप्लाई की बात है, ये सब काम आपको यहां बैठकर रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर ज्यादा दौरे पर रहेंगे तो नीचे के अधिकारी ज्यादा सतर्क रहेंगे। ज्यादा सतर्क रहेंगे तो इस पानी की समस्या को मीटआउट करने के लिए आप कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। मैं यह नहीं कहता कि गवर्नमेंट इस समस्या का समाधान आने वाले दो-तीन महीनों में कर लेगी। यह तो बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान की जिसके बारे में मैं वार्न कर चुका हूं। दूरगामी योजना बनाने की बात पर मैं आज चर्चा नहीं कर रहा हूं। इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अब जो स्थिति बनी है वह तो इस ग्रीष्मकालीन मांग की वजह से बनी है। इसको मीटआउट करना चाहिए। बहुत-से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं दूरगामी योजना और इसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए। राजस्थान के अन्दर कोई भी सोल्यूशन कामयाब नहीं होने वाला है क्योंकि अण्डरग्राउण्ड वाटर का ड्रावल बराबर हो रहा है और नीचे का स्तर सूखता हुआ जा रहा है। फ्लो इरिगेशन ही हमारे सामने एक विकल्प रह जाता है कि उस फ्लो इरिगेशन को किस तरह इम्पाउण्ड करके हम इस समस्या का परमानेंटली हल निकाल सकते हैं। परमानेंटली भी इस नजरिये से कि उस वक्त जो पानी सप्लाई करने जा रहे हैं वह स्वच्छ जल हम उनको दे रहे हैं और वह केमिकल और फिजिकल स्टैण्डर्ड में एक्सप्टेबल है। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि हमने जो मांग रखी है सरकार उस पर गौर करेगी। क्योंकि पोलिटिकल एंगल से कोई बात नहीं कही गयी है। ब्यावर के अन्दर जो घटना घटी, उस घटना की वजह से जो मुकदमे बने, लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है, लोगों की पिटाई हुई है उन सब समस्याओं पर मानवीय दृष्टिकोण से, पोलिटिकल एंगल से ऊपर उठकर राज्य सरकार आज कोई न कोई घोषणा निश्चित तौर पर करेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मंत्रीजी जवाब देंगे। मंत्रीजी को जवाब देने दीजिए।

श्री उगमराज मेहता : वहां स्थिति क्या हुई, क्या हुआ ...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी बोलेंगे, आपका क्या है ?

श्री उगमराज मेहता : मंत्रीजी तो बाद में बोलेंगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : ब्यावर क्षेत्र से हैं ।

श्री अध्यक्ष : बोलिये, अच्छा बोलिये ।

श्री उगमराज मेहता : वास्तविक स्थिति बताऊंगा ।

श्री अध्यक्ष : आप कोई कण्ट्रोवर्सी मत खड़ी करना । बात बताइये ।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : नहीं, कण्ट्रोवर्सी नहीं खड़ी करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, 31 तारीख को जो घटना घटी, वाकई पत्रकारों के ऊपर जिस प्रकार से लाठी चार्ज हुआ, राजस्थान पत्रिका के सिद्धार्थ जैन को अन्दर ले जाकर पीटा गया, वह खेदजनक है । अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य मोटवानी जी ने एक बात कही और पिछले कई दिनों से लगातार वे भी और मैं भी यह प्रयास करते रहे कि ब्यावर और अजमेर की पेयजल समस्या भयंकर होने वाली है, सरकार चेते । 31 तारीख को मैंने कहा था कि वहां के ए.ईएन. और जे.ईएन. और जितने अधिकारी हैं वे जानबूझकर यह प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के ऊपर किसी तरह इल्जाम लगे । पानी होते हुए भी उन्होंने उस दिन पानी नहीं दिया । टैंकर्स आ रहे थे, टैंकर्स को खाली नहीं करने दिया उसने । वहां के ए.ईएन. डिस्ट्रीब्यूशन ने यह कहा कि जूते पड़ेंगे तो एक्स.ईएन के पड़ेंगे, जाओ मैं खाली नहीं करने देता । 31 तारीख के बाद 16 जन-प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनी जिसमें कांग्रेस वाले भी, कम्यूनिस्ट पार्टी के भी, जनता दल के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी और दूसरे समाजसेवी भी थे । 16 व्यक्तियों की कमेटी बनकर ओपन टेण्डर हुए, सवा तेरह लाख गैलन पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के टेण्डर उनके सामने हुए । सारी लिखा-पढ़ी रात को 11 बजे तक होती रही । दूसरे दिन बाजार खुलने लगा, थोड़ा-थोड़ा बाजार खुला । 16 आदमियों के साथ फिर और वार्ता हुई, मीटिंग हुई कि जो सवा तेरह लाख गैलन पानी आने वाला है टैंकरों से और बाकी सोर्सेज का भी आने वाला है, उससे सरकार 5 तारीख को 72 घण्टे में ब्यावर को पानी देंगे । यह तय हो गया । यह बात जरूर है कि पिछले चार दिनों के बाद सिर्फ पांच-साढ़े पांच लाख गैलन पानी आया । उसकी वजह से यह तकलीफ हुई । आज बराबर पानी आने लगा है । माननीय मोटवानी जी कह रहे थे कि 12 लाख गैलन पानी से ब्यावर की समस्या का समाधान हो जायेगा । 12 लाख गैलन से नहीं होगा, 12–13 या 14 लाख गैलन तो 72 घण्टे के लिए पानी चाहिए, रोजाना के लिए तो ब्यावर के लिए 40 लाख गैलन चाहिए । इस समस्या का समाधान तो बीसलपुर का पानी आने के बाद जुलाई या अगस्त में होगा । इस समय ब्यावर में बराबर 72 घण्टे में कल प्रातः काल से शुरू हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यह घटनाक्रम यहां बताया गया, दुकानें नहीं खोलने दी

(श्री उगमराज मेहता)

गयीं। इसलिए नहीं खोलने दी गयीं कि चार तारीख को विधान सभा में हम यह कहेंगे, इस पर हंगामा करेंगे। इसलिए इन्होंने दुकानें नहीं खोलने दीं।

एक माननीय सदस्य : आप खुलवा दो जाकर।

श्री उगमराज मेहता : आप सुनिये। मैं सुन रहा था।

शनिवार को अनाज मण्डी खुली है, 45 लाख रुपये का टर्न ओवर हुआ है। दुकानें खुली हैं वहां पर। कल भी चांदगेट खुला था, आज भी चांदगेट खुला है, अजमेरी गेट खुला है, कृषि मण्डी खुली है। यह बात जरूर है कि यहां के लोगों पर गलत मुकदमें बने हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि मुकदमें हटाये जावें। ये जो गलत मुकदमें बनाये गये हैं उसमें एक भी कांग्रेसी को नहीं फंसाया गया। मैं मांग भी नहीं करता कि आप किसी को फंसाइये। किसी को न फंसायें, सब जनता के आदमी हैं। जनता जनार्दन हमारी है। किसी के ऊपर गलत मुकदमें नहीं होने चाहिए। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि कलक्टर का हाथ पकड़कर उसके घूंसे लगाने वाला एक कांग्रेसी, पढ़ा-लिखा व्यक्ति। उसने कहा, आप +++ हैं। उसका जो गनमैन था उसके हाथ से रिवाल्वर खींच ली। अगर वह रिवाल्वर, क्या कहते हैं उसको, दब जाती तो क्या खून-खच्चर नहीं होता। ये माननीय सदस्य राजनैतिक रोटियां सेंकने के लिए वहां गये थे और वहां मीटिंग की है। ब्यावर की जल समस्या का समाधान के लिए नहीं गये। अध्यक्ष महोदय, सरकार बराबर प्रयास कर रही है पानी के लिए। मैं कहता हूं, कल से 72 घण्टे में ब्यावर को पानी मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : आप ब्यावर जाओ।

श्री उगमराज मेहता : ब्यावर था, ब्यावर से आया हूं। तीन दिन से ब्यावर था मैं। जिस प्रकार से कांग्रेस वालों ने हमारे साथी कोगटा जी को भरे बाजार पकड़ा है। चूड़ियां पहनायीं, कांग्रेस वालों ने पहनायी हैं। उनको पहनाकर अजमेरी गेट ले गये। माननीय सदस्य की इन्सल्ट की है आपने। आपके कांग्रेस के साथियों ने की है।

श्री लक्ष्मण सिंह : आप तो ब्यावर के एम. एल. ए. हो, डर क्या रहे हो? जाओ वहां पर।

श्री उगमराज मेहता : आपने इस प्रकार की चूड़ियां और आप आये तो हमने आदर किया है आपका। माननीय दीवान साहब आये थे, लक्ष्मण सिंहजी आये थे, आपका आदर किया है कि आप बैठिये, बिराजिये। हमने इस प्रकार से आपकी इन्सल्ट नहीं की है।

श्री लक्ष्मण सिंह : हम आपकी मर्जी पर नहीं हैं आदर करवाने के लिए, अपने अधिकार से गये थे।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उगमराज मेहता : ...हमारा कार्यकर्ता .. (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : आपका कार्यकर्ता ही आपको मारेगा, वही मारेगा। (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : कोई सरकारी +++ नहीं, सरकार के प्रतिनिधि हैं। आप गृह मंत्री थे 1986 के अन्दर। आपने कितने डण्डे बरसाये हमारे ऊपर ? हमारे ऊपर गलत केस बनाकर के....

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं 1986 में गृह मंत्री था ही नहीं (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : बहुत से कार्यकर्ताओं को .. (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अपने आप पर बरसा रहे हो....

श्री उगम राज मेहता : और आप इस प्रकार से ये बातें करते हो और आप इस प्रकार से अजमेर जिले को जो शांतिपूर्ण है, उसको अशांत मत बनाइये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री उगम राज मेहता : मेहरबानी करके जिले की जल समस्या के समाधान के लिए....

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री उगम राज मेहता : हमको सबको एक साथ होकर...हमको इस समस्या को हल करना चाहिए ...

श्री अध्यक्ष : पाइण्ट ऑफ आर्डर क्या है आपका ?

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि उनके बैठने से कुछ तो खतम हुआ है। आपने दिशा निर्देश दिया, आपने कहा कि डिबेट का पर्टिकूलर लेवल हो। मान्यवर, यह बात आपने 31 तारीख को भी कही। वहां हमने खुद देखा, ब्यावर के स्थानीय विधायक जब बाहर निकले तो इनको डाक बंगले में ही वापस भेज दिया ...

एक माननीय सदस्य : यह कौनसा पाइण्ट ऑफ आर्डर है ?

श्री जगदीप धनखड़ : जनता ने कहा, वापस जाओ, वापस जाओ। और भाई कोगटाजी को, सब अखबारों में छपा है कि चूड़ियां भेंट कीं और, इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसका मैं सदन में वर्णन नहीं कर सकता। पर हम आपके आदेश से बंधे हुए थे... (व्यवधान) ..अध्यक्ष महोदय, आज जब कोगटाजी धोती पहन कर आये तो मैंने कहा, आपको पेंट पहननी चाहिए क्योंकि खबर इस प्रकार की छपी थी.... (व्यवधान).... तो माननीय अध्यक्षजी सब अखबारों में छपा है, मसूदा से आने वाले सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया, जनता ने धोती तक खोल दी, चूड़ियां प्रस्तुत कर दीं ....(व्यवधान) माननीय अध्यक्षजी, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि पानी का संकट ही नहीं है और फिर कहते हैं, पानी की व्यवस्था कल होगी....

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आपका पाइण्ट ऑफ आर्डर क्या हुआ ?

श्री जगदीप धनखड़ : पाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि पूरा डिसआर्डर है ब्यावर में....

श्री अध्यक्ष : चलिये हो गया। माननीय मंत्रीजी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इनकी धोती कहां गयी है। पाइण्ट ऑफ आर्डर है इनकी धोती खुल गयी है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये मंत्रीजी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अपनी धोती खुलने का स्पष्टीकरण दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सोनगराजी बोल रहे हैं, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : धोती खुलने का स्पष्टीकरण दे देना चाहिए।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि अजमेर जिले में पानी की थोड़ी समस्या हुई थी। यह सही है, इसको हम महसूस करते हैं और पानी की जो समस्या थी वह ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : +++ आनी चाहिए, यह थोड़ी समस्या है ? (व्यवधान)

श्री श्रीकिशन सोनगरा : आपकी बात का मैं समर्थन करते हुए बोल रहा हूं। पानी की समस्या को सरकार... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : पानी की समस्या को लेकर सबसे पहले 28 तारीख को अजमेर जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट में हमने जिला प्रशासन और अजमेर के नागरिकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया था और इस आयोजन से यह (व्यवधान) ....सुनिश्चित करना था कि अजमेर की समस्या के समाधान के लिए कुछ कारगर कदम उठाये जायें और उसमें हमने वार्ड-वाइज और जिला स्तर तक की समिति का गठन किया था... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि पत्रकारों को मारकर अच्छा काम किया है, ये नेतागिरी कर रहे हैं .. (व्यवधान)

श्री श्रीकिशन सोनगरा : मैं सबसे पहले राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अजमेर जिले की समस्या के लिए राज्य सरकार से 100 लाख रुपये तो ग्रामीण क्षेत्र की आपात योजना के लिए मंजूर किये थे और शहरी क्षेत्रों के लिए 40 लाख रुपये इन आपात योजनाओं के लिए मंजूर किये थे और उसमें क्रियान्विति हो रही थी और ... (व्यवधान) .. उस क्रियान्विति के अन्तर्गत 28 तारीख को ब्यावर के उप जिलाधीश ने ... (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि पत्रकार नेतागिरी कर रहे हैं, इनकी पिटाई की ... (व्यवधान)

श्री श्रीकिशन सोनगरा : वहां के कुछ नागरिकों ने ए. ई. एन. के साथ मारपीट की ... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : यह सरकार का वक्तव्य है क्या अध्यक्ष महोदय ? सरकार का वक्तव्य आ रहा है क्या यह ?

श्री श्रीकिशन सोनगरा : .... तो निश्चित तौर से आज यह पानी की समस्या के समाधान की ओर प्रयत्न होता। मगर दुर्भाग्य से 28 तारीख के रोज ए. ई. एन. के साथ मारपीट हुई और उस मारपीट की वजह से वह टेण्डर नहीं हो सका और ... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : यह दुर्भाग्यपूर्ण पानी की समस्या है....

श्री श्रीकिशन सोनगरा : यह सही-सही बात कह रहा हूं आपको, इसमें असत्य कुछ नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, इनको शुरू में बुलवा देते कितना अच्छा था। आपने इतनी व्यवस्थित डिबेट करवायी। इतने रचनात्मक सुझाव आये। हमने बहुत सी बातें कहीं.... (व्यवधान)

श्री श्रीकिशन सोनगरा : ब्यावर में जो टेण्डर होने थे वे ए. ई. एन. की पिटाई के बाद नहीं हो सके और उस सबके बाद 31 तारीख को....

श्री जगदीप धनखड़ : इन्होंने जो डाक बंगले में किया उसकी भर्त्सना की जाय। मैं समझता हूं इसको पूरा सदन एक तरीके से....

श्री श्रीकिशन सोनगरा : डाक बंगले में जहां पर जिला प्रशासन के अधिकारी बैठे थे वहां पर हमला बोला गया, बैंक में प्रवेश किया गया, थाने पर पथराव किया गया और उसकी वजह से जो अव्यवस्था हुई, उस अव्यवस्था में बहुत बड़ी तादाद में हमारे नागरिक भी घायल हुए उस पथराव में। मैं यह कहता हूं कि 30 तारीख को जो लायंस क्लब के नागरिक, वहां के संभ्रान्त नागरिक थे वे समस्या लेकर गये थे। मगर वे उसको धीरे-धीरे राजनैतिक रूप देकर 30 तारीख को उसको राजनीति का चोला पहनाया गया और उसके अन्तर्गत थाने पर पथराव हुआ, बैंक जो उसके सामने था, उसमें भीड़ घुसी.... (व्यवधान)... इसके बाद रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ और यह जब कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी.... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष-जी, माननीय मंत्रीजी सही कथन नहीं कह रहे हैं।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : तो इस कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, इस कानून व्यवस्था से आम नागरिक को कैसे राहत प्रदान हो, आम नागरिक जो कानून के राज में जीना चाहता है वह व्यवस्था करने के लिऐ थोड़ा बहुत उन्होंने बल प्रयोग किया और उसकी वजह से उस दिन यह दुर्भाग्य-पूर्ण स्थिति बनी। मैं माननीय अध्यक्षजी,

(श्री श्रीकिशन सोनंगरा)

यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिन डाक बंगले में जिस तरह से सरकारी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिये गये, उनकी हवा निकाल दी गयी और उसके बाद जिस तरह से बैंक में प्रवेश करके और जिस तरह से पुलिसकर्मी घायल हुए.... (व्यवधान) और उस सारे संघर्ष में जो कुछ अच्छे लोगों के हाथ में यह सारा आन्दोलन, प्रदर्शन था, परन्तु कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस तरह से कानून व्यवस्था हाथ में ली, उसमें ब्यावर के नागरिकों को एक व्यवस्था देने के लिए प्रशासन ने कार्यवाही की तो उससे कुंठित होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष-जी, आप इनसे पूछिये, किसको असामाजिक तत्व कह रहे हैं, वकीलों को पत्रकारों को, संभ्रान्त नागरिकों को, किसको कह रहे हैं ?.... (व्यवधान)

श्री श्रीकिशन सोनगरा : .... उसके साथ इस तरह का गाली-गलौज किया था वह अनुसूचित जाति का था, उसको + + + कहा गया, उसको + + + कहा उसको जो कुछ कह सकते थे, हल्के से हल्के शब्द प्रयोग करके उसके साथ हाथापाई की गयी थी.... (व्यवधान).... और इस व्यवस्था से जो वहां नागरिकों को पानी मिलना चाहिए था। यह जो राजनीति की रोटियां सेंकने वाले हैं, इन लोगों ने जिन्होंने.... (व्यवधान).... राजनीति को पानी से जोड़ लिया और इस पानी में भी .. (व्यवधान) ... शहर में पानी उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था कीजिये .. (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंहजी।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज प्रातः काल जब 11.00 बजे यह डिबेट प्रारम्भ हुई थी। इस डिबेट के प्रारम्भ से ही हम लोग बहुत सीरियसली इस बात को उठा रहे थे और किसी भी वक्त वे किसी भी प्रकार की कोई छींटाकशी नहीं की, न ही किसी प्रकार के राजनैतिक आरोप-प्रत्यारोप या दोषारोपण हुए लेकिन हमारे जो मंत्री महोदय अभी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उसको सुनकर अत्यंत दुःख होता है कि राजनैतिक दोषारोपण कर रहे हैं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री लक्ष्मण सिंह : हमने आपके आदेश की पालना की है और आपके आदेश की पालना के अनुरूप ही हमने यहां पर अपनी बातों को प्रस्तुत किया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को रोकिये, इस बात की गम्भीरता समाप्त हो जायेगी.... (व्यवधान) .... इस बात की गम्भीरता को बनाये रखने के लिये इनको अपने स्तर से नीचे नहीं गिरना चाहिये ... (व्यवधान) क्या इसको गवर्नमेंट का रिप्लाई माना जा

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री लक्ष्मण सिंह)

रहा है ... (व्यवधान) ... अगर यह गवर्नमेंट का रिप्लाई है तो हम ब्यावर की जनता को (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह भाषण ब्यावर में बताया गया तो ब्यावर आगे आने वाले कई दिनों तक नहीं खुलेगा और उसके लिए जिम्मेदार मंत्री महोदय होंगे । .. (व्यवधान) ...

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री महोदय का गलत बयान सुनने के लिए कतई तैयार नहीं हैं ... (व्यवधान) जो भी बयान देंगे मुख्य मंत्री महोदय सदन में उपस्थित हैं वे देंगे ... (व्यवधान) ...

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दें, हम मंत्री महोदय का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं (व्यवधान) ..

श्री लक्ष्मण सिंह : अगर इतनी हिम्मत हो तो ब्यावर में जाकर यही भाषण दे देवें, यह बातें कह देंगे तो जनता इनके चिथड़े कर देगी । .. (व्यवधान) ...

श्री शैलेन्द्र जोशी : बिलकुल गलत है, कृपया मंत्री महोदय को बैठायें ।

श्री लक्ष्मण सिंह : ब्यावर में जाकर ये भाषण दे देओ, ब्यावर की जनता इनके चिथड़े कर देगी, हिम्मत है तो वहां जाओ ... (व्यवधान) ...

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय, ब्यावर में जाकर पब्लिक को फेस कीजिये तो मालूम पड़ेगा कि आपका हृश्र क्या होता है .. (व्यवधान)....

श्री लक्ष्मण सिंह : और ये का ये भाषण ब्यावर में देओ.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय सदन को बिलकुल गलत बयान दे रहे हैं, हम इनको नहीं सुनना चाहते हैं और मैं सदन से जा रहा हूं ।

(श्री रामस्वरूप मीणा द्वारा बहिर्गमन)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, पाइन्ट आफ आर्डर ।.... (व्यवधान) ...

अध्यक्षजी, 31 तारीख को सदन में आपने दिशा निर्देश दिये, आपने एक आश्वासन दिया, आपने कहा कि सरकार इस संकट का हल निकालेगी । जब कल दिन में हम ब्यावर गये तो यह बात हमारे मानस पटल पर थी, हम सभी विधायकगण... (व्यवधान).... सुनियेगा । हम सभी विधायक जिलाधीश से मिले, हमने जिलाधीश से पूरा विवरण लिया.... (व्यवधान).. जिलाधीश ने हमको विस्तृत विवरण दिया । जो माननीय मंत्री महोदय ने कहा है वह असत्य है, मंत्री महोदय सदन में यह कह रहे हैं कि....

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल शान्ति समिति की मीटिंग हुई है....(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : सभी विधायक जिलाधीश महोदय से मिले पूरा विवरण लेकर आये .. (व्यवधान)... सरकार के माननीय मंत्री महोदय असत्य बयानी कर रहे हैं....(व्यवधान) ...भारतीय जनता पार्टी के

(श्री जगदीप धनखड़)

पदाधिकारी ने मंत्री महोदय की उपस्थिति में मुझको कहा डाक बंगले में पत्रकारों को मारना .. (व्यवधान)....

श्री उगमराज मेहता : हम तो कह रहे हैं कि....(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : बता देओ नहीं कहा हो तो.... (व्यवधान)....

श्री उगमराज मेहता : पत्रकारों के साथ जो घटना हुई है उसकी भर्त्सना की है....

श्री जगदीप धनखड़ : आपकी उपस्थिति में कहा गया, पत्रकारों पर आरोप लगा.... (व्यवधान) ..

श्री श्रीकिशन सोनगरा : यह कहीं भी न्यायोचित नहीं है, जो हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है....(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं मंत्रीजी आप बिराजिये। मंत्रीजी प्लीज, अब बहुत एक्सरसाइज हो गयी है इसलिए मैं समझता हूं कि आप शान्ति से आगे की कार्यवाही चलायें। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) ....आप सुन लीजिये।

श्री किशन मोटवानी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : अब कहीं तो समाप्त करिये। आप बैठिये। ... (व्यवधान) ... नहीं, कुछ नहीं बोलना है, हो गया।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बुद्धिजीवी तो बाहर चले गये।

श्री भंवर लाल शर्मा (जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं निवेदन करना चाहूंगा सदन के माननीय सदस्यों से कि जिस प्रकार से शान्तिपूर्वक आपकी सब बातें मैंने सुनी हैं कृपया मेरी बात भी आप शान्ति से सुनें।

श्री किशन मोटवानी : श्री सोनगरा को क्यों बुलवाया ?

श्री भंवरलाल शर्मा : क्योंकि जिस विषय पर हम विचार कर रहे हैं यह वास्तव में बहुत ही गम्भीर समस्या है जो पूरे राजस्थान की है और यह कोई मनुष्यकृत ....(व्यवधान)....

श्री किशन मोटवानी : श्री सोनगरा को समझा दीजिये।

श्रीमती शशि दत्ता (राज्य मंत्री, विधि) : श्री सोनगरा बिलकुल सही बोल रहे हैं। ... (व्यवधान)....

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : आप लोगों ने ही चूड़ियां पहनवाई।

श्रीमती शशि दत्ता : हम क्या करें सही बात आपको जंचती नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि काफी देर से आप लोग बहुत शान्ति से बैठे थे और अब बहुत देर तक बैठना सम्भव नहीं होगा इसलिए आप कृपया मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनिये। यह बहुत ही गम्भीर समस्या है पूरे राजस्थान की, सरकार को ही सामना करना है या उसी के लिए चुनौती है, ऐसा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नहीं है। राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के लिए और जन-प्रतिनिधियों के लिए चुनौती है उसमें सरकार आपके साथ है। यही हम चाहते हैं कि सरकार आपके साथ है और हम सरकार के साथ रह कर, आप लोगों के साथ रह कर इस समस्या का समाधान कैसे करें। इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज की चर्चा में और जलदाय विभाग की मांगें थीं उस चर्चा में भी बहुत ही रचनात्मक सुझाव सरकार को दिये गये हैं और सरकार निश्चित रूप से उनका लाभ उठायेगी। आगे भी इस समस्या के समाधान के लिए जैसा माननीय अध्यक्ष ने सुबह कहा था कि मैं कुछ सीनियर लोगों को बोलने का मौका दूंगा और उस सीनियर का अर्थ आपने यह बताया था कि जिन लोगों ने इस विभाग को चलाया है, जो लोग प्रशासन में कई वर्षों तक रहे हैं उनके अनुभव का लाभ सदन को मिले और सरकार को मिले। इसकी कोशिश भी मैं निश्चित रूप से करूंगा। सवाल यह है कि अभी यह समस्या केवल ब्यावर तक सीमित है इसलिए इस समय उसी तक अपने वक्तव्य को मैं पूरा करूंगा। यह बात निर्विवाद है कि ब्यावर में 72 घण्टे और कभी कोई विशेष बात हो गई तो 48 घण्टे में पानी मिला है और कभी-कभी तो समय 72 घण्टे से भी अधिक 100 घण्टे तक भी चला गया है। यह कोई आज नया नहीं है। यह जो मैंने आंकड़े देखे वह सदन के सामने इस समस्या की गहनता है उसको समझाने के लिए रखना चाहूंगा।

श्री गोबिन्द सिंह गुर्जर : हमारे बर्दाश्त की दाद देनी पड़ेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुत धन्यवाद है, सन् 1945 से लेकर अब तक आपने शान्ति रखी उसके लिए निश्चित रूप से धन्यवाद है।... (व्यवधान). देखिये ऐसे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा।

ब्यावर शहर की वर्तमान में जनसंख्या करीब 1 लाख 46 हजार है। शहर में समुचित जल वितरण के लिए प्रतिदिन 26 लाख गैलन पानी की आवश्यकता होती है। इस मांग के विपरीत जून, 1987 में 72 घण्टे पानी दिया गया। जून, 1988 में 72 से 120 घण्टे के अन्तराल से पानी दिया गया। 1989 में 72 से 96 घण्टे और कभी-कभी 120 घण्टे के बाद पानी दिया गया। जून, 1990 में 72 घण्टे, जून, 1991 में फिर 48 घण्टे में, 1992 में 48 घण्टे, दिसम्बर, 1992 में 48 घण्टे, उसके बाद फिर 72 घण्टे। मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले मार्च के महीने में विशेषकर जब यह होली का अवसर आया 25 तारीख से लेकर आगे तक के समय में पानी की जो कमी आयी उसको मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं और इसके कुछ कारण भी हैं, मैंने इनका पता किया और सदन की जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर की जलदाय व्यवस्था के अतिरिक्त जो पानी के सोर्सेज हैं वह एक तो नसीराबाद से पानी मिलता है, एक पानी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक पानी वहां जो जलप्रदाय योजना है उससे प्राप्त होता है। हुआ क्यां इन दिनों ब्यावर शहर जल वितरण के हिसाब से 55 जोन्स में विभाजित है एवं 18-19 जोन्स में प्रतिदिन जल वितरण का प्रयास किया जाता है, परन्तु 26 मार्च

(श्री भंवरलाल शर्मा)

व 28 मार्च को नसीराबाद में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण जो वहां से पानी मिलता है वह पानी पूरा हमको नहीं मिला, एक कारण तो यह हुआ। दिनांक 26-3-1994 से 29-3-1994 तक जल परिवहन की मात्रा में कमी आयी और उसका कारण यह था कि ये होली के दिन थे। होली के दिनों में टैंकर्स पर ड्राइवर्स, क्लिनर्स या जो प्राइवेट लोग रखते हैं वे छुट्टी पर चले गये और समय पर नहीं आये। इस कारण से वह समय आ गया जिस समय हमको नसीराबाद से पानी नहीं मिला। उस समय यह भी एक कारण बना जिससे पानी में और कमी हुई। निमाज-सेंदड़ा पाइप लाइन को 26 व 28 मार्च को फोड़ देने के कारण, उससे भी पानी मिलता है वह नहीं मिला। 26 मार्च व 28 मार्च को खमो के पम्प हाउस में 4-4 घंटे तक हमको बिजली नहीं मिली, इन सब कारणों से ऐसा कुछ दुर्भाग्य समझिये, ऐसी दुर्घटना हो गयी। सारे कारण इन्हीं दिनों में आ गये और उस कारण जो पानी मिलता रहता था, उसमें निश्चित रूप से कमी आयी। हमारे माननीय सदस्य भी गये हैं और मेरे अधिकारी भी वहां जाकर आये हैं, यह तो कारण रहा है लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारा विभाग अगर सतर्क रहता तो निश्चित रूप से इसका कुछ तो समाधान हो सकता था। बहुत बड़ी मात्रा में तो नहीं होता, शायद यह झंझट नहीं होता। इस समय तक तो मैं अपने अधिकारियों से राय लेकर, जानकारी करने के बाद, यदि किसी की इसमें लापरवाही है, उसके खिलाफ तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी लेकिन इन 3-4 कारणों के साथ यह ब्यावर की जल समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है। जिस समय राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद वर्तमान सरकार चुनकर आयी तथा 15 दिसम्बर, 1993 को मैंने दुबारा चार्ज लिया तब मुझे ब्यावर की समस्या का मालूम था कि ब्यावर की समस्या आने वाली गर्मी में फिर सतायेगी। इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं और मेरा विश्वास है कि आप कम से कम सरकार की नीयत की और सरकार के प्रयत्नों की इसमें प्रशंसा करेंगे।

जल वितरण में हो रही कमी को मध्य नजर रखते हुए राज्य सरकार ने, 15 दिसम्बर को चार्ज लेने के बाद 20 दिसम्बर को यानी 5 दिन बाद पहली बैठक में 38.33 लाख रुपये की आपातकालीन योजना बनायी और इसी का ध्यान रखकर कि आगे आने वाली गर्मी में समय कम है, इसलिए उसकी व्यवस्था के लिए यह योजना स्वीकृति, केवल 5 दिन के अन्तराल के बाद, इस योजना के तहत पावर विकास हेतु बनास नदी पर 10 नलकूप और दो कुओं का निर्माण प्रस्तावित किया गया। साथ ही योजना में वर्तमान पाइप लाइन की क्षमता में वृद्धि करने हेतु 8 किलोमीटर अतिरिक्त पाइप लाइन डाला जाना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत 11 नलकूप खोद दिये गये, योजना मंजूर की गयी है दिसम्बर में और 11 नलकूप तो खुद गये और एक कुएं का निर्माण पूरा हो गया व 8 किलो-मीटर पाइप लाइन डाल दी गयी है। इस योजना को 15 अप्रेल तक पूरा करने का अथक प्रयास किया जा रहा है। विश्वास है कि यह पूरी हो जाएगी। इस योजना के

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पूरा होने पर ब्यावर शहर को 3 से 4 लाख गैलन अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इससे अधिक क्या कर सकती है। चूंकि हम जल्दी-जल्दी इस काम को कर सकते थे, वह किया और इसको पूरा करने के लिए, सरकार भी, जैसा प्रतिपक्ष के नेता महोदय कह रहे थे, हम प्रयत्नशील हैं और विश्वास है कि 15 अप्रेल तक शायद हम इसको पूरा कर पायेंगे। इसके साथ ही इस समस्या का स्थायी समाधान बीसलपुर योजना पूरी होने पर ही होगा और जब तक बीसलपुर योजना पूरी नहीं होती है तब तक ये जो छोटे-मोटे प्रयत्न हैं, इसके द्वारा ही काम चलाना पड़ेगा। बीसलपुर योजना के बारे में माननीय ...

श्री परसराम मदेरणा : 12 वैल्स की जो योजना है, यह तो अजमेर और ब्यावर की कॉमन है ना या ब्यावर की है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, अभी तो यह ब्यावर के लिए है। अभी ब्यावर को पानी मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कॉमन है, कॉमन।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उस दिन जो इसका स्पष्टीकरण दिया था कि यह योजना 38 लाख कुछ की है, यह केवल ब्यावर के लिए नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : ब्यावर को इससे 3–4 लाख गैलन पानी मिलेगा।

श्री परसराम मदेरणा : अजमेर और ब्यावर की कॉमन है। इसमें टोटल प्रोडक्शन मेरी समझ में 10 लाख गैलन के आसपास होगा, उसमें से 4 लाख गैलन पानी वहां देने की है और 6 लाख गैलन पानी अजमेर में देने की है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : जल परिवहन की मात्रा दिसम्बर, 1993 में 3.78 लाख गैलन प्रतिदिन थी, इसको बढ़ाकर जनवरी, 94 में 5.27 लाख गैलन, फरवरी में 5.3 लाख गैलन प्रतिदिन किया। इसकी परिवहन की मात्रा भी बढ़ा दी गयी।

श्री परसराम मदेरणा : कौनसी योजना, किसका जिक्र कर रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : दिसम्बर में, जनवरी में, फरवरी में परिवहन की बात कर रहा हूं। टैंकर्स से जो पानी लाते थे, उसमें भी वृद्धि कर दी गयी ताकि ब्यावर में किसी प्रकार का जल संकट खड़ा नहीं हो लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया, ये 3-4 कारण एक साथ आने के कारण लोगों को असुविधा हुई और जितना पानी मिलना चाहिये था उतना पानी समय पर नहीं मिल सका।

बीसलपुर के लिए मैं निवेदन कर रहा था, बीसलपुर की योजना के लिए मैसर्स फैरो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन कम्पनी, इन्दौर को पाइप लाइन बिछाने के आदेश दिनांक 23-8-88 को दिये गये। कार्य की कुल लागत 9 करोड़ 91 लाख रुपये थी, यह कार्य फर्म द्वारा 22-8-90 तक पूर्ण करना था। फर्म ने कार्य समाप्त करने की अवधि

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दिनांक 22-8-90 तक, केवल 15.26 किलोमीटर आउट आफ 37.41 किलोमीटर पाइप लाइन बनायी, इसमें 11.6 किलोमीटर में पाइप बिछाया और 1.4 किलोमीटर में सेक्शन टच करा दी। फर्म ने इस अवधि में लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च किये और 23-8-90 को काम छोड़ दिया, 22-8-90 तक कार्य करना चाहिए था। 23-8-90 को काम छोड़ दिया और काम छोड़ने के बाद कोर्ट में चली गयी। फेरो कंक्रीट कम्पनी द्वारा पंच की नियुक्ति हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय, अजमेर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और पंच की नियुक्ति का यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी विवाद में रहा और अन्ततः दिसम्बर, 1991 में पंच की नियुक्ति हुई। वर्तमान में यह प्रकरण पंच के समक्ष विचाराधीन है। फर्म के कार्य छोड़ने के बाद उक्त कार्य की नई निविदाएं लगायी गयी जिन पर फर्म द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय से इकतरफा स्थगन प्राप्त कर लिया गया। चूंकि नये टेण्डर फर्म को नहीं दिये गये। स्थगन आदेश को निरस्त कराने के उपरान्त नई निविदाओं के माध्यम से 10-8-92 को फैरो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा छोड़ा गया काम अन्य फर्म मैसर्स आई. एस. पी. को आवंटित किया गया जिसने ये सब काम अब पूर्ण कर दिया है और जैसे ही ...

श्री परसराम मदेरणा : ये प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपने पहले ही कह दिया कि इतनी-इतनी लम्बाई की....

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, यह तो पूर्ण हो गया। आई. एम. रिपोर्टिंग।

श्री परसराम मदेरणा : अजमेर के लिए, नसीराबाद के लिए, ब्यावर के लिए....

श्री भंवरलाल शर्मा : आई एम ओनली रिपोर्टिंग।

श्री परसराम मदेरणा : उसमें तो अब पानी आयेगा जुलाई....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह मैं निवेदन कर रहा हूं ...

श्री परसराम मदेरणा : इमरजेन्सी में मीट आउट कराने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं, वह बताओ ना आप ?

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो मैंने निवेदन कर दिया ना आपको। जैसा माननीय मोटवानी जी ने कहा कि इसमें बहुत देरी कर दी और आपके कारण देरी हो गयी, वह मेरे कारण से देरी नहीं हुई है। यू आलसो नो इट। जैसे ही यह समस्या सामने आने लगी थी तो मैं स्वयं आपको साथ लेकर, जिसको आपने भी कहा है और एप्रिशियेट किया है, उसके लिए धन्यवाद आपको। अपन साथ चले थे काहे के लिए चले थे ? इसीलिए चले थे कि इस समस्या का समाधान हो, आगे आने वाली गर्मी में पानी मिल जाए तो यह संकट कम हो जाए और मेरा ऐसा विश्वास मोटवानी साहब आपके साथ है, यह जो हम समझ रहे हैं जुलाई तक यानी यह गर्मी तो हमको जैसे-वैसे निकालनी पड़ेगी लेकिन अगली आने वाली गर्मी के पहले,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बीसलपुर की यह स्कीम है, मैं तो भगवान पर भरोसा करता हूं, यह निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी और आगे पानी का संकट नहीं आयेगा।

अब जो वर्तमान समस्या है उसके लिए जैसा मैंने निवेदन किया, अब नसीराबाद से पानी आने लग गया, टैंकर्स भी अब लगा दिये गये हैं, उनमें भी अब कोई दिक्कत नहीं है। जो लाइन तोड़ दी गयी थी वह अब जोड़ दी गयी है और उस पर भविष्य में तोड़-फोड़ करके पानी न चोरी जाए, पानी न निकाला जाए, उसकी निगरानी भी करने की व्यवस्था कर दी गयी है। इसी के साथ-साथ इसमें जनता की भागीदारी कैसे हो, कई माननीय सदस्यों की शिकायत थी कि पानी के टैंकर्स आते तो हैं, आने की गिनती होती है लेकिन वे उतना पानी देते हैं कि नहीं देते हैं, उसको चेक करने के लिए जनता का सहयोग लेना चाहिए। उसके लिए अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है, वह हमारे संभागीय आयुक्त ने, माननीय सदस्यों को भी जानकारी होगी, वे स्वयं भी वहां जाकर आये हैं। वहां 16 व्यक्तियों की एक नगर समिति गठित की गयी है जो वितरण व्यवस्था की मानीटरिंग करेगी। पूरे शहर को दो क्षेत्र में विभाजित करके सहायक दण्डनायक व तहसीलदार को इन्चार्ज बनाया गया है। इनके साथ एक-एक सहायक अभियन्ता और तीन-तीन कनिष्ठ अभियन्ता लगाये गये हैं। इस प्रकार मानीटरिंग करने के बाद कभी-कभी यह शिकायत आ सकती है यानी उसके कारण गड़बड़ी होती है, उसमें भी रूकावट आयेगी और पानी की व्यवस्था ठीक हो सकेगी। एक खुला कुआ जो सांडला में खोद दिया गया है वह चालू कर दिया गया है, इससे लगभग 10,000 गैलन पानी और मिलना शुरू हो गया है। एक टैंकर और लगाया गया जिससे 20,000 गैलन पानी मिल रहा है और नसीराबाद से भी जो पानी पिछले दिनों नहीं मिल रहा था, वह भी मिलना शुरू हो गया है।

तो मेरा ऐसा विश्वास है कि इन सबके बाद जो ब्यावर की समस्या 5-7 दिन के लिए दुर्भाग्य से हो गयी थी अब वह स्थिति नहीं है। आज की स्थिति ठीक है। लेकिन आप यह सब जानते हैं कि एक बार जब सिस्टम में थोड़ा डिस्टरबेंस होता है तो दुबारा उसको आने में कुछ समय लगता है। अब वह काफी ठीक है जो मेरी जानकारी है और मेरे अधिकारियों का कहना है कि शायद एक-दो दिन में, जो 72 घण्टे की सप्लाई मिलती थी, वह दे पायेंगे। मुझे इसमें भरोसा है और लगातार इसकी मानीटरिंग भी कर रहे हैं और जैसा आपने फर्माया था मुख्य मंत्रीजी भी लगातार इसको देख रहे हैं, अधिकारी भी वहां जाकर आये हैं, सारी समस्या को समझकर आये हैं और उसके निर्देश दिये हैं। हमारे चीफ इंजीनियर भी गये हैं, सचिव महोदय भी गये हैं और माननीय सदस्य भी गये हैं इधर से भी, उधर से भी, उन्होंने कुछ जानकारी दी है उस आधार पर इस समस्या का समाधान कैसे हो और नीचे के स्तर पर लोग ईमानदारी से लगातार काम करते रहें उसकी मानीटरिंग, निगरानी करने के लिए निश्चित प्रयत्न किया जाएगा और यह जो कमेटी बनी है इसके आधार पर ऐसा लगता

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है कि इसमें कोई कमी नहीं रहेगी और भगवान ठीक ही करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ..

अनेक माननीय सदस्य : भगवान भरोसे हो ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कर्म करो और भगवान को समर्पण करो । यह गीता में लिखा है ।

श्री भंवर लाल शर्मा : आप हमेशा करो। प्रयत्न हमारे और सरकार के फल भगवान के हाथ में है। आपके हाथ में है तो आप दे देना । यह तो भगवान के हाथ में है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी ।

श्री किशन मोटवानी : मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं क्या ?

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी से पूछ लेना । मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं तो अच्छा है उन्हीं से पूछिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूछ लो । आप पूछो ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपको अनुमति नहीं है । है । यह तो मोटवानी जी पूछ रहे हैं। आपको नहीं पूछना है, मोटवानीजी को पूछना है ।

श्री किशन मोटवानी : आपने आपात योजना की बात की । 20 दिसम्बर को ही आपने निर्णय ले लिया था । उसकी टार्गेट डेट थी 31 मार्च । एम. आई. करेक्ट और रांग ?

श्री भंवर लाल शर्मा : मैं यह देख लूंगा । 31 मार्च ही था । क्या हो गया उसमें । अगर 31 मार्च ही था ...

श्री किशन मोटवानी : आपको एक बात और याद दिलाऊंगा । मैंने आपको धन्यवाद दिया, आप मेरे साथ चले, मानीटरिंग की, बहुत अच्छा काम हुआ । इस मानीटरिंग के बगैर इतनी बड़ी योजना सफल नहीं हो सकती । मैंने आपको वहीं पर कहा था कि यह जो आपात योजना थी और बनास के बैल्ट में वेल्स खोदने की जो योजना आपको दी है मैंने उस समय ही प्रतिवाद किया था और मैंने कहा था कि जहां कुएं आलरेडी सूख चुके हैं वहां अगर ये कुएं खोदे जाएंगे तो स्रोत कहां से आयेंगे । उन गांवों में अगर स्रोत होता तो पानी आता फिर नये कुछ खोदने की जरूरत नहीं थी । तब आपको यह कहा गया कि भंवरथला में खोद लेंगे । भंवरथला पहले ही क्यों नहीं खोदा, अब आये हैं आप भंवरथला पर । यह जो प्रशासनिक अव्यवस्था हुई है उसकी भी आप कोई इन्क्वायरी या जानकारी करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री भंवर लाल शर्मा : निश्चित करेंगे ।

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय मंत्रीजी ने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ब्यावर में .5 लाख गैलन पानी लेते हैं आपने इस समस्या की गहराई में जाने का सम्भवतः प्रयास नहीं किया या आपको मिसगाइड

(श्री लक्ष्मण सिंह)

किया गया। 5 लाख गैलन के लिए मंत्री महोदय मैं पहले भी तीन बार कह चुका हूं वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा नहीं आता और यह सिर्फ होली की ही बात नहीं है होली के पहले भी यही समस्या थी। डेढ़ महीने पहले मैंने 131 में ध्यानाकर्षण दिया था उसका रिप्लाई होली के पहले आपने मुझे दिया है। उसके अन्दर भी आपने इस प्राब्लम को माना है कि 120 घण्टे के अन्दर कई बार पानी दिया गया है। तो 5 लाख गैलन ट्रांसपोर्टेशन से आने के बजाय वहां सिर्फ एक-डेढ़ लाख गैलन आता है। आंकड़ों में फर्जी आंकड़े बनते हैं और हेराफेरी होती है। इसलिए डेढ़ लाख गैलन की जगह 5 लाख गैलन एग्जेक्ट पानी वहां पर आये इसके लिए मंत्री महोदय, आपने क्या किया और क्या करेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यही मैंने निवेदन किया कि यह जो कमेटी बनी है इस पर तो विश्वास रखेंगे अपन।

श्री लक्ष्मण सिंह : कमेटी के विश्वास पर नहीं, आपका विभाग क्या करेगा ?

श्री भंवर लाल शर्मा : हमारा विभाग तो निगरानी रखेगा ही।

श्री लक्ष्मण सिंह : विभाग इस पर क्या कर रहा है ? .. (व्यवधान).... अब आपका डिसिप्लिन देख लीजिए। आप बोल रहे हैं या आप बोल रहे हैं।.... (व्यवधान)....

श्री उगमराज मेहता : उसका खर्चा सरकार देगी यह फैसला हुआ है कमेटी में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में जिस प्रकार की घटना हुई है उसके लिए सदन के माननीय सदस्यों ने बहुत ही चिन्ता प्रकट की है। वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना के लिए मुझे भी खेद है। पानी की समस्या को लेकर यह सब कुछ हुआ है। पानी के विषय में माननीय मंत्री महोदय ने स्थिति का स्पष्टीकरण किया और साथ ही यह भी बताया है कि यह संकट किस कारण से उत्पन्न हुआ और इस संकट का समाधान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या प्रयत्न किये गये। प्रतिपक्ष के नेता ने और फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताया कि यह संकट कोई ब्यावर, नसीराबाद और अजमेर का नहीं है। यह संकट पूरे राजस्थान का है मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और इसको केवल ब्यावर, अजमेर या नसीराबाद के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखता। हमें विचार यह करना पड़ेगा कि इस संकट का समाधान किस प्रकार से किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस समस्या के स्थायी समाधान का प्रश्न है उस पर तो विचार किया ही जाएगा लेकिन तात्कालिक रूप में हम किस प्रकार से समाधान कर सकते हैं इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहां यह चर्चा की गयी कि पानी हो तो भी उसके वितरण की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं थी। सरकार ने धनराशि का प्रावधान भी किया हो तो समय पर उसका उपयोग

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होने के साथ-साथ त्वरित गति से जो काम होना चाहिए उस काम में उस प्रकार की गति भी नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि पानी के मामले में साधनों का किसी प्रकार का अभाव नहीं रहने दिया जाएगा। जहां भी आवश्यक होंगे और जितने आवश्यक होंगे साधन उपलब्ध कराये जाएंगे लेकिन यह समस्या तो ऐसी है कि साधन कहीं धरे न रह जाएं और समस्या का स्वरूप बिगड़ न जाए इस चीज पर निरन्तर मानीटरिंग की आवश्यकता है और तत्काल किस प्रकार के उपाय किये जा सकें उन पर तुरन्त एक्शन लिए जाने की आवश्यकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस पानी के विषय में आज की चर्चा में राजनीतिक विषय नहीं बनाया गया। जो संकट है उस संकट में कुछ एग्जेरेशन हो सकता है लेकिन इस बात की मांग की गयी कि इसकी मानीटरिंग बढ़िया ढंग से होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सरकार तो अपना प्रयत्न कर रही है लेकिन अगर सरकार को सदन का भी सहयोग मिल जाए तो इस सारी व्यवस्था में कुछ सुधार होगा, कुछ नियमितता इसमें अपने आप आयेगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आपकी अध्यक्षता में यदि आप अनुमति दें तो एक इस प्रकार की कमेटी का गठन किया जाए जो सारे हमारे साधनों को भी देखें, कहां-कहां पीने के पानी का संकट है उस संकट की भी जानकारी कर लें और उस समाधान के उपाय को लागू कराने के सम्बन्ध में जिस प्रकार का नियंत्रण किया जा सकता है उस प्रकार का नियंत्रण भी करें। इस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता उसके सदस्य बनें। हमारी ओर से पी.एच.ई.डी. के मंत्री उसके सदस्य बनेंगे साथ ही उदयपुर डिवीजन और उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो सकता है उसके लिए मैं गुलाब सिंहजी शक्तावत का नाम प्रस्तावित करूंगा कि गुलाब सिंहजी भी इसके सदस्य हो जाएं। हमारी तरफ से कुछ ऐसे क्षेत्र सीकर, झुंझुनूं और बीकानेर डिवीजन हैं उसका रिप्रजेन्ट करने के लिए मैं श्री घनश्याम तिवाड़ी का नाम प्रस्तावित करूंगा। उसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, ये दो-तीन नाम जो मैंने बताये हैं मैं फिर आप पर छोड़ता हूं ...

श्री रामस्वरूप : सवाईमाधोपुर से ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक श्री परसादी लाल जी भी रह सकते हैं। नागौर जिले के श्री भंवर सिंहजी हैं और फिर अध्यक्ष महोदय, मैं आप पर छोड़ता हूं जिस क्षेत्र का इस समस्या में प्रतिनिधि लेना चाहिए आप ले लें और जिस प्रकार से भी इसकी मानीटरिंग हो सकती है उसकी मानीटरिंग की व्यवस्था करें। राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा और उस सहयोग के आधार पर मेरा विश्वास है कि स्थिति में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। अब यह बात सही है कि पीने के पानी की कमी है, इसमें कोई संदेह नहीं और इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि

Page No. 93

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गांव के कुण्ड बनाने की व्यवस्था की जाए ताकि बरसात के पानी को कंजर्व किया जा सके। मैं समझता हूं कि विचार बहुत सुन्दर है, पहले भी इस प्रकार का एक्सपरीमेंट हुआ है। उस एक्सपरीमेंट के कारण कुछ जगह इस प्रकार के टांकें या कुण्ड बनाये गये लेकिन उनसे ज्यादा जितनी हम अपेक्षा करते थे उतने अपेक्षाकृत परिणाम नहीं निकले। फिर भी मैं आपके विचार से सहमत हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, तालाबों का कहा है . .

श्री राजेन्द्र राठौड़ : टांके बोले थे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : टांका तो खैर छोटा सा होता है, टांका तो एक परिवार का, एक परिवार का टांका हल है लेकिन गांव के लिए तो पुराने तालाब हैं, उनकी कैपेसिटी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जोहड़।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, अभी भी डी. आर. डी. ए. के अन्तर्गत आपके पशुधन के लिए डेजर्ट डवलपमेंट में उन जिलों में टांकें बन रहे हैं।...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, है। बन रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन वह बहुत छोटे टांके हैं इसलिए बड़े टांके नहीं होंगे तो फिर पशुधन के लिए आप दस हजार का टांका बना रहे हैं, पन्द्रह-बीस दिन में पानी खतम हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है। मैं नहीं बना रहा हूं, यह योजना में है।

श्री परसराम मदेरणा : हां, योजना ऊपर से है, वह योजना गलत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह योजना ऊपर से आयी है, वह मेरी भी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं है. वह हो सकता है। ऊपर से जो योजना बन कर आयी है वह योजना ठीक नहीं है और हमको गवर्नमेंट आफ इण्डिया को लिखना चाहिए कि वह इस तरह से पशुधन को पानी पिलाने के लिए छोटे टांकें दस हजार के, इनकी कोई खास उपयोगिता नहीं रहेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सही बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी बात मानता हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कुण्ड और तालाबों पर जोर दें, तालाब हैं मुख्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि तालाबों पर जोर दिया जाए लेकिन आप मन में सब जानते हैं कि तालाबों की जमीन पर कितना एनक्रोचमेंट हुआ है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह हटाओ, श्रीमन्।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप विचार कर लीजिए। समस्या गम्भीर बन गयी है। तालाब यदि उसी प्रकार से अक्षुण्ण रहते तो शायद यह समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन शनैः शनैः तालाबों पर एनक्रोचमेंट हो गये, उनके कैचमेंट एरिया के अन्दर खेती होने लग गयी, तालाबों की आवक कम हो गयी। केवल आज तालाबों के भरोसे हम बैठे रहेंगे तो पानी उतना नहीं मिल सकेगा और इस कारण मैं कहना चाहता हूं कि आपकी यह कमेटी जल्दी ही इस विषय पर भी विचार कर ले कि तालाबों में जहां आवक नहीं है, क्या वहां हमें किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने आपसे पहले निवेदन किया....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया था, मैंने कहा कि सर्वे कराओ, मतलब कौन सा अभी आबाद है और वह हो सकता है उनका पुनर्निर्माण ...

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : इनकी तो लम्बी योजना है, फाइव ईयर प्लान है, आप तो एक-दो कण्टिण्जेंसी प्लान बनाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैंने आपको बताया न कि कण्टिण्जेंसी प्लान है, इसमें कोई यह नहीं है। लेकिन आप सब जानते हैं मन में, मैं भी घूमता रहता हूं, तालाबों की स्थिति भी देखता हूं। कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा जो अपने क्षेत्र के और आस-पास के क्षेत्रों के तालाबों की स्थिति क्या है उसका ज्ञान नहीं रखता हो। ज्ञान है और ज्ञान में दो ही बातें आती हैं कि तालाबों की धरती पर एनक्रोचमेंट हो गया और उसके साथ-साथ उनके कैचमेंट के एरिया में खेती होने लग गयी। पानी की आवक कम हो गयी और उस आवक के कारण से यह समस्या उत्पन्न हुई है। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे चाहूंगा, यदि इस प्रकार के तालाब आज भी अगर आपको कोई सुरक्षित मिल जाते हैं, जिनमें आवक हो, उनमें किसी प्रकार के इनवेस्टमेंट करने की आवश्यकता हो तो उसमें निश्चित रूप से इनवेस्टमेंट करने में हमें कोई संकोच नहीं होगा। जहां तक पूरे राजस्थान का प्रश्न आता है, अब पूरे राजस्थान में टैंकर्स की व्यवस्था जहां बिल्कुल पीने के पानी का साधन नहीं है, वहां टैंकर से पानी पहुंचाया जा सकता है, कोई आज के दिन हम पाइप लाइन ले जाएं या आज के दिन वहां टंकी लगा दें तो टंकी और पाइप लाइन तो तब इफेक्टिव होंगे जब पानी के लिए कोई सोर्स मिलेगा। आज तो सोर्स भी एक प्रकार का संकट बना हुआ है। जहां तक हैण्ड पम्पों का आपने जिक्र किया कि राजस्थान के इतने गांवों में हैण्ड पम्प हैं, इतने गांवों में रीजनल पाइप लाइन स्कीम है, इतने में ट्रेडिशनल स्कीम्स चल रही हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि इसका कोई अध्ययन करे। मुझे आज तो याद नहीं है लेकिन आज से दो-तीन वर्ष पहले मैंने इस सारी व्यवस्था का पूरी तरह से अध्ययन किया है। और अध्ययन करने के बाद में मुझे लगा कि 1947 तो छोड़ दीजिए, 1952 से लेकर अब तक कितने गांव समस्याग्रस्त रहे हैं, यह भी एक बहुत कन्फ्यूजिंग फेक्टर रहा है। कई बार हमने कह दिया 38 हजार गांवों में से 30 हजार गांवों में समस्या का समाधान हो गया और दूसरी बार जब हमने उसका फिर मूल्यांकन किया तो 30 हजार से हम 22 हजार पर आ गये, कई बार 22 हजार से सीधे 32

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हजार पर पहुंच गये और यह जो आंकड़े हैं, यह आंकड़े इतने कन्फ्यूजिंग हैं ..

श्री रामनारायण चौधरी : फर्जी हैं यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फर्जी मैंने नहीं बनाये।

श्री रामनारायण चौधरी : अब आपकी सरकार ने बनाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मेरी सरकार ने नहीं बनाये, यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : हर चीज आप अपने ऊपर क्यों लेओ, फर्जी हैं सो हैं।

एक माननीय सदस्य : आप तो इसको ठीक कर लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस रूप में फर्जी नहीं मानता कि केवल आंकड़े बनाने के लिए फर्जी आंकड़े बनाये। मैं इसलिए नहीं मानता कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि गांव में पीने के पानी की समस्या नहीं रहती और जहां समस्या नहीं रहती तो उस गांव को हम समस्याग्रस्त नहीं बता सकते। लेकिन दूसरे वर्ष अकाल पड़ गया, बरसात की कमी हो गयी, तालाब सूख गये, हैण्ड पम्प सूख गये, रीजनल पाइप लाइन स्कीम का सोर्स सूख गया और सोर्स सूखा भी नहीं तो टेल एण्ड के ऊपर पानी नहीं पहुंचा, उन गांवों को हमने फिर समस्याग्रस्त गांवों में शामिल कर लिया और इसके कारण यह एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि राज्य के कितने गांवों में वास्तव में समस्या है और कितने गांवों में समस्या नहीं है। मैं इस कन्फ्यूजन में नहीं जाना चाहता पर यह आंकड़े और प्रकृति, इन दोनों का तालमेल बैठता हो कि जहां पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाए, वह तो समाधान हो गया और जहां इस प्रकार की समस्या बनी हुई है वह समस्याग्रस्त गांव रह गया। उस स्थिति में केवल आंकड़ों के आधार पर मैं नहीं जाता, मैं केवल वास्तविकता के आधार पर जाना चाहता हूं कि आंकड़े बनाने का कारण क्या है और आंकड़े बनाने के पीछे किसी की दुर्भावना नहीं है। बरसात में आंकड़े बनेंगे तो समस्या नहीं होगी और यदि अकाल पड़ गया और मई, जून, जुलाई में जहां बरसात नहीं हो उस समय यदि आंकड़े बने तो आंकड़े दूसरी प्रकार के बनेंगे, यह एक स्वाभाविक बात है। इसमें कोई जानबूझकर फर्जी आंकड़े बताते हैं, इस तरह का नहीं। मैं तो केवल इसलिए कहता हूं कि इसके कारण से बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रियेट कई बार होता है और कन्फ्यूजन क्रियेट जब होता है तो चाहे प्लान डवलपमेंट की बात हो, चाहे बजट में धनराशि के प्रावधान रखने की बात हो, चाहे भारत सरकार से धन लेने की बात हो, इन आंकड़ों के कारण धन प्राप्ति का भी एक मार्ग बन जाता है और इसलिए कई बार समस्याग्रस्त गांव बहुत बतायें, भारत सरकार से कहा कि हमारे क्षेत्र में या हमारे राज्य में पीने के पानी की समस्या है, इतने गांव समस्याग्रस्त हैं, ज्यादा से ज्यादा धन लाने की कोशिश करते हैं। वह भी एक इस प्रकार का मापदण्ड है। उस सारी स्थिति में इन आंकड़ों पर जाने की बजाय हमें इस समस्या का वास्तविक रूप पहचान कर उसका किस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रकार से समाधान करना है, मैं चाहूंगा कि यह समिति इस पर भी विचार कर राज्य सरकार को सुझाव देगी। अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर योजना के बारे में जिक्र किया। माननीय मंत्री महोदय ने बीसलपुर की सारी स्थिति से अवगत करा दिया, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। लेकिन बीसलपुर के पीछे भी अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि कई बार इस बात का विवाद खड़ा हुआ कि बीसलपुर का पानी ब्यावर को दिया जाए या नहीं दिया जाए।

श्री किशन मोटवानी : बीसलपुर पर नहीं हुआ, बनास वाले पर जरूर हुआ। बनास का पानी जो आज भी अजमेर को मिल रहा है उसमें से कटौती करके दिये जाने पर जरूर आपत्ति हुई। बीसलपुर से- it is a partner.

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : बीसलपुर का तो पानी आ ही नहीं रहा अभी। जब आये तब दे देना आप।

श्री किशन मोटवानी : Total partner.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आ नहीं रहा है। मैं यह बताता हूं कि आने के पहले झगड़ा कर लिया।

श्री किशन मोटवानी : नहीं-नहीं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : कोई झगड़ा नहीं है, आ जाए तब दे देना उनको।

श्री किशन मोटवानी : रिकार्ड स्ट्रेटन हो जाए, हमने कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। बनास पर आफकोर्स जब हम कह रहे हैं कि हमारी भूख है तो हमारी भूख नहीं मिटे और हमारा पेट काट दो, यह हमारा कहना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है।

श्री उगमराज मेहता : आपके दस्तखत हैं, पांच लाख गैलन पानी देने के आपके दस्तखत हैं, कमिश्नर के आफिस में मीटिंग में। आपके भी दस्तखत हैं, माणक डाणी के भी दस्तखत हैं कि बनास से पानी आये, ब्यावर को पांच लाख गैलन पानी दिया जाएगा।

श्री किशन मोटवानी : दे दिया तो यह हमारा बड़प्पन है। हम क्या कर रहे हैं अब। आप क्या करना चाहते हैं। हमारी मेहरबानी मानो, आप हमारा आभार मानो।

श्री उगमराज मेहता : नहीं, आप कह रहे हैं नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बड़प्पन आपका मानता हूं कि आपने पांच लाख गैलन पानी देने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। यह तो सही है, लेकिन फिर भी जिस समय आपने कहा कि बनास का पानी नहीं आना चाहिए, बनास का पानी ब्यावर में नहीं जाना चाहिए...

श्री किशन मोटवानी : मैं आपकी अव्यवस्था की बात करता हूं। यह व्यवस्था नहीं है। जो भूखा है उसका पेट काट कर दो यह नहीं, मेरा कहना है आपसे।

(16.00)

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिलकुल सही है, इसलिए मैं समझ गया न.... (व्यवधान) ...

श्री लक्ष्मण सिंह : आप ब्यावर का इन्तजाम करिये, अजमेर और ब्यावर में लड़ाई मत करवाइये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं दोनों को एक रखना चाहता हूं लक्ष्मण सिंहजी आपको और मोटवानीजी को लेकिन रखते हुए दोनों की स्थिति क्या है, उसका तो ज्ञान करवाना चाहता हूं (व्यवधान) .. अच्छा देखिए, यह तो आपको जानकारी है, आज अभी हाउस में .आपने कहा कि बनास का पानी वहां नहीं जाना चाहिए....

श्री किशन मोटवानी : यह भी क्यों नहीं करते आप ?.... (व्यवधान) ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : अच्छा, बनास का पानी आएगा किधर से ?

श्री किशन मोटवानी : नसीराबाद से जाएगा अजमेर ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आएगा ।

श्री किशन मोटवानी : आ रहा है ना वह ... (व्यवधान) ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यही तो कह रहा हूं ।

श्री किशन मोटवानी : आप चाहे बनास का पानी ब्यावर में नहीं पहुंचे यह कहो, चाहे बीसलपुर का पानी ब्यावर में नहीं पहुंचे यह कहो, दोनों में कोई अन्तर नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय मुख्य मंत्रीजी, दोनों अलग-अलग चीजें हैं । बनास के पानी की योजना अलग है, बीसलपुर के पानी की योजना अलग है ।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी बनास का पानी ट्यूब वैल वाटर है, बीसलपुर का सरफेस वाटर है, इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी, बीसलपुर योजना के निर्माण के साथ ही ब्यावर को पानी 160 लाख लीटर प्रतिदिन देने की याजना भी सम्मिलित थी, बीसलपुर योजना में और ब्यावर के सम्बन्ध में कभी नहीं हुआ । हुआ यह कि जयपुर को पानी देने की पहले कोई योजना नहीं थी और यह जयपुर की योजना बाद में सम्मिलित की गयी ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, इसमें ब्यावर .की है, लेकिन मैं तो मोटवानीजी को कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा । मोटवानीजी को कह रहा हूं, आप नाराज क्यों हो रहे हैं ?

श्री किशन मोटवानी : नहीं-नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं ? Why do you want to creat the confusion ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने इस बात का विरोध किया (व्यवधान) ..

श्री किशन मोटवानी : आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप कन्फ्यूजन क्रिएट करें । मैंने आपको एक सामान्य तरीके से बात कही, आप इसको सामान्य बात कहिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिए, मैं कोई कंफ्यूजन .. (व्यवधान) ... मैं सामान्य तरीके से ही कहना चाहता हूं, जो आपने खुद ने स्वीकार कर लिया कि बनास का पानी ब्यावर को नहीं जाना चाहिए ।

श्री किशन मोटवानी : हां, आज भी कहता हूं, आप व्यवस्था करें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज कह रहे हैं, अब आज भी कह रहे हैं तो मुझे यह विचार करना पड़ेगा कि बनास का पानी ब्यावर को नहीं पहुंचेगा तो ब्यावर वालों की हालत खराब होगी या अच्छी होगी । हम तो यह समझते हैं कि जुलाई में या जून में किसी तरह से भी बनास का पानी ब्यावर को पहुंच जाए और आज भी आप विरोध करते हैं कि बनास का पानी ब्यावर नहीं पहुंचना चाहिए । (व्यवधान) ...

श्री किशन मोटवानी : बीसलपुर की बात कर रहे हैं, साहब ।

श्रीमती कमला : आप जानते हुए भी कि दो चीजें अलग-अलग हैं, उसको एक कर रहे हैं, ... (व्यवधान) ...

श्री किशन मोटवानी : अब आप थक गये हैं जनाब, आप थकते हैं तो डाइवर्ट हो जाते हैं । थक गये हैं तो आराम करके फिर बोलिये, डाइवर्ट क्यों करते हैं ?

श्रीमती कमला : बनास की जो योजना है, जिससे आज इनको पानी मिल रहा है, ट्यूब वैल वाटर, उसके लिए कह रहे हैं, यह थोड़े ही कह रहे हैं कि बनास पर जो बांध बन रहा है बीसलपुर उसे मत दो.... (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल यह पाइंट स्कोर करने के लिए मोटवानीजी नहीं कर रहा हूं, लेकिन सदन को इस बात की जानकारी मिल जाए कि ब्यावर को पानी मिले, इसकी चिन्ता किन-किन को है, केवल इतना सा मेरा प्रश्न है ।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मुख्य मंत्री जी, वह पांच लाख गैलन के मिस मैनेजमेंट को देखिए । उधर सिर्फ दो लाख गैलन मिल रहा है, उधर पांच लाख गैलन की जगह दो लाख गैलन आ रहा है, उसको देखिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिलकुल सही है, आपने कहा कि मिस मैनेजमेंट रोकें, यह आपकी भी इच्छा है और हमारी भी इच्छा है कि मिस मैनेजमेंट रोका जाए । पानी पर खर्च करें, टैंकर भी लगें और लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो, वास्तव में इस पर निगरानी रखनी चाहिए और इसलिए मैंने इस समिति के बारे में माननीय अध्यक्ष से निवेदन किया है । इस चीज को देखें ।

अब, अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर इसका एक स्थायी समाधान हो सकता है । उस बीसलपुर से यह स्थायी समाधान करने के लिऐ जितनी धनराशि का प्रावधान किया है, वह धनराशि मंत्री महोदय ने आपके सामने बता दी । हम अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस काम में सफलता मिले और पानी यहां पहुंचे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ताकि इस समस्या का सदा के लिये हम समाधान कर सके।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर पुलिस के व्यवहार और प्रशासन के सम्बन्ध में भी आलोचना की गयी। कई माननीय सदस्य तो यहां तक कह गये कि जलियावाला बाग जैसी स्थिति पैदा हुई। मैं ऐसा समझता हूं कि आप चाहे ब्यावर में प्रशासन की बात की आलोचना करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको आलोचना करनी चाहिए। विपक्ष में आप बैठे हैं लेकिन जलियावाला बाग से उसको मत जोड़ो, उससे ब्यावर का महत्व तो बढ़ेगा नहीं बल्कि जलियावाला बाग का महत्व कम होगा। इस पूरे वर्ष को जलियावाला बाग के रूप में मनाये जाने की भारत सरकार की योजना है और यदि उस योजना में आप उसको इस स्तर पर ले करके आ जाओ कि ब्यावर में जो कुछ हो गया वह जलियावाला बाग जैसी स्थिति हो गयी, तो जलियावाला बाग में जिन शहीदों की कुर्बानियां हुई हैं, उसका महत्व घटाने की एक प्रकार की कुचेष्टा होगी।

श्री लक्ष्मणसिंह : जलियावाला बाग में तो माननीय मुख्य मंत्रीजी अंग्रेजों ने अत्याचार किये थे लेकिन यहां पर आपकी सरकार ने, उन्हीं को, जिन्होंने आपको वोट दिये, अत्याचार किये। उनकी दशा देखते तो सम्भवतः आप भी यही कहते। हम देखकर के आये हैं, सिर फटे हुए थे, किसी कि मृत्यु नहीं हुई, इसका मतलब यह नहीं कि जलियावाला बाग की तुलना न की गयी हो। आपकी इच्छा, अगर यह ठीक है, मर जाते और तभी उनकी डिबेट करते। मतलब आप इंतजार कर रहे थे। आपका मापदण्ड यही है, मुख्य मंत्रीजी, कि वहां कोई मरता, तब तो जलियावाला बाग के समान था और चूंकि कोई मरा नहीं है इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि आज जलियावाला बाग, आप ब्यावर की घटना को बता रहे हैं, आप जिस वक्त गृह राज्य मंत्री थे, आसन जिलेलाव गांव में क्या हुआ था ? वह कौनसा बाग हुआ था ?

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी मैं उस बात को दोहरा करके पूछना चाहता हूं, जब आप इधर थे तब प्रश्न पूछते थे और उधर रहे तब भी प्रश्न पूछते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप देखिए, दोहराइये नहीं, आपके कारण से कहीं ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : उस वक्त आपने प्रश्न पूछे थे, जब आप इधर थे। मैंने आपके प्रश्नों के उत्तर दिये थे, 35 मिनट तक, आज मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप उत्तर दीजिए, आप प्रश्न पूछने के हकदार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं... (व्यवधान)....

श्री लक्ष्मणसिंह : आपको प्रश्न पूछने का इतना ही शोक है तो इधर आकर बैठ जाइये। ... (व्यवधान).... आसन जिलेलाव गांव में आपकी पार्टी के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री हीरासिंह चौहान का आपकी पार्टी का,

(98)

(श्री लक्ष्मणसिंह)

इस चीज का जवाब मैं यहां पर दे चुका हूं, प्रोसिडिंग्स में है वह चीज। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर दीजिए। (व्यवधान) .. आज तो खूब दिखा दिया मैंने और भी दिखा सकता हूं और आप चाहो तो आपको भी दिखा सकता हूं मेरे पास ऐसा कांच है कि आप चमक जाओगे देखते-देखते (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल इतनी सी बात कह रहा था कि इस प्रकार की घटना को जलियावाला बाग की घटना के समकक्ष हम लेने की चेष्टा नहीं करें, यह दुर्भाग्यपूर्ण हुयी, मैं मानता हूं। घटना के लिये मैं खेद प्रकट करता हूं, उसमें भी मुझे कोई संकोच नहीं है लेकिन जलियावाला बाग की स्थिति बताएगे, यह ठीक नहीं है। यहां यह भी कहा गया, सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने कि जिस तरह लोगों की पिटाई की गयी, वकीलों की पिटाई की गयी, आपको मालूम है, सोजत में क्या हुआ था ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हुआ सो हुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप यह कहें.... (व्यवधान)...फिर मुख्य मंत्रीजी यह कहेंगे कि पत्रकारों की काहे कि पिटाई हुई है, अयोध्या में तो बहुत बुरी तरह से मारा गया था।

श्री लक्ष्मणसिंह : मुख्य मंत्रीजी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन इस प्रकार से कर रहे हैं, बहुत दुःख की बात है। इसका मतलब इनमें और भी कमी है, और यह भी चाहते हैं कि पत्रकारों को पीटें, यह भी चाहते हैं कि वकीलों को पीटें और कमी रह गयी है उनके दिल में .. (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, I am on a point of order. पाइंट आफ आर्डर तो एक ही रूल में है। अध्यक्षजी .. (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : यह भाषण देने के लिए खड़े हो जाते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

विधान सभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति का गठन

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, नहीं, I am raising point of order. मेरी बात सुनिए। मैंने आपको चिट भेजी है, मैंने आपको चिट इसलिए भेजी ताकि मेरे पाइंट आफ आर्डर को मैं तरीके से रेज कर सकूं। मैंने चिट एडवांस में इसलिए भेजी ताकि आप यह नहीं समझें कि महज खड़ा होने के लिए पाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं। मामला गम्भीर है। माननीय अध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि वह एक ऐसी कमेटी का गठन कर रहे हैं, जिसके अध्यक्ष आप हैं। फिर उन्होंने उस कमेटी के सदस्यों की घोषणा कर दी। फिर उन्होंने कहा कि वह कमेटी राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने एक चिट लिखकर के आपके पास भेजी, क्या ऐसी कमेटी का गठन नियमानुसार हो सकता है, जिसकी अध्यक्षता तो स्पीकर करे और वह कमेटी राज्य सरकार को रिपोर्ट करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कमेटीज के कांस्टीट्यूशन के लिये रूल 180 है। आपके अधिकार,

(श्री जगदीप धनखड़)

उस कमेटीज के प्रोरोगेटिव्ज हैं। उस कमेटी में राज्य सरकार ने सब्जुगेशन की जो योजना, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बनायी है, उसका एक कारण है, मान्यवर, 31 मार्च को हुआ, इस शासन से आपने कुछ एग्जीक्यूटिव के अधिकार जन हित में उपयोग करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि पेयजल के संकट को हल करे। मेरा, मान्यवर, पाइंट आफ आर्डर यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस कमेटी का गठन किया है उस कमेटी के गठन की घोषणा से, उस कमेटी के अधिकारों की घोषणा से, उस कमेटी के बारे में यह कहने से कि वह राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगी, आपके पद की गरिमा कम ही नहीं हुई है बल्कि इन नियमों के विपरीत कार्य माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है .. (व्यवधान) ... इस पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि क्या आप ऐसी कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे जो राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगी यही मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : रिपोर्ट करने के लिए मैंने कभी नहीं कहा।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मुख्य मंत्रीजी रिकार्ड के हिसाब से आपने कहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं कहा।

श्री नाथूसिंह : सुझाव दिया है।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड में देख लीजिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह देख लिया और अध्यक्ष महोदय, देख लेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : कोई रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है। कमेटी क्या करेगी, यह नियम नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नियम है।

श्री जगदीप धनखड़ : आपने अध्यक्ष महोदय को अपने नीचे मान लिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने नीचे नहीं माना ऊपर बैठे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : आपने बिना अध्यक्ष महोदय की परमीशन लिये घोषणा कर दी। आपने इनको इतना भी अधिकार नहीं दिया कि सदस्य कौन-कौन होंगे, आपका मन ज्यादा स्पीकर बनने को कर रहा है मेहरबानी करके यहां बैठ जाइये (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मीठी गोली देने का इरादा था और कोई इरादा नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बता दूं कि जब समिति की घोषणा की है उसके पहले अध्यक्ष महोदय से सलाह की है, आपकी पार्टी के व्हिप से सलाह की है और उसमें रिपोर्ट देने का कोई उल्लेख नहीं है केवल इसलिए....

श्री जगदीप धनखड़ : आपने यहां घोषणा की है माननीय मुख्य मंत्रीजी को रिपोर्ट दें सबने सुना है। यह कमेटी राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी।

(श्री जगदीप धनखड़)

Hon'ble Speaker will protect our rights .... उन्होंने ऐसा कहा है कि नहीं कहा है। (व्यवधान) यह आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। आपने चैम्बर में चाहे कुछ भी विचार विमर्श किया हो। यह नियम हैं। इन नियमों से अध्यक्ष जी भी बंधे हुये हैं, आप भी बंधे हुये हैं और हम भी बंधे हुए हैं ... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : छोड़िये अब इस बात को, अध्यक्ष महोदय आप व्यवस्था देना चाहें.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, इसमें कुछ तो तथ्यों पर आप बोले थे ना, रिपोर्ट देने का मुख्य मंत्रीजी मना कर रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं मुख्य मंत्रीजी के मना करने की बात नहीं कह रहा। मुख्य मंत्रीजी ने सदन में कहा। सब सदस्यों ने सुना यह रिकार्ड पर है।

श्री नाथूसिंह : सुझाव दिया है।

श्री अध्यक्ष : अब मना कर रहे हैं ना।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महदोय, मेरा तीन मुद्दों पर पाइंट आफ आर्डर है। पहला मुद्दा यह है कि क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी इस प्रकार की कमेटी की घोषणा कर सकते हैं जहां आपको तो अध्यक्ष बना दें और उसके सदस्यों की घोषणा यह करें।

व्यवस्था

सदनेतर समिति के गठन की प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये व्यवस्था सुन लीजिए। आपने रूल 180 का हवाला दिया है और रूल 180 में साफ लिखा है कि "Members of a Committee shall be appointed or elected by the House or nominoted by the Speaker, as the case may be." यह प्रस्ताव आये हैं मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्ताव रखे हैं हाउस के सामने कि इस तरह की एक कमेटी बनाई जाए। हाउस चाहे तो इसको अपाइंटमेंट कर सकता है, इलैक्शन का तो इसमें सवाल ही नहीं है। हाउस नहीं करे तो स्पीकर कर सकता है। चूंकि अभी मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्ताव आपके सामने रखा हैं और आपने पाइंट आफ आर्डर उसके निर्णय के पहले ही उठा दिया यह तो मुख्य मंत्रीजी का प्रस्ताव है.... (व्यवधान) प्लीज हियर मी, आप मेरी बात सुनिये। यदि प्रस्ताव रखने के बाद किसी माननीय सदस्य को उस प्रस्ताव पर आपत्ति हो, तो हाउस फिर उस पर निर्णय करता है, चाहे बहुमत से करे या सम्मति से करे। चूंकि उन्होंने प्रस्ताव रखा है और अभी तक उस पर आपत्ति नहीं हुई है। आपने पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से यह आपत्ति की है कि इस तरह का प्रस्ताव रखने का अधिकार मुख्य मंत्रीजी को नहीं है, आपकी आपत्ति यह है।

श्री जगदीप धनखड़ : रूल 183 स्पष्ट है- "The chairman of the Committee shall be appointed by the Speaker from amongst the members of the Committee." स्पीकर बनने की ज्यादा चेष्टा मुख्य मंत्रीजी किन्हीं कारणों से कर रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप आगे रूल और पढ़िये कि यदि किसी भी हाउस की कमेटी का मैम्बर अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, दोनों में से कोई भी तो इन्वेरिएबली वह ही अध्यक्ष रहने वाले हैं.... (व्यवधान).... आपका प्रस्ताव है।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं तो यह कह रहा हूं आपने एक्सेप्ट कर लिया क्या ?

श्री अध्यक्ष . Who am I to accept or not to accept. It is for the House. It is a resolution before the House मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तावित किया है आपमें से किसी ने आपत्ति की नहीं, आपने पाइंट आफ आर्डर रेज करके यह आपत्ति की है कि मुख्य मंत्रीजी को इस प्रकार का प्रस्ताव करने का अधिकार नहीं है, यही है ना आपका पाइंट आफ आर्डर ? अब आप और क्लियर कर दीजिए।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्ताव नहीं किया माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बैठिये। हाउस में जब कोई भी माननीय सदस्य बोलता है तो हाउस के नियमों के मुताबिक ही उसका इण्टरप्रिटेशन होगा। यदि हाउस में बिना हाउस की सहमति के या स्पीकर की सहमति के कोई घोषणा मुख्य मंत्रीजी करते हैं और नियमों में उसका प्रावधान नहीं है, तो वह घोषणा नहीं मानी जाएगी वह प्रस्ताव ही माना जाएगा। अब आप हाउस के इण्टरप्रिटेशन को समझिये, आप तो सारी बात जानते हैं.... (व्यवधान) ... It will be taken to be a proposal. अब आप यदि उसमें आपत्ति करते हैं तो आपत्ति करने के बाद में हाउस को अधिकार है निर्णय करने का, जो हाउस ठीक समझेगा, निर्णय करेगा। अभी भी आप इसको यह मान लें कि उन्होंने घोषणा कर दी और आपने आपत्ति नहीं की स्वीकार कर ली तो वह प्रस्ताव हाउस ने मंजूर कर दिया और यदि किसी ने आपत्ति की तो उस पर हाउस तय कर देगा, आपत्ति का निराकरण कर देगा या एक्सेप्ट कर लेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी अनुमति ली थी और अनुमति लेकर ही यह प्रस्ताव सदन में रखा है। अब वहां तक मैंने आपके सम्बन्ध में कहा है कि कुछ मैम्बर्स तो मैं सजेस्ट कर रहा हूं इसके अतिरिक्त जिनको भी आप लेना चाहें इस समिति के सदस्य बना सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को छोड़कर आगे चलता हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक बात इसमें और है कि रिकार्ड पर लिखा है मुख्य मंत्रीजी ने इस कमेटी के बारे में मोनीटरिंग के लिए कहा है कि पूरे राजस्थान में पीने के पानी की व्यवस्था कैसे हो, इसमें हाउस की कमेटी का इन्वाल्वमेंट हो जाए और जो भी सरकार स्कीम्स बनाती है उसकी मोनीटरिंग प्रोपरली हो इसके लिये इस कमेटी का निर्माण किया है तो रिपोर्ट का सवाल नहीं है इट इज ए मोनीटरिंग।

श्री रामनारायण चौधरी : यह नियम थोड़े ही हैं यह तो स्पेशल कमेटी है।

श्री अध्यक्ष : कोई कमेटी नियम के बिना नहीं होती।

ब्यावर में पेयजल संकट एवं लाठी चार्ज की घटना

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं उस जलियावाला बाग के और वकीलों की पिटाई के प्रसंग में आता हूं। कई माननीय सदस्यों ने इस मामले में जिस तरह की चर्चा की है उनको सबको अधिकांश को इस राज्य में शासन करने का अनुभव रहा है। सोजत की बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास किया था, दीवान साहब आपको जानकारी होगी उसकी पांच लाइन पढ़कर सुना दूं, आज दिनांक 23-8-86 को सोजत बार एसोसिएशन के सदस्यों की आवश्यक मीटिंग बुलाई गयी जिसमें अभिभाषक श्री आनन्द भाटी और निर्दोष व्यक्तियों पर हुए पुलिस द्वारा अमानुषिक व घृणित अत्याचार किया गया उसको जनता की पैरवी करने व पुलिस के खिलाफ मुकदमे व कार्यवाही करने के कारण उनको असत्य मुकदमे बनाकर फंसाकर गिरफ्तार किया व थाने में हथकड़ी लगाकर नीम से बांधकर रखा गया, वर्तमान में प्रशासन की भर्त्सना करते हुए निम्न प्रस्ताव पारित कर दें क्या आपको मालूम है कि वहां किस तरह से लोगों की पिटाई हुई।

श्री माधवसिंह दीवान : जब आप सुनते रहे थे मैं इसके बीच में नहीं बोलूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि उस समय भी लोगों ने उस सोजत के मामले में इस सदन में मांग की थी कि इस प्रकार से वकीलों को नीम से लटका कर मारा गया है इसलिए इस मामले की जांच कराई जाए, न्यायिक जांच कराई जाए उस समय आप मंत्री भी थे।

एक माननीय सदस्य : नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं थे, तो कोई बात नहीं अभी आ जाओ तो मैं बना देऊं (व्यवधान). अध्यक्ष महोदय, लेकिन आपने उस समय मांग नहीं की थी।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : सब कोई इतने सस्ते नहीं है। आपने कहा कि आ जाओ बना दूं मिनिस्टर। मैंने कहा सब कोई इतने सस्ते नहीं है जितने यह बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सस्ते नहीं हैं, सभी ऐसे समझदार नहीं हैं। समझदार होंगे तो जनता की सेवा करने के लिये आएंगे। विपक्ष में बैठे-बैठे क्या करना है। ... (व्यवधान) यह तो जलन आपको पांच बरस तक रहने वाली है। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं इतना निवेदन कर रहा था कि यहां ब्यावर के माननीय सदस्य पर आरोप लगाया गया है कि ब्यावर नहीं गये। श्री कोगटाजी पर आरोप लगाया कि इनको चूड़ियां पहना दीं। इस सदन में कई मंत्री बैठे हैं... (व्यवधान) जानकारी दूं कि इनको चूड़ियां पहना दीं। श्री धनखड़ साहब इस विधान सभा में पहली बार आये हैं, यहां कई भूतपूर्व मंत्री बैठे हैं जिन्हें चूड़ियां कई बार पहनाई तो नहीं लेकिन उनको भी भेंट की। तो चूड़ी भेंट करने से आप समझो सब कुछ अपमान हो गया, तो खेतसिंहजी कई बार .. (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : सवाल ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो, माननीय अध्यक्ष महोदय ..

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी यदि चूड़ियां सोने की हो तो शायद पहनने में भी क्या आपत्ति है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चूड़ी और हम पहनें। चूड़ी हीरों की भी हों, तो नहीं पहनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपको चूड़ी नहीं पहनाई। यह सही है और मैं पहनाता भी नहीं लेकिन कई बार मंत्रियों को चूड़ियां भेंट होती हैं यह तो आप जानते हो, यदि उनको चूड़ी भेंट कर दी तो सही है जनता का अधिकार है। सोने की करें, लाख की करें, कांच की करें, प्लास्टिक की करें। चूड़ियां भेंट करते हैं लोग। अब इसमें आप यह समझो कि माननीय सदस्य श्री उगमराज मेहता वहां गये नहीं। मैं, सोजत से आने वाले माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे कि इतना बड़ा कांड होने के बाद में आप तो डेढ़ महीने तक नहीं गये सोजत में कितने लोगों की पिटाई हुई, हत्या हुई उसके बाद डेड़ महीने तक आप सोजत में नही गये और आपने अपना कारण बता दिया कि मैं सोजत इसलिए नहीं जा रहा हूं कि कांग्रेस के लोग मेरे पक्ष में नहीं हैं। आपने लेटर लिखा और लिखने के बाद आज आप यह कहें कि माननीय सदस्य ब्यावर नहीं गये, यह सब गये और इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन चीजों को अपन छोड़ें। जो घटना हुई है यहां पर इस बात की मांग की गयी, 307 केसेज भगवान जाने किस-किस धारा में बनाये गये। मैं इस सारे मामले की निष्पक्ष जांच करवाऊंगा .. (व्यवधान) मेरी बात तो सुनिये। मेरी बात सुन लें। इस प्रकार की धाराएं लगी हुई हैं। 307 या 394 इन धाराओं में केसेज इन्वेस्टीगेशन से निकाल दिये जायेंगे और जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूं इससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। एक माननीय सदस्य ने यहां यह कहा कि कलक्टर की पिटाई हो गयी और उसके कारण से सरकार को रहने का अधिकार ही नहीं है। जनता की पिटाई हो जाए मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, हम जनता के आदमी हैं, जनता ने चुन कर हमको भेजा है। यदि किसी गरीब से गरीब की किसी प्रकार से अनावश्यक रूप से उसकी तौहीन हो जाये, पिट जाये, सरकार के हाथों से हो जाये यह हमारे सबके लिये शर्म की बात है, उसकी चिन्ता करनी चाहिए। लेकिन सरकारी अधिकारी पिट जायें उन सरकारी अधिकारियों के बारे में सहानुभूति का एक शब्द भी कोई नहीं बोले .. (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कलक्टर की पिटाई हुई। उधर से बैठने वाले माननीय सदस्यों ने, कइयों ने यह भी कहा कि इंजीनियर की पिटाई हुई।

श्री परसादी लाल मीणा : कलक्टर ने पिटाई की पत्रकारों की यह कहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी आपने कहा है कि कलक्टर ने पिटाई की और यह भी कहा है कि कलक्टर पिट गया, राजस्थान के प्रशासन का प्रमुख व्यक्ति,....

एक माननीय सदस्य : कलक्टर को किसी ने नहीं मारा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने इस्तीफा मांगा कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये ।

श्री माधवसिंह दीवान : कलक्टर ने खुद ने एफ. आई. आर. में लिखा है कि मेरी पिटाई हो गयी ।

श्री लक्ष्मण सिंह : उन्होंने खुद ने.... (व्यवधान) कि मेरी पिटाई हो गयी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दीवान साहब ने जो कहा और आपकी बात दोनों में अन्तर है । लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रशासन चाहे आप चलायें चाहे मैं चलाऊं, प्रशासन की भी कुछ जिम्मेदारी है । कलक्टर और कमिश्नर की भी जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है, कोई भी गलती करता है, तो एनकरेज नहीं किया जाएगा, उसको दण्ड मिलेगा । इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । यहां यह कहा पत्रकारों की पिटाई हुई । बहुत खेद है । एक पत्रकार तो जन्म से लेकर अब तक मेरे साथ रहा । जन्म से लेकर, हमारे कार्य-कर्त्ता हैं, भीम के रहने वाले वकील साहब हैं, उनका लड़का है, शंकरलालजी का लड़का है सिद्धार्थ, बिलकुल पारिवारिक सम्बन्ध है । उसमें आप समझ कर चलिये उसकी पिटाई हो यह हमारी तो कोई योजना नहीं हो सकती । तत्काल क्या परिस्थितियां बनी हैं, जिन परिस्थितियों के अन्दर लाठी चार्ज हुआ और पत्रकारों की पिटाई हुई, मुझे इस बात का खेद है कि पत्रकारों की पिटाई हुई (व्यवधान) मुझे तो आम जनता के किसी भी व्यक्ति की पिटाई हो उसका खेद है, उसमें वकील भी हैं और पत्रकार भी हैं । जैसा मैंने कहा कि जो मुकदमें बने हैं, जब तक उनकी निष्पक्ष इन्क्वायरी नहीं होगी उन मुकदमों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी ।

अब ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ घटना घटी वह भविष्य में रिपीट नहीं हो इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये । आज अजमेर में भी बन्द है, नसीराबाद में भी बन्द है, ब्यावर में भी बन्द है मैं नहीं कहना चाहता कि आंशिक है, कैसा है कैसा नहीं है, उसके विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन है प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट पानी को लेकर, प्रोटेस्ट इस बात का नहीं है कि ब्यावर में क्या हुआ, प्रोटेस्ट इस बात का है कि अजमेर में पानी की कमी है, नसीराबाद में पानी की कमी है और बाकी सब जगह इस प्रकार की पानी की कमी है इस पानी की कमी के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने सब कुछ कह दिया । अब रहा केसेज का सवाल । मैंने कह दिया कि जब तक इसकी निष्पक्ष इन्क्वायरी नहीं होगी, अब आप जो मंत्रिमण्डल में रहे हुये हैं वह सब जानते हैं कि जिस दिन यह घटना हुई उस समय से लेकर अजमेर में, नसीराबाद में सारी व्यवस्था करने में जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वह लगे हुये हैं । अभी उसकी जो कुछ जानकारी हमें मिली है, आफिशियल लेवल पर उस जानकारी में काफी और जानकारी लेने की आवश्यकता है लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूं कि तुरन्त रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य को लगा कर, यह कहता हूं कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर इस बात की जांच करके बतायें कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहां लाठीचार्ज करने की आवश्यकता थी, आवश्यकता थी या नहीं थी, आवश्यकता थी तो ज्यादा लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ या पत्रकार पिट गये या वकील पिट गये। वह किसी कारण से उसमें शामिल हुये, कलक्टर के चोट लगी उसके लिये कौन जिम्मेदार है, इंजीनियर को पीटा उसके लिये कौन जिम्मेदार है, बाकी कई जगह तोड़ फोड़ हुई उसके लिये कौन जिम्मेदार है। 15 दिन में रिपोर्ट आने के बाद में निश्चित रूप से, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसका निर्णय कर दें कि इस रिपोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है फिर कोई जूडिशियल इन्क्वायरी कराने की आवश्यकता होगी, तो जूडिशियल इन्क्वायरी कराने में सरकार को सकोच नहीं होगा लेकिन एक बार तथ्य सामने आ जाए, तथ्यों के बिना कोई जूडिशियल इन्क्वायरी, इस सदन में मैंने भी कई बार जूडिशियल इन्क्वायरी करवाई है ...

श्री चन्दनमल बैद : मांगी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मांगी है। यह बात सही है लेकिन मांगने के बाद में मेरा जैसा व्यक्ति भविष्य में कभी जूडिशियल इन्क्वायरी की डिमाण्ड करने वाला नहीं है। पिछले वर्षों में बहुत सावधान हो गया, मेरे को अक्ल आ गई। आप लोगों को आ जाये भगवान इस बात की कृपा करें। मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं कि जूडिशियल इन्क्वायरी दो-दो, ढाई-ढाई वर्ष तक जूडिशियल इन्क्वायरी चलती रहती है फिर उसका कोई अतापता नहीं रहता। गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होता, पब्लिक को कोई फायदा नहीं होता। इसलिये रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर से कह कर इस सारे घटनाक्रम की जानकारी 15 दिन के अन्दर दे दी जाये....

श्री विष्णु मोदी : जूडिशियल साइड का मैम्बर हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : थोड़ा सा, सरकारी मशीनरी पर आप इतना अविश्वास मत करो। इसी मशीनरी से आपने काम लिया है और इसी मशीनरी से मुझे काम लेना है। यह मशीनरी मैं कोई इम्पोर्ट करके नहीं लाया। यह कलक्टर आज मेरे लगाये हुये नहीं है राष्ट्रपति शासन में लगे हैं। वहां का कमिश्नर मैंने नहीं लगाया, इंजीनियर मैंने नहीं लगाया, आखिर मशीनरी वही है जिस मशीनरी से आपने काम लिया। आज उस मशीनरी के सम्बन्ध में आप यह समझें कि कोई जांच निष्पक्ष नहीं होगी, मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि जांच निष्पक्ष होगी और जांच निष्पक्ष होने के साथ ही मैंने कहा कि इस प्रकार के मुकदमों में जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आयेगी अग्रिम कार्यवाही नहीं होगी, इन सारी बातों का अपने आप में समाधान हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, इस के बाद मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय से कि एक कमेटी तो आपकी अध्यक्षता में यदि हाउस स्वीकार करें, आप स्वीकार करें, बनेगी लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां-जहां भी संकटपूर्ण क्षेत्र है वहां ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधि, वह चाहे निर्वाचित हों, चाहे निर्वाचित नहीं हों, जो इस समस्या का समाधान समझते हों, करा सकते हों,

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

जनता की भागीदारी ला सकते हों, इस प्रकार की समितियों का भी गटन कर दिया जाए ताकि इसका नियंत्रण ठीक प्रकार से रह सके। कमी के क्षेत्रों में पानी पहुंचाने में व्यवस्था जल्दी की जा सके इसमें हमारी किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। हम चाहते हैं कि समस्या जो प्रकृति के प्रकोप के कारण से आ रही है, उसका समाधान नहीं हुआ तो आप भी प्रभावित होंगे, हम भी प्रभावित होंगे और शासन का, विपक्ष का सवाल नहीं है, जनता उससे प्रभावित होगी. इस दृष्टि से हम विचार कर के जल्दी ही इस बात की व्यवस्था कर देंगे कि जिला स्तर पर या नीचे स्तर पर जाने की आवश्यकता हो, तो उस स्तर पर यह सारी व्यवस्थाएं की जायेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सदस्यों को धन्यवाद देकर मैं अपनी बात खतम करता हूं।..(व्यवधान)..

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने खास तौर से जो तीन मुद्दे उठाये थे उनका जवाब मुख्य मंत्रीजी ने नहीं दिया। एक तो यह कि (व्यवधान).. पांच थे, पांच में से दो का इन्होंने जवाब दिया है। एक तो उन्होंने कहा बीसलपुर .. (व्यवधान) ...एक तो मैं आप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि केसेज जिनके खिलाफ हैं, निर्दोष आदमी हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, बुरी तरह से जिनको पीटा, उनके सर फोड़ दिये और वह अस्पताल में भर्ती पड़े हैं उनको आपको मुआवजा देना चाहिए था, न तो आपने मुआवजे की कोई घोशणा की, उनका इलाज फ्री होना चाहिये।

दूसरा, हमने आप से यह निवेदन किया था कि आप उनके केसेज विदड्रा कर लीजिए ताकि यह मामला वहीं समाप्त हो जाए। तीसरा, हमने यह कहा था कि इसकी जूडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए और वह इन्क्वायरी अगर आप रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर से और जो जूडिशियल मैम्बर हैं, उनसे करवाते हैं तो हम फिर उस बात को वहीं पर छोड़ते हैं और चौथी बात हमने यह कही थी कि पीने के पानी के लिये आप रेलवे वालों से बात कर के और रेलवे टैंकर्स की व्यवस्था करवायें अगर वह व्यवस्था नहीं हुई तो आपके चाहे ब्यावर के माननीय सदस्य कुछ भी कहते हों, यह समस्या हल नहीं होगी और फिर इसी प्रकार से बंद होगा और पानी की ऐसी की ऐसी किल्लत बनी रहेगी इसलिए जल्दी ही आप क्या-क्या योजना लाना चाहते हैं, वह आप बतला दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रेलवे लाइन का रास्ता बता दें, आप। किधर से जायेगा ? ... (व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : चौमूं से आयेगा। ... (व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : .. वह तो आपके जवाब से ही प्रकट हो रहा है लेकिन रास्ता बता दीजिए और कहां पानी है रेलवे लाइन पर, वह बता दीजिए ?

श्री विष्णु मोदी : हां, बता देंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर पानी के ले जाने में रेलवे की, रेल की सहायता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की आवश्यकता होगी तो उसका प्रयास किया जाएगा। रेल से पानी मिल सकता है तो हमें आपत्ति क्या है ? हम लेंगे, रेलवे हमारा सहयोग करने को तैयार हो जाए। माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता जानते हैं कि बाड़मेर में हमेशा रेलवे से पानी जाया करता था....

श्री शोशराम भोला : नहीं, मुख्य मंत्रीजी, अजमेर में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कब मना कर रहा हूं, अजमेर में भी वर्षों तक पानी जाता था लेकिन बाड़मेर में हम दोनों ने मिल कर और सरकार ने मिल कर पूरा प्रयास किया कि रेलवे के वैगंस पानी लेकर बाड़मेर पहुंचे, हम उसमें सफल नहीं हो पाये। अब भी मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे से पानी आ सकता है तो इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। जहां तक कम्पेनसेशन का प्रश्न है, कम्पेनसेशन देने की तो आपने कोई परम्परा डाली नहीं। अगर इस प्रकार की कोई परम्परा होती तो मैं उस परम्परा का लाभ उठाकर निश्चित रूप से कम्पेनसेशन की कोई बात करता लेकिन आपकी एक बात सही है ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने जब भी मांग की उस वक्त में ही हमने आपको कम्पेनसेशन....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तक नहीं दिया। आज तक आपने 40 वर्षों में ...

श्री किशन मोटवानी : आप हमारी परम्पराओं में क्यों जाते हैं ? आप अपनी नयी परम्परा बनाएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये। मुझे इस बात की खुशी है कि आप अपनी परम्पराओं को गलत मानने लग गये। हमारी तो सफलता इसी में है कि आपने जो कुछ किया है अब उसको स्वीकार कर रहे हैं खुले मन से कि जो कुछ किया हमने गलत किया.. (व्यवधान) ...

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मंत्री महोदय, अगर आपको अकल आ सकती है तो हम को भी अकल आ सकती है, इस बार आपको अकल आयी है, हम को भी अकल आएगी।

श्री लक्ष्मण सिंह : पानी के लिए लाठी मारने की आपने नयी परम्परा शुरू की है, कृपया आप उसकी कम्पनसेशन देने की परम्परा... (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिलकुल सही है। यह लाठी तो, लक्ष्मण सिंहजी, आप जानते हैं, जब से राज बना है, कितनी बार लाठी चार्ज हुए हैं, कितनी बार गोलियां चलीं ...

श्री लक्ष्मण सिंह : पानी के लिए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पानी के लिए कई बार। यह पानी के लिए ही मुझे याद है, एक बार, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता ...

श्री रामस्वरूप : पानी मांगा था लाठी नहीं मांगी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह, श्रीमान् भंवरलालजी शर्मा और हम ज्ञापन लेकर, मैं भी साथ था, हम जयपुर में कलक्ट्रेट के सामने गये थे और कलक्टर से भंवरलालजी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये डेलिगेशन में गये, हम बाहर रह गये, बाहर थोड़ा सा झगड़ा हो गया। झगड़े में पहले टीयर गैस सैल छोड़े, यह वहां कलक्टर को ज्ञापन देकर आ रहे थे कोई झगड़ा ही नहीं था, यह ज्ञापन देकर आ रहे थे तो टीयर गैस सैल छोड़ा तो यह एक दीवार के पास में बैठ गये कि जाऊं कहां, फिर उसके बाद में लाठी चार्ज हुआ तो लाठी चार्ज में और तो सब भाग गये और यह दिवाल के पास में बैठे मिल गये, बहुत बुरी हालत इनकी लोगों ने बना दी, इनको 15 दिन तक हास्पिटल में रखना पड़ा, तो कोई नियम नहीं होता और इसलिए किसी ने कम्पनसेशन लाठी चार्ज का दिया हो, इस प्रकार की स्थिति मैंने तो आज तक सुनी नहीं, क्या आपने दिया ? लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जिन लोगों के चोट आयी हैं उनके उपचार कराने की हम व्यवस्था कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके उत्तर सब मिल गये हैं, अब उत्तर....

श्री खेतसिंह राठौड़ : केसेज विदड्रा हों।

श्री हरिसिंह (महुआ) : केस वापस करो।

श्री अध्यक्ष : वह तो हो जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने जब आपको कह दिया, केसेज विदड्रा यूं नहीं होते, विदड्रा करने का एक प्रोसीजर है और मैंने आपको कह दिया कि इंक्वायरी के अन्दर यह साबित हो गया कि केसेज असत्य हैं तो विदड्रा होंगे, केसेज फर्जी हैं तो विदड्रा होंगे और इस समय इन्वेस्टिगेशन में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो, वह रोक दी अब केसेज क्या करेंगे ? अगर कहीं से यह पता लगता है कि केसेज फर्जी हैं तो विदड्रा होंगे .. (व्यवधान)....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप अगर-मगर लगाते ही क्यों हो ? आपके पास सब है, रिपोर्ट है, केसेज फर्जी बने हैं, इनोसेंट आदमियों के खिलाफ बने हैं, आप विदड्रा कर लीजिए....

श्री अध्यक्ष : अब जब इंक्वायरी होगी.... (व्यवधान) ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंहजी, आप तो उप गृह मंत्री रहे हुए हैं, कोई केस विदड्रा किया हो तो बता दें ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम कब रहे थे, सन् 1954-55 की बातें अब याद करते हो.... (व्यवधान) यह देखिये, आप, आपकी यह दलीलें हमेशा जब आपके पास कोई दूसरा आर्ग्युमेंट नहीं होता तो कहते हो, जब आप सोजत के एम.एल.ए. थे उस वक्त में यह हुआ, जब आप मिनिस्टर थे उस वक्त में यह हुआ, देखिये, इनसे कोई नतीजा नहीं.... (व्यवधान) ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात तो सुनिये .... (व्यवधान) .... परसरामजी, एक मिनट-एक मिनट, मैं बोल रहा हूं, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि मैं वकील तो हूं नहीं, लेकिन इतना सामान्य ज्ञान से कह सकता हूं कि विदड्रा की स्थिति तो जब पैदा होती है जब कोर्ट में चालान कर दिया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाये, आज चालान हुआ ही नहीं तो विदड्रा क्या करूंगा ? (व्यवधान) ...

श्री रामस्वरूप : एफ आर. लगा दो ।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, जिस तरह से पीने के पानी की समस्या को लेकर के, अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में यह मुकदमें बने हैं और क्योंकि इस सिचुएशन को डिफ्यूज करना, क्योंकि लोगों में उत्तेजना आ गयी होगी क्योंकि जब 140-145 घंटे पीने का पानी नहीं मिले तो कुछ लोग उग्र हो गये होंगे और दूसरी तरफ फोर्स भी यूज कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, मैं समझता हूं कि वहां के वातावरण को डिफ्यूज करने के लिए क्योंकि केसेज अण्डर इन्वेस्टिगेशन हैं और अगर इन्वेस्टिगेशन है तो इनको सभी केसेज में एफ. आर. दिया जाना, इस घटना के तथ्यों को देखते हुए मैं समझता हूं, मुख्य मंत्रीजी, यह उचित रहेगा और आप इन सब केसेज के अन्दर एफ. आर. करा दीजिए ।

श्री नाथूसिंह : फिर इन्वेस्टिगेशन काहे का होगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर इन्वेस्टिगेशन किस बात की, जांच किस बात की ? इसलिए मैं आपको, इस सदन को एश्योर करता हूं कि निष्पक्ष रूप से इस बात की जांच कराऊंगा, नम्बर एक । यहां से मंत्रियों को भी भेज रहा हूं कि वे जाकर स्वयं इस बात की जांच कर लें कि....

श्री जगदीप धनखड़ : पत्रकारों को सम्मिलित करेंगे कमेटी में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे में ?

श्री जगदीप धनखड़ : जो भी जांच कमेटी होगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो मैंने विधान सभा के सदस्यों की कमेटी बनायी है इसमें कोई पत्रकार हो तो शामिल हो सकते हैं ।

श्री रामस्वरूप : पत्रकार मैं हूं, अध्यक्ष महोदय, वकील भी हूं । .. (व्यवधान) ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह पत्रकार भी हैं, मुख्य सचेतक भी हैं, सब-कुछ हैं । वह तो सर्व गुण सम्पन्न हैं इसके लिए मैं कहना नहीं चाहता । इसलिए यह सारी इन्क्वायरी हो जाए इन्क्वायरी होने के बाद में अगर इन्वेस्टिगेशन गलत है मुकदमें विदड्रा होंगे, जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कार्यवाही होगी । आज एफ. आर. मैं दे देता हूं तो किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकता इसलिए मेरे हाथ बांध के कि केसेज मत करो, जांच से परिणाम निकलेंगे, जांच में कोई लीपा-पोती नहीं है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज आपने हमारे प्रश्नों के कोई जवाब नहीं दिये । उसके अलावा जब हमने कहा कि साहब, एफ. आर. दे दीजिए तो एफ. आर. देने को तैयार नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने वाक आउट करने का तय कर लिया तो चले जाओ ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, तो वाक आउट करने का तय क्या कर लिया है ?

(श्री खेतसिंह राठौड़)

मजबूरी में हम वाक आउट कर रहे हैं। हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन आपके जबाब से असन्तुष्ट होकर और आपके बिहेवियर से नाराज होकर हम वाक आउट कर रहे हैं।

(विपक्ष द्वारा बहिर्गमन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री लक्ष्मण सिंह व सात अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर में पेयजल की मांग को लेकर निकाले गये अहिंसक जुलूस पर प्रशासन द्वारा किये गये कथित अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा हो चुकी इसलिए स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य किया गया।

(2) श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत एवं 20 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मंडल में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं तथा काश्तकारों को 8 घंटे के स्थान पर 4 घंटे ही विद्युत देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कम्प्यूटर निदेशालय द्वारा की गयी भर्ती में अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों का आरक्षित कोटा पूरा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जाककारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा-जयपुर पर ढूंढ एवं बाणगगा नदी पर बने हुए पुलों पर वसूले जा रहे टोल टैक्स को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित मंडीत्या से रायथल सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में बरती जा रही शिथिलता के कारण जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को अग्रेत्तर यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

किशनगढ़ में अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति में कथित भेदभाव बरतने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि राज्य सरकार का यह निर्णय है कि पिछले वर्षों के अकाल राहत के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाय ताकि उन पर किया गया व्यय व्यर्थ न हो व पूर्ण होकर ये परिसम्पत्तियां उपयोग में ली जा सकें। विधान सभा क्षेत्र भिनाय व मसूदा में ग्राम पंचायतों की संख्या अन्य क्षेत्रों में अधिक होने तथा अपेक्षाकृत फसल खराबा अधिक होने से इन क्षेत्रों में राहत कार्य अधिक मात्रा में स्वीकृत किये गये हैं। किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 114 राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिन पर श्रमिक सीमा 6080 स्वीकृत हैं। क्षेत्र से व्यक्तियों की रोजगार की तलाश में पलायन की कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है।

(2) श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 20 मार्च, 1994 को ग्राम बगदिया, थाना सपोटरा, जिला सवाईमाधोपुर में दिन में 18.00 बजे मोटर साईकिल पर सवार तीन व्यक्तियों द्वारा एक महिला का अपहरण किये जाने की वारदात से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि इस मामले में सूचना के आधार पर अपराध अन्तर्गत 363, 366 व धारा 3 (5) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 गठित होना पाये जाने पर अपराध संख्या 47/93 उपरोक्त धाराओं में थाना सपोटरा पर पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण वृत्ताधिकारी कैलादेवी द्वारा प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान अभी तक ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं कि गुड्डी बाई के साथ मारपीट हुई हो एवं उसका लूगड़ा कहीं गिरा हो। अनुसंधान के दौरान पुलिस दल की कई टुकड़ियां गठित की गई और उनके द्वारा अपहरित की गई गुड्डी बाई एवं अभियुक्तों को तलाश किया गया। अनुसंधान के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक, करौली भी मौके पर पहुंचे एवं आवश्यक निर्देश दिये। दिनांक 29-3-94 को अभियुक्त काडू उर्फ सैयद पुत्र नूर खां फकीर, निवासी गंगापुर को साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तों की तलाश सरगर्मी से पुलिस दलों द्वारा की जा रही है तथा गुड्डी बाई को खोजने का पुलिस द्वारा पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। वृत्ताधिकारी, कैला देवी एवं गठित पुलिस दलों द्वारा अपहरित लड़की गुड्डी बाई को खोजने के लिए प्रयत्नशील हैं तथा साथ ही शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है। अपराध का अन्वेषण प्रगति पर है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रामस्वरूप, सदस्य, विधान सभा की ओर से अनुसूचित जाति/जनजाति के

(श्री अध्यक्ष)

बेरोजगार डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स के बेरोजगार होने से उनमें व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में अकाल राहत कार्य शुरू करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री दलीचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से माही बजाज सागर परियोजना की नहरों में पानी की लीकेज से काश्तकारों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(4) श्री दीपेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमाधोपुर तहसील के ग्राम मऊ, नाथूसर, गढ़टकनेत एवं अजीतगढ़ की सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री एमादुद्दीन अहमद खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर हवाई अड्डे के रनवे के पास स्थित नगर निगम के कचरा एवं मृत पशु डिपो होने के कारण गिद्दों एवं अन्य पक्षियों के मंडराने से हवाई उड़ानों में सम्भावित दुर्घटनाओं की स्थिति बने रहने के सम्बन्ध में।

(6) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से चिड़ावा-सोजत मार्ग पर पड़ने वाली नदी पर पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री बाबूलाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग के दूधालिया गांव के पनवाड़ी उद्योग के नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक जिले की नैनवां तहसील के श्योदानपुरा बांध के निर्माण से वेस्ट वियर के कारण खराब हुई भूमि के काश्तकारों को मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समिति, पाटन तहसील बस्सी में हुए कथित घोटाले की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा व इटावा के आसपास के गांवों में आठ घंटे विद्युत सप्लाई करने की घोषणा के उपरान्त भी 5-6 घंटे विद्युत सप्लाई करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(12) श्री हीरालाल विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृष्णा पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सांचौर की मान्यता समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जियालाल बी. एड. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर में नियम विरुद्ध प्रवेश देने की घटनाओं की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(14) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डोली तहसील के गांव बड़गांव एवं रानीपुरा में सिंचित सरकारी भूमि को नियम विरुद्ध राज्य से बाहर के व्यक्तियों को आवंटित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनूं जिले में खाद्यान्न वितरण में गरीब जनता के साथ धोखा करने तथा राजकोष को हानि पहुंचाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री रिछपालसिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के गांवों में विद्युत आपूर्ति की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(17) श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई 5-6 घंटे हो करने से विद्यार्थियों को परीक्षा के समय हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(18) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में पर्याप्त अकाल राहत कार्य शुरू करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(19) श्री ओमप्रकाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले एवं तहसील में नदियों, खालों, ड्रेनों का बेकार जा रहा पानी एनीकट अथवा लिफ्ट योजना बनाकर उपयोग में लाने के सम्बन्ध में।

(20) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य कर्मचारियों के लिए आवासन मण्डल द्वारा विशेष योजना शुरू करवाकर उन्हें आवास उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(21) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्राम पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़कों से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(22) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में चुरू लाडनूं लिफ्ट नहर के प्रस्ताव को शामिल किया जाकर उक्त क्षेत्र के निवासियों को राहत पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में।

(23) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के कतिपय शहरों में दुग्ध सरप्लस होते हुए भी गर्मियों में दूध को शहर से बाहर भेजने पर लगे प्रतिबन्ध के कारण पशुपालकों के हो रहे शोषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ा हुआ माना जाएगा।

(नियम 295 के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उस पर बोलने के लिये।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये, दो मिनट।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब एक दिन में एक एडजोर्नमेंट मोशन पर ही चर्चा होती है। खैर, आपने इजाजत दे दी तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, एडजोर्नमेंट मोशन को तो रद्द किया है।

श्री हरिसिंह : आपने रद्द किया है इसीलिए बोलने का अवसर कह रहा था मैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बोलते बहुत रहते हैं इसलिए अनुमति दी जाए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि दो घंटे के लिये सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

दो घंटे के लिये सदन का समय बढ़ाया गया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हरिसिंह, (कुम्हेर।)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एडजोर्नमेंट मोशन यह दिया था कि ढूंढ नदी पर....

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक बीच में इत्तला कर दू। मैंने आज सवेरे सदन के माननीय सदस्यों को वित्त मंत्री के नाते भोजन पर आमंत्रित किया था।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आ गया साहब, वह तो आ गया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी बात तो सुन लो। लेकिन मैंने अपनी तरफ से भोजन को कैंसिल नहीं किया है। विपक्ष की तरफ से मांग थी कि आज भोजन पर आमंत्रित नहीं किया जाए। आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने भोजन स्थगित कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : अब इसको आप चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं, इसको चर्चा का विषय मत बनाइये।

श्री जगदीप धनखड़ : आपने किया, अच्छा किया। आपने जितने निमंत्रण-पत्र भेजे सब खाली थे। एक पर भी नाम नहीं था, भविष्य के अन्दर भारत की परम्पराओं को निभाते हुए, संस्कृति का ध्यान रखते हुए हमारे नाम से ही निमंत्रण पत्र भेजें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि मैं नाम से भी नहीं भेजता और आज जैसा भेजा है वैसे ही भेज देता तो मुझे सदस्यों पर विश्वास है कि मैंने जहां निमंत्रित किया है वहां निश्चित रूप से आते।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कैसे पता पड़े कि यह निमंत्रण पत्र हमको दिया है या उनको दिया है। आपने उसमें नाम-वाम तो

(श्री खेतसिंह राठौड़)

लिखा नहीं। लिफाफे में डालकर, कोरा लिफाफा भेज दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने निमंत्रण को अस्वीकार करके लिफाफा ही मान लिया, उसका मैं क्या करूं? फिर आप क्या कर लेओ, फिर कहीं झगड़ा करो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आगे पोस्टपोन रखा है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा आज भी काफी खर्चा हो गया है उसकी तैयारी में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको दस बजे ही हमने कह दिया था, आपने किस पर किया?

(16.50)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन।)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आपने, अध्यक्ष महोदय, साफ हो गयी बात कि व्हिप महोदय कह रहे हैं कि मैंने तो दस बजे ही कह दिया था। मैंने साढ़े दस बजे पोस्टपोन कर दिया था। इसलिए मैं कह देऊं कोई धोखे में मेरे घर पहुंच जाए, वहां खाना नहीं मिले और मेरे लिये संकट खड़ा हो जाए। ब्यावर में तो पानी का संकट है, यहां खाने का संकट हो रहा है।

श्री अमरचंद मिड्ढा (सूरतगढ़) : जो आए, उसको तो जिमा दो।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह जी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैंने अपना एडजोर्नमेंट मोशन इसलिए रखा है कि डूमंडा जी के पुल पर राज्य सरकार अनुचित, अनियमित और अवैधानिक टोल टैक्स राजस्थान की जनता से वसूल कर रही है। यह किस प्रकार से अनुचित है, अवैधानिक है और गैर-कानूनी है, वह इस सवाल से, जो मैंने पूछा था, विधान सभा में उसका उत्तर मिला था, उससे जाहिर होता है। मैंने उनसे पूछा था कि इस पुल के ऊपर कितना खर्चा आया और कितना उससे वसूल हुआ? मंत्री महोदय को पता था कि भरतपुर, जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढूंढ नदी पर बनाये गये पुल पर वर्ष 1985-86 में एक करोड़ उनहत्तर लाख इकसठ हजार चौसठ रुपये की राशि वसूल हुई। उक्त पुल पर गुजरने वाले वाहनों से दिनांक 31 मार्च, 1993 तक तीन करोड़, तैंतीस लाख ग्यारह हजार, तीन सौ बावन रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। श्रीमान्, अभी जो कानून पास हुआ है राजस्थान के अन्दर टोल टैक्स वसूल करने का, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि जितनी राशि उस पुल पर खर्च होगी, उस राशि को वसूल करने में जो खर्चा हो, उसको केवल केन्द्रीय सरकार वसूल कर सकेगी। अब यह कानून बना है दो-तीन पहले, उससे पहले राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की रकम वसूल करने का कोई कानून नहीं था और यह जाहिर होता है मंत्रीजी ने जो नम्बर तीन इसका क्लॉज है, उसमें जो उन्होंने उत्तर दिया है, उसमें मैंने पूछा था क्या इस टोल टैक्स से सरकारी वाहनों की भांति विधायकों के वाहनों को, जब वह विधान सभा के सत्र अथवा मीटिंगों

(श्री हरिसिंह)

में भाग लेकर आ रहे होते हैं, छूट देने का सरकार विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? उसका उत्तर आपने दिया राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल टोल टैक्स की वसूली भारत सरकार के निर्देशानुसार की जाती है, इसलिए प्रश्न भारत सरकार से सम्बन्धित है। यानि राजस्थान सरकार का कोई कानून नहीं है टोल टैक्स वसूल करने का, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार राजस्थान के अन्दर टोल टैक्स वसूल हो रहा है। क्या यह सम्भव है और वसूल हो गया एक करोड़ उनहतर लाख इकसठ हजार की जगह तीन करोड़ तैंतीस लाख ग्यारह हजार। अब आप यह बताइए कोई कानून नहीं है कि केन्द्रीय सरकार टोल टैक्स वसूल करने के निर्देश राजस्थान सरकार को दे। नहीं, यह मैं कह सकता हूं या मंत्रीजी बता दें कि ऐसा कौनसा कानून है कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार की आॅटोनोमी में दखल दे सकती है, वो कोई टैक्स लगा सकती है और टैक्स ही नहीं, टोल टैक्स लगा सकती है और टोल टैक्स नहीं, केन्द्रीय सरकार उसके निर्देशों के साथ वसूल नहीं कर सकती। एक करोड़ उनहतर लाख की जगह आप तीन करोड़ उनहतर लाख वसूल कर रही है तो राजस्थान के अन्दर अनियमित, अवैधानिक, टैक्स वसूल किया जा रहा है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान और सरकार ही नहीं, सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाह रहा हूं। इस प्रकार की राजस्थान की जेबकटी बंद की जाए। यह मेरा, सभापति महोदय, आपके मार्फत सरकार से निवेदन है।

श्री सभापति : श्री रामनारायण जी मीणा.... (व्यवधान) आप बिराजिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मंत्रीजी जवाब देना चाह रहे हैं तो बोलने दीजिए ना। मंत्रीजी जवाब देना चाह रहे हैं।

श्री सभापति : दो-दो मिनट बोलने के लिए कहा है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, बोलिए मंत्रीजी। जवाब दीजिए इसका। हां, आप जवाब दे दीजिए इसका।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा विषय है।

श्री सभापति : श्री रामनारायण जी मीणा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चतुर्वेदी जी का डिपार्टमेंट है।

श्री सभापति : श्री रामनारायण जी मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, आपके कहने के दस मिनट तक चालू हैं।

श्री सभापति : आप दो मिनट बोलिए, माननीय।

श्री परसराम मदेरणा : आप बाद में कोई प्रश्न पूछ लेना। अब मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री सभापति : यह सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री,यातायात) : माननीय सभापति महोदय, अभी जो लेटेस्ट टैक्सेशन का अमेंडमेंट हुआ, उसके सम्बन्ध में मुझे इंगित करके कहा है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह जो अमेंडमेंट आया है, इसमें प्राइवेट सैक्टर के लिये कानून बनाने के बारे में है । पहले जो कानून था, उसमें प्राइवेट सैक्टर का इवाल्वमेंट नहीं था और जहां तक टोल टैक्स की बात कही, पहले ही मोटर व्हिकल एक्ट के नियमों में प्रावधान है । टोल टैक्स वसूल करने का राज्य सरकार को अधिकार है ।

श्री सभापति : बैठिए ।

श्री रोहिताश्व : अब केवल प्राइवेट सैक्टर को भी इनवाल्व किया है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या उसमें यह लिखा हुआ है किसी कानून के अन्तर्गत टोल टैक्स वसूल किया जा सकता है ?

श्री सभापति : प्रश्नोत्तर नहीं होगा, माननीय सदस्य विराजें ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : एक करोड़ की जगह तीन करोड़ वसूल किया जा सकता है क्या ? ऐसा कोई कानून है राजस्थान सरकार का, वह बता दीजिए आप ?

श्री सभापति : प्रश्न उत्तर नहीं होगा । श्री रामनारायण जी ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जो सड़कें बनती हैं, एक सड़क है जखाना से रायथल सड़क, उसका काम काफी हो गया । बीच में केवल एक खेत की वजह से सारी सड़क बेकार हो रही है और समय पर इनकी कोई एक्वीजीशन की कार्यवाही नहीं होती, भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नहीं होती । गांव वाले बार-बार लिखते हैं उसके बाद भी कार्यवाही नहीं होती है । माननीय सभापति महोदय, एक जगह की बात नहीं है, पूरे राजस्थान में इस तरह से सड़कों को टेढ़ी-मेढ़ी ले जाना पड़ता है और सारा का सारा जो पैसा लगता है, उसका जो सारा शेष है, वह सारा खतम हो जाता है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और मेरा जहां तक ख्याल है, यह सदन की भावना है कि सड़कों का कार्य चालू करवाया जाए उसके साथ ही साथ भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाए और भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नहीं होने से सड़कें पूर्ण होने के बाद किसानों को पैसा नहीं मिलता है । चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की बातें होती हैं और गांव वाले चूंकि अनपढ़ होते हैं, उनको मुआवजा नहीं मिलने की वजह से इस तरह से वह अपनी सड़क काटने नहीं देते और यदि किसी तरह से सड़क की जमीन अवाप्त कर ली जाती है तो उसके बाद उनको मुआवजा नहीं मिलता है । मेरा जहां तक ख्याल है चूंकि सरकार जिस तरह बात कर रही है, यह उचित होगा सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी....

श्री सभापति : आप बोलिए । बोलने का टाइम दिया है, आपको देखने का नहीं । आप बोलें ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से, इसके

(श्री रामनारायण मीणा)

बारे में जो निश्चित कानून है, उस कानून की पालना करवायी जाए और जो अधिकारी समय पर नहीं करते, इस तरह के कानून की पालना में अड़चन डालते हैं, अवाप्त उनको निर्देश दें। सरकार से मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा और विशेषकर जखाना से रायथल जो सड़क है वह इसलिए अधूरी पड़ी है कि भूमि की अवाप्ति नहीं की गयी, उस भूमि की अवाप्ति शीघ्र की जाए। इसके साथ-साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्रीमती (डा) उजला अरोड़ा, सदस्या, ग्राम पंचायत बासना तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर के हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा कथित रूप से कुड़की करवाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण करें।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया था, पर्ची दी थी।

श्री सभापति : नहीं, अलाउ नहीं कर रहे हैं। बिराजें। आज अलाउ नहीं कर रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी ने अलाउ कर दिया था, आप अलाउ नहीं कर रहे हैं।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : बच्चों का एक एक्सीडेंट हुआ है। छोटे-छोटे बच्चे मर गये, उसकी कोई परवाह नहीं की। एक-आध चीज तो हमारी रखने दीजियेगा।

श्री सभापति : कल।

श्री भंवरसिंह चौधरी : आगे भी हुआ है और बच्चे मर गये। ऐसी गाड़ी भेजी जिसमें बच्चे बैठ नहीं सकते और ऐसा ड्राइवर भेजा जिसे पहाड़ी क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, गाड़ी कैसे चलायी जाती है यह ज्ञान नहीं है। निर्दोष बच्चे मर गये। अब हमें बोलने का मौका दीजिये।

श्री सभापति : कल देंगे आपको, बिराजें आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल क्यों? आज दो।

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बासना ग्राम पंचायत तहसील जमवारामगढ़, के हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा कथित रूप से कुड़की करवाने व मकान तुड़वाने की धमकी

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत.... (व्यवधान)

श्री सभापति : पर्चियां आज अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो समय चला गया। बिराजें माननीय। दो घण्टे का समय बढ़ाया है। ...

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति जी ...

श्री सभापति : आज नहीं अलाउ करेंगे। कल कर देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ग्राम पंचायत बासना तहसील जमवारामगढ़....

श्री शिवनाथ सिंह : नयी पर्ची दे देंगे।

श्री सभापति : नयी लिख देना आप। इस सम्बन्ध में नयी पर्ची लिख देना। हां, ध्यानाकर्षण करिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर के हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा ग्रामीणों की कुड़की किये जाने, मकान तुड़वाये जाने, उन पर पेनल्टी इम्पोज करने के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति के अन्तर्गत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करती हूं।

श्री सभापति : माननीय राजस्व मंत्रीजी।

(17.00)

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, वर्ष 1974 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आवासीय भूखण्ड के पट्टे दिये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा भी आवासीय भूखण्डों के पट्टे दिये गये हैं एवं इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति व अन्य परिवार निवास कर रहे हैं। इस भूमि पर स्कूल/औषधालय/पंचायत घर/पटवार भवन/ग्राम सेवक भवन आदि बने हुए हैं। किन्तु यह भूमि (ख.नं. 209) राजस्व रिकार्ड में चरागाह दर्ज है। क्योंकि आवासीय पट्टे जारी करने से पहले इस भूमि को आबादी में परिवर्तन नहीं करवाया गया था। होना यह चाहिए था कि आवासीय पट्टे दिये जाने से पूर्व इस भूमि को आबादी में सैट अपार्ट करवा दिया जाता ताकि राजस्व रिकार्ड में इन आवासीय पट्टों का अमल दरामद हो जाता। आबादी में परिवर्तन नहीं होने के कारण ही भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही पर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा शास्ति कायम की गई थी। मूलचन्द पुत्र रामदेव व लादूराम पुत्र कजोड़ बुनकर से केवल वसूली की ताकीद की गयी थी। बाद में यह तथ्य ध्यान आने पर कि वर्ष 1974 में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा इस भू-खण्ड पर आवासीय पट्टे दिये गये हैं, इस भूमि को आबादी में सैट अपार्ट करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ताकि अनावश्यक रूप से वहां निवास करने वाले व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। सैट अपार्ट करने की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जा रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं, मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं लेकिन मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि इस भूमि पर 1972 में पट्टे दिये गये, 1974 में पट्टे दिये गये इसके बाद में फिर पट्टे दिये गये, तहसीलदार द्वारा पट्टे दिये गये, सरपंच के द्वारा पट्टे दिये गये और इस प्रकार रजत जयन्ती के अवसर पर निःशुल्क पट्टे दिये गये और लगातार परेशान होने के बाद में हमने इस मामले को सरकार के सामने रखा। यह एक मामला है। इसी तरह से मेरे यहां हांडी का बास अजबघर में तहसीलदार तंग कर रहा है। आये दिन रुपये मांगे जाते हैं, आये दिन परेशानी हो रही है। यही हाल जयसिंहपुरा खोर का, गांव जोगियों की ढाणी में केवल 11 मकान

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हैं और पुश्तैनी रूप से रहते आये हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि इस मामले पर आपने निर्णय लिया मैं इसके लिए तो आपको धन्यवाद देती हूं सैट अपार्ट करने के लिए अमल दरामद के लिए लेकिन ऐसे सभी मामलों में अगर आप एक आदेश निकाल देंगे तो सारे मामले नियमन की श्रेणी में आ जायेंगे और ग्रामीण तंग नहीं होंगे क्योंकि अभी पिछले दिनों में भी विधान सभा में यह चर्चा आयी थी, यहां पर एक माननीय सदस्य ने चर्चा की उसमें भी आपने यही उत्तर दिया था। तो इस प्रकार की जहां गलतियां रह गयी है, केवल देखा जाए तो जिला प्रशासन की ओर से गलती रही, तहसीलदार की ओर से गलती रही। चरागाह में दर्शाते हुए उन्होंने निःशुल्क पट्टे दिये और चरागाह की भूमि नियमन की श्रेणी में नहीं आयी।...

श्री सभापति : माननीय सदस्या बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जब आपने निर्णय ले लिया है, इस प्रकार का तो ऐसे सभी मामलात में, मैं तो कहूंगी कि राजस्थान भर में यदि जयपुर जिले में भी ले लेंगे तो निश्चित रूप से ग्रामीणों को ऐसे मामलात में सुख होगा। तहसीलों में चक्कर काटना और तहसीलदारों की धमकियां, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि उन मकानों में तोड़ फोड़ हुई, उनको नुकसान हुआ, सामान उठा कर ले गये। तो यह सारी चीजें वापस दिलायें और जिन लोगों ने गलती की उनके लिये क्या सजा है ? और यह किसके कारण से, किस की गलती से लोग इतने परेशान होते रहे ? माननीय मंत्री महोदय इसको सारे परिप्रेक्ष्य में आपको देखना चाहिए।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, 1972 में इस जमीन पर पंचायत ने कुछ पट्टे दे दिये। वह तो मैं सही नहीं मानता, कानूनी सही नहीं है, पंचायत को चरागाह में पट्टे देने का अधिकार नहीं है। 1974 में जयन्ती मनाने के वक्त में भारत सरकार के आदेश के मुताबिक निःशुल्क पट्टे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को दिये जा रहे थे उस प्रोग्राम के तहत तहसीलदार ने कुछ पट्टे दिये। गिनती के ही हैं, इसमें बहुत थोड़े हैं। उसके बाद में पंचायत ने फिर पट्टे दिये, 86 तक पट्टे दिये लेकिन पंचायत ने कभी भी प्रस्ताव नहीं रखा राज्य सरकार के सामने या कलक्टर के सामने कि आबादी की कमी है और इस चरागाह भूमि को आबादी में कन्वर्ट किया जाय। इसलिये पूर्व में आबादी में कन्वर्ट हुआ नहीं और चरागाह दर्ज रहा और दर्ज रहा तो फिर कानूनी उनके खिलाफ में अतिक्रमण के मामले दर्ज होते गये और जुर्माना उन पर लागू कर दिया गया। इसलिए अब यह निर्णय लिया गया कि पंचायत चाहे मूव करें, चाहे न करें तहसीलदार अपने स्तर पर, तहसीलदार ने 1992 में भी प्रस्ताव भेजा था और अब फिर भेजा है। तो वह अपने स्तर पर प्रस्ताव भेज कर इसको कन्वर्ट करवा लें।

जयपुर जिले में या राजस्थान में और कहीं भी जहां पर प्रोग्राम के तहत पट्टे दिये गये हैं तहसीलदार द्वारा और भूमि अब तक चरागाह में दर्ज है और आबादी में

(श्री गंगाराम चौधरी)

कन्वर्ट नहीं की गयी है। तो राज्य सरकार आदेश जारी कर ऐसी सभी भूमियों को आबादी में कन्वर्ट करवा देगी।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद।

खनन कार्य हेतु विस्फोटक सामग्री की उपलब्धता में भ्रष्टाचार

श्री सभापति : श्री बद्री प्रसाद गुरुजी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, नियम 131 के तहत मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान खनन कार्य हेतु विस्फोट सामग्री की उपलब्धता के संबंध में हो रहे कथित भ्रष्टाचार के संबंध में ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय विधायकगण द्वारा खनन कार्य हेतु विस्फोटक सामग्री की उपलब्धता के संबंध में हो रहे कथित भ्रष्टाचार की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है।

यह सही है कि खनन कार्य करने में, सख्त चट्टानों को तोड़ने में विस्फोटक सामग्री की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्तमान में एक्सप्लोजिव एक्ट, 1984 के अन्तर्गत बने एक्सप्लोजिव रूलस 1983 में निम्न प्रावधान है :—

नियम-155-उप नियम 8 (2)

"A person other than cultivator shall obtain a certificate from local authority having jurisdiction to the effect that the certifying authority has inspected the site and is satisfied that the work for which explosives are required is not possible without blasting." and

नियम 155 उप नियम-9

"An application for grant of a licence to manufacture Ammonium Nitrate Fuel Oil explosives (ANFO) for own immediate use or to possess for own use liquid oxygen explosives at sites coming under the purview of the Mines Act, 1952, shall be accompanied by a certificate from the Chief Inspectors of Mines that the site where such explosives, are to be manufactured, possessed and used is under the control of the applicant and comes under the purview of the Mines Act, 1952," and the applicant is authorised to use liquid oxygen explosives or ANFO explosives and conduct mining operations in the area proposed to be covered by the licence."

विस्फोटक सामग्री के उत्पादन, भण्डारण एवं वितरण का नियंत्रण केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत होता है, क्योंकि विस्फोट सामग्री का दुरुपयोग होने की सम्भावनाओं से राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न भी सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिये यह कठोर प्रावधान किये गये हैं। इस कारण आसानी से व

(126)

(श्री कैलाश मेघवाल)

सामान्यतः खनन कार्य हेतु खनन पट्टाधारियों को विस्फोटक सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है। फलस्वरूप विस्फोटक सामग्री को गैर कानूनी तरीकों से प्राप्त करने के प्रकरण यदा कदा सामने आते हैं।

ऐसे प्रकरण विस्फोटक सामग्री रखने वाले अनुज्ञा पत्रधारी, बिचौलियों एवं खनन पट्टाधारी की मिली भगत से होता है।

इस संबंध में राज्य के खनन पट्टाधारियों की विस्फोटक सामग्री की आवश्यकताओं का अध्ययन कर उनके संगठनों से विचार विमर्श के पश्चात् यथोचित सिफारिश व सुझाव केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किये जावेंगे।

श्री सभापति : कोई प्रश्न हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : बहुत बड़ा प्रश्न है।

श्री सभापति : सरकार ने कहा केन्द्र सरकार का मामला है। यह आपसे राय लेकर भेजेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में राज्य सरकार को खनन सम्पत्ति के द्वारा बहुत बड़ी आय होती है। राज्य सरकार खनिज आवंटित करती है, प्लाट आबंटित करती हैं या खनन पट्टे देती है और मंत्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया कि खनन कार्य के लिए चट्टानों को तोड़ने के लिए या अन्य कार्यों के लिए विस्फोटक सामग्री की आवश्यकता होती है।

श्री सभापति : यह तो सर्वविदित है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : सर्वविदित है पर माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि एक्सप्लोजिव एक्ट 155 की धारा 8 और 9 के तहत प्रावधान बने हुए हैं लाइसेंस देने के लिए। माननीय सभापति महोदय, जो प्रावधान है वह भण्डारण के लिए हैं या तो कोई मैग्जीन लगाये या कोई पोर्टेबल मैग्जीन ले तो उसका लाइसेंस मिलता है आगरा या नागपुर से लेकिन जैसे एग्रीकल्चर में किसान को पांच किलो तक, तीन किलो तक का कलक्टर को लाइसेंस देने का प्रावधान है। ऐसा प्रावधान इसमें माइन्स होल्डर को देने का नहीं है। इस कारण से आम आदमी ले नहीं सकता है। खनन व्यवसाय के लिए या खनन को डवलप करने के लिए या चलाने के लिए बहुत आवश्यकता होती है। मेरे क्षेत्र में, माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ा खनन कार्य होता है। मेरे क्षेत्र में ही नहीं मेरे पास के लगे हुए बून्दी और कोटा क्षेत्र में बहुत बड़ा खनन कार्य होता है। इसी वर्ष 10 लाख टन खनिज की निकासी मेरे क्षेत्र से हुई है। 4 करोड़ 25 लाख की आय हुई है। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं इतने बड़े खनन का कार्य, पूरे राजस्थान की अगर हम तुलना करें तो बहुत बड़ा कार्य है। विस्फोटक सामग्री के बगैर खनन कार्य हो नहीं सकता। 10 लाख टन खनजि की निकासी हुई है तो आखिर विस्फोटक सामग्री वहां आयी है। कानून के विरुद्ध विस्फोटक सामग्री वहां मिलती है, नियमों के विरुद्ध मिलती है क्योंकि मजबूरी है व्यक्तियों की, जो अवैध रूप से बेचते हैं उससे विस्फोटक सामग्री खरीदें और अवैध

(श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी)

रूप से विस्फोटक सामग्री खरीदने में उन व्यक्तियों को, मैं आपको उदाहरण देता हूं, गुल्ला की पेटी आती है जिसको हम टोटा कहते हैं 900 रुपये में आती है और उसे 2000 रुपये में बेचते हैं वह लोग । लालबत्ती की पेटी आती है 4000 रुपये की, 9000 रुपये में बेचते हैं । इसी प्रकार कालीबत्ती की पेटी है 400 रुपये की, 900 रुपये में बेचते हैं । ओडिकी जिसे हम टोपी कहते हैं वह पूरी पेटी 15,000 रुपये में आती है और 24,000 रुपये में बेचते हैं । इस प्रकार दुगने-तिगुने रेट पर जाकर उस खनन व्यवसायी को मिलती है । उससे उनके खनन उत्पादन पर तो प्रभाव पड़ता ही है, लागत में फर्क पड़ता ही है परन्तु इससे जो उनका शोषण होता है, खनिज व्यवसायियों और खनिज में काम करने वालों का जो शोषण होता है, इसमें पुलिस की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इतना महंगा मिलने के कारण पुलिस की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है । मंत्री महोदय ने बताया कि देश की सुरक्षा, स्थायित्व, पर एक बात के लिए तो मुझे घोर आपत्ति है मंत्री महोदय ने जो कहा कि खनन पट्टाधारियों की मिलीभगत से है । खनन पट्टाधारी अपना काम करने के लिए विस्फोटक सामग्री लाता है । जहां तक मैं सोचता हूं कि उससे उसका सम्बन्ध नहीं है कि कहां उसका दुरुपयोग हो, यह कभी खनन पट्टाधारी नहीं चाहेगा । तो मेरा निवेदन यह है कि जब इस प्रकार पुलिस की इस बन्दी, जिसे हम कहते हैं, या भ्रष्टाचार जिसे कहते हैं उस कारण से यह सारा इतना महंगा वहां माल मिलता है और स्वाभाविक है जब कानून बने हुए हैं उन्हें पकड़ने का अधिकार है तो मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय वैसे शरीर से बलिष्ठ हैं, मन से भी बलिष्ठ हैं और यदि पुलिस की ड्रेस पहना दी जाये तो बिल्कुल आई. जी. से कम नहीं लगें और पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार खतम करने की जो इनके मन की भावना है, मैंने यह विषय इसीलिए उठाया है ...

श्री सभापति : अब इनके ध्यान में आ गया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं ...

श्री सभापति : हां, आप सुझाव दीजिये । जल्दी करें माननीय सदस्य ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : माननीय गृह मंत्रीजी जो अभी खनन मंत्री का दायित्व भी निभा रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि क्या सरकार इस एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान करायेगी जिससे खनन व्यवसायी को खनन पट्टे के आधार पर या क्वेरी लाइसेंस के आधार पर जिला कलक्टर को ही लाइसेंस देने के प्रावधान कराने का विचार रखती है और यदि रखती है तो कब तक यह व्यवस्था करा देगी ? एक बात और मैं पूछना चाहूंगा ..

श्री सभापति : यह करा देगी ।

श्री बद्री प्रसाद गुरूजी : बात करेंगे ना । राज्य सरकार आखिर में खनन पट्टा देती है । खनन व्यवसायियों को सरकार खान दे देगी और उसको चलाने के लिए व्यवस्था नहीं करेगी, यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या ? सभापति महोदय,

(श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी)

सरकार का भी एक दायित्व बनता है। एक निवेदन मेरा और है। पूर्व में खनिज विभाग के कंप्रेशर वहां चलते थे। खनिज विभाग का होल था। खनिज विभाग ब्लास्ट करता था। यह व्यवस्था करीब बीस साल से बन्द कर दी है खनिज विभाग ने। खनिज विभाग यदि अपनी कोई मैग्जीन वहां खोल दे क्वेरी लाइसेंस के आधार पर, या खनन पट्टेधारियों को वह दे दे, या अपने ब्लास्टेज रख ले, वह ब्लास्टेज छोड़ दे तो उससे समस्या का हल हो सकता है। माननीय गृह मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि इस समस्या का समाधान करें और इसमें जो अन्दर-अन्दर गड़बड़ियां हो रही हैं, उसको देखें।

श्री सभापति : धन्यवाद। क्या प्रश्न है कालूलाल जी। आप पूछ लीजिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : सभापति महोदय, मैं तो एक दो सुझाव दे रहा हूं। प्रश्न तो मैं इनसे पूछ नहीं सकता। मैं एक निवेदन गृह मंत्रीजी से कर रहा हूं जिस तरह से अभी चर्चा की गयी कि विस्फोटक सामग्री का खनन में भी उपयोग होता है और कुआं खोदने में भी होता है। दोनों जगह प्राब्लम यह है कि जो ट्रेक्टर कंप्रेशर है, जो ब्लास्टिंग करते हैं, जो डील करके ब्लास्ट करते हैं, उनको अगर थोड़ा-थोड़ा ब्लास्टिंग का और विस्फोटक सामग्री रखने का लाइसेंस दे दिया जाये तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा और जिस तरह से ब्लास्टिंग रहता है उसका मिस यूज....

श्री सभापति : भारत सरकार....

श्री कालूलाल गुर्जर : मेरा निवेदन है उसके लिए भारत सरकार को अगर अपनी राजस्थान सरकार लिखे तो इस तरह का प्रावधान हो सकता है। मान लीजिये प्राइवेट आदमी को इस तरह का लाइसेंस देने में केन्द्र सरकार अगर एग्री नहीं करे तो अपने खान विभाग की ओर से आर.एस.एम.डी.सी. है, आर.एस.एम.एम. है उनकी ओर से हर खनन क्षेत्र में एक-एक मैग्जीन इसमें जो गवर्नमैण्ट सैक्टर के और अपने कार्पोरेशन हैं, उनकी लगवा दी जाये तो निश्चित रूप से खान मालिकों को आसानी से विस्फोटक सामग्री उपलब्ध हो जायेगी। मुझे पता है कि पहले आर.एस.एम.डी.सी. के खनन कार्य में जो विस्फोटक सामग्री उपयोग में ली गयी उसमें भी अधिकारियों के विरुद्ध ही मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो अब तो सरकार को इस समय ज्यादा ध्यान देना चाहिये कि जब खुद के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो सकते हैं तो उनकी व्यवस्था कब तक होगी? आखिर कोई न कोई व्यवस्था तो करनी थी तो अब तक सरकार ने क्या प्रयास किया और आगे क्या करने वाली है? यह तो आप बता दें नम्बर एक, और दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जितना कुआ खोदने ...

श्री सभापति : विराजिये। माननीय कालूलाल जी यह भारत सरकार से सम्बन्धित सवाल है, आप बोल रहे हैं। मैं बोलने की परमीशन दे रहा हूं लेकिन इस सदन की परम्परा रही है कि भारत सरकार से सम्बन्धित जो सवाल हैं उन पर लम्बी चौड़ी बहस यहां पर नहीं होगी। मंत्री महोदय ने कह दिया कि वह लिखेंगे, इसके अलावा वह क्या कर सकते हैं?

श्री कालूलाल गुर्जर : मंत्री महोदय लिखेंगे नहीं, वहां जाकर प्रयास करें, केन्द्रीय गृह मंत्रीजी से मिलें और इस समस्या का समाधान किसानों की दृष्टि से भी करें। आज खेती की दृष्टि से कुआ खोदते हैं तो उनको भी प्राब्लम है। तो मेरा सुझाव यह है कि ट्रेक्टर कंप्रेशर वालों को इनको छोटे-छोटे देने के लिए लाइसेंस दिलाने की पद्धति जारी करने के लिए केन्द्र सरकार से बात करें।

श्री सभापति : बातचीत करें, ठीक है। माननीय मंत्रीजी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : मैं भी एक दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। भारत सरकार से छोटे खनन व्यवसायियों को सीमित मात्रा में विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए नियमों में आवश्यक प्रावधान हेतु राजस्थान सरकार ने अब तक क्या किया? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब 1983 के तहत किसानों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु फार्म 23 में सीमित मात्रा में लाइसेंस जारी करने का अधिकार दर्शाया है परन्तु अब तक राजस्थान सरकार की ओर से ऐसा कौनसा प्रावधान किया गया जिसके तहत खनिज क्षेत्र में काम करने वालों को, लीज होल्डर्स वालों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं। भारत सरकार देती है लेकिन राजस्थान सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। अवैध खानें चल रही हैं और लाइसेंस के अभाव में गुण्डा तत्व यह पदार्थ बेचकर अपना काम कर रहे हैं। हमारी पुलिस भी लगती है, हमारे अधिकारी भी हैं, वहां जाते हैं परन्तु लाइसेंस के अभाव में यह कार्य नहीं हो रहा है। तो राजस्थान सरकार क्या कर रही है और क्या राजस्थान सरकार इस प्रकार के नियमों में संशोधन करायेगी?

श्री सभापति : मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण के उत्तर में निवेदन कर दिया था और किसानों के लिए जो सुविधा है। अब किसानों और खनन पट्टाधारियों की अलग-अलग स्थिति है। क्योंकि किसान तो एक बार कुआ खोद लेता है उसके बाद इसको बहुत लम्बे समय तक जरूरत पड़ती नहीं, खनन पट्टाधारियों को निरन्तर, इसकी हमेशा जरूरत पड़ती है और जो अभी प्रावधान है। इसमें यह जो फार्म है, जो 23 है उसमें To possess for own use class-2 and/or class-3 explosives not exceeding 5 kgs. electric or ordinary denonators not exceeding 100 numbers and safety fuse not exceeding 200 metres. यह बहुत कम व्यवस्था है हालांकि जो मैं समझ पाया हूं खनिज पट्टाधारी भी इस नियम का लाभ ले सकते हैं लेकिन वह क्यों नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है और इसमें क्लेडेस्टाइन एक्टिविटीज चल रही हैं और मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार अपने स्तर पर खनिज पट्टाधारियों को राहत देने के लिए और उनसे चर्चा करके, उनसे विचार-विमर्श करके केन्द्रीय सरकार को इस तरह के सुझाव भेजेगी और पुरजोर पैरवी भी करेगी।

श्री सभापति : धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुई। श्री शांतिलाल खोईवाल, 131 के

(श्री सभापति)

अन्तर्गत पंचायत राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

रेल मगरा पंचायत समिति के तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा किया गया अत्याचार

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : माननीय सभापति महोदय, डा. योगेश जोशी, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति रेलमगरा ने श्री मोहन लाल जाट, कनिष्ठ लिपिक द्वारा भ्रष्ट कार्य में सहयोग नहीं करने पर उसके विरुद्ध किये गये अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के तहत माननीय पंचायत राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री सभापति : माननीय श्री पंचायत राज मंत्रीजी ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) : माननीय सभापति महोदय, उपरोक्त ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में बिन्दुवार तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है :—

(1) स्व. श्री मांगीलाल मिरासी, अध्यापक, पचायत समिति, रेलमगरा का सेवा में रहते हुए दिनांक 27-7-1990 को स्वर्गवास हुआ । मृतक कर्मचारी के आश्रित द्वारा नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति रेलमगरा श्री योगेश चन्द जोशी ने राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद, (सेवा के सदस्यों के आश्रितों की भर्ती) नियम, 1978 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र नियमानुसार नियुक्ति देने हेतु अपने पत्र क्रमांक

(17.22)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन ।)

2513, दिनांक 18-8-1992 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमंद को निवेदन किया, जिसमें मृतक के सभी पुत्रों के व्यवसाय के सम्बन्ध में स्पष्ट रिपोर्ट दी थी जिसके कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमंद ने अपने आदेश क्रमांक 1169–72, दिनांक 20-3-93 के द्वारा मृतक के पुत्र श्री अली मोहम्मद मिरासी को ग्रुप सचिव के पद पर पंचायत समिति, कुम्भलगढ़ में नियुक्ति हेतु आबंटित किया, जिसकी पालना में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कुम्भलगढ़ ने श्री अली मोहम्मद को ग्रुप सचिव के पद पर नियुक्ति दे दी और विकास विभाग से अनुमोदन चाहा गया लेकिन विकास विभाग से अनुमोदन नहीं होने के कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द के आदेश दिनांक 20-3-1993 की पालना में श्री अली मोहम्मद को ग्रुप सचिव के बजाय पंचायत समिति, कुम्भलगढ़ में ही कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति दी गयी । अतः यह गलत है कि स्व. श्री मांगीलाल मिरासी के दो आश्रितों को नियुक्ति दी गयी है । नियमानुसार एक ही आश्रित को जिला परिषद, राजसमन्द के आदेशानुसार विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कुम्भलगढ़ ने कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति दी है ।

(श्री नाथूसिंह)

जहां तक आवासीय भूमि का पट्टा एवं निर्माण की स्वीकृति के बावजूद भी श्री मोहन लाल जाट का मकान ढहा देने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि विवादास्पद मकान का विधिवत रूप से ग्राम पंचायत से भूमि पट्टा श्री मोहन लाल जाट द्वारा प्राप्त किया गया तथा प्रशासक, ग्राम पंचायत रेलमगरा ने श्री जाट द्वारा अतिक्रमण नहीं करने की पुष्टि की है। श्री जोशी ने यद्यपि जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। श्री जाट का प्रकरण अतिक्रमण की परिभाषा में नहीं आने के कारण उसे नहीं तुड़वाना चाहिए था। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री योगेश जोशी, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेलमगरा ने श्री मोहन लाल जाट की अतिक्रमण सम्बन्धी ग्राम पंचायत की पत्रावली का पूरी तरह अवलोकन नहीं किया तथा अतिक्रमण हिस्से को ढहाने की कार्यवाही जल्दबाजी में की गई प्रतीत होती है, जिसके लिए जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(2) यह सही है कि श्रीमती यशोदा देवी मालीवाल, अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय कोटडी पंचायत समिति, रेलमगरा के पद पर कार्यरत है, जिसने दिनांक 31-10-1992 को प्रार्थना पत्र वेतन निर्धारण हेतु प्रस्तुत किया, जो विधिवत ऑप्शन फार्म नहीं था। इस प्रार्थना पत्र पर विकास अधिकारी श्री जोशी ने दिनांक 10/11 से पूर्व निपटाने के आदेश दिये। इसी प्रकरण को लेकर श्री जोशी ने श्री मोहन लाल जाट, कनिष्ठ लिपिक को समय पर कार्य नहीं करने, कार्यालय में अभद्र व्यवहार करने के कारण निलम्बित किया। नियमानुसार विकास अधिकारी श्री जाट को निलम्बित तो कर सकता है किन्तु निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता नहीं देना नियमों के विपरीत है, जो देना चाहिए था।

(3) जहां तक बिना नियमों की पालना करते हुए श्री मोहन लाल जाट को बहाल करने तथा दण्ड देने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (दण्ड एवं अपील) नियम, 1961 के नियम 7 के अन्तर्गत श्री जाट को दिये गये दण्डादेश के लिए विकास अधिकारी सक्षम है, लेकिन उक्त दण्डादेश के विरुद्ध जिला परिषद, राजसमंद में अपील विचाराधीन है। अतः विकास अधिकारी द्वारा दिये गये दण्ड पर किसी प्रकार की टिप्पणी अभी किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि अपील का निर्णय गुण दोष के आधार पर किया जायेगा।

(4) भ्रष्ट तरीकों में भागीदार पंचायत प्रसार अधिकारी श्री रामस्वरूप काबरा, जो श्रीमती यशोदा मालीवाल का रिश्तेदार है, प्रयासरत है कि करीब 25 वर्ष पूर्व जारी पट्टा निरस्त किया जाकर शेष मकान भी ढहा दिया जावे। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि पंचायत प्रसार अधिकारी श्री काबरा एवं श्रीमती यशोदा आपस में रिश्तेदार न होकर स्वजाति हैं। श्री मोहन लाल जाट के मकान एवं प्लाट से सम्बन्धित एक शिकायत तहसीलदार, रेलमगरा ने पंचायत समिति को भेजी। जिसकी जांच पंचायत प्रसार अधिकारी श्री काबरा ने की, जिसमें यह पाया कि श्री जाट ने विभिन्न सरपंचों

(126)

(श्री नाथूसिंह)

से बार-बार प्लाट लिये, जिसमें एक प्लाट प्रशासक के कार्यकाल का भी था। फलस्वरूप श्री भूरालाल मालीवाल विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेलमगरा ने अपने पत्र दिनांक 5-11-1993 के द्वारा जांच रिपोर्ट संलग्न कर जांच रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत नियमों के अन्तर्गत धारा 27 (क) के तहत कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर (पंचायत), राजसमंद को निवेदन किया, जो अभी तक विचाराधीन है।

श्री सभापति : माननीय श्री खोईवाल। हो गया सब आपका, तो अब इसमें क्या पूछना है ...

श्री शांतिलाल खोईवाल : इसमें गलत दी है रिपोर्ट।

श्री सभापति : आपने चाहा है जो तो सब कर दिया माननीय मंत्रीजी ने।

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय मंत्री महोदय को जो टिप्पणी प्रस्तुत की है अधिकारियों ने, वह तथ्यों से परे है इसलिए मुझे कुछ एतराज है।

श्री सभापति : पूछिये, पूछिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : सभापति महोदय, विकास अधिकारी, रेलमगरा श्री योगेश जोशी ने उसके भ्रष्ट तरीकों में सहयोग नहीं करने के कारण एक कनिष्ठ लिपिक को जिस कदर परेशान किया, जिस कदर उसे यातनाएं दी, यह एक दारुण कथा हैं। अब प्रश्न इस बात का है कि एक अध्यापिका जो कोटड़ी शाला में काम करती थी, उसको अपने वेतन निर्धारण के लिए री-ऑप्शन प्रस्तुत करना था उसने समय पर अपना री-ऑप्शन प्रस्तुत किया नहीं, उससे चार महीने बाद उसने प्रस्तुत किया। विकास अधिकारी ने उस प्रार्थना-पत्र पर सम्बन्धित बाबू की टिप्पणी के लिए उस पर लिख दिया। सम्बन्धित बाबू ने उस पर लिखा, क्योंकि यह निर्धारित अवधि में ऑप्शन पेश नहीं किया है अब नियमानुसार इस तरह का फिक्सेशन किया जाना सम्भव नहीं है। जब नियमानुसार फिक्सेशन किया जाना सम्भव नहीं था तो उसने कैलकुलेट किया कि फिर आप मुझे प्रेशराइज्ड करेंगे इस तरह मुझे बैक डेट में टिप्पणी करने के लिए कहेंगे तो सरकार को एक लाख सत्तर हजार रुपये का लोंग टर्म में नुकसान होगा। यह टिप्पणी करके उन्होंने प्रस्तुत कर दी तो इसके तत्काल बाद विकास अधिकारी ने न सोचा, न समझा और नियमों को नजर अंदाज करते हुए, अलग ताक में रखते हुए उसने सस्पेंशन आर्डर में सिर्फ एक कारण लिखते हुए क्योंकि यशोदा देवी के प्रकरण में आपने जान बूझकर विलम्ब किया है इसलिए आपको निलम्बित किया जाता है। सभापति महोदय, निलम्बित करने का एक तौर तरीका होता है। एक फोरमेट होता है कि यदि कोई जांच विचाराधीन है तो उसको निलम्बित करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वह बी.डी.ओ. भारी राशि देर से आप्शन प्राप्त करने के बाद में भी फिक्सेशन करने के लिए ले चुका था इसलिए उसको सस्पेण्ड कर दिया और सस्पेण्ड करना, चलो ठीक है, सस्पेण्ड कर दिया उसके अधिकार की बात थी लेकिन उसमें सस्पेशन अलाउंस, जिसको निर्वाह भत्ता कहते हैं वह भी नहीं दिया उन्होंने। यदि

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

किसी व्यक्ति को निलम्बित करें, किसी कर्मचारी को निलम्बित करें और निर्वाह भत्ता उसको नहीं दिया जाए या निर्वाह भत्ता देने का आदेश प्रसारित नहीं किया जाए तो, सभापति महोदय, यह सारी सस्पेंशन की कार्यवाही वोइड हो जाती है। इस तरह के निर्णय राजस्थान हाई-कोर्ट ने 1985 में दिये हैं कि यदि किसी व्यक्ति को निलम्बित किया जाता है और निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता नहीं दिया जाता है तो सारी कार्यवाही अवैध मानी जाये।

सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में यह बहुत स्पष्ट है कि जानबूझ करके उस कनिष्ठ लिपिक को बी डी ओ क्योंकि उसके भ्रष्ट तौर तरीके में सहयोगी नहीं बना, इसलिए उसको परेशान किया। चलो यहां तक कोई बात नहीं क्योंकि सस्पेंशन में बहुत स्पेसिफिक रीजंस दिये थे कि यशोदा देवी के कारण आपको सस्पेण्ड किया जा रहा है।

बीस दिन बाद में उसको चार्जशीट दी। श्रीमान्, चार्जशीट भी एक निर्धारित प्रपत्र या एक फोरमेट में नहीं दी उन्होंने और चार्जशीट में, जब किसी ने सलाह दी, बी डी ओ को कि आपने यह कारण एक लिखा है। आप कुछ कारण और लिखो तो चार्जशीट में 10–15 कारण और बता दिये। जो नियमों के विपरीत है। आप तो जानते हैं अच्छी तरह, सभापति महोदय, आप सीनियर आफिसर रह चुके हैं यह सारी प्रक्रिया वोइड थी। इसके बाद में आप देखिये, सभापति महोदय कि दस महीने बाद में उस विकास अधिकारी का ट्रांसफर हो गया वहां से, तो उसने देखा कि मैंने जितनी कार्यवाही की है सारी वोइड है ऐसी स्थिति में रिलीव होने के पहले कुछ न कुछ निर्णय कर दूं तो ज्यादा ठीक है। अब तो हुआ यह, सभापति महोदय, कि ज्यों ही उसको कार्य मुक्त होना था 17-8-92 को, उसी रोज उसने अपना एक निर्णय सुना दिया कि आपको पदावनत किया जाता है, यू डी सी. से एल डी सी. किया जाता है। जो यह मेजर पेनल्टी की श्रेणी में आता है। वह अपने आप कर नहीं सकता है इस तरह की कार्यवाही और मेजर पेनल्टी में सफीशियेन्ट टाइम देना पड़ता है। वह अपने प्रकरण को डिफण्ड करे। अब ऐसा कोई चान्स नहीं देना होता है कि उसको बिना सुने ही इस तरह का निर्णय दे दो। सिर्फ उसको रिलीव होना था और आगे आने वाला बी.डी.ओ. इसमें क्या प्रक्रिया अपनायेगा इस भय से उसने इस तरह के निर्णय दे दिये, सभापति महोदय यह भी गलत था। इसके बाद क्या हुआ कि भ्रष्ट तौर तरीके सिर्फ एक ही नहीं था भ्रष्ट तरीके उसने दूसरे भी अपनाये। एक कम्पन्शनेट ग्राउन्ड पर यदि कोई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस में से किसी एक को नौकरी देने का प्रावधान है। मांगीलाल मिरासी की पत्नी ने प्रार्थना-पत्र पेश किया समस्या समाधान शिविर में विकास अधिकारी को, कि मेरे एक मात्र पुत्र को इस तरह की नौकरी दी जाये तो मेरा भरण पोषण हो जायेगा। अब, सभापति महोदय, उसमें विकास अधिकारी ने स्वयं ने टिप्पणी लिखी है। उसकी फोटोस्टेट कापी मेरे पास है। उसमें लिखा है क्योंकि उसका एक पुत्र फलां जगह नौकरी करता है और दूसरा पुत्र फलां जगह नौकरी करता है इसमें

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

इसको इस तरह का लाभ दिया गया है, कम्पन्शनेट ग्राउन्ड का, ऐसी स्थिति में उसको फिर से नौकरी दिया जाना सम्भव नहीं हैं लास्ट वाले बच्चे को। अब, सभापति महोदय, पांच दिन बाद में उसने भारी राशि ले ली महिला से और कहा कि आप अलग से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कीजिये और मैं इसको तो अवोइड कर जाऊंगा और जिला परिषद में पृथक से मैं अपने स्तर पर डील करके आपको नौकरी दिला दूंगा। उसने ऐसा किया। अब मोटी बात इसमें देखने लायक यह है, सभापति महोदय, कि यदि बी.डी.ओ. का मेलाफाइड इंटेन्शन उसको सस्पेण्ड करने का नहीं होता तो क्या जिस कारण उसको सस्पेण्ड किया है यशोदा देवी का वेतन नहीं निर्धारण करने के कारण क्या उसका वेतन निर्धारण दो सालों में किसी ने कर दिया क्या ? यह सही होता तो निश्चित तौर से बाद में तो कर दिया जाना था। वह आज दिन तक नहीं हुआ, सभापति महोदय। इसका सीधा साधा मतलब यह निकलता है कि बी.डी.ओ. ने जान बूझकर उसको परेशान करने के लिए उसके भ्रष्ट तौर तरीके में सहयोगी नहीं बनने के लिए उसको सस्पेण्ड किया है। फिर मैं निवेदन करूं आपको कि मिरासी के बारे में मैं बात कर रहा था उसको इस तरह की नौकरी दिला दी और जब कर्मचारी ने उस प्रार्थना-पत्र में यह टिप्पणी की कि इन कारणों से क्यों आपने पहले मना किया था समस्या समाधान शिविर में और आपकी खुद की हैंडराइटिंग से उसमें टिप्पणी लिखी है, ऐसी स्थिति में यह नियमानुसार नहीं है, अतः उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। आप तो जानते हैं, सभापति महोदय, कि एक लिपिक के स्तर पर वह क्या टिप्पणी लिखेगा। जिस तरह की पहले कार्यवाही हुई है उसी तरह की टिप्पणी करेगा और उस टिप्पणी करने के बाद क्या किया कि 3 दिन के बाद उसका मकान ढहा दिया। अभी माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट तौर से एडमिट किया है कि जिस तरह से उस कर्मचारी का मकान ढहाया है बी.डी.ओ. ने, वह नियमानुकूल नहीं था। कलक्टर भी नहीं चाहता था। प्रशासक ने स्पष्ट तौर से टिप्पणी दे दी थी, सभापति महोदय, कि जो पट्टा है उसके पास उतनी ही जमीन पर वह काबिज है और जितना भी निर्माण कराया है वह प्रशासक से अनुमति लेकर कराया है। अब उस सारे तथ्य को नजरअन्दाज करके, क्योंकि उस कर्मचारी को महज परेशान करना था इसलिए उसका मकान ढहा दिया। अब मकान ढहा देने की बात, मंत्रीजी ने अभी स्पष्ट भाषा में एडमिट किया है कि यह गलत ढहाया है, नहीं ढहाया जाना चाहिए था। तो मेरे तीन-चार बेसिक प्रश्न हैं कि यदि उसने गलत ढहाया है, रेकर्ड को नजरअन्दाज किया है और उस पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया है। तो क्या उसका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की क्षतिपूर्ति बी.डी.ओ. की जेब से करने के आदेश माननीय मंत्री महोदय फरमायेंगे ? दूसरा, यदि यशोदा देवी के नाम पर जिस व्यक्ति को सस्पेण्ड किया था उस व्यक्ति को जिस ग्राउन्ड पर सस्पेण्ड किया था यदि वह कारण सही होते तो क्या बाद में उसका पे-फिक्सेशन करा दिया ? क्या किसी दूसरे बी.डी.ओ. ने या दूसरे कर्मचारियों ने ? या अपील करने पर वह भी नहीं हुआ, सभापति

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

महोदय। ऐसी स्थिति में बहुत स्पष्ट है कि जान बूझकर उस कर्मचारी को बी.डी.ओ. के भ्रष्ट तौर तरीकों में सहयोग नहीं करने के कारण परेशान किया है। अब यदि ऐसे अधिकारी जो टाप लेवल पर बैठे हुए हैं प्रोटेक्ट करेंगे तो मेरी ऐसी मान्यता है कि किसी न किसी तरह ऐसे अधिकारी प्रभावित हुए हैं। मैं नियमों का हवाला दे रहा हूं, मैं रेकर्ड का हवाला दे रहा हूं फिर भी मंत्री महोदय को इस तरह की टिप्पणी दे.दी और मंत्री महोदय ने यहां पर पढ़ दी और कह दिया कि उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। दूसरा, जो बड़ा बेसिक प्रश्न है वह यह है उसको दस महीने तक एक पैसा नहीं दिया गया निर्वाह भत्ते के नाम पर। जब निर्णय किया गया तो उसको पदावनत कर दिया और उसको कोई इम्पोर्टेन्ट टास्क को असाइन नहीं करने का भी निर्णय कर दिया। वह भी अपने स्तर पर वह नहीं कर सकता, उसके लिए भी जांच अधिकारी नियुक्त करना पड़ता और जांच अधिकारी उसको पूरा मौका देता, सभापति महोदय, कि आप अपने पक्ष में जिस तरह भी डिफेण्ड करना चाहें या अपना पेरोकार नियुक्त करना चाहे पेरोकार नियुक्त करें और विधिवत तौर तरीके से उसकी जांच हो। वह नहीं की और सिर्फ रिलीव होते समय उसने स्टे कर दिया। मैं आपसे गुहार करता हूं, आपसे न्याय चाहता हूं कि क्या यह सारे तरीके कानून कायदे को नजर अन्दाज करते हुए जान-बूझकर विकास अधिकारी ने नहीं किये क्या? माननीय मंत्री महोदय मेरे इन प्रश्नों का प्रत्युत्तर दें। अभी जो पंचायत बिल था उससे इस सदन के माननीय सदस्य इसलिए सहमत नहीं हो रहे थे कि यह तो बहुत भ्रष्ट हैं। अब बी. डी ओ. भी ऐसे भ्रष्ट होंगे तो अब प्रशासक क्या करेंगे, सभापति महोदय? ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि वेटरिनरी डाक्टर की वैसे तो जानवरों के इन्जेक्शन लगाने की आदत होती है लेकिन वह मनुष्यों के इन्जेक्शन लगा रहा है। विकास के पैसे वह खा रहा है, सरकारी पैसे का खनन करने और दुरुपयोग करने में चूक नहीं रहा है फिर भी मंत्री महोदय, अधिकारी ने जिस तरह की टिप्पण बना दी वह उन्होंने पढ़ ली और कह रहे हैं कि उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उस गरीब का क्या होगा जिसको दस महीने तक तनख्वाह नहीं दी। उसके बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो क्या इस तरह की दयनीय स्थिति में माननीय मंत्री महोदय, आप राहत नहीं देंगे तो मैं इसके बारे में किस से गुहार करूं। माननीय मंत्री महोदय, मेरे सारे तथ्यों के बारे में आप टिप्पणी करें।

श्री सभापति : मंत्री महोदय....

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, 3 बिन्दु हैं। एक तो मृतक कर्मचारी के पुत्र को नौकरी देने का सवाल है। दूसरा एक अध्यापिका का वेतन निर्धारण समय पर नहीं करने के कारण उसको दण्ड देने का सवाल है और उसके मकान तोड़ने का और उसको निलम्बित करने का सवाल है। मैंने रेकार्ड देखा, सभापति महोदय, और उस रिकार्ड के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक....

श्री शांतिलाल खोईवाल : यह रिपोर्ट से प्रभावित होकर टिप्पणी लिखी है ।

श्री सभापति : आप बता चुके हैं इस बात को । अब सुनिये मंत्री जी को । सुनिये आपकी मदद करने जा रहे हैं अब ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : यह रिपोर्ट तो + + + है ।....

एक माननीय सदस्य : यह सरकार ही + + + है ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : सरकार + + + नहीं है । जिस अधिकारी ने इस तरह के कृत्य किये हैं वह + + + है ।

श्री नाथूसिंह : जहां तक मृतक कर्मचारी के पुत्र को नौकरी देने का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, नियमों में इस तरह का प्रावधान है और जैसा मैंने पहले कहा कि केवल एक ही पुत्र को नौकरी दी गयी है । चूंकि आपने एक नयी जानकारी मुझे अभी दी है कि पहले बी डी ओ. ने मना किया । बी.डी.ओ. को तो अपने आप नौकरी देने का अधिकार ही नहीं है । वह सी.ओ. को भेजते हैं, सी ओ. राज्य सरकार को भेजता है और राज्य सरकार परमीशन देती है उसके बाद ही नौकरी दी जाती है । इस संबंध में जितनी आपके पास जानकारी है वह दे दें कि उसने लिखित में पहले मना किया है और बाद में उसने दी है तो किस आधार पर दी है और इसमें वास्तविकता यह थी, माननीय सभापति महोदय, कि ग्रुप सचिव के लिए सी.ओ. ने लिखकर भेजा और आदेश दिया बी.डी.ओ. को ग्रुप सचिव के पद पर इनको लगा दिया जाये । उन्होंने आदेश देकर राज्य को स्वीकृति के लिए दिया लेकिन उस समय रोक लगी हुई थी ग्रुप सचिव के पद पर नौकरी देने की तो उनको लिपिक के रूप में वहां पर लगा दिया । जैसा आपने कहा कि पहले मना किया है आप मुझे सारे तथ्य दे दें मैं जानकारी करूंगा और अगर यह सही पाया गया कि बी डी.ओ. ने इसमें पैसे लिये हैं या कोई गड़बड़ी की है तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कार्यवाही करूंगा । जहां तक दूसरा सवाल, माननीय सभापति महोदय, एक प्रक्रिया है पंचायत समितियों में कि आखिर नीचे के कर्मचारी से अधिकारी काम कैसे लें । जो मुझे रिपोर्ट दी, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मेरे पास तथ्यात्मक टिप्पणी आयी, कागज आये और रिपोर्ट आयी उसके आधार पर बी डी.ओ. ने आदेश दिया कि फलां अध्यापिका का वेतन निर्धारण किया जाये 10-11 तक । मुझे जानकारी दी है उन्होंने 10-11 तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की और कार्यवाही नहीं करने के बाद में बी.डी.ओ. ने कि आपने अभी तक कार्यवाही नहीं की और अभद्र व्यवहार किया है उन्होंने कहा कि इस पर कार्यवाही कीजिये, आपने तथ्य यह दिये हैं कि री-आप्शन मांगा गया था वह नहीं दिया मैं इसकी भी जानकारी करा लूंगा कि इन दोनों में कौनसी बात सही है । अगर आपकी बात सही है तो कार्यवाही की जाएगी और यह बात सही है तो कार्यवाही करने का सवाल ही नहीं है ।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री नाथूसिंह)

तीसरा मामला है सस्पेंशन के दौरान निर्वाह भत्ते का। यह सही है कि निर्वाह भत्ता देना चाहिए था, नहीं दिया गया। जब उनको सस्पेण्ड कर दिया गया, सस्पेंशन के बाद जांच करके रिपोर्ट की गयी। रिपोर्ट के आधार पर उनको यू. डी.सी से एल.डी.सी. बना दिया गया। इन बिटविन अगर कोई वेतन का मामला है, निर्वाह भत्ते का मामला है तो डी.ई.सी. में वे अपील करें। कानून की एक प्रक्रिया है, डी.ई.सी. जो फैसला देगी उसके अनुसार हम कार्यवाही करेंगे।

जहां तक मकान का मामला है, आपने कहा कि मैंने स्वीकार किया है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है। प्रतीत होता है शब्द हमने यूज किया है। इसलिए किया कि हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट आयी हैं कि तीन-चार अलग अलग पट्टे उस कर्मचारी ने बनवा लिये। गांव वालों ने तहसीलदार को एक शिकायत की और शायद कलक्टर को भी शिकायत की हो, कागजों में है। उन्होंने यह कहा, यह जो स्थान है बीच में चौक, यहां पर सारे पशु, गांव की गायें इकट्ठी होती हैं। इस पर इस कर्मचारी ने चूंकि यह पंचायत समिति में है, प्रभावशाली है, कब्जा किया है। उसमें 4-5 पाइण्ट हैं। जांच रिपोर्ट मेरे पास है, बहुत लम्बी है। अगर आप चाहें तो मैं इसको पढ़कर सुना दूं लेकिन सदन का समय आज वैसे ही काफी हो गया है। आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। यह काटा पीटी की है, उस जांच रिपोर्ट में कहा है कि पहले दो सौ रुपये लिखे, फिर 488 रुपये लिखे। पहले इतना स्थान लिखा, फिर इतना स्थान लिखा। उसके बाद बिना अनुमति के उन्होंने इतना कंस्ट्रक्शन करा लिया। ऊपर से आदेश आये कि इसको तोड़ा जाए, इस कारण बी.डी.ओ. ने तोड़ने का आदेश दिया। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। इसलिए मैंने जो शब्द यूज किया वह जानबूझकर यूज किया है कि प्रतीत होता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकरण की मैं जांच करवा लूंगा। इसमें यदि कोई मैलाफाइड इन्टेंशन मुझे लगा, कोई गलत बात लगी तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से इसमें कार्यवाही की जाएगी।

श्री शांतिलाल चोईवाल : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी फर्माया कि यह मामला री-आप्शन का था। मेरे पास यह सर्कुलर है विकास विभाग द्वारा जारी किया गया। यह सर्कुलर जारी हुआ है 7 अप्रेल, 1992 को। उसमें आप्शन के लिए समय निर्धारित किया है: "री आप्शन शुड बी गिवन विदिन टू मथ्स।" वापस प्रार्थना पत्र पेश कर रही हैं यशोदा देवी 31-10 को। 17 अप्रेल, 1992 और 31 अक्टूबर, यह दो महीने की अवधि तो नहीं है। यह बहुत ज्यादा अवधि हो गयी। यह मेरे पास सर्कुलर भी है, उसकी टिप्पणी भी है। वह टिप्पणी यह करे कि इस तरह का आप्शन विलम्ब से प्राप्त करना और उसका फिक्सेशन करना न्यायसंगत नहीं है। बी.डी.ओ. ने इस बात के पैसे लिये कि आपको एक लाख साठ हजार रुपए मिलेंगे, बाद में भी आप्शन दे दो। सारी

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

स्थिति जब स्पष्ट है तो माननीय मंत्री महोदय उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते ? मैं सर्कुलर दे रहा हूं, यह मेरे पास सर्कुलर है। मेरे पास उस बी.डी.ओ. की टिप्पणी है स्वयं की। कम्पेनसेशन ग्राउण्ड पर जिस तरह अपाइंटमैंट होते हैं उसमें स्पष्ट लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं। उसने समस्या समाधान शिविर में एक प्रार्थना पत्र दिया है, बी.डी.ग्रो ने अपनी हैंडराइटिंग से टिप्पणी लिखी है। इसकी फोटो स्टेट कापी हैं मेरे पास। उसमें लिखा है कि श्री नसीरूद्दीन ग्रालरेडी हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में कार्यरत है। ग्राशिक मोहम्मद ने एस.टी.सी. में इसी आधार पर एडमिशन दीज ग्रार दी वर्शन्स ग्राफ बी.डी.ग्रो. हिमसैल्फ। यह कोई दूसरे की हैण्डराइटिंग नहीं है। उसके बाद उसने कहा कि चल, पैसे ला। कितने, 25 हजार रुपए देता है ? कि हां, 25 हजार रुपए देता हूं। तो चल, तेरे लास्ट वाले बेटे को भी मैं नौकरी लगा देता हूं। क्या यह अन्यायपूर्ण बात नहीं है कि उसके भ्रष्ट तरीके में सहयोगी नहीं बनने के कारण उस व्यक्ति को परेशान करे ? और उसको शील्ड कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय अपने अधिकारियों की टिप्पणी पर। मंत्री महोदय अभी घोषणा करें, जो रिकार्ड चाहिए मैं अभी देने के लिए तैयार हूं। जिस तरह के कृत्य किये हैं वे मैं अभी देने के लिए तैयार हूं। यह निर्णय रहा। मैं पूरा रिकार्ड दे रहा हूं आपको, क्या दिक्कत है ? आप मुझे न्याय दिलाएं। आप राज्य सेवा में समझते हैं, सीनियर आफिसर रह चुके हैं। आपको मालूम है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स किस तरह ड्रा की जाती हैं, किस तरह के कानून कायदे अपनाये जाते हैं, सस्पैंशन में क्या फार्मेट काम में लिया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : ग्रान ए पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य लगातार मिनिस्टर के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि वे अधिकारी जो कर रहे हैं उसी तरह से कर रहे हैं जो उन्होंने ब्रीफ कर दिया है वे अपना माइण्ड ही एप्लाई नहीं कर रहे हैं। यह बहुत कण्टैम्पचुअस आपका आरोप है। यह परमानैण्ट ब्यूरोक्रेसी है पार्लियामैण्टरी सिस्टम ग्राफ गवर्नमैण्ट में जो वेस्टमिन्स्टर एब की लाइंस के ऊपर है। निश्चित तौर पर उनसे वे इन्फार्मेशन लेते हैं। उनके सामने फैक्ट्स आते हैं, फैक्ट्स आने के बाद वे अपना माइण्ड एप्लाई करते हैं। आपका यह कह देना कि मिनिस्टर खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, आप यह समझते हैं कि ये यूं ही बैठे हुए हैं यहां पर ? मिनिस्टर पर इस तरह से एस्पर्शन कास्ट करना कि जो अफसर कह रहे हैं। कई दफा अफसरों ने कुछ नहीं कहा और फैक्ट्स कुछ और सामने आये तो मैंने खड़े-खड़े ही यहीं हाउस के अन्दर सस्पैण्ड कर दिया अफसरों को। उनकी राय नहीं थी। लेकिन नीचे से फैक्ट्स आते हैं, मिनिस्टर थोड़े-ही लाएगा जाकर फैक्ट्स ? फैक्ट्स आने के बाद उन्होंने पढ़े हैं फैक्ट्स, फैक्ट्स पढ़ने के बाद अपना माइण्ड एप्लाई किया है। माइण्ड एप्लाई करने के बाद उन्होंने अपना अभिमत बनाया है और नये फैक्ट्स आये हैं उसका उन्होंने आपको उत्तर दे दिया। फिर आप उन पर बराबर इस तरह के कण्टैम्पचुअस एलिगेशन लगाते जा रहे

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं। मैं समझता हूं, यह संसदीय परम्परा के बिलकुल विपरीत है। मिनिस्टर को इस तरह से आप बीलिटिल करोगे तो मिनिस्टर की अथारिटी क्या रहेगी ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य तो जो उनके ध्यान में नहीं आया था वह विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, आप बिराजिये। मंत्रीजी जवाब दे देंगे। आपने वह विवरण प्रस्तुत किया है जो मंत्रीजी के ध्यान में पहले नहीं था। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मंत्रीजी, बताइये।

श्री नाथू सिंह : माननीय सभापति महोदय, सारा प्रकरण मुझे ध्यान है, मैंने सारी पत्रावलियां पढ़ी हैं। इसलिए यह कहना कि मैंने माइण्ड एप्लाई नहीं किया है या मुझे मालूम नहीं है ...

श्री सभापति : वह विवरण तो आपके पास नहीं था न जो बी.डी.ओ. ने लिखा है, क्योंकि आपने खुद कहा है कि मैं जानकारी पता करूंगा।

श्री नाथूसिंह : आपने एक नयी जानकारी दी कि बी.डी.ओ. ने यह लिखकर दिया कि मैं इसमें आपको यह नौकरी नहीं दे सकता। और उसके बाद उसने नौकरी दे दी। मैंने इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन किया कि बी.डी.ओ. को अधिकार ही नहीं है नौकरी देने का। वह पहले सी.ई.ओ. को लिखेगा, सी.ई.ओ. गवर्नमेंण्ट से परमिशन लेगा उसके बाद मृतक कर्मचारी के परिवार ...

श्री रामनारायण चौधरी : आपका आरोप बहुत सीरियस है कि सवा लाख रुपया मिलेगा फायदा। इसकी जांच कराइये।

श्री शीशराम ओला : ऐसे केस में नौकरी तो गवर्नमैण्ट की इजाजत से मिलती है।

श्री नाथूसिंह : वही मैं कह रहा हूं।

जहां तक आप वेतन निर्धारण की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वेतन निर्धारण में भी इतना पैसा जुड़ता नहीं है जितना माननीय सदस्य कह रहे हैं। दो-तीन बातें उन्होंने नयी कहीं कि वह पत्र कोई लिखकर दिया है। मैंने कहा, आपके पास कापी है तो आप मुझे दीजिए। यह हो सकता है, जब हम पूरी पत्रावलियां मंगाते हैं ....

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : वेतन निर्धारण पंचायत समिति में नहीं होता है, जिला परिषद की टीम बनी होती है वह करती है। पंचायत समिति का कोई लेना-देना नहीं वेतन निर्धारण में।

श्री नाथूसिंह : इसलिए, सभापति महोदय, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मैंने यह निवेदन किया। आपके पास अगर अदरवाइज कोई फैक्ट्स है तो आप मुझे दीजिए। मैं उन फैक्ट्स के आधार पर जांच कराऊंगा। आखिर लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरी किये बिना हम कैसे कार्यवाही कर सकते हैं ? इसलिए आप तथ्य दें, मैं निश्चित रूप से जांच कराऊंगा। जांच में दोषी पाया गया तो मैं निश्चित रूप से, आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस अधिकारी को नहीं बचाऊंगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। श्रीमती इन्दिरा मायाराम सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

सांगानेर विधान सभा क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : सभापति महोदय, मैं नियम 131 के अन्तर्गत अकाल राहत मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री सांवर लाल जाट (राज्य मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास) : माननीय सभापति महोदय, सांगानेर विधान सभा क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती इन्दिरा मायाराम एवं एक अन्य सदस्य, विधान सभा, से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है :—

जयपुर जिले की सांगानेर तहसील में 231 गांव जिला कलक्टर, जयपुर ने फसल गिरदावरी सम्वत् 2050 के आधार पर तहसील सांगानेर के किसी भी गांव को अभावग्रस्त घोषित करने के लिए प्रस्तावित नहीं किया गया था। अतः सांगानेर तहसील के किसी भी गांव को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया। क्षेत्र का डार्कजोन होने का मतलब यह नहीं कि उस क्षेत्र की भूमि में पानी नहीं है। डार्कजोन होने का तात्पर्य यह है कि उस क्षेत्र में जितना जल है उसका दोहन सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है। यानि जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा दोहन किया जा रहा है।

सांगानेर में अजमेर रोड पर आने वाली पंचायतें जिनमें महापुरा, ठीकरिया, बम्बोरिया, अजयराजपुरा एवं दहमी पंचायतें है यहां सामान्य जल स्तर व हैण्ड पम्पों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम पंचायत	कुल ग्राम	कुल चालू हैण्ड पम्प	कुल सूखे हैण्ड पम्प
1.	महापुरा	6	36	—
2.	ठीकरिया	8	40	—
3.	बम्बोरिया	7	33	2
4.	अजयराजपुरा	13	35	4
5.	दहमी	3	24	—
	कुल योग	37	168	6

उपरोक्त पंचायतों के इन ग्रामों में कुल 168 हैण्ड पम्प कार्य कर रहे हैं एवं 6 हैण्ड पम्प सूखे हैं। इन्हीं पंचायतों में हैण्ड पम्प के अतिरिक्त अन्य प्रकार की जल प्रदाय योजनाएं भी हैं, जिनमें से तीन (महापुरा, खटवाड़ा, भंभारिया) संधारण में है तथा कुछ का कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार पेयजल की ऐसी कोई भयंकर समस्या जैसी स्थिति नहीं है।

अकाल राहत के सम्बन्ध में तो बात हो ही गयी। अब बाकी, जो चीजें पूछी हैं वह अन्य विभागों से सम्बन्धित हैं उनके ऊपर काम चल रहा है, जैसी स्थिति है

(श्री सांवर लाल जाट)

लिखकर दे दिया। अगर आप चाहें तो दूसरी योजनाओं का बता दूं ...

श्री सभापति : यह आवश्यक नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जी हां, सिंचाई के बारे में, योजना के बारे में लिखा है, वह अकालग्रस्त, उसके बारे में बता दें, सिंचाई के बारे में बता दें।

श्री सांवर लाल जाट : वर्ष 1993 में इससे पहले बाढ़ व अतिवृष्टि से विभिन्न जिलों के क्षतिग्रस्त बांधों, तालाब, व घग्घर रीजन के क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत हेतु 1608.89 लाख रुपये की प्राकृतिक आपदा कोष से मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग को पत्र दिनांक 1-2-94 के द्वारा स्वीकृति जारी की गयी है। इन स्वीकृत कार्यों में जयपुर जिले में 25 कार्य जिनकी अनुमानित लागत 73.35 लाख रुपये हैं, सम्मिलित हैं। नेवटा बंधा की मरम्मत हेतु 1.70 लाख रुपये, घिरोटा बांध की मरम्मत हेतु 50 हजार रुपये, चंदलाई बांध की मरम्मत हेतु 1.85 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी। छीतरोली बांध के अतिरिक्त गूलर बांध, नेवटा का बन्धा, घिरोंटा का बन्धा, रामचन्द्रपुरा का बंधा एवं चंदलाई बांध सिंचाई विभाग के अधीन है। इन सभी बांधों का विवरण निम्न प्रकार है :—

गूलर का बन्धा :—

गूलर का बन्धा अमानीशाह के नाले पर स्थित है एवं बहुत पुराने एवं रियासत के समय का है। वर्ष 1992 की अतिवृष्टि से यह बांध टूट गया था। सिंचाई विभाग ने बताया कि बांध की जल निकासी क्षमता बहुत कम है। अतः बांध की मरम्मत कराने के पूर्व जल निकासी क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। क्योंकि यदि इस डाइवर्सन बांध का पूर्ण निर्माण कर दिया जाता तो जल निकासी क्षमता कम होने के कारण या तो पुनः टूट जायेगा या बांध के भराव का जल स्तर इतना अधिक बढ़ जायेगा कि आस पास के आबादी क्षेत्र जिसमें सांगानेर कस्बा भी आता है जलमग्न हो जायेगा। अतः सिंचाई विभाग द्वारा तकनीकी दृष्टि से इस बाध के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक जांच की जा रही है। नेवटा का बांध वर्ष 1993 में अतिवृष्टि से....

श्री सभापति : इतने विवरण की आवश्यकता नहीं है बता दीजिये यह काम करा रहे हैं। अकाल से सम्बन्धित जो काम करा रहे हैं वह बता दीजिये।

श्री सांवर लाल जाट : नेवटा बांध के लिए 50 हजार की स्वीकृति है। छीतरोली बांध भराव क्षमता 10-12 फीट है। 10 वर्षों में भारी वर्षा नहीं होने के कारण पानी भराव नहीं हुआ।

रामचन्द्रपुरा का बांध है....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि रामचन्द्रपुरा बंधे में वहां के जो निवासी हैं उन्होंने अपने पैसे से उसको पिछले साल ठीक कराया है। अकाल राहत का इसी में जवाब है इसलिये मैंने बताया है। सांगानेर को आपने अकालग्रस्त घोषित नहीं किया है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

जिन गांवों के बारे में मैंने लिखा है। एक तो यह सही नहीं है कि वहां आपने बताया कि तो हैण्ड पम्प खराब हैं। वहां जो मैंने 5 गांव लिखें है उनमें 24 हैण्ड पम्प खराब हैं आज की तारीख में।

दूसरी बात यह है कि इन इलाकों में सिचाई के साधन बहुत खराब हो गये हैं क्योंकि इसमें नीचे पत्थर आने से वहां पर कुओं में पानी आना बिल्कुल बन्द हो गया है। इसलिये मैंने यह कहा था कि नेवटा और गूलर बांध को आप ठीक करायेंगे तो शायद इनके पानी का स्तर कुछ ऊंचा हो जायेगा। दूसरा, अण्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड से वहां किसी ..

श्री सभापति : माननीय सदस्या, वहां अकाल घोषित नहीं है इसलिये अकाल राहत मंत्रीजी इसका जवाब नहीं दे सकते। आप अन्य समय में सम्बन्वित मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जी, नहीं। मैं अकाल राहत....

श्री सभापति : अकाल घोषित नहीं है तो वे अकाल के द्वारा करायेंगे कैसे।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जहां अकाल घोषित है वहां का बता रही हूं। चाकसू में आपने अकाल घोषित किया, मैंने इसमें जिक्र किया है कि चंदलाई का बांध है उसको ठीक कराने से, जहां आपने अकाल घोषित किया है वहां के बारे में और आप 50 हजार रुपये, एक लाख रुपये किसी बंधे को ठीक करके फिर मिट्टी डालकर उस पैसे को बर्बाद करना, जब तक कि उसको अच्छी तरह से आप ठीक नहीं करेंगे। उस चंदलाई के बंधे पर आप 50 हजार रुपये या एक लाख रुपये मंजूर करके उसमें कुछ भी काम नहीं हो सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां घोषित नहीं है वहां तो सभापति महोदय, कहा गया कि दुबारा बात करें लेकिन जहां घोषित है वहां तो बंधा चंदलाई का ठीक करा सकते हो और रामचन्द्रपुरा का जो बन्धा है उसको ठीक कराने मात्र से ही से पानी चंदलाई के बांध में जाता है। इसलिये मेरा कहना यह है कि जहां अकाल घोषित किया है वहां तो कम से कम इस प्रकार की योजनाएं लें ताकि उन बांधों से वहां के एरिया में सिचाई के साधन उपलब्ध हो सकें और पानी पीने की भी समस्या हल हो सके।

श्री सभापति : माननीय श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सांगानेर विधान सभा में दो तहसीलें आती हैं। सांगानेर और चाकसू। मैं यह जानना चाहता हूं कि चाकसू तहसील हैं उसमें फसलों का खराबा कितना पर्सेंट है और कितने गांव फसल खराबे के अन्तर्गत आये हैं, उसकी सूची दें, ताकि यह मालूम पड़े कि उसके जो राहत कार्य हैं वह जारी है या नहीं है। क्योंकि चाकसू तहसील में फसलों का खराबा रेवेन्यू रिकार्ड में आया है। आपने सांगानेर तहसील के लिए तो कह दिया लेकिन चाकसू के लिए जानकारी चाहिए।

श्री सभापति : सूची प्रकाशित है, आप प्राप्त कर लें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : नहीं है, सर। मेरा प्रश्न स्पेसिफिक यह है कि विधान सभा क्षेत्र सांगानेर अकालग्रस्त घोषित नहीं किये जाने के कारण एंटायर जो विधान सभा क्षेत्र है जिसमें तहसील चाकसू भी आती है, सांगानेर तहसील भी आती है, दोनों आती हैं, सभापति महोदय, उसके बारे में है तो चाकसू तहसील में जिन-जिन गांवों में फसल का खराबा हुआ है उन गांवों में, घोषित गांव में, अकाल और पुनर्वास का क्या कार्य चल रहा है ? यह पूछना है।

श्री हरजीराम बुरडक : माननीय सभापति महोदय, एक सवाल है ...

श्री सभापति : पहले उनके सवाल का जवाब दें फिर ...

श्री हरजीराम बुरडक : एक साथ ही आ जायेगा, इसी से सम्बन्धित है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जहां किसी टेक्नीकल कारण से कोई गांव अभावग्रस्त घोषित नहीं हुआ वहां भी अगर रोजगार की ओर पानी की व्यवस्था आप करेंगे क्या ?

श्री सभापति : नहीं, नहीं। यह नहीं करेंगे। यह कैसे करेंगे। इनका विभाग ही नहीं है। माननीय मंत्रीजी।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय सभापति महोदय, चाकसू तहसील के 291 गांव इफेक्टेड हैं। अब जहां पर इफेक्टेड विलेजेज हैं वहां पर तो काम शुरू कर दिया है। अगर आप पर्टिकुलर कोई....

श्री सभापति : आप तो सूची के बारे में बता दीजिये। जो दूसरी तहसील है, चाकसू में कोई गांव घोषित किये हैं क्या ?

श्री सांवरलाल जाट : वह बता रहा हूं। चाकसू तहसील में टोटल विलेजेज 291 हैं। इनमें 50 से 74 पर्सेंट है 24 गांव और 75 से 100 पर्सेंट है 288 गांव। टोटल इफेक्टेड ...

श्री सभापति : घोषित किये हुये हैं ?

श्री सांवरलाल जाट : चाकसू तहसील के अब इनमें से माननीय सदस्यों के कितने गांव आते हैं यह सूचना मेरे पास नहीं है।

(18.00)

श्री सभापति : इन्हें सूची दे देना जब भी आपसे मांगे। चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। माननीय श्री ललितकिशोरजी चतुर्वेदी।

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : सभापति महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1992-93 सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री सभापति : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री ओम प्रकाश शर्मा। (अनुपस्थित)। माननीय श्री रिछपालसिंह मिर्धा। (अनुपस्थित)। माननीय श्री हरजी राम बुरड़क।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना) : सभापति महोदय, देखाही नहीं है।

श्री सभापति : बोलिये आप बोलिये, क्या बात है। आप दिखाई नहीं दिये, खड़े नहीं हुए तो।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : मैं तो खड़ा हो गया था।

श्री सभापति : खड़े नहीं हुए थे, बोलिये आप बोलिये।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बेबरला (डेगाना) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने विषयक

श्री रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, मैं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बेबरला (डेगाना) को माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत करने बाबत 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित

नागौर से हरिद्वार सीधी बस सेवा शुरू करने विषयक

एवं (2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नागौर से हरिद्वार तक सीधी बस सेवा शुरू करवाने बाबत 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हरजीराम बुरडक।

रानी बाजार, बीकानेर में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने विषयक

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : सभापति महोदय, मैं, बीकानेर नगर में रानी बाजार क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने बाबत 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994

श्री सभापति : राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994, माननीय श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे ? कोई नहीं बोलना चाहते हैं।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय

(श्री सभापति)

संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

आधे घण्टे की चर्चा। श्री पराक्रमसिंह, सदस्य, विधान सभा "भीलवाड़ा नगर औद्योगिक भूमि पर कामर्शियल काम्पलेक्स" के सिलसिले में आधे घण्टे की चर्चा उठायेंगे। (अनुपस्थित)।

श्री लक्ष्मणसिंह, सदस्य, विधान सभा "अभावग्रस्त क्षेत्रों के स्वीकृत कार्यों पर श्रमिक" विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 616/29 सहा. मं./ सहायता के उत्तर के सिलसिले में आधे घण्टे की चर्चा उठायेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय को तो बुलवा लीजिये, अकाल राहत मंत्रीजी को।

श्री सभापति : ठीक है, सही है, माननीय मंत्रीजी, इस दौरान के अन्दर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : क्या आपके पास जवाब है, आर यू प्रिपेयर्ड। सभापति महोदय, एब्सोल्यूट ब्रीच आफ प्रिविलेज है, इस प्रश्न का उत्तर तो अकाल राहत मंत्रीजी दे देंगे।

श्री सभापति : नहीं, प्रश्न यह था कि जब चर्चा उठती है तो आप चर्चा के बारे में बोलते हैं इसलिए वह आ रहे हैं तैयारी करके, आप चर्चा तो उठायें।

श्री लक्ष्मणसिंह : जवाब कौन देगा, यू टेल मी, हू विल गिव दी रिप्लाई ? रिप्लाई कौन देगा, रिप्लाई माननीय श्री भंवरलाल जी देंगे तो मैं तैयार हूं।

श्री सभापति : नहीं आप चर्चा उठायें, कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है, क्योंकि उनकी सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है।

श्री लक्ष्मणसिंह : जोइंट रेस्पान्सिबिलिटी है।

श्री सभापति : हां, जोइंट रेस्पान्सिबिलिटी है।

श्री लक्ष्मणसिंह : जो मुझे प्रश्न का उत्तर दिया गया है वह अकाल राहत मंत्रीजी ने दिया है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।.. (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले इन्हें सुन लीजिये।

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न है। .. (व्यवधान) ... विराजिये, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : सभापति महोदय, मैंने याचिका पेश की थी।

श्री सभापति : आपकी याचिका के समय आप अनुपस्थित थे। अब आप विराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : कर लेने दें साहब, पेश कर लेने दीजिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : याचिका है, साहब।

(१५०)

श्री सभापति : खैर चलिये, करिये कोई बात नहीं है बोल दीजिये ।

श्री लक्ष्मणसिंह : जब तक मंत्रीजी आ जायेंगे ।

याचिकाओं का उपस्थापन

बरधा बांध (जिला बून्दी) के निर्माण हेतु

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : सभापति महोदय, मैं जिला बून्दी के बरवा के बांध के निर्माण बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं,

गरड़वा बांध (जिला बून्दी) के निर्माण हेतु

(2) जिला बून्दी के गरड़वा बांध के निर्माण बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं ।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मण-सिंहजी । माननीय मंत्रीजी यह उचित नहीं है आपको यहां उपस्थित होना चाहिए था ।

श्री लक्ष्मणसिंह : जरा दौड़ कर आइये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आ रहे हैं ऐसी क्या बात है ?

श्री सभापति : अब तो मंत्रीजी बोलेंगे । आप खुद ही कह रहे थे कि मंत्रीजी अपना वक्तव्य देंगे ।

श्री लक्ष्मणसिंह : नहीं, अभी मैं बोला ही कहां हूं, यह वक्तव्य की बात नहीं है ।

श्री सभापति : उस समय आप कह रहे थे इसलिए मैं कह रहा हूं ।

आधे घन्टे की चर्चा

अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्वीकृत कार्यों पर श्रमिक

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) यह रूल 49 में है, 131 में नहीं है, सभापति महोदय ।

सभापति महोदय, राजस्थान के कई जिलों में अकाल की भीषण छाया है और राज्य सरकार ने कई ग्रामों में अकाल राहत कार्य भी प्रारम्भ भी किये हैं लेकिन राज्य सरकार से जो अपेक्षा थी कि वह एक निष्पक्षता का दृष्टिकोण अपना कर राजस्थान के सभी जिलों में जो प्रभावित गांव है अकाल राहत के, उनकी गम्भीरता के अनुरूप वहां पर कार्य खोलेगी । लेकिन मैंने जो दो प्रश्न पूछे थे और अकाल राहत मंत्रीजी द्वारा उनका जो उत्तर मुझे दिया गया है और जिनके आधार पर मैं रूल 49 में आधे घण्टे की चर्चा उठा रहा हूं । उन दो प्रश्नों के उत्तर से मुझे यह देखकर के आश्चर्य भी हुआ और दुःख भी हुआ ।

माननीय मंत्री महोदय ने राजस्थान में अकाल जैसी गम्भीर समस्या के बारे में भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है और मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ अपने जिले की बात नहीं कहता हूं, मैं आपके सामने यहां कोट करू गा कि माननीय मंत्री महोदय ने जो फिगर्स दिये हैं कि किस प्रकार से कई जिले जहां पर कि बहुत भयंकर अकाल की स्थिति है वहां पर तो बहुत कम श्रमिक संख्या स्वीकृत की है और एक या दो जिले जिसमें इनके स्वयं का होम डिस्ट्रिक्ट है उस जिले के अन्दर बहुत ही ज्यादा अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये हैं जो पूर्णतया पक्षपात पूर्ण

(श्री लक्ष्मणसिंह)

नीति का प्रतीक है। उदाहरण के तौर पर, सभापति महोदय, जो मुझे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ही बांसवाड़ा जिले के अन्दर 1448 गांव अकाल से प्रभावित थे। वहां पर दिनांक 28-2 को स्वीकृत श्रमिकों की संख्या 5,470 थी, 1448 गांवों में से स्वीकृत श्रमिकों की संख्या 5470 थी। दूसरा उदाहरण बाड़मेर जिले का है जहां पर भी अकाल की भीषण छाया है। वहां पर 1639 गांव तो अकाल से प्रभावित थे और स्वीकृत श्रमिक संख्या 54851 थी। इसी प्रकार से अन्य कई और जिले हैं उदाहरण के तौर पर राजसमन्द, राजसमन्द जिले के अन्दर भी जो श्रमिक संख्या दी गयी है, 975 गांव तो प्रभावित थे और श्रमिक संख्या 8065 थी। यह मैं सिर्फ तीन उदाहरण ही दे रहा हूं, इस प्रकार के कई अन्य उदाहरण हैं लेकिन मंत्री महोदय का स्वयं का जो गृह जिला है जहां से वह चुनकर आये हैं। वहां की संख्या भी सुन लीजिये, 1013 गांव अकाल से प्रभावित हैं, 1013 गांव में दिनांक 28-2 को स्वीकृत श्रमिक संख्या 33,660 थी। इस तरह से पक्षपातपूर्ण जो तरीका अपनाया गया है। मैं रिपीट करूंगा कि बांसवाड़ा के 1448 गांव और 5470 और इनके 1013 गांव और 33,660 श्रमिक संख्या इन्होंने स्वीकृत की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सरकार के ऊपर और मंत्री महोदय के ऊपर यह स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं, इनसे स्पष्टीकरण चाहता हूं। जिस प्रकार से इन्होंने दूरदराज के गांव बांसवाड़ा, बाड़मेर और अलवर, अलवर जिले के अन्दर 1033 गांव प्रभावित हैं वहां पर भी मात्र 8,043 अकाल राहत कार्यों पर श्रमिक स्वीकृत किये हैं। इसी प्रकार से चित्तौड़ के अन्दर 785 गांव प्रभावित हैं वहां पर मात्र 5658, इन जिलों की श्रमिकों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले में इन्होंने किस मापदण्ड को अपना करके, किस कारण से अजमेर जिले के अन्दर 1013 गांवों के लिए 33,660 श्रमिक संख्या स्वीकृत की है।

सभापति महोदय, मैं इतना मानने को तैयार हूं कि 19-20 हो सकता है, थोड़ा बहुत अपने जिले के लिए, अपने क्षेत्र के लिए अगर श्रमिक संख्या ज्यादा रखें तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। किन्तु अन्य जिलों के अन्दर अगर 20-20, 25-25 हजार होती, बाड़मेर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़ में, अलवर में, राजसमन्द में भी उसी अनुपात के अन्दर 20 हजार – 25 हजार होती तो हमें बड़ी संतुष्टि होती। मैं अजमेर जिले के अन्दर कम करने की बात नहीं कह रहा हूं, मगर दूसरे जिलों के अन्दर भी इसी अनुपात के अन्दर मंत्री महोदय ने कार्य क्यों नहीं खोले? इस बात का स्पष्टीकरण मैं उनसे चाहता हूं। (व्यवधान) आप कोगटा जी बैठिये, सरकार में आ जाएं तब जवाब दे देना।

दूसरी बात, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं वह यह है कि चारे के परिवहन के लिए राज्य सरकार ने दिनांक 14-2 को आदेश पारित किये। उस आदेश के अन्दर इन्होंने कई जिलों के अन्दर चारे के परिवहन की स्वीकृति दी लेकिन राजसमन्द जिला जो कि अकालग्रस्त था, जहां से कलक्टर की रिपोर्ट भी आयी थी कि वहां

(श्री लक्ष्मणसिंह)

पर भी अकाल की स्थिति है परन्तु वहां पर चारे के अनुदान की स्वीकृति आपने नहीं दी। और जब जनप्रतिनिधियों ने आप पर दबाव डाला और पूछा, तो पूरे 15 दिन के पश्चात् राजसमन्द जिले के लिए चारे परिवहन अनुदान की आपने स्वीकृति दी। मैं मंत्री महोदय से पाइंटेड प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 15 दिन तक वहां राजसमन्द के जो किसानों ने सफर किया और उसके कारण से वहां के पशुओं के लिए उनको महंगा चारा लाकर खिलाना पड़ा उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? आपने क्यों 15 दिन तक के लिए डिले किया? हो सकता है कि इस बात के लिए आप यह कहेंगे कि कलक्टर के पास से रिपोर्ट समय पर नहीं आयी थी। मंत्री महोदय, आपके पास एस. टी. डी. टेलीफोन है आपने क्यों नहीं वेरीफाई किया कलक्टर्स से कि वहां सीरियस सिचुएशन है कि नहीं है? अगर थी तो अकाल की गम्भीरता को देखते हुए आपको राजसमन्द जिले के अन्दर चारे के परिवहन अनुदान को तुरन्त स्वीकृति प्रदान करनी चाहिये थी, जिस प्रकार आपने राज्य के अन्य जिलों में स्वीकृति प्रदान की।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री सांवरलाल जाट : सभापति महोदय, माननीय सदस्य का आरोप बिलकुल निराधार मानता हूं और सरकार की मंशा यह ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल ही? अच्छा।

श्री सांवरलाल जाट : .... रही है कि जहां भी आवश्यकता हो, प्रभावित गांव के अन्दर राहत कार्य राजस्थान के 25 जिलों में प्रारम्भ किये जायें। अब केवल आंकड़ों में हम यह कह दें कि इतने गांव यहां प्रभावित, तो गांव छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अजमेर जिला, भीलवाड़ा जिला और राजसमन्द जिला की आबादी और परिस्थिति अलग हो सकती है। अगर आप पिछला इतिहास भी देखें तो मेरे ख्याल से अकाल के समय सबसे ज्यादा अजमेर और भीलवाड़ा जिला प्रभावित होता है। बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है ... (व्यवधान) मेरा निवेदन तो सुनिये आप।

श्री भीखा भाई : डूंगरपुर, बांसवाड़ा नहीं? भीली एरिया नहीं होगा क्या?

श्री सांवरलाल जाट : .... तो लोगों को रोजगार मिले, यह हमारा उद्देश्य होता है चाहे उदयपुर हो, बांसवाड़ा हो ...

श्री सभापति : मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं। कृपया बिराजिये। फिर बाद में प्रश्न पूछ लेना आप।

श्री सांवरलाल जाट : सब आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं। केवल अकाल और राहत कार्य ही खोलें, यह कोई आवश्यक नहीं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये तो हमेशा ही अकाल प्रभावित रहे हैं।

श्री सांवरलाल जाट : किसी न किसी योजना के कार्य के तहत लोगों को रोजगार मिले, यह हमारा उद्देश्य होता है। माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिये, ये

(श्री सांवरलाल जाट)

जिला कलक्टर ने स्वीकृत किये कार्य उस तारीख पर, वे आंकड़े दिये हैं। सरकार ने जो लेबर सीलिंग दी है उससे ज्यादा दी है और चूंकि वहां पर आवश्यकता नहीं थी, उस समय फसल का कार्य चल रहा था, लोग आना नहीं चाह रहे थे इसलिए ज्यादा स्वीकृति जारी नहीं की गयी। बांसवाड़ा में फरवरी में 5,000, मार्च के अन्दर 7,500 और अप्रेल में 15,000 की हमने स्वीकृति दी। इसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उनके ऊपर भी काफी लोग लगे हुए हैं। बांसवाड़ा के अन्दर 17,000 कुछ लोग लगे हुए थे, उदयपुर के अन्दर लगभग 70,000 लोग लगे हुए थे। तो विभिन्न योजनाओं के तहत लोग लगे हुए हैं। जिला कलक्टर अजमेर और भीलवाड़ा को ज्यादा लोग दिये जायें, यह सरकार की कभी मंशा नहीं थी। वहां से डिमाण्ड ज्यादा आयी। हमने जोधपुर जिला कलक्टर से पूछा, बाड़मेर जिला कलक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे पास जे. आर. वाई. का और अन्य योजनाओं का पैसा इतना है कि हम इससे ज्यादा अंगेज नहीं कर सकते हैं।

दूसरी जो बात माननीय सदस्य ने उठायी चारे के मामले में, जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त हुई, हमने तुरन्त इसकी स्वीकृति जारी कर दी और डिपो आपके यहां प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने दो बातें बतायीं कि योजनाओं के अन्तर्गत विभाग में काम चालू हो रहे हैं दूसरे जिले में। तो क्या अजमेर जिले में योजना के अन्तर्गत कोई काम नहीं चल रहा है? अगर अजमेर जिले में चल रहे हैं तो उसी प्रकार से दूसरे जिलों के अन्दर भी योजना के अन्तर्गत काम चल रहे हैं। दूसरी आपने बात बतायी, जनसंख्या के अनुपात में। तो कृपया बता दीजिये कि जनसंख्या कितनी है? अलवर की जनसंख्या कितनी है, जोधपुर की कितनी है, अजमेर की कितनी है? उस जिले की पापूलेशन के प्रपोर्शन में आपने काम शुरू किये थे तो उस जिले की जनसंख्या भी बता दीजिये कि इस अनुपात के अन्दर इस जिले के अन्दर आपने कार्य स्वीकृत किये थे। जैसा कि आपने चारे वाली बात कही, यह आप हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। आपने दो आदेश पारित किये हैं। राजसमन्द के लिए अलग से आदेश पारित किया है और आपने स्वीकृति देने के अन्दर काफी देरी की है। उसके कारण से वहां किसानों को और जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़ा है।

श्री सभापति : माननीय भीखा भाई। सबकी बात पर एक साथ जवाब दीजिये। माननीय भीखा भाई।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, उसमें मुझे यह निवेदन करना है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का दक्षिणी भाग जो भीली एरिया कहलाता है और 23 पंचायत समिति उसमें सम्मिलित हैं, आदिवासी योजना के नाम से मशहूर है और उसमें कोई आदमी यह अपेक्षा करे कि यहां पर शेखावाटी, तोरावाटी, बीकानेरवाटी की तरह धनाढ्य लोग हैं और वहां पर उनको किसी प्रकार से राहत पहुंचा सकें। चाहे वह मामला सड़क का हो, चाहे वह

(श्री भीखा भाई)

विकास का मामला हो, चाहे वह अकाल राहत का मामला हो, यह वह नहीं है। मारवाड़ी के लिए एक सोसायटी है जहां पर उनको सुविधा मिल सके, ऐसी परिस्थिति में हमारे 856 गांव अकाल से ग्रस्त हैं और वहां पर भीली एरिया के सब लोग पलायन कर गये। यह मैं हमेशा कहता हूं और हर साल करते हैं। हर साल करते हैं इसका कारण है कि यहां की सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है और इस साल भयंकर अकाल है। 56 का अकाल, 34 का अकाल और 87 का अकाल और इस प्रकार के अकाल पड़ते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने कितने काम मंजूर किये हैं। आपने बताया, 18,000 काम सेंक्शन किये हैं। पंचायतवाइज काम नहीं खोले गये। पानी की बहुत समस्या है। चारे की बात मैं कह नहीं रहा हूं लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में, जो दूर-दराज का एरिया है उसके अन्दर आदमी का जीवन-यापन कैसे हो सकता है और किस प्रकार से आप व्यवस्था करेंगे। मैं यह कहता हूं कि एक लाख ग्यारह हजार मजदूरों को हमने काम पर लगाया है। पहले वाले 72-73 के अन्दर, 67-69 के अकाल के अन्दर एक लाख ग्यारह हजार मजदूर हमने लगाये अकाल राहत के काम में, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि कितने मजदूर लगाये और उनका रेश्यो क्या है ?

बांसवाड़ा को इसलिए नहीं कहता, माही डेम आने के कारण वहां भौगोलिक परिस्थिति बदल गयी और इसलिए तीन तहसीलों में कुशलगढ़, दानपुर जहां कि लिफ्ट इर्रिगेशन से भी पानी नहीं पहुंचता, बाकी जो दूसरे, घाटोल, बांसवाड़ा, तलवाड़ा की है, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, खास तौर से जब सब मंत्री बिराजे हुए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं। यह क्षेत्र, अभी कहते थे, कालेज की बात भी हो सकती है और कहा किसने, कालेज नहीं हो सकता और 25 साल 50 साल से कालेज है वहां पर, स्कूल जहां 30-30 साल से है। यह क्या कारण है, वह कौनसी सब्सिडी है, कौन सब्सिडी देगा, ये किस तरह से सब्सिडी नहीं हो सकती। ये गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं और आबूदरिया का दर्रा है। जितना अकाल पड़ता है उतने ही लोग गरीब होते हैं। उसमें अथाह गरीबी है, वह गरीबी मिट नहीं सकती, 45 साल-47 साल से नहीं मिटी तो आगे भी नहीं मिटेगी क्योंकि इनकी प्लानिंग रोंग है, उसके कारण ट्राइबल सब प्लान का जो एरिया है उसके अनुसार काम नहीं होता है और हर साल ये इस प्रकार के काम शुरू हो जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कितनी संख्या, कितनी जनसंख्या, यह बताइये। कितने मजदूर लगे वह बताइये, पंचायत समिति-वार बताइये, निर्वाचन क्षेत्रवार बताइये, क्या-क्या सुविधा दी गयी डूंगरपुर जिले को। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दस्तखत किये हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं, मंत्रीजी थोड़ा दयालु हो जाओ। जैसे आप अजमेर के लिए दयालु हैं, वैसे ही आप वहां के लिए दयालु हो जायें, यही प्रार्थना है। धन्यवाद।

श्री सभापति : बिराजिये। माननीय शक्तावत जी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

ने बताया कि 70,000 मजदूर उदयपुर जिले में काम कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि किस-किस योजना के तहत किस-किस तहसील में कितने मजदूर काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है, एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम उदयपुर जिले में लागू है जो केवल ट्राइबल क्षेत्र में है। ट्राइबल के अलावा भी वहां ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जैसे वल्लभनगर है, मावली है, गोगुन्दा है जो ट्राइबल क्षेत्र में नहीं आते हैं और वहां पर मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, पलायन कर रहे हैं। मैं कल ही जिलाधीश से मिला था, उन्होंने कहा कि वहां पर हमने पहले 20,000 से भी ज्यादा एक हजार मजदूर ज्यादा लगा दिये तो सरकार ने हमसे एक्सप्लेनेशन पूछा। आज उदयपुर जिले की 18 लाख जनसंख्या प्रभावित हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि अजमेर में कितने मजदूर दिये, किस अनुपात में दिये जबकि ये ट्राइबल एरिया है, माडा क्षेत्र हैं, लोगों में भुखमरी है। 50-50 मजदूर तीन-तीन पंचायतों के बीच में लगा रखे हैं, सरकार की क्या नीति है, कितने हजार प्रभावित लोगों पर कितने लोगों को काम देना चाहिये, यह स्पष्ट करें।

दूसरी, चारा डिपो के लिए आपने अनुदान तो स्वीकृत कर दिया लेकिन मैं कह सकता हूं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र और आस-पास के इलाके में एक भी चारा डिपो शुरू नहीं किया गया। आप केवल रुपया देने मात्र से यह समझते हैं कि हमने चारे की समस्या का समाधान कर दिया। मंत्रीजी इसको सीरियस लीजियेगा, नहीं तो गायों के कंकाल नजर आयेंगे थोड़े दिनों में आपको, ढेर सारी गायें और पशुधन मर जायेगा, जो राजस्थान का कीमती पशुधन है वह बरबाद हो जायेगा। आप मुझे यह बताइये कि उदयपुर जिले में कितने चारा डिपो शुरू हो गये। केवल रुपया देने मात्र से चारा नहीं मिलता है, चारा डिपो शुरू करिये, स्वयंसेवी संस्थाओं को लाइये, ग्राम सेवा सहकारी समिति को काम का भार सौंपिये, मार्केटिंग सोसाइटी को काम दीजिये या अन्य कोई व्यवस्था कीजिये। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक भी चारा डिपो शुरू नहीं हुआ। आप बता दीजिये और अजमेर की कितनी पोपुलेशन इफेक्टेड है और उदयपुर जिले की टोटल पोपुलेशन कितनी इफेक्टेड है, उसका रेशो क्या है?

श्री सभापति : माननीय श्री कोगटा जी।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय सभापति महोदय, अभी अकाल के बारे में जो ध्यानाकर्षण हो रहा है, मेरा यह कहना है कि अजमेर जिले में खासकर मसूदा और जवाजा पंचायत समिति के बारे में भीम से आने वाले माननीय सदस्य से चर्चा की है। इनको खुद को मालूम है, इनके समाज के लोग, ऐसी स्थिति है कि पूरा का पूरा बैल्ट अभावग्रस्त है। मैं तो यह चाहता, मुझे खुशी होती अगर माननीय सदस्य यह कहते कि बेरोजगारी है ..

श्री सभापति : आपके लिए कम करने के लिए थोड़े ही कह रहे हैं, वे तो दूसरे

(श्री सभापति)

जिलों में बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप बिराजिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरा यह कहना है कि अजमेर और उदयपुर, बांसवाड़ा में अन्य स्कीमें भी चल रही है, जे.आर.वाई.II भी चल रही है ...

श्री सभापति : आपको क्या मतलब है दूसरों से।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरा यह कहना है कि अजमेर जिले में अकाल राहत के श्रमिकों को डबल किये जाये 75,000 से भी ज्यादा वहां के लोग मारे-मारे फिर रहे हैं, अकाल की स्थिति खराब है और बाहर रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं। वहां 80 प्रतिशत से भी ज्यादा ..

श्री सभापति : समझ गया माननीय कोगटा जी। जिनको समस्या है उनको बोलने दीजिये। माननीय मदेरणा जी।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय सभापति जी, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि माननीय मंत्रीजी को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में कौन-कौन से जिले और कौन-कौनसे क्षेत्र ड्राट प्रोन एरियाज हैं और उन ड्राट प्रोन एरिया में अभी जो जवाजा की बात कह रहे थे, पहले अजमेर डिस्ट्रिक्ट में केवल दो तहसीलें ऐसी थीं जहां अक्सर अकाल पड़ा करते थे, उनमें एक तहसील जवाजा भी थी। इसका मतलब यह हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट के अन्दर भी आप भेदभाव बरतते दिखते हैं। जो सबसे ज्यादा ड्राट प्रोन एरिया है उसमें आप काम नहीं खोल रहे हैं, एक बात।

दूसरी बात, माननीय मंत्रीजी, आपने यह कह दिया कि मुझे कलक्टर ने कह दिया कि जे.आर.वाई. के अन्तर्गत जोधपुर के बहुत काम हैं। आज डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है, यह हम नहीं मानते हैं यह भारत सरकार मानती है। राजस्थान के अन्दर 10 ऐसे जिले हैं जहां पर हमेशा अकाल पड़ता रहता है। बाड़मेर उन जिलों में एक है। आपने चार-साढ़े चार हजार लेबर लगा दिये और आपने अपने यहां 33,000 लेबर लगायी है। यह आपका ओपन ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ? मेरा यह चार्ज है। इसलिए आज जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको राहत देने के लिए सरकार को निष्पक्ष रहना चाहिए और आपको उस इलाके में काम खोलना चाहिए। वह कौनसा कलक्टर है जिसने यह बात कह दी कि बाड़मेर तो पूरा जिला इफेक्टेड है और अगर वह कलक्टर है तो मेरी समझ में वह अजमेर का दिखता है और आपके क्षेत्र का दिखता है। इसलिए आप मेहरबानी करके, कलक्टर ने अगर यह बात कही है, अब मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, बाड़मेर, जैसलमेर में पिछले साल भी फसल अच्छी नहीं थी। पिछले साल फसल अच्छी नहीं, इस साल भयंकर अकाल, उसके बाद में चार हजार आपने लेबर लगाया है और कलक्टर का नाम ले रहे हैं। आप कलक्टर से यह बात पूछिये कि कितने आदमी वहां पर लगे हुए हैं जे.आर.वाई. पर। यह डेजर्ट डवलपमेंट का काम है उसमें बहुत थोड़ा अमाउन्ट है उसमें 400-500 लेबर लग

(श्री परसराम मदेरणा)

सकता है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यह डेजर्ड डवलपमेंट की स्कीम नहीं है।

सभापति महोदय, जहां तक जे.आर. वाई. का सवाल है पोपुलेशन की बेसिस पर फण्ड्स का अलोकेशन होता है। पोपुलेशन की बेसिस पर हो रहा है तो बाड़मेर में क्या पोपुलेशन से ज्यादा हो गया क्या? अजमेर के अन्दर कम हो गया। आप यह आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, यह लोजिक दे रहे हैं, यह फेलेसियस है। इसलिए आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और लेबर के मामले में सब जिलों में जो सीलिंग है उस सीलिंग को इनक्रीज करना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय श्री उगमराज जी।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : सभापति महोदय, हमारे अजमेर जिले के सम्बन्ध में भीम से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा श्रमिक लगे हैं। यह तो वहां अभी और जरूरत है ...

श्री सभापति : उन्होंने तो केवल कम्पेयर किया है दूसरे जिलों से। आपको कम थोड़े ही कर रहे हैं।

श्री उगमराज मेहता : वहां मेरे क्षेत्र में तो पांच हजार श्रमिक और चाहिए। वहां इतना भयंकर अकाल है और माननीय सदस्य को खुशी होनी चाहिए जो उस तरफ के रहने वाले हैं, उस साइड में रहते हैं, पड़ौस के हैं इसलिए ज्यादा लगाने के लिए आपको सिफारिश करनी चाहिए।

श्री सभापति : विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनको बोलने दीजिये।

श्री सभापति : विराजिये, भाटीजी कुछ कहना चाहते हैं। समय समाप्त होने वाला है, आधा घण्टे से ज्यादा नहीं होगा। जल्दी बोलिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि पाली जिले में रोहिड़ पंचायत समिति सबसे ज्यादा ड्राट प्रोन एरिया है। वह सबसे ज्यादा रेगिस्तानी इलाका है। वहां जल प्रदूषण की वजह से कुए भी सब खराब हो चुके हैं और वहां सिंगल क्रोप एरिया पहले से था लेकिन अब कुए खराब हो गए तो सिंगल क्रोप भी वहां होती नहीं है और उस रोहिड़ पंचायत समिति में जो थोड़े बहुत अकाल राहत कार्य मन्जूर किये भी गये हैं उनमें कल तक कोई भी कार्य चालू नहीं किया गया है।

दूसरा, हमारे ही जिले में, मैं कल की बात बता रहा हूं ...(व्यवधान) मैं बता रहा हूं चालू ही नहीं किया।

श्री सभापति : विराजिये, प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी जानते होंगे कि यह रोहिड़ तहसील ऐसी है पिछले 30 साल का आप इसका ड्रोट का इतिहास देख लीजिये। पाली डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा इफेक्टेड

(श्री परसराम मदेरणा)

तहसील रही है तो वह रोहिड़ रही है, कंटीन्युग्रस रही हैं।

श्री भीमराज भाटी : दूसरी बात यह है कि हमारे ही जिले में दूसरे इलाकों में तो तालाबों की मरम्मत के कार्य मंजूर कर दिये गये, स्कूलों की चारदीवारी के काम मंजूर कर दिये गये, पूरे गांव के गांव, पूरी लिस्ट की लिस्ट मंजूर दी गयी है और मेरे जो क्षेत्र हैं, जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है उस क्षेत्र में सिर्फ दो स्कूलों की चारदीवारी का काम मंजूर किया गया है, 5-10 जगह स्कूलों के एक-एक कमरे के काम मंजूर किये गये हैं। तालाब का एक भी काम रोहिड़ पंचायत समिति, में एक भी तालाब की मरम्मत का काम मंजूर नहीं किया गया है।

दूसरी बात, अन्य इलाकों में जैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी हमारे ही जिले से आते हैं, इनके विधान सभा क्षेत्र में तो पुलिस चौकी पर, गेस्ट हाउस पर, पता नहीं कौन-कौनसे काम जहां देखो मंजूर कर दिये गये हैं। हमारे इलाके को बिलकुल ही छोड़ दिया गया। यह कोई मतलब की बात नहीं है। रहा सवाल चारा डिपो का तो हमारे यहां कोई फसल ही पैदा नहीं होती है और लोग वहां जानवर पालते हैं, दूध देने का थोड़ा काम है इसकी वजह से लोग जीविकोपार्जन करते हैं। दूध डेयरी के जो जानवर हैं उनके चारे के लिए जिलाधीश महोदय से सम्पर्क किया गया तो जिलाधीश महोदय कहते हैं कि अभी तो कोई डिमाण्ड ही नहीं है। हमने कहा, मैं भीम से आया हूं, कर रहा हूं, हमने एप्लीकेशन लिखकर दे दी, ट्रस्ट ने आपको एप्लीकेशन लिखकर दे दी कि चारे के लिए पैसा नहीं दिया है। वे कहते हैं अभी तो डिमाण्ड ही नहीं है, 15–20 दिन बाद खोलेंगे।

इसी तरह की एक और भेदभाव की बात, मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि यहां जयपुर से एक लिस्ट पता नहीं किसने बनाकर भेजी है उसमें फ्लोराइड इफेक्टेड गांवों की सूची हैं उनमें भी भेदभाव किया गया है। मतलब सबसे ज्यादा खराब कुएं जिस इलाके में हैं उस इलाके के एक भी गांव का नाम नहीं बाकी पूरी लिस्ट यहां से बनाकर भेज दी। उसमें इंट्रेस्टेड आदमियों के गांवों के नाम भी हैं। उसमें जहां फ्लोराइड इफेक्टेड पानी कुओं में है, जहां पीने योग्य पानी नहीं है उनमें से हमारे इलाके का एक भी गांव नहीं है और इंट्रेस्टेड लोगों के गांवों के नामों की सारी लिस्ट बनाकर भेज दी और उस लिस्ट के मुताबिक काम कर रहे हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं तो फिर पीने के पानी की व्यवस्था हो नहीं सकती।

श्री सभापति : बिराजिये। जनसंख्या के आधार पर अलवर में सबसे काम खोले गये हैं और फिर भी अलवर के लोग कितने संतोषी हैं कोई बोल ही नहीं रहे हैं। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं। जो लेबर की सीलिंग फिक्स की है गवर्नमेंट ने उसमें सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीलिंग बतीस हजार है। एक अजमेर है और एक बाड़मेर।

(श्री परसराम मदेरणा)

बाड़मेर में बीस की जगह कितने लेबर लग गये हैं ?

एक माननीय सदस्य : भीलवाड़ा ।

श्री परसराम मदेरणा : बाड़मेर में बीस हजार रखी है । मैं मुख्य मंत्रीजी आपसे निवेदन करूंगा कि आपको स्वयं को मालूम है, जैसलमेर, बाड़मेर को आप भली-भांति जानते हैं । आपने 1971 में वहां से लोक-सभा का चुनाव भी लड़ा था । आप वहां की चप्पा-चप्पा जमीन से वाकिफ हैं और वहां के लोगों की जो गिरी हुई आर्थिक स्थिति है वह आपसे छिपी नहीं है ।

श्री शिवनाथ सिंह : वह दुःखदायी बातें क्यों याद दिला रहे हो इनको ।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मंत्रीजी जो पक्षपात कर रहे हैं उसके लिए मेरा सुझाव यह है कि आप इमिजिएटली पोर्ट फोलियो किसी दूसरे को देकर हमारे साथ न्याय करें ।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर देऊं कि सदन के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र किया है । इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अकाल राहत मत्रीजी के साथ बैठकर यदि सीलिंग बढ़ाने की आवश्यकता होगी उसी अनुपात में बढ़ा देंगे ।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हो चुकी । यह सब बोल चुके ।

श्री लक्ष्मणसिंह : एक ही मिनट में अपनी बात कहूंगा । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसको अलग प्रकार से लिया है । यह अपने क्षेत्र की समस्या नहीं है बल्कि जिलों के अंदर जो पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य खोले गये हैं । तेंतीस हजार तो आप अजमेर में देते हैं । हमें कोई एतराज नहीं है, आप अजमेर में बढ़ाइये । हमें खुशी होगी लेकिन एक भाई को आप भूखा रखें और एक भाई को भर पेट देवें यह चीज है ।

श्री सभापति : आपने ध्यानाकर्षण कर लिया ।

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति जी, हमने एक पाइन्टेड प्रश्न पूछा है कि आपका जो पोपुलेशन का आधार है वह पोपुलेशन का आधार बताइये और जिन जिलों के साथ में इस प्रकार का भेदभाव बरता जा रहा है तो क्या भविष्य में उन जिलों के अन्दर भी ज्यादा श्रमिक संख्या स्वीकृत की जायेगी इसके बारे में मैं जवाब चाहता हूं ।

श्री सभापति : जैसा माननीय मुख्य मन्त्रीजी से आश्वासन दे दिया है कि मन्त्री जी के साथ बैठ करके जो भी आप लोग बताना चाहेंगे उसके बाद में देख करके निर्णय करा देंगे तो बात खतम हो गयी । चर्चा समाप्त हुई ।

सदन की बैठक दिनांक 5....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल है अभी ।

श्री सभापति : नहीं श्रीमन्, बिल तो हो गये । सब हो गये ।

श्री लक्ष्मण सिंह : क्या सभापति महोदय ?

(150)

श्री शिवनाथ सिंह : अभी कुछ नहीं हुआ है ।

श्री लक्ष्मण सिंह : यह फेस छिपा कर भाग रहे हो ।

श्री सभापति : नहीं, आश्वासन दे दिया गया है ।

सदन की बैठक दिनांक 5 अप्रैल, 1994 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.31 बजे, मंगलवार, 5 अप्रैल, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट—1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

[श्री रामस्वरूप (टोड़ाभीम)]

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोजगार डिप्लोमाधारी इंजीनियरों का आमरण अनशन

महोदय, निवेदन है कि राजस्थान के डिप्लोमाधारी (इंजीनियर) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र वर्षों से बेरोजगार बैठे हुए हैं। सरकार को बार-बार निवेदन करते आये है। सरकार के पास 32 जगह खाली पड़ी हुई हैं पर सरकार इसके बारे में गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है।

अतः मेरा सरकार से इस प्रक्रिया के माध्यम से निवेदन है कि उनको रोजगार दिलाया जावे और 10 दिन से चले आ रहे आमरण अनशन को तुड़वाने की व्यवस्था करने के लिए इस सदन में इस पर चर्चा करने की व्यवस्था की जावे।

———

[श्री हीरालाल मीणा (बामनवास)]

बामनवास में अकाल राहत कार्य

बामनवास विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्य स्वीकृत करवाने हेतु उपरोक्त विषय में श्रीमान्‌जी से निवेदन है कि बामनवास विधान सभा क्षेत्र में जिला अधिकारियों द्वारा अभी तक एक भी अकाल सहायता के अन्तर्गत निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं कराया गया है।

मेरा निवेदन है कि बामनवास विधान सभा क्षेत्र में निम्न कार्य करवाये जाने की स्वीकृति जारी कर कार्य करवाया जावे ताकि विधान सभा क्षेत्र में गरीब परिवारों को मजदूरी मिल सके और जनउपयोग कार्य हमेशा जनता के उपयोग में आते रहे :—

1. तालाब एवं तलाइयों की खुदाई एवं मरम्मत।
2. विद्यालयों के कमरा, बाऊण्ड्री तथा दीवारें।

(158)

3. पीने के पानी हेतु कूप निर्माण कार्य ।

4. रोड एवं लिंक रोड बनवाये जावे ताकि ग्रामीण जनता को आने जाने में सुविधा हो सके ।

5. पानी की रुकावट हेतु एनीकट बनवाया जावे ।

6. नहरों की खुदाई एवं मरम्मत ।

अतः निवेदन है कि बामनवास विधान सभा क्षेत्र में उपरोक्त सुझाव के अनुसार निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी करें ताकि गरीब जनता को अकाल के समय में मजदूरी मिल सके तथा निर्माण कार्य हो सके ।

———

[श्री दलीचन्द (दानपुर)]

माही बजाज परियोजना की नहरों में पानी का लीकेज

आपका ध्यान माही बजाज परियोजना की नहरों में हो रहे पानी के लीकेज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । पानी के लीकेज के कारण नहर के पास वाले खेतों की स्थिति एक दलदल जैसी होती जा रही है परिणामस्वरूप इनकी उत्पादक क्षमता दिनों-दिन घटती जा रही है ।

अतः मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि सरकार इन नहरों के पास या सरकार सर्वे में जहां आवश्यक समझे, नालियों का निर्माण करवाये एवं नालियों के माध्यम से उक्त पानी को नालों में पहुंचायें ताकि उत्पादन क्षमता नष्ट नहीं हो पाये और गरीब आदिवासी काश्तकारों को राहत की सांस मिल सके । मैं आशा करता हूं कि सरकार आवश्यक रूप से नाली निर्माण के कार्य को हाथ में लेकर आदिवासी कृषकों को आवश्यक रूप से लाभ पहुंचायेगी ।

———

[श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर)]

श्री माधोपुर (सीकर) तहसील की ग्राम पंचायतों में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण

मैं आपका ध्यान तहसील श्री माधोपुर (सीकर) की ग्राम पंचायतें मऊ, नाथूसर, गढ़टकनेत एवं अजीतगढ़ में स्थानीय तहसीलदार की मिलीभगत से राजकीय भूमि पर नाजायज अतिक्रमण के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं।

तहसील श्री माधोपुर की ग्राम पंचायतों, मऊ, नाथूसर, गढ़टकनेत एवं अजीतगढ़ की राजकीय भूमि (गोचर एवं सिवायचक) पर अनधिकृत कब्जा किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रशासन को कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इन पंचायतों में जो गोचर व सिवाय चक की भूमि है उस पर कई प्रभावशाली व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है तथा स्थानीय तहसीलदार की मिलीभगत होने के कारण इनको बेदखल करने की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

गोचर भूमि ग्राम के पशुओं की चराई और पर्यावरण के लिए कब्जा कास्त से खाली करवाया जाना परमावश्यक है। इसके अतिरिक्त जो सिवायचक की भूमि है वह भी प्रभावशाली व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जे से खाली करवाया जाना आवश्यक है। हालांकि राज्य सरकार ने इस प्रकार का कानून विधान सभा में बना लिया है कि सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तहसीलदार द्वारा कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये और कानून के प्रावधान के अनुसार उसे कठोर कारावास की सजा भी दी जा सकती है। लेकिन यह सब कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः सरकार का ध्यान इस विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान में ला रहा हूं कि सरकार इस पर तुरन्त ध्यान देकर वांछित कठोर कार्यवाही करें और चरागाह और सिवाय चक भूमि को अनधिकृत कब्जाधारियों से मुक्त कराये।

———

154

[श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा)]

जगतपुरा स्थित कचरा डिपो का अन्यत्र स्थानान्तरण

जयपुर शहर में जयपुर हवाई अड्डे के रनवे पट्टी के पास हवाई जहाज को उतरने व चढ़ने के लिए उड़ान का रास्ता होने से काफी नीचे आना होता है। जिससे उसके इंजिन में पक्षियों आदि के फंसने पर दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है।

अब जबकि जयपुर नगर निगम हवाई पट्टी से करीब 2 कि.मी. के पास कचरा व मृत पशु आदि डाल रहा है जिससे काफी तादाद में गिद्ध व अन्य पक्षियों का समूह वहां मंडराता रहता है। इससे गम्भीर दुर्घटना का अन्देशा बना हुआ है। साथ ही जयपुर में भारी तादाद में पर्यटक आते हैं, उनके जयपुर में पहुंचते ही उक्त स्थल एक बुरी छवि पेश करता है।

इसके साथ ही उक्त कचरा स्थल से करीब एक कि.मी. पर काफी बड़ी आबादी मालवीय नगर में निवास करती है। एक कि.मी. से भी कम फासले पर मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र है। एक कि.मी. से भी कम फासले पर जगतपुरा रेलवे स्टेशन है।

उक्त स्थल पर कचरा डालने से काफी तादाद में मक्खियां व मच्छर पैदा हो गये हैं जिससे इलाके में बीमारियां बढ़ रही हैं। दुर्गन्ध फैल रही है और वर्षा ऋतु में तो रहना ही दूभर हो जाएगा।

साथ ही छोटे मृत जानवरों की हड्डियां आदि लेकर ये पक्षी उड़ जाते हैं व आसपास की आबादी में भी गिरा देते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी तादाद में मजदूर काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के कारण देश विदेश के व्यापारी व उद्योगपतियों का आवागमन होता है।

———

[श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)]

पिड़ावा–सोयत मार्ग पर पिड़ावा नदी पर पुलिया का निर्माण

मेरे क्षेत्र पिड़ावा में राजस्थान से म. प्र. में प्रवेश करने का एक ही पक्का मार्ग पिड़ावा सोयत रोड़ है। इस रोड पर भवानीमंडी–इंदौर, भवानीमंडी–सोयत, पिड़ावा–झालावाड, पिड़ावा–कोटा आदि कितने ही वाहन म. प्र. व राजस्थान के लिये आते जाते हैं। यह दो राज्यों को जोड़ने वाला मार्ग है। प्रतिदिन राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के लगभग 50 यात्री वाहन हम रोड से गुजरते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, पिड़ावा के पास तो एक छोटी सी नालेनुमा नदी बहती है जिस के ऊपर एक बहुत ही कम ऊंचाई वाली मामूली सी रपट बनी हुई है जो बरसात में वाहनों के आवागमन में कतई सहायक नहीं है। मामूली सी बरसात हो जाने पर भी 2-2-3-3 घंटे तक वाहन दोनों किनारों पर खड़े रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी मौका आया है कि अधिक बरसात की स्थिति में पूरी रात यात्रियों ने बसों में भूखे प्यासे रहकर गुजारी है।

अतः मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करता हूं कि पिड़ावा की नदी पर तत्काल पुलिया का निर्माण कराया जावे ताकि यात्रियों को सुविधा उपलब्ध हो सके।

[श्री बाबूलाल वर्मा (डग)]

पनवाड़ी उद्योग को राहत

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में दुधालिया गांव में पनवाड़ी उद्योग निरंतर रूप से नष्ट हो रहा है। आज से 2 वर्ष पूर्व पूरे गांव में लगभग 200 परिवार इस पनवाड़ी उद्योग में कार्यरत थे लेकिन आज की तारीख में केवल मात्र 50–60 परिवार ही रह गये हैं। इसके मुख्य कारण रहे हैं प्राकृतिक प्रकोप, आंधी, शीतलहर, ओलावृष्टि जिनके कारण पनवाडी उद्योग जो कि पूर्व में 40 बीघा में होता था लेकिन आज केवल मात्र 19 बीघा पर ही रह गया है। इस 19 बीघा में से केवल मात्र लगभग 2 बीघा जमीन पर ही सही पान की खेती हो रही है। 7 बीघा 4 बिस्वा खेती रोगग्रस्त है एवं लगभग 14 बीघा 8 बिस्वा खेती नष्ट हो गयी है। ऐसी स्थिति में शेष रहे परिवार भी दुधालिया गांव से पलायन कर रहे हैं। पिछले 2–3 वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो पनवाड़ी की फसल

नष्ट हुई है इसके लिये वहां के किसानों ने लगातार राज्य सरकार से सहायता मांगी थी लेकिन किसी प्रकार से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। मैं आज आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि वर्तमान में नष्ट हो रहे पनवाड़ी उद्योग को उचित संरक्षण प्रदान किया जावे एवं राहत प्रदान की जावे।

———

[श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)]

श्योदानपुर बांध के निर्माण से किशनपुरा (तहसील नैनवां) ग्राम की कृषि भूमि का कटाव और काश्तकारों को मुआवजा

टोंक जिले की नैनवा तहसील के श्योदानपुरा (बासला) बांध के निर्माण में कृषि भूमि खसरा संख्या 126/1117 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 150 रकबा 9 बीघा, ग्राम किशनपुरा, तहसील नैनवा, जिला बून्दी की बांध के वेस्टवियर में आ जाने से बरबाद हो जाने के बाद भी उक्त कृषि भूमि में मिट्टी कटाव से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन करके मुआवजा राशि निर्धारित नहीं की गयी है। कृषि भूमि के खातेदार कृषक पिछले 12 वर्ष से मुआवजा राशि निर्धारित करवाने के लिए विभिन्न अधिकारियों को निवेदन करते आ रहे हैं। इस वर्ष उक्त बांध के लिए गाइड बांध निर्माण शुरू करके तथा मिट्टी खोदकर मिट्टी ग्राम विशनपुरा तहसील नैनवा की कृषि भूमि खसरा संख्या 126/1117, 150, 149 से गड्डे लगाकर सिंचाई विभाग ले रहा है। मुआवजा राशि अदा करने तथा नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही किसान की खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि में किसी कार्य के लिए दाखिल हो सकते हैं। कृषि भूमियों के कृषक पिछड़े वर्ग के तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब व्यक्ति होने से सिंचाई विभाग के अधिकारीगणों ने उनकी कृषि भूमि में कटाव से हुए नुकसान एवं मिट्टी लेने हेतु किए जा रहे गड्डों के बाबत क्षतिपूर्ति राशि अदा करने हेतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

अतः श्योदानपुरा बांध (जिला टोंक) के निर्माण से वेस्टवियर के कारण खराब हुई कृषि भूमि एवं गाइड बांध अथवा जिस किसी भी कार्य के लिए जिस भूमि से मिट्टी खोदी गई है उसके लिए नियमानुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करके या नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित करके सम्बन्धित किन अर्जुनसिंह आत्मज भावसिंह बन्जारा, बुद्धा आत्मज भावसिंह बन्जारा, श्योजी आत्मज ग्यारसी लाल माली, निवासी बिशनपुरा, तहसील–नैनवा को राशि अदा किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

———

[श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी)]

पाटन (तहसील बस्सी) ग्राम सेवा सहकारी समिति में घोटाले की जांच

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि तह. बस्सी के ग्राम पाटन की ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक तथा सहायक व्यवस्थापक द्वारा करीब तीन लाख रुपये का गबन किया हुआ है। यह सब अध्यक्ष की मिलीभगत से हुआ है जिसकी पुष्टि प्रबन्ध कमेटी तथा अध्यक्ष द्वारा कोई मीटिंग नहीं बुलाना तथा कोई कार्यवाही नहीं करना आदि बातों से होती है।

समिति की जांच विभाग द्वारा धारा 70 की की गयी जिसमें दो लाख रुपये का गबन पाया गया। इस समिति की जांच माननीय मुख्य मंत्रीजी के आदेश द्वारा राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भी की गयी लेकिन राज्य अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी और जांच प्रतिवेदन सहकारी विभाग को वापस भेज दिया गया जो कि विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा दबा दी गयी तथा धारा 74 की जांच जिसके आदेश करीब एक डेढ़ वर्ष पहले किये गये थे, जिसकी जांच रिपोर्ट एक माह में मांगी गयी थी जो डेढ़ वर्ष बाद हो सकी तथा जांच अधिकारी ए. आर. दौसा द्वारा दोषी कर्मचारियों द्वारा पैसा खाकर सारे गबन पर जैसा कि धारा 70 की जांच प्रतिवेदन से जाहिर है रफा दफा कर दिया गया।

महोदय, यह समिति करीब 2 वर्ष से भारी कर्ज में डूबी हुई है तथा किसान खाद बीज से तथा ऋण सुविधा लेने से वंचित हैं। सरकार ने किसानों के कर्जे माफ करके एक प्रशंसनीय कार्य किया था, जिसका लाभ सीधा किसानों को दिया जाना था लेकिन इस कर्जमाफी की रकम को समिति के अध्यक्ष व्यवस्थापक तथा सह व्यवस्थापक द्वारा हड़प करके आम जनता के साथ तो धोखा किया ही है, सरकार के साथ भी धोखाधड़ी की है। महोदय, करीब दो-तीन वर्ष से इस पंचायत के करीब छह-सात गांव के लोग मारे-मारे इस विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगाते फिरने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की अन्य समितियों में भी भारी गबन है जिससे सरकार के करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा कर सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है।

अब सरकार से निवेदन है कि बस्सी क्षेत्र की सहकारी समितियों की जांच तुरन्त करवाकर गबन की गयी राशि को वापस वसूल कर समितियों के सदस्यों को लाभान्वित किया जाय तथा दोषी एवं भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाकर आम जनता को लाभ पहुंचाया जाये।

अंत में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अब तक की जांच रिपोर्टों में क्या हुआ, ए.सी.डी. की रिपोर्ट की कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जो गबन धारा 70 की जांच से 2 लाख रुपये का साबित हुआ है वह धारा 74 की जांच में कैसे रफादफा कर किया गया, अब क्या कार्यवाही हो रही है, तथा इस जांच प्रक्रिया में इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी यह बताने का कष्ट करें। जिससे क्षेत्र की आम जनता को गबन की गयी राशि की वापस वसूली की जाकर राहत पहुंचाने की कष्ट करें।

धन्यवाद।

———

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

पीपल्दा व इटावा में विद्युत आपूर्ति

दसवीं विधान सभा का जो प्रथम सत्र चला उसमें सरकार ने गांवों में 8 घंटे बिजली देने की घोषणा की थी। करीब 3 माह हो जाने के बाद भी मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में व इटावा के आस पास सभी गांवों में 8 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। दिन में करीब 5 या 6 घंटे ही बिजली मिल पाती है। वह भी बिना समय के जिससे छात्रों को अध्ययन कार्य में व्यवधान पैदा होता है।

दूसरी तरफ सहायक अभियन्ता का कार्यालय इटावा से 40 किलोमीटर दूर होने से कर्मचारी गांवों में नहीं जाते हैं। बिना रीडिंग लिए ही बिल दे दिया जाता है व बिना जिम्मेदारी से बिल भेजते हैं। जिससे वह बिल उपभोक्ता को नहीं मिल पाता है व परेशानी पैदा होती है। इससे लगभग सभी गांव वालों को परेशानी है।

इसके बावजूद भी बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा अपनी गलती को छिपाने के लिये व ग्रामवासियों के लिए और परेशानी पैदा हो रही है। दो वर्ष के बाद एक बार बिजली के बिल भेजे जिसमें किसी उपभोक्ता को 1000 रुपये व किसी को 1500 रुपये के बिल दिये गये जिससे गरीब लोग चुकाने में असमर्थ रहे। कर्मचारियों ने इसके लिये गांवों के कनेक्शन काट दिये। बोरदा, अतोली व लाडाहाली के कनेक्शन काट दिये गये है जिससे सभी ग्रामवासियों को परेशानी हो रही है।

अतः मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कर्मचारी इस तरह की मनमानी कर रहे हैं उन पर रोक लगायी जावे जिससे ग्रामवासियों को राहत मिल सके।

———

[श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)]

उदयपुरवाटी में पेयजल की समस्या

महोदय, उदयपुरवाटी नगरपालिका क्षेत्र में पीने के पानी की विकट समस्या है। वार्ड नं. 1 व 2 में पानी नहीं पहुंचता है। लोग तीन-तीन, चार-चार फीट गहरे गड्डे खोदकर पानी प्राप्त करते हैं। मंजूरा वाली ढाणी में टंकी बने काफी समय हो गया लेकिन पाइप नहीं डाले जा रहे हैं। पश्चिमी ढहर में पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है लेकिन विभिन्न बस्तियों तक पाइप लाइन नहीं डाली जा रही है। इन सबका नतीजा यह हो रहा है कि साधन होते हुए लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है।

कस्बे की पानी सप्लाई की व्यवस्था पूर्ण रूप से गड़बड़ा गयी है। व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कर्मचारी अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। जिस समय बिजली आती है मोटर नहीं चलाते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। शिकायत करने पर अधिकारी सुनते नहीं है। सहायक अभियन्ता ने प्रण कर रखा है कि लोगों को तंग जितना किया जा सके उतना तंग करूंगा। होली के त्यौहार पर भी पानी की समस्या खड़ी कर दी गयी। स्थानीय तहसीलदार ने हस्तक्षेप कर समस्या को सुलझाया वरना कोई बड़ी घटना घट सकती थी। नगर निवासी पीने के पानी की कठिनाई से परेशान हैं, अतः सरकार इस ओर ध्यान देकर समस्या का समाधान यथाशीघ्र निकाले।

———

[श्री हीरालाल बिश्नोई (सांचौर)]

सांचौर की कृष्णा पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय की मान्यता समाप्त नहीं करना

महोदय, कृष्ण शिक्षण संस्थान, राजस्थान प्रधान कार्यालय मंडोर जोधपुर द्वारा संचालित कृष्णा पब्लिक उच्च प्राथमिक (बालिका) स्कूल जो कि 22-7-86 से सांचौर जिला–जालौर में चल रहा है। जिसमें करीब 300 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इससे पहले इस क्षेत्र में विद्यालय सांचौर जैसे पिछड़े क्षेत्र में निजी शिक्षण संस्था का प्रथम विद्यालय है इससे पहले इस क्षेत्र में कोई भी निजी शिक्षण संस्था नहीं चल रही थी। महिला शिक्षा की कमी को देखते हुए इस संस्था ने सर्वप्रथम अपना कार्य प्रारम्भ किया। इसे पनपाने में जी तोड़ संघर्ष करना पड़ा। सम्पूर्ण जालौर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्था का उल्लेखनीय योगदान रहा। यहां से पढ़कर छात्र-

छात्राएं बम्बई, मद्रास, कलकत्ता महानगरों में आगे के अध्ययन हेतु जाते हैं व नवोदय विद्यालय में भी हर वर्ष यहां से छात्रों का चयन होता है। यहां तक कि इस सत्र में विज्ञान कांग्रेस में भी एक छात्र ने राज्य स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया। समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी यह विद्यालय आगे रहा है व इस संस्था का आज दिन तक निरीक्षण प्रतिवेदन यह गवाह हैं कि इस विद्यालय का शिक्षण कार्य व वातावरण अनुशासित पूर्व प्रशंसनीय है किन्तु अब बी.जे.पी. सरकार व आर.एस.एस. संघ यह नहीं चाहते हैं कि यह विद्यालय आगे उन्नति के पथ पर चले। अब यहां अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकार में डूबा जा रहा है। बी.जे.पी. सरकार व आर.एस.एस. संघ हर सम्भव इस विद्यालय की मान्यता समाप्त करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। झूठी मनगढंत बेनाम शिकायतें कर हमें परेशान किया जा रहा है।

परेशान करने का मुख्य कारण यह है कि दिनांक 19-12-86 को कृष्णा शिक्षण संस्था ने सांचौर में विद्यालय चलाने हेतु श्रीमान प्रशासक महोदय नगरपालिका सांचौर में भूमि आबटन कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया उन्होंने उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर भूमि आबंटन कराने का प्रयत्न किया व सांचौर क्षेत्र की तमाम कार्यवाही की 24-7-87 को भूमि आबंटन की पत्रावली इस संस्था के हक में कराने के लिए स्वीकृति हेतु स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को प्रेषित किया गया। बार-बार प्रयत्न करने काफी समय बाद दिनांक 5-3-91 को श्रीमान् जी.के. गोस्वामी, उपशासन सचिव, जयपुर ने इस संस्था के हक में 5636 वर्ग गज भूमि सुभाव नगर आवासीय योजना 100 रुपये प्रति गज की आधी दर 50 प्रतिशत पर 99 वर्षीय लीज पर नियमानुसार आबंटन की स्वीकृति दी। पुनः दिनांक 25-11-91 को श्रीमान् जी.के. गोस्वामी, उपशासन सचिव ने वही भूमि निरस्त करने का आदेश दिया। वही भूमि आर.एस.एस. से सम्बन्धित आदर्श विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान भीनमाल को सांचौर में विद्यालय चलाने हेतु भूमि आबंटित कर दी इसलिए हमें विवश होकर हाई कोर्ट, जोधपुर में दिनांक 16-1-92 को शरण लेनी पड़ी जो रिट याचिका आज भी न्यायालय में चल रही है।

अब यह लोग झूठी मनगढ़ंत शिकायतें करके अपनी सरकार होने का नाजायज फायदा उठाने हेतु प्रयत्न कर शिक्षा विभाग पर दबाव डालकर हर सम्भव इस विद्यालय की मान्यता समाप्त किये जाने की भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। सप्ताह में एक-दो शिकायतें कभी किसी के नाम से, कभी बगैर नाम से करते हैं। इसके अलावा यहां दो और संस्था चल रही है कभी उन्हें परेशान नहीं किया जाता है, यहां तक आदर्श विद्या मन्दिर को शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता तक प्राप्त नहीं है। हमें बार-बार परेशान किया जाता है। कभी कारण बताओ नोटिस भी जारी होते हैं, कभी कोई अधिकारी निरीक्षण करने हेतु आते ही रहते हैं। छोटी-मोटी गलतियां निकाल कर

विद्यालय की मान्यता समाप्त किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। व कार्यरत अध्यापकों को डराधमका कर आपसी फूट डालने व संस्था के विरुद्ध कार्य न करने पर मजबूर किया जाता है।

यह सत्र पिछले तीन वर्ष से होता आ रहा है इस वजह से हम मानसिक रूप से परेशान हैं व मान्यता समाप्त होने का हर समय भय रहता है।

अतः आगे संस्था को बढ़ाने हेतु काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अन्त में पुनः महोदयजी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि हमें इस संकट से दूर करावें ताकि हम निर्भय होकर संस्था का विकास कर सकें।

———

[श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)]

जियालाल बी. एड. कालेज में प्रवेश में अनियमितता की जांच

महोदयजी, जियालाल बी. एड. कालेज, अजमेर में बी एड. प्रशिक्षण में प्रवेश मनमर्जी एवं तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले 50–60 छात्रों को अनियमित रूप से प्रवेश दिये गये हैं। प्रवेश दिये जाने से पूर्व अजमेर के विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा इन अनियमित प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में दयानन्द विश्व विद्यालय को शिकायत की थी, जिस पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने जांच कर इस शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान को दोषी पाया और जुलाई, 1993 को आदेश दिये कि इस बार छात्रों के प्रवेश अपनी मनमर्जी से न करके नियमानुसार प्री. टैस्ट उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को ही प्रवेश दें। उसके बाद भी उक्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान ने अपनी मनमर्जी से नियम विरुद्ध प्रवेश देकर विश्वविद्यालय के आदेशों की अवहेलना की है। सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करवाई जावे तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जांच करवाई जावे।

———

(162)

[श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन)]

सरकारी भूमि का राज्य के बाहर के व्यक्तियों को आबंटन

गत वर्ष 1993–94 के काल खण्ड में जब प्रदेश में राज्यपाल महोदय का शासन था तब इसका नाजायज फायदा उठाकर हिण्डौली तहसील के गांव बड़गांव एवं रानीपुरा में सरकारी भूमि जो सिंचित क्षेत्र के तहत आती है का नैनवां एस.डी.एम. श्री शारसचन्द माथुर द्वारा भ्रष्टाचार कर उन लोगों को आबंटन किया गया जो राज्य के बाहर के हरियाणा जिले के निवासी हैं ।

इन भूमि हड़पों व्यक्तियों का मुखिया एक अध्यापक जो नैनवां, पंचायत समिति में कार्यरत हैं श्री सत्यनारायण पुत्र सूरजमल इसके पिता श्री सूरजमल एवं श्री सूरजमल के भाई श्री गोपीराम दोनों के परिवार के कुल सदस्यों को जो संख्या में 28 हैं जिनमें कई नाबालिग हैं । एक सुमनलता भी है जो वनस्थली विद्यापीठ की छात्रा है । हर सदस्य के नाम आबंटन हुआ है । इस आबंटन में जो दिनांक 30-4-93 को किया गया है जिससे कुल 70 व्यक्तियों को 835 बीघा 16 बिस्वा, भूमि आबंटन की गई है जिसमें 28 व्यक्तियों को 290 बीघा 17 बिस्वा जमीन इन बाहरी लोगों को जिनके नाम हरियाणा के सोनीपत एवं जिले में पूर्व में ही जमीनें हैं । साथ ही नैनवा तहसील में भी जैतपुर पटवार सर्किल के मीणों, की झोंपड़ियां नाम के गांव में भी बैंक कृषि कार्य जैतपुर के नाम से 469 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमियों के ये खातेदारी मासिक है ।

इस प्रकरण में भ्रष्टाचार हुआ है । स्थानीय गांववासियों को इसका पता तक नहीं लगने दिया गया । इससे पूर्व दो बार आबंटन रद्द कर दिया गया । पटवार सर्किल एवं पंचायत मुख्यालय रानीपुरा होते हुये बड़गांव में आबंटन किया गया ।

इस प्रकार सत्यनारायण अध्यापक के परिवार के लोगों को जो दो तीन को छोड़ कोई भी इस प्रदेश तक में नहीं रहते हैं, को किया गया । यह व्यक्ति जमीनों का धन्धा करता है । इससे पूर्व में भी इसने दो कृषि फार्म कई लाखों में बेचे हैं । इसके अलावा भी इस व्यक्ति एवं इसके साथियों ने करीब एक हजार बीघा सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा कर वर्ष भर बहनें वाली नदी से स्वयं का ही एनीकट बनवाकर अवैध कृषि हेतु विद्युत कनैक्शन लेकर सिचाई कर फसल ले रहे हैं ।

अतः तहसील नैनवा एवं हिन्डौली में एक तरह से ये भूमि हड़पों माफिया को सक्रिय होकर स्थानीय गांव के लोगों का हक मारकर अधिकारियों से मिलीभगत कर सरकार को भी लाखों का चूना लगा रहे हैं । इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नैनवा एस.डी.एम. महोदय एवं स्थानीय पंचायत ग्रुप सचिव की है ।

Page No. 167

(163)

अतः मैं अपने इस अविलम्बनीय लोक असत्य के प्रस्ताव के माध्यम से सरकार एवं राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाई जावे एवं इस आवंटन को खारिज करवाया जाये जिससे स्थानीय गरीब लोगों को भी राहत होगी।

[श्री गोपीराम जाट (आमेर)]

झुंझुनूं में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता एवं राजकोष को हानि

झुन्झुनूं जिले में पिछले वर्ष 1992–93 में किये गये खाद्यान्न वितरण की अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में माननीय खाद्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, सरकार ने गरीब लोगों को खाद्यान्न सामग्री सस्ती दर पर नजदीक स्थान से समय पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध हो सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न व दैनिक उपयोग की वस्तुओं के वितरण के लिए सरकार की ओर से, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए सरकारी दुकानों की योजना बनाई गई।

इन योजनाओं को सफल करने के लिए सरकार ने सरकारी दुकान के संचालन के लिए आम जनता से इन दुकानों को चलाने के इच्छुक लोगों से आवेदन-पत्र लेकर उन्हें दुकानें आबटित कर प्राप्त दैनिक उपभोग की वस्तुओं को गरीब जनता तक वितरण हेतु समय-समय पर सामान उपलब्ध कराती रही है। इन दुकानों के लाइसेंसधारी (हैण्डलिंग एजेन्ट) जनता को सरकार द्वारा आबंटित वस्तु, खाद्यान्न समय पर उचित दाम पर उपलब्ध कराती रही है। इस विषय के नियंत्रण (सुपरवीजन) हेतु सरकारी अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक की नियुक्ति की गई। यह इन्सपेक्टर अपने दायित्व के निर्वहन में कहीं त्रुटि, असावधानी, उपेक्षा न करें इस नियंत्रण हेतु अधिकारियों, निरीक्षकों पर सुपरवीजन के लिए जिला रसद अधिकारियों की नियुक्ति की गई और यह अधिकारी कहीं चूक न कर बैठें इस दृष्टि से जिला कलक्टर को इन पर अंकुश हेतु अधिकार दिया गया। अर्थात वितरक (डीलर) पर इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर पर प्रवर्तन अधिकारी पर जिला रसद अधिकारी तथा जिला रसद अधिकारी पर जिला कलक्टर को सुपरवीजन के अधिकार दिये गये। इस व्यवस्था के पीछे इतनी चैकिंग करने का अभिप्राय रहा है कि कहीं गरीब के मुंह का दाना कोई छीन न ले।

मान्यवर, अफसरशाही अर्थात् झुन्झुनूं जिले के खाद्य विभाग के अधिकारियों ने सरकार की इस सतर्कता व्यवस्था को तोड़कर न केवल सरकार के मुंह पर तमाचा

ही मारा है अपितु यह भी साबित कर दिया है कि यदि षड़यंत्रकारी, षड़यंत्रकारियों की चेतावनी के सामने जिला प्रशासन पंगु बनकर टुकर-टुकर देखता रहा। मान्यवर, ऐसे काण्डों में लिप्त लोग आर्थिक—राजनैतिक अपर वाले लोग होते हैं और जो अपने प्रभाव के कारण साफ-साफ बच निकलते हैं।

मैं आपके सामने सन् 1992–93 में खेतड़ी तहसील के थोक खाद्यान्न विक्रेता (हेण्डलिंग एजेन्ट) द्वारा लाखों रुपयों की राशि का गबन तथा गम्भीर घोटालों के सम्बन्ध में आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माह फरवरी, 92 से अप्रेल, 93 तक हैण्डलिंग एजेन्ट (थोक खाद्यान्न डीलर) द्वारा खुदरा विक्रेताओं से गेहूं आबंटन के पेट अग्रिम राशि जमा की गई और उसके तहत गेहूं आज तक दो साल व्यतीत होने पर भी गेहूं उपलब्ध नहीं करवाया। मान्यवर, इस थोक विक्रेता द्वारा तहसील खेतड़ी के खुदरा विक्रेताओं के नाम से गेहूं के फर्जी बिल काटे गये, जिस पर उप जिलाधीश खेतड़ी द्वारा दिनांक : 11-2-93 को जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर, झुन्झुनूं को भिजवाई गई, जिस पर दिनांक : 4-8-93 को कलक्टर, झुन्झुनूं द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराने के आदेश प्रवर्तन अधिकारी, खेतड़ी को दिये गये, किन्तु उक्त प्रवर्तन अधिकारी द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराने के बजाय उक्त थोक विक्रेता के हितों की ही रक्षा की। महोदय, यह प्रवृत्ति कुछ प्रश्न खड़े करती है और गरीब जनता जिसके भूखे बच्चों सरकार से उत्तर की अपेक्षा करते हैं कि :—

(क) क्या सरकार उक्त थोक हैण्डलिंग एजेन्ट के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने का मानस रखती है?

(ख) क्या सरकार एफ.आई.आर. दर्ज न कराकर अब तक मामले को लम्बित करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है तो कब तक? नहीं तो क्यों?

(ग) क्या सरकार गेहूं के आबंटन के पेटे थोक विक्रेता चिड़ावा क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा खुदरा विक्रेताओं की जमा धन राशि वापस लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों?

(घ) क्या इस घोटाले में लिप्त दोषी डीलर तथा अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही कर सकेगी? यदि हां, तो कब तक?

(ङ) क्या पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनूं इस मामले में सरकार की ओर से एफ.आई. आर. दर्ज कर सकेंगे? यदि हां, तो कब तक?

———

[श्री रिछपाल सिंह (डेगाना)]

डेगाना के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति

वर्ष 1993–94 के दौरान नागौर जिले में विद्युत आपूर्ति बराबर नहीं हुई। कृषि कनेक्शन के कुओं पर हालांकि आठ घंटे विद्युत आपूर्ति करने के राज्य सरकार के आदेश थे। परन्तु फिर भी विद्युत मण्डल द्वारा किसानों को मात्र 4 घंटे या 5 घंटे ही विद्युत आपूर्ति की गई जिसकी वजह से किसानों की खड़ी फसल सूख गई तथा उनको भारी परेशानी एवं आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ा। नागौर जिले के डेगाना विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति पिछले चार पांच महीनों से कभी भी बराबर नहीं की गई जिससे किसानों को हुए नुकसान के साथ-साथ क्षेत्र की पेयजल योजनाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। विद्युत की सप्लाई कम मिलने के कारण अनेकों गांवों में पेयजल की भयंकर किल्लत हो गई जिससे ग्रामीण जनता एवं मवेशियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। क्षेत्र के एक मात्र 132 के.वी. जी.एस.एस. जो मैरुड़ा में स्थापित है, मैं केवल एक 20 एम.वी.ए. का ट्रान्सफार्मर कार्यरत है जबकि इस जी.एस.एस. पर विद्युत भार 34 एम.वी.ए. का है जिसकी वजह से विद्युत आपूर्ति में बार-बार व्यवधान आता है और किसान को वोल्टेज 150 से 200 तक ही मिल पाता है। इस जी.एस.एस. पर 12.5 एम.वी.ए. का एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने हेतु अनेकों बार विद्युत मण्डल के उच्चाधिकारियों से मांग की गई परन्तु अभी तक उनकी तरफ से इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। इस जी.एस.एस. पर विद्युत भार अधिक होने की वजह से क्षेत्र में वोल्टेज की कमी बार-बार विद्युत आपूर्ति में व्यवधान और ट्रांसफार्मर अधिक मात्रा में जलने आदि की शिकायतें आमतौर पर क्षेत्र के किसानों द्वारा की गई। फिर भी विद्युत आपूर्ति में कोई सुधार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के नीमड़ी कलां-कोठरियां एवं नीमड़ी चादावतां, ढाढरियां कलां में दो 33/11 के वी. जी.एस.एस. स्थापित करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जा चुके हैं उनकी स्वीकृति शीघ्र दिलाई जावे। मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मैरूदा जी.एस.एस. पर एक 12.5 एम.वी.ए. का अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर शीघ्र स्थापित करावें ताकि डेगाना विधान सभा क्षेत्र के गांवों में विद्युत की आपूर्ति की समस्या का समाधान हो सके। किसानों की समस्या का समाधान हो सके और पेयजल योजनाएं भी सुचारु रूप से चल सके।

———

[श्री श्रवण कुमार (पिलानी)]

राजस्थान के गांवों में बिजली की समस्या

महोदय, राज्य सरकार शहरों में 24 घंटे बिजली देती है जबकि गांवों में मात्र पांच-छः घंटे ही बिजली प्राप्त होती है। इन दिनों कुछ परीक्षाएं चल रही हैं एवं आगामी माह में परीक्षाएं होने वाली हैं। इन दिनों बिजली नहीं दिये जाने से बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। एक फेस की बिजली भी यदि रात्रि को गांवो में दे दी जावे तो इस समस्या का निदान हो सकता है।

मेरा आपसे निवेदन है कि गांवों और शहरों के बीच यह भेदभाव समाप्त कर कम से कम रात्रि गांवों में भी शहरों की भांति बिजली देने की व्यवस्था करावें।

[श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)]

जहाजपुर में अकाल, पेयजल की कमी एवं तालाब, एनीकटों की मरम्मत

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की लगभग दो लाख जनता एवं 275 ग्राम अकाल से प्रभावित हैं, मगर वहां पर अकाल राहत कार्य प्रभावित जनता तथा ग्रामों के मुकाबले नगण्य है। इससे काफी लोग त्रस्त हैं और पलायन भी कर रहे हैं।

पूरे क्षेत्र में बीस हजार श्रमिकों को कम से कम कार्य सुलभ होना चाहिए। वहां पर पांच हजार मात्र श्रमिकों का कार्य पर लगाया जाना नगण्य है। इससे 10 प्रतिशत जनसंख्या को भी कार्य नहीं मिल रहा है।

पेयजल की स्थिति गम्भीर है, हैण्ड पम्पों का जल स्तर नीचे चला गया है। पेयजल स्त्रोत सूख रहे हैं। पेयजल का संकट भी गम्भीर होता जा रहा है। पानी पीने के सार्वजनिक कुओं को अब तक गहरा नहीं कराये जाने से स्थित काफी चिन्ताजनक बनती जा रही है।

गत वर्ष जहाजपुर तथा कोटड़ी तहसील में बड़ी मात्रा में तालाब, एनीकट, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। उनका अब तक सर्वेक्षण करा अनुमान पत्र तैयार नहीं करा कर कार्य आरम्भ नहीं हुए। इस तरह काफी समय निकल गया है और दो साल बीतने के बाद में भी ये कार्य कब तक ठीक हो पायेंगे, यह भी एक गम्भीर प्रश्न है।

अतः मैं इस अनुरोध के साथ मेरा निवेदन है कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के समस्त ग्रामों में राहत कार्य खोले जावें, पीने के पानी के कुए गहरे कराये जावें

तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त तालाब, एनीकटों को युद्ध स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण करा उन्हें पुनः सिंचाई योग्य बनाये जाये तथा क्षतिग्रस्त पुलिया व सड़कें भी शीघ्र सुधारी जावें ।

[श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी)]

बूंदी जिले में विभिन्न लिफ्ट योजनाओं की स्वीकृति

बूंदी जिले की बूंदी तहसील में टेल के गांवों में पानी नहीं पहुंचता है । इनके बारे में कई बार किसानों एवं अधिकारियों के मध्य विवाद भी हुआ है, आंदोलन भी हुए हैं । उक्त समस्या के समाधान के लिए सरकार की इच्छा एवं सरकार की घोषणा की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भा.ज.पा. की सरकार बनने पर हर खेत को पानी देंगे ।

बूंदी जिले की बूंदी तहसील के कोथ्या ठीकरिया चारणान, जरखोदा, गुमानपुरा, लालपुरा, लीलेज व्यासान, बथवाड़ा आदि गांवों में टेल के खेतों में पानी नहीं पहुंचता है । इन गांवों में पानी पहुंचाने के लिए दो लिफ्ट योजना चालू की जावे । एक गुमानपुरा जो घोड़ापछाड़ नदी पर लगायी जा सकती है, दूसरी कोथ्या के पास मांगली नदी के पास लगायी जा सकती है । सी.ए डी. विभाग कहता है कि योजना प्रस्तावित नहीं है । समझ में नहीं आता जिसके कारण तनख्वाह मिल रही है उसका काम भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर विभाग किस लिए बना हुआ है । कभी कहते हैं पैसा नहीं है । जहां पर नदियां नहीं हैं वहां तो करोड़ों रुपये खर्च कर दिये गये, जहां नदियां हैं, वहां पैसा नहीं है । ऐसी योजना बनाई जावे जिससे नदियों का पानी खेतों के काम आ सके ।

इसी प्रकार बाजड़ के खाल के पास की लिफ्ट योजना के बारे में कहा गया है कि यह योजना अव्यवहारिक एवं महंगी योजना होने से सम्भव नहीं है । यह तथ्य जो विभाग ने बताया है निराधार है यहां पानी फालतू बह रहा है, खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा । सरकार की मंशा है कि हर खेत को पानी मिले परन्तु अधिकारी मेहनत नहीं करना चाहते । मेरा निवेदन है कि पूर्व में सर्वे हो चुका है, कृपा करके इन लिफ्ट योजनाओं को बनाकर किसानों के हित में चालू कराने का कष्ट करें ।

इसी प्रकार जाखरमूण्ड, कैबूदा, तुलसी रामपुरया, पिताम्पुरा, गांवों का सम्पूर्ण रकबा अनकमाण्ड आपके विभाग ने माना है जबकि बड़ी नहर जाखमूण्ड गांव के मध्य से निकल रही है । दीपक तले अंधेरे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है । यहां पर भी लिफ्ट द्वारा खेतों में पानी जा सकता है ।

अतः सरकार से पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि बूंदी तहसील एवं जिले में जहां भी नदियों का पानी, खाल का पानी या ड्रेनों का पानी बेकार जा रहा है उसका एनीकट या लिफ्ट योजना बनाकर पानी का सदुपयोग खेतों के लिये करावें ।

———

[श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)]

आवासन मण्डल द्वारा राज्य कर्मचारियों को आवास सुविधा

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान जयपुर व राज्य के अन्य बड़े शहरों में रह रहे राज्य कर्मचारी जिनमें राज्य के बोर्ड/निगम व अन्य संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, को आवास उपलब्ध होने में हो रही परेशानी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

जैसा कि आपको विदित ही है राज्य कर्मचारियों को अपना आवास प्राप्त करने हेतु राज्य की ओर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा यह ऋण उन्हीं आवास एवं भूमि पर देय होता है जो सरकार द्वारा अनुमोदित होती है । जयपुर व राज्य के अन्य बड़े शहरों में राजस्थान आवासन बोर्ड व जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विगत कई वर्षों से विशेष रूप से राज्य कर्मचारियों के लिए कोई योजना नहीं बनायी गयी है । यदि कोई बनायी भी गयी है तो सामान्य योजना बनायी गयी है जिसमें राज्य कर्मचारियों का कोई कोटा निर्धारित नहीं किया जाता है । फलस्वरूप सामान्य योजना में अधिकांश वे व्यक्ति आवेदन करते हैं जिनके पास पहले से ही आवास उपलब्ध होता है या जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है । वे आवेदन कर तथा आवंटन प्राप्त कर उन आवासों को ब्लैक में बेच देते हैं । आवेदन करने वाले अधिकांश व्यक्ति वे होते हैं जिनका धन्धा एवं उद्देश्य ही आवास को ब्लैक करना होता है । अधिक संख्या में उनको ही आवास आवंटित हो पाते हैं । जैसा कि आपको विदित है कि राज्य कर्मचारी अल्प वेतन भागी कर्मचारी होते हैं व इन भूमि दलालों की बराबरी नहीं कर पाते हैं । वे आवास प्राप्त करने में बहुत पिछड़े हुए हैं । इन्हीं भूमि दलालों के कारण आज यह व्यवसाव बहुत फलफूल रहा है तथा जयपुर व राज्य के अन्य बड़े शहरों में आवासों की कीमत आसमान छू रही है तथा आवास प्राप्त करना राज्य कर्मचारियों के लिए दूभर हो गया है । इसी कारण इन शहरों में मकान किराया भी बहुत बढ़ गया है ।

राज्य सरकार के क्वाटर्स बहुत ही सीमित मात्रा में है या दूसरी भाषा में इसे नगन्य ही कहा जा सकता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य कर्मचारी को नियमित आवास/भूमि पर ही सरकार की ओर से ऋण स्वीकृत किया जाता है तथा

वह इसे पूर्ण रूप से चुकाने के लिए बाध्य है क्योंकि यह कटौती उसके वेतन से एवं पेंशन से की जाती है। इस प्रकार सरकार का पैसा किसी भी स्थिति में डूबता भी नहीं है।

अतः राज्य कर्मचारियों की व्यवहारिक कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए आवासन मण्डल द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए अलग से कोई योजना चालू की जाये जिससे उनकी आवास सम्बन्धी समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

———

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर)]

कुम्हेर की ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोड़ना

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित ग्राम पंचायत मुख्यालय जिनकी आबादी उनके सामने अंकित की गयी हैं, अभी तक पक्की सड़को से जुड़े हुए नहीं हैं :—

1. बावेन	1847	2. पाहुआ	1296
3. गुदावली	814	4. रीठाटी	895
5. भौरोलीकलां	1888	6. बीलोठी	2095
7. माँढोनी	1262		

राजस्थान सरकार की सड़क निर्माण के सम्बन्ध में यह नीति है कि जितने भी ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर सड़कों से जोड़ा जायेगा। इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों की आबादी भी 1000 से ऊपर है अथवा 100 के लगभग है। यहां के निवासियों को सड़कों के अभाव में अत्यधिक दुःख उठाना पड़ता है और यहां तक कि बरसात के मौसम में मरीजों को कुम्हेर अथवा भरतपुर अस्पतालों में ले जाना भी मुश्किल पड़ जाता है और चिकित्सा परिचर्या के अभाव में मरीजों की जान तक चली जाती है। छात्र/छात्राओं को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये यातायात/सड़क के अभाव में काफी कठिनाई होती है। इसलिए इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को इस वर्ष सड़क मार्ग से जोड़ना अत्यन्त आवश्यक है और राज्य सरकार को भी अपनी घोषित नीति के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर इन गांवों में सड़क निर्माण कराना चाहिए, जिससे कि ग्रामवासियों में व्याप्त असंतोष दूर हो सके।

———

(170)

[श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)]

चूरू लाडनूं लिफ्ट नहर को पुनः योजना में शामिल करना

अक्टूबर, 1985 में राज्य मंत्री मण्डल ने आज्ञा संख्या 164/85 पारित की जिसमें इन्दिरा गांधी नहर से चूरू, लाडनूं लिफ्ट योजना मंजूर की थी। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा इसका सर्वे किया गया था। योजना बनाकर योजना आयोग को भेजी। योजना आयोग ने जो कुछ भी ऐतराज किया उसकी पूर्ति राज्य सरकार ने नहीं की और इस योजना को छोड़ दिया गया। उक्त लिफ्ट योजना से चूरू से लेकर लाडनूं तक का सारा क्षेत्र जो पूरा का पूरा खारे पानी व कम पानी का क्षेत्र है, जिसमें चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़ तहसील क्षेत्र सम्मिलित हैं तथा इन क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी की विकट समस्या है. उससे राहत मिल सकती थी। परन्तु सरकार ने इस योजना को समाप्त कर दिया जबकि पूर्व में इस योजना का बड़ा प्रचार किया गया तब लोगों को पीने के लिए मीठा पानी मिलने की बड़ी उम्मीदे जगायी गयी थीं। इस पूरे क्षेत्र में सरकार द्वारा गांव व कस्बे में पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए अब तक बहुत बड़ी धनराशि खर्च की गयी है परन्तु समस्या को कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है।

अतः इस विशेष उल्लेख के जरिये सरकार से मांग है कि चूरू लाडनूं लिफ्ट नहर के प्रस्ताव को फिर से योजना में सम्मिलित किया जाकर इस क्षेत्र की जनता को राहत देने की कार्यवाही की जावे।

———

[श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)]

दूध को बाहर भेजने पर लगे प्रतिबन्ध से पशुपालकों का शोषण

माननीय मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत जी ने 20 जुलाई, 1989 को इसी सदन में विनियोग विधेयक पर हुई बहस में कहा था कि किसानों की उपज बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध लगाकर, उनकी उपज सस्ती करके सरकार किसान को मारती है और इस बात का षड़यन्त्र सरकार रच रही है। पर आज वही काम स्वयं खुद कर रहे हैं।

गर्मियों में दूध राजस्थान से बाहर भेजने पर 1991 व 1992 में इसी सरकार ने रोक लगायी थी जबकि सन् 1993 में माननीय राज्यपाल ने निर्यात पर रोक न लगाकर पशुपालकों को राहत दी थी परन्तु यह सरकार तो चाहती है कि पशुपालक अपने दूध का उचित मूल्य नहीं पा सके। इसलिए सरकार इस साल भी प्रतिबन्ध लगाने जा रही है।

आर.सी.डी.एफ. ने मनमाने तौर पर पशुपालकों से खरीदे जाने वाले एक ही गुणवत्ता वाले दूध के भाव सारे राजस्थान में अलग-अलग तय कर रखे हैं जैसे बीकानेर में 4.40 रुपये, पाली में 3.85 रुपये और हनुमानगढ़ में 4.00 रुपये। जहां किसान चिल्ला सकता है और निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा (कम्पीटीशन) है वहां पर भाव ज्यादा है और अन्य जगह कम हैं। इसके अलावा यह भाव बाजार में बिकने वाले दूध से काफी कम है। आज यदि प्राइवेट डेयरी वालों को राज्य सरकार सहायता और प्रोत्साहन देती है तो प्रतियोगिता के कारण किसानों को दूध का भाव अच्छा मिलेगा तथा उसे शोषण से बचाया जा सकता है। सरकार को भी बाजार के तुलनात्मक भाव की जानकारी रह सकती है।

भरतपुर, बीकानेर एवं अलवर जहां प्राइवेट डेयरियों से कम्पीटीशन है वहां पशुपालक अपना दूध प्राइवेट को उचित दाम एवं नकद भुगतान पर देता है जबकि आर.सी.डी.एफ. को जहां वह कम दाम देती है वह दुध बहुत कम मिलता है। आर.सी. डी.एफ. द्वारा भुगतान भी समय पर नहीं दिया जाता है।

1991 में श्वेत पत्र के आधार पर राज्य में सन् 1988 में 110 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादित होता था जिनमें 33 लाख लीटर दूध प्रतिदिन सरप्लस बचता था। ताजा आंकड़ों में इस मात्रा में बढ़ोतरी हुई होगी परन्तु निजी क्षेत्र द्वारा निर्यात पर अनेक बाधाएं जैसे एक प्रतिशत सैल्स टैक्स, गर्मियों में निर्यात पर रोक आदि होने के कारण निजी लोग इस क्षेत्र में नहीं ला रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वह भी इसे बन्द करने का इरादा रखते हैं। पशुपालन विभाग के अधिकांश जनसाधारण की जीविका कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करती है। यह व्यवसाय आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए जीविका का मुख्य सहारा है एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन 19% महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रदेश में सन् 1991 की पशुगणना के अनुसार करीब 116 लाख गौवंश और करीब 77 लाख भैसवंस है। ऐसा मानना है कि उसमें से करीब 22 लाख गायें और 15 लाख भैसे दूध देती हैं। सरकार यह मानकर कि दूध का उत्पादन गर्मियों में कम होता है, दूध पर मैकेनिकल तरीके से पिछले सालों के रोक आदेशों की पुनरावृत्ति करती रहती है पर असलियत यह है कि गायों के ब्याणे का समय फरवरी में शुरू होता है और तब से अक्टूबर तक गाय लगातार दूध देती है और उसके दूध देने का पीक टाइम अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई माह होता है और गाय ज्यादा दूध देती है। चूंकि दूध देने वाली गायों की संख्या भैंसों से 7 लाख ज्यादा है। इसलिए दूध में कमी का प्रश्न ही नहीं होता है फिर भी आर.सी.डी.एफ. के कहने पर राज्य सरकार राज्य से दूध निर्यात पर बिना सोचे-समझे पिछले सालों के आदेश की पुनरावृत्ति कर देती है। मजबूरन पशुपालक को सस्ते दामों पर दूध डेयरी को देना पड़ता है ताकि आर.सी.डी.एफ. दिल्ली डेयरियों को सस्ते दामों पर दूध दे सके। इससे प्रदेश के पशुपालकों का शोषण हो रहा है एवं इस कारण प्रदेश के पशुपालकों में बहुत रोष है।

मैं विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जब राजस्थान में 33 लाख लीटर दूध प्रतिदिन सरप्लस है और डेयरी सिर्फ 4 लाख लीटर ही दूध खरीदती है तो शेष 29 लाख लीटर दूध सिर्फ राजस्थान से बाहर भेजकर ही किसान पशुपालक व राजस्थान के पशुओं को बचा सकते हैं। आज हालत यह है कि अकाल के दिनों में जब दूध बाहर भेजने पर रोक लग जाती है तो पशुपालक अपना दूध नहीं बेच पाता है और गायों को चारा खिलाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वह गायों की तस्करी करने वालों के जाल में फंस जाता है और हमारा बहुमूल्य पशुधन करने के लिए पाकिस्तान चला जाता है। गर्मियों में विशेषकर इसी कारण हजारों गायें तस्करी से पाकिस्तान जाती है। अतः गर्मियों में दूध निर्यात पर जो प्रतिबन्ध लगाने की परम्परा है उसे समाप्त करें ताकि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, जिसकी सारी अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित है, सुदृढ़ हो सके और उचित भाव मिलने पर वह दूध उत्पादन बढ़ा सके। इससे ही ग्रामीण लोगों को बेरोजगारी से उभारा जा सकेगा।

मैं पुनः सरकार से मांग करता हूं कि दूध की क्रय कीमत आर.सी.डी एफ. बढ़ाये, दूध निर्यात पर सैल्स टैक्स समाप्त करें, गर्मियों में दूध निर्यात पर प्रतिबन्ध न लगाये। यदि यह सरकार किसानों, पशुपालकों, गांवों की हितैषी है तो मेरी इस मांग को अवश्य स्वीकार करेगी। मुख्य मंत्रीजी ने जो बात 20 जुलाई, 1989 को विधान सभा में कही थी उस पर कायम रहेंगे और किसान/पशुपालक के उत्पादन/बिक्री पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगायेंगे।

———